

लक्ष्य

“हम ग्राहक केंद्रित, निष्पादन प्रेरित, परिणाम अभिमुख संगठन बनेंगे जिसका मुख्य लक्ष्य ग्राहकों को प्रतिलाभ दिलाना होगा”

“हम संसाधनों का लाभप्रद उपभोग करने हेतु तथा उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं देने के लिए प्रयासरत रहेंगे और श्रेष्ठता हेतु मानक स्थापित करने के रूप में हमारी पहचान होगी।”

“हम परिष्कृत नवीन सेवाएं देने के लिए निरन्तर नए और बेहतर विकल्प खोजेंगे। ग्राहकों की सुविधा और संतुष्टि ही हमारा ध्येय होगा। हम अपने व्यावसायिक प्रतिस्पर्धियों से सीख लेंगे और श्रेष्ठता हेतु सदैव प्रयासरत रहेंगे।”

“हम अपने संगठन के लक्ष्यों और मिशन के समर्थन में परिमेय निष्पादन लक्ष्य निर्धारित करेंगे। हम अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकबले स्वयं ही मानक स्थापित करेंगे तथा अपने संगठन की उन्नति के लिए अपने व्यवसाय और परिचालन के सभी क्षेत्रों में एक संव्यावसायिक, सक्षम और समर्पित टीम के रूप में कार्य करेंगे।”

“हम व्ययसाय-सम्मत उच्चतम मानकों का अनुसरण करेंगे तथा उत्तरदायी निगमित हस्ती के रूप में सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए व्यावसायिक समुदाय के लिए सामाजिक मूल्यों में वृद्धि करेंगे।”

“हम अपने कार्यालयीन कार्यों में पूर्णतः सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखेंगे। हम निजी जिंदगी में भी नैतिकता के उच्च आदर्श बनाए रखने हेतु प्रयासरत रहेंगे।”

Objectives

“ We will be a customer focussed , performance driven , result oriented organisation, focussed on providing value for money to our customers..”

“ We will strive to maximise productive utilisation of resources, deliver high quality of services, and be recognised as setting the standards for excellence.”

“ We will constantly look for new and better ways to provide innovative services. We will aim for customer convenience and satisfaction, learn from our competitors and always strive for excellence.”

“ We will set measurable performance goals to support the objectives and mission of our organisation and work as a professional, competent and dedicated team for the organisation to achieve excellence in all areas of our business and operations by benchmarking ourselves with our competitors.”

“ We will follow highest standards of business ethics and add social value for the community at large by discharging social obligations as a responsible corporate entity.”

“ We will maintain absolute integrity, honesty, transparency and fair-play in all our official dealings and strive to maintain high standards of morality in our personal life.”

विषय सूची

1. गत दस वर्षों के वित्तीय एवं वास्तविक कार्य निष्पादन की एक झलक	01
2. कंपनी सूचना	02
3. अध्यक्ष महोदय का भाषण	03-05
4. निदेशकों की रिपोर्ट	07-12
5. निदेशकों की रिपोर्ट की युक्तिका	13-14
6. निगमित शासन रिपोर्ट	15-20
7. प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण	21-23
8. निगमित शासन पर प्रमाण-पत्र	24
9. तुलन-पत्र (बैलेन्स शीट)	25
10. लाभ एवं हानि लेखा	26
11. तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा से संबंधित अनुसूचियाँ	27-32
12. लेखाकरण संबंधी महत्वपूर्ण नीतियाँ	33-34
13. लेखाओं पर टिप्पणियाँ	35-51
14. तुलन-पत्र का सार एवं कंपनी की सामान्य रूपरेखा	52
15. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	53
16. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध	54-55
17. नकदी प्रवाह विवरण	56
18. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 212 (11(ई)) के समर्थन में विवरण	57
19. फ्रेश एण्ड हैल्दी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट (सहायक कंपनी)	58-89
20. भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड – समेकित वित्तीय विवरण	90-113
– समेकित वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	114
21. कॉनकॉर के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी	115
22. कार्यालयों की सूची	116

गत दस वर्षों के वित्तीय एवं भौतिक कार्य निष्पादन की एक झलक (वर्ष वार आंकड़े)

वित्तीय निष्पादन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	कुल आय (अन्य आय सहित)	1,335.41	1,533.84	1,807.40	2,043.33	2,489.16	3,141.94	3,510.33	3,628.25	3,885.73	4,030.18
2	व्यय (स्टॉक में वृद्धि/कमी सहित)	909.90	1,056.36	1,253.15	1,366.82	1,735.54	2,166.11	2,455.49	2,486.10	2,744.04	2,826.68
3	परिचालन मार्जिन (1-2)	425.51	477.48	554.25	676.51	753.62	975.83	1,054.84	1,142.15	1,141.69	1,203.50
4	ब्याज खर्च	2.87	2.74	0.25	0.29	0.23	-	-	-	-	-
5	मूल्यहास	33.47	43.94	55.28	66.62	83.26	93.58	106.34	115.91	135.10	145.23
6	कर पूर्व लाभ	389.17	430.80	498.72	609.60	670.13	882.25	948.50	1,026.24	1,006.59	1,058.27
7	कर पश्चात् लाभ	249.48	272.85	367.59	428.60	525.80	703.82	752.21	791.20	786.69	875.95
8	लाभांश	64.99	71.48	81.24	94.23	116.98	142.98	168.98	181.98	181.98	201.48
9	लाभ एवं हानि लेखा शेष	782.83	947.75	1,186.72	1,465.38	1,805.21	2,273.49	2,752.78	3,251.95	3,747.47	4,301.29
10	सामान्य प्रारक्षित निधि	61.48	88.77	125.53	168.39	220.97	291.35	366.15	380.28	458.95	546.54
11	आवधिक ऋण	54.65	14.37	11.99	10.60	-	-	-	-	-	-
12	प्रारक्षित एवं अधिशेष (9+10)	844.32	1,036.52	1,312.25	1,633.77	2,026.18	2,564.84	3,118.93	3,632.23	4,206.42	4,847.83
13	अचल परिसंपत्तियाँ (सकल ब्लॉक)	752.65	982.50	1,198.79	1,538.62	1,793.61	2,025.33	2,244.24	2,640.95	2,988.86	3,286.15
14	विविध देनदार	9.04	8.34	5.78	5.73	8.52	9.90	13.83	15.72	17.64	17.27
15	विदेशी मुद्रा विनिमय से आय	-	0.19	0.26	0.66	-	-	-	-	-	-
16	शेयर पूँजी	64.99	64.99	64.99	64.99	64.99	64.99	64.99	129.98	129.98	129.98
17	पूँजीगत नियोजन	956.09	1,114.96	1,387.90	1,600.86	1,940.09	2,456.61	3,030.16	3,507.20	4,100.33	4,643.27
18	सरकारी निवेश	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	82.00	82.00	82.00
19	निवल धन (12+16)	909.31	1,101.51	1,377.24	1,698.76	2,091.17	2,629.83	3,183.92	3,762.21	4,336.40	4,977.81
20	पूँजीगत नियोजन के अनुपात में कर पूर्व लाभ (6+17)	0.41	0.39	0.36	0.38	0.35	0.36	0.31	0.29	0.25	0.23
21	पूँजी नियोजन के अनुपात में परिचालन मार्जिन (3+17)	0.45	0.43	0.40	0.42	0.39	0.40	0.35	0.33	0.28	0.26
22	शेयरपूँजी के अनुपात में कर पश्चात् लाभ (7+16)	3.84	4.20	5.66	6.59	8.09	10.83	11.57	6.09	6.05	6.74
23	आय के अनुपात में व्यय (2+1)	0.68	0.69	0.69	0.67	0.70	0.69	0.70	0.69	0.71	0.70
24	कर्मचारियों की संख्या	781	841	915	988	1,036	1,080	1,134	1,176	1,129	1,147
25	प्रति कर्मचारी आय (1+24)	1.71	1.82	1.98	2.07	2.40	2.91	3.10	3.09	3.44	3.51
26	प्रति कर्मचारी विदेशी मुद्रा में आय (15+24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	वर्तमान अनुपात	2.68	2.27	2.51	2.38	2.47	2.98	3.54	3.51	4.05	5.21
28	ऋण/ईक्विटी अनुपात (11+19)	0.06	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
29	निवेश	0.66	0.66	3.45	84.00	129.38	131.70	155.36	203.08	240.54	243.96

भौतिक निष्पादन (टीईयू)*

1	अंतरराष्ट्रीय संचालन	905058	1031925	1251618	1376516	1556714	1715661	1977399	1854959	1882277	2018551
2	आंतरिक संचालन	326775	351238	350501	351460	373848	389605	470370	453273	538970	543746
3	कुल (1+2)	1231833	1383163	1602119	1727976	1930562	2105266	2447769	2308232	2421247	2562297

* बीस फुट के समकक्ष यूनिट

कंपनी सूचना

निदेशक बोर्ड

श्री विनय मित्तल

अध्यक्ष (गैर-कार्यपालक)

श्री अनिल कुमार गुप्ता

प्रबंध निदेशक

श्री हरप्रीत सिंह

निदेशक (परियोजना एवं सेवाएं)

श्री यश वर्धन

निदेशक (अंतरराष्ट्रीय विपणन एवं परिचालन)

श्रीमती पी अल्लिरानी

निदेशक (वित्त)

श्री एस. के. दास

निदेशक

लै. जनरल अरविंद महाजन (सेवानिवृत्त), पीवीएसएम,

एवीएसएम, पीएसएम एंड बार

निदेशक

डॉ. (प्रो.) ए. के. बंधोपाध्याय

निदेशक

डॉ. (प्रो.) श्री कौशिक गुप्ता

निदेशक

कंपनी सचिव

श्री हरीश चंद्र

समूह महाप्रबंधक (वित्त एवं कंपनी सचिव)

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स कुमार चोपड़ा एंड एसोसिएट्स,

नई दिल्ली

शाखा लेखापरीक्षक

मैसर्स घोष एंड पांडे,

कोलकाता

मैसर्स पी एस मूर्ति एसोसिएट्स,

चैन्नई

मैसर्स अंबालाल पटेल एंड कंपनी,

अहमदाबाद

मैसर्स नटवरलाल वेपारी एंड कंपनी,

मुंबई

बैंकर

एक्सिस बैंक लिमिटेड

बैंक ऑफ इंडिया

केनरा बैंक

सिटी बैंक

कारपोरेशन बैंक

एचडीएफसी बैंक

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

इंडियन ओवरसीज़ बैंक

इंडियन बैंक

जम्मू एंड कश्मीर बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब एंड सिंध बैंक

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक

सिंडिकेट बैंक

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

यस बैंक लिमिटेड

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसिस

(प्रा.) लि., नई दिल्ली

अध्यक्ष महोदय का भाषण

(वार्षिक सामान्य बैठक में श्री अनिल कुमार गुप्ता, प्रबंध निदेशक, कॉनकॉर द्वारा पढ़ा गया)

कॉनकॉर के शेयरधारकों को नमस्कार,

आपकी कंपनी की 23वीं वार्षिक सामान्य बैठक के अवसर पर निदेशक मंडल की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मुझे प्रसन्नता है। इस शानदार अवसर पर आपके यहां होने पर मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

आपकी कंपनी के दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के वित्तीय आंकड़ों के साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट और अन्य सांविधिक दस्तावेज़ आप सभी को पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं। आपकी अनुमति से, मैं यह मान लेता हूँ कि आप सभी ने इनका अध्ययन कर लिया होगा।

चूंकि मुझे आज आपसे बात करने का सौभाग्य मिला है, मैं अपनी कंपनी के शेयरधारकों, ग्राहकों और अन्य सभी स्टैकहोल्डर्स को उनके निरंतर प्रोत्साहन और समर्थन के लिए आभार प्रकट करना चाहूंगा। इसके साथ-साथ अपने सभी कर्मचारियों को उनके प्रशंसनीय प्रयास के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहूंगा जिनके कारण कॉनकॉर को विगत दो वर्षों के कठिन दौर से पार पाने और विजय पाने में सफलता मिली और कंपनी को पुनः वृद्धि की राह पर ले आए। मैं चालू वर्ष के सकारात्मक परिणामों से भी प्रसन्न हूँ और मुझे विश्वास है कि हमने अपने आपको आगामी वर्षों के लिए उन्नति के रास्ते हेतु सुदृढ़ स्थिति में कर लिया है।

वैश्विक परिदृश्य :

जैसाकि अब पूरे विश्व में माना गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था शायद दूसरी बार मंदी की ओर बढ़ रही है। विशेषज्ञ भारत जैसे विकासशील देशों में भी वृद्धि दर में मंदी की भविष्यवाणी कर रहे हैं जोकि अभी तक उछाल दिखा रही थी। हालांकि, अच्छी बात यह है कि उभरते बाजारों का निरंतर अच्छा प्रदर्शन रहा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में पर्याप्त संभावनाएं दिख रही हैं। यह आकलन कि भारत की सशक्त घरेलू अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर इस चालू वर्ष के दौरान आठ प्रतिशत से अधिक हो जाएगी, यह भी सांत्वना की बात है।

विश्व के साथ भारत के व्यावसायिक आबंध – आयात एवं निर्यात दोनों ने पूर्ववर्ती वर्षों के निस्तेज निष्पादन के उलट गत वर्ष में गति पकड़ी। इसके अतिरिक्त, भारत के द्वारा शक्तिशाली राष्ट्रों यथा यूरोपियन संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, चीन आदि के साथ कई द्विपक्षीय व्यावसायिक करारों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं जोकि आपकी कंपनी के व्यवसाय के लिए उत्साहजनक हैं।

हमारे औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र गति से हो रही वृद्धि के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में हो रही जोरदार प्रगति ने इसके लिए बाध्य कर दिया है कि पूरे देश में उत्पादन और उत्पाद वितरण को मदद करने हेतु विस्तृत आपूर्ति श्रृंखला बनाई जाए। इसके साथ-साथ, संभारतंत्र बाजार हेतु कई नई संभावनाएं बनी हैं। समर्पित मालभाड़ा कोरीडोर का संभावित समयपूर्व विकास एवं पतनों तथा तटीय नौवहन सुविधाओं में सुधार से बहुविध परिवहन सेवाएं लोकप्रिय हो रही हैं।

विगत वर्ष में आपकी कंपनी का निष्पादन:

जेएनपीटी पर हुई बड़ी सामुद्रिक दुर्घटना के बावजूद, जिसने हमारे मुख्य व्यवसाय को गत वर्ष एक माह से भी अधिक असामान्य कर दिया था, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल एवं प्रबंधन ने दृढ़तापूर्वक व्यवसाय संभाला और आपकी कंपनी को धीरे-धीरे उभारा एवं वृद्धि के रास्ते पर ले आए। सशक्त निगमित शासन, पारदर्शिता एवं कठोर वित्तीय नियंत्रण प्रबंधन के मुख्य औज़ार रहे हैं जिन्हें प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में लाभ में सकारात्मक वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु नियोजित किया गया।

वैश्विक मंदी के प्रतिकूल प्रभाव से आपकी कंपनी के उभरने की गति धीमी किंतु निश्चित थी। आपकी कंपनी की निवल लाभप्रदता और भौतिक निष्पादन के दोनों प्रतिवेदनीय खंडों में सुधार हुआ है। परिचालन और वित्तीय मोर्चे पर दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित रही :

- आपकी कंपनी का वार्षिक थ्रूपुट 2.56 मिलियन टीईयू से अधिक रहा जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ है। यह आंकड़ा विश्व की किसी भी इनलैंड लॉजिस्टिक्स कंपनी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इनमें से 90% से अधिक का संचालन भारतीय रेल प्रणाली द्वारा किया गया।
- विगत वित्तीय वर्ष के अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय में 7.24% वृद्धि करते हुए इस वर्ष 2 मिलियन टीईयू से अधिक का संचालन किया गया।
- अब तक का सर्वश्रेष्ठ सकल मार्जिन ₹ 1203.50 करोड़ प्राप्त करते हुए अब तक की सर्वश्रेष्ठ आय ₹ 4030.18 करोड़ का आंकड़ा हासिल किया।
- निवल लाभ अब तक का सर्वश्रेष्ठ ₹ 875.95 करोड़ रहा।
- वर्ष 2009-10 के प्रति शेयर अर्जन ₹ 60.52 में 11.3% वृद्धि से यह वर्ष 2010-11 में ₹ 67.39 हो गया।
- आपकी कंपनी का नेटवर्थ अब तक का सर्वश्रेष्ठ ₹ 4,977.81 हो गया जिससे मंदी के दौर में भी 14.8% से भी अधिक शानदार वृद्धि प्रदर्शित होती है।

व्यावसायिक निष्पादन में इन उपरोक्त उपलब्धियों को प्राप्त करने से आपकी कंपनी को अपने शेयरधारकों के लिए निरंतर वृद्धि द्वारा उनके धन की उपादेयता का निर्माण करने में सहायता मिली।

लाभांश

वित्तीय निष्पादन और व्यवसाय में वृद्धि की भावी संभावनाओं के दृष्टिगत आपके निदेशकों ने पहले ही 75% की दर से प्रदत्त शेयरपूजी के भुगतान किए जा चुके अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त प्रदत्त शेयरपूजी के 80% की दर से अंतिम लाभांश के भुगतान की अनुशंसा की है।

आयाम / पुरस्कार (उपलब्धियां एवं सम्मान)

आपकी कंपनी को व्यावसायिक परिचालन के प्रत्येक पहलू में दूर-दूर तक बाजार में अग्रणी माना जाता है। आपकी कंपनी ने विगत वर्ष के दौरान कई उपलब्धियां एवं सम्मान प्राप्त किए जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

* भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी द्वारा दिनांक 15 दिसंबर, 2010 को नई दिल्ली में कॉनकॉर को वर्ष 2008-09 हेतु

अध्यक्ष महोदय का भाषण

एमओयू उत्कृष्टता प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।

- नई दिल्ली में जनवरी 2011 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एवं एक्सपो में कॉनक्वेस्ट 2011 के दौरान कॉनकॉर को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ आईसीडी एवं रेल संचालन हेतु 'प्रथम नार्थन इंडिया मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स अवार्ड' प्राप्त हुआ।
- मैसर्स केयर ने कॉनकॉर को पुनः केयर एएए श्रेणी प्रदान की है। केयर एएए के प्रतीकों को सर्वश्रेष्ठ क्रेडिट क्वालिटी का माना जाता है जो ऋण दायित्वों का समयबद्ध भुगतान हेतु उच्चतम सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- वर्ष 2009-10 के लिए भारत में सूचीबद्ध कंपनियों के ईटी सर्वे के अनुसार कॉनकॉर को शीर्ष 500 कंपनियों में कुल कारोबार के मामले में 161 वें, निवल लाभ के मामले में 85 वें स्थान पर रखा गया है। परिवहन और संभारतंत्र के क्षेत्र में कॉनकॉर को कुल कारोबार के मामले में तीसरा और निवल लाभ के मामले में पहला स्थान मिला है।
- कॉनकॉर को एक्विजम इंडिया एंड फेयरप्ले एक्सपोजिशन ग्रुप द्वारा वर्ष का 'इनलैंड कंटेनर डिपो ऑपरेटर' पुरस्कार ऑल इंडिया मेरीटाइम एंड लॉजिस्टिक्स अवार्ड - 2010 (माला) प्राप्त हुआ।
- वर्ष 2009-10 के दौरान ग्राहक सेवा में उच्च स्तर की विश्वसनीयता हेतु 'आईसीडी, दादरी को एनुअल इंडियन मेरीटाइम अवार्ड्स 2010' हेतु चुना गया।
- कॉनकॉर का संभारतंत्र और परिवहन क्षेत्र में निरंतर चौथे वर्ष शीर्ष भारतीय कंपनी होने पर प्रतिष्ठित डन एंड ब्रैडस्ट्रीट - रोल्टा कॉरपोरेट अवार्ड 2010 हेतु चयन किया गया। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट ने कॉनकॉर को भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में कुल आय के मामले में 133वां, निवल लाभ के मामले में 65वां तथा निवल धन संपदा के मामले में 79वां स्थान दिया है।
- कॉनकॉर को 'वेब आधारित एकीकृत कंटेनर / टर्मिनल प्रबंधन प्रणाली' शीर्षक के अपने प्रोजेक्ट को 'एएफएसीटी' द्वारा 'इलैक्ट्रॉनिक बिजनेस इन पब्लिक सैक्टर' श्रेणी में 'ई-एशिया 2009' पुरस्कार प्रदान किया गया।
- आपकी कंपनी के आठ क्षेत्रीय कार्यालयों और निगमित कार्यालय सहित 56 टर्मिनलों को नया आईएसओ-9001-2008 मानक प्रमाणपत्र मिल चुका है। संशोधित 9001:2008 आईएसओ मानकों के अनुसार प्रक्रियाओं के अनुपालन हेतु वर्ष के दौरान नियमित लेखापरीक्षा की गई।
- ग्राहकों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु सुझाव लेने के लिए वर्ष के दौरान नियमित रूप से 'प्रबंधन समीक्षा बैठकें' आयोजित की गईं।

अवसंरचना सुविधा विस्तार :

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹ 310.46 करोड़ राशि का पूंजीगत व्यय किया जोकि मुख्यतः टर्मिनलों के विकास/विस्तार, वैगनों की अधिप्राप्ति, संचालन उपकरणों और आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि पर किया गया। इस संबंध में प्रमुख विवरण निम्नलिखित है :

- गत वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के स्वामित्व वाले वैगनों के बेड़े में तीव्र गति वाले 565 बीएलसी वैगन और जोड़े गए जिससे तीव्र गति वाले वैगनों की धारिता बढ़कर 9,309 यूनिट हो गई। इससे वित्तीय वर्ष के अंत तक कुल वैगन धारिता 10,666 यूनिट हो गई।
- 33 नए रीच स्टैकर्स खरीदे गए जिससे कंपनी के स्वामित्व वाले कंटेनर संचालन करने वाले इन विशेष उपकरणों की कुल संख्या बढ़कर 55 हो गई।
- इस वर्ष दो नए टर्मिनल -खेमली (राजस्थान) और राउरकेला (उड़ीसा) शुरू किए गए।
- द्रोणागिरी नोड (मुंबई), भुसावल, गांधीधाम, नागपुर, दादरी, बालासोर, मुरादाबाद, व्हाईटफील्ड, खेमली, हल्दिया, औरंगाबाद, अंकलेश्वर टर्मिनलों पर विस्तार कार्य शुरू किया गया।
- आपकी कंपनी ने खोडियार (गुजरात) एवं खातूवास (राजस्थान) में दो बहुविध संभारतंत्र पार्कों के चरणबद्ध विकास को मंजूरी प्रदान की है। श्रीपेराम्बूदूर (तमिलनाडु) में एसईजेड में लॉजिस्टिक यूनिट के विकास हेतु भी मंजूरी दी गई।
- वीसैट आधारित नेटवर्क का विस्तार किया गया और अब यह 66 स्थानों पर कार्यरत है।
- वर्ष 2010-11 के दौरान ग्राहक संतुष्टि सूचकांक 87.9% रहा (जैसाकि एक बाह्य एजेंसी द्वारा स्वतंत्र सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित किया गया)।

मानव संसाधन प्रबंधन

आपकी कंपनी में मानव संसाधन को सदैव प्रमुख परिसंपत्ति माना गया है। वर्ष 2010-11 के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे। आपकी कंपनी का सदैव प्रयास रहा है कि कर्मचारियों की कार्य क्षमता देखकर, नए विचारों को प्रोत्साहित कर और पुरस्कारों का समुचित वितरण करके उनका सशक्तिकरण, प्रगति एवं वैयक्तिक विकास किया जा सके। आंतरिक और बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों की दक्षता का विकास करने पर विशेष ध्यान दिया गया। कुल मिलाकर, प्रशिक्षण हेतु विभिन्न विकास कार्यक्रमों में 1077 कर्मचारियों ने भाग लिया। वेतन संशोधन के बावजूद कर्मचारी लागत को कुल लागत के 2.94 प्रतिशत तक सीमित रखा गया।

संयुक्त उद्यम/नीतिगत गठजोड़:

भारत कई उद्योगों के लिए प्रमुख विनिर्माण स्थान के रूप में तेजी से उभर रहा है और इन रुझानों का अर्थ है कि भविष्य में वैश्विक व्यापार में भारत का अपेक्षाकृत बड़ा हिस्सा होगा, इस प्रकार भारत में संभारतंत्र सेवाओं की मांग बढ़ेगी। भारतीय कंपनियों को समर्थ 3 पीएल भागीदार बनने हेतु संभारतंत्र गतिविधियों को बाहर से कराने में वृद्धि संभवतः एक तर्कपूर्ण परिणाम है। उद्योग विशेषज्ञ यह भी अनुभव करते हैं कि एक बार जीएसटी व्यवस्था लागू होने पर भंडारागारण क्षेत्र में अत्यधिक संभावनाएं हैं। थोक कार्गो परिचालन में लाइसेंसों की घोषणा करके रेलवे ने भी उदारीकरण वातावरण को अपना लिया है। इन सभी तथ्यों से संभारतंत्र क्षेत्र को प्रोत्साहन मिला है और आपकी कंपनी ने स्वयं को एवं जहां आवश्यक हुआ, नीतिगत गठजोड़ करके, दोनों प्रकार से अपने आपको बड़ी परियोजनाओं हेतु योजना एवं

अध्यक्ष महोदय का भाषण

क्रियान्वयन करने में सक्रिय कर लिया है।

आपकी कंपनी यह भी स्पष्ट अनुभव करती है कि विभिन्न निजी कंपनियों द्वारा भारत की विस्तृत तटरेखा के साथ-साथ पत्तनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है और इन गेटवे पत्तनों से अंतःप्रदेशों से जुड़ाव उपलब्ध कराने हेतु नीतिगत समर्थन बढ़ाने की प्रक्रिया में है।

निगमित शासन :

आपकी कंपनी शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा करने, पारदर्शिता और प्रकटन को बढ़ाने, बोर्ड की प्रभावी कार्यप्रणाली को सुगम बनाने तथा सूचीबद्धता करार की धारा 49 में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी जांच संरचना प्रदान करने के (आंतरिक के साथ-साथ बाह्य दोनों) उद्देश्य से निगमित शासन का उच्चतम मानकों का पालन करती है। जहां तक विनियमों और सांविधिक संरचना का संबंध है, आपकी कंपनी इसका पूर्णतः अनुपालन करती है।

लेखापरीक्षा समिति जिसमें तीन स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं, आवधिक रूप से वित्तीय परिणामों के लेखांकन और प्रतिवेदन के साथ-साथ निष्पादन की समीक्षा करती है तथा आंतरिक एवं बाह्य नियंत्रण प्रणालियों की दक्षता और प्रभावशीलता की समीक्षा करती है।

हरियाली हेतु पहल

हमारे मशीन परिचालनों में ऊर्जा बचत उपायों को अपनाकर तेल खपत में कमी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल संसाधनों को संरक्षित करने हेतु कॉनकॉर के 61 टर्मिनलों में से 20 टर्मिनलों पर वर्षा जल संरक्षण को कार्यान्वित किया जा रहा है।

आपकी कंपनी द्वारा शुरू की गई हरियाली हेतु पहल में आप सभी को शामिल करने के लिए आपको इलैक्ट्रिक फार्म में दस्तावेज प्राप्त करने का एक विकल्प दिया गया है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इस पहल में 6864 शेयरधारकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है।

भावी समय दृष्टिकोण

सेवाओं में विस्तार और संबंधित क्षेत्रों में विविधता आपकी कंपनी की वृद्धि हेतु नाजुक स्थिति में पाई गई और आपकी कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि व्यवसाय और उद्योग दोनों की अपेक्षाओं के अनुरूप उच्चस्तरीय सेवाएं दी जाएं। इस पहलू के संबंध में कंपनी ने बाहर से एवं किराए पर काम कराने की सुविधा से पल्ला झाड़ने में कोई हिचक नहीं दिखाई और सर्वोत्तम वैश्विक स्रोतों से अत्याधुनिक उपकरणों यथा गैत्री क्रेन, रीच स्टैकर्स एवं कंटेनरों को खरीदने, अपने स्वामित्व में लेने का जोखिम उठाया। इस प्रकार आपकी कंपनी ने प्रतिस्पर्धी बाजार में अपनी ब्रांड वैल्यू और अग्रणी स्थिति बनाए रखने में सफल रही है, यह सेवा गुणवत्ता और मूल्य के संदर्भ में अपने प्रतिस्पर्धियों द्वारा दी गई सेवाओं की बराबरी करने और इससे बेहतर सेवाएं देने का प्रयास करती रहेगी जिससे यह अपने मूल्यवान ग्राहकों को धन की उपादेयता दे सके।

3 पीएल सेवा प्रदाता के रूप में उभरने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा जोकि प्रमुख कॉरपोरेट ग्राहकों की आवश्यकता है। आपकी कंपनी की योजना समर्पित भंडारागार सुविधाओं एवं मूल्य आयोजित संभारतंत्र सेवाओं सहित बहुत बड़े संभारतंत्र पार्क खोलने की है जिसका मूलभूत उद्देश्य ग्राहकों की संभारतंत्र लागत को कम करना एवं इन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनाना है।

अपनी कंपनी के पास व्यापक परिसंपत्ति आधार तथा संसाधनों का नेटवर्क है जिसके कारण निश्चित रूप से इसकी दूसरों पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त है। लागत प्रबंधन रणनीति में किए गए प्रयासों से लाभ मिला है और आपकी कंपनी सबसे कम लागत में सेवा देने वाली कंपनी बनी रहने का प्रयत्न करेगी।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में आगे आपकी कंपनी अपना ध्यान लाभप्रद वृद्धि, वैकल्पिक व्यवसाय अवसरों को बढ़ाने एवं इन्हें विकसित करने, परिचालन लाभ में सुधार करने और नकदी बनाने तथा अपनी लागतों को विवेकपूर्ण बनाने में लगाएगी। हम वैश्विक व्यवसाय में निरंतर वृद्धि की आशा करते हैं और हमें विश्वास है कि आगे होने वाली आर्थिक उन्नति में बढ़ती मांग के अनुरूप आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु हम अच्छी स्थिति में हैं।

निगमित सामाजिक दायित्व

अंतिम पर महत्वपूर्ण, आपकी कंपनी लोक उद्यम विभाग द्वारा तैयार किए गए नए दिशानिर्देशों के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में अपनी भागीदारी को और बढ़ाएगी जिससे प्रगति की राह में, जैसे जैसे हमें लाभ मिलता है, वैसे वैसे हम उसे समाज तक पहुंचाए। मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि आपकी कंपनी ने अगले वर्ष साक्षरता को बढ़ाने और विशेष रूप से बालिकाओं के कल्याण हेतु कई कार्यक्रम तैयार करने में भागीदारी की है। आपकी कंपनी ने आतंकवाद से प्रभावित बच्चों के साथ-साथ दृष्टि विहीन बच्चों की सहायता करने की ओर भी कदम बढ़ाया है।

आभार

निष्कर्ष में, मैं आप सभी का आपके प्रचुर समर्थन और हम पर निरंतर विश्वास रखने पर धन्यवाद देता हूँ। कॉनकॉर के निदेशक मंडल की ओर से मैं अपने सभी सम्माननीय शेयरधारकों, भारत सरकार के रेल मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, नौवहन मंत्रालय के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमें सभी मोर्चों पर दिशानिर्देश, प्रोत्साहन और समर्थन दिया है। मैं भारत सरकार, राज्य सरकारों और अन्य संबंधित प्राधिकरणों एवं एजेंसियों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। हम आधिकारिक रूप से सभी प्राधिकरणों एवं एजेंसियों की प्रशंसा करते हैं।

अंत में, निदेशक मंडल की ओर से मैं कॉनकॉर के सभी कर्मचारियों को हार्दिक बधाई देता हूँ जिनके समर्पित प्रयासों एवं प्रतिबद्धता से हमने यह सब सफलता पाई है।

धन्यवाद,

जय हिंद

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 19 सितम्बर, 2011

विनय मिताल

(अध्यक्ष)

वार्षिक सामान्य बैठक में पुनर्नियोजन/नियोजन लेने हेतु निदेशकों का विवरण

नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति की तिथि	योग्यताएँ	विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	अन्य पीएसयू की सूची जिसमें वो निदेशक हैं (अंतिम घोषणा-पत्र के अनुसार)	अन्य समिति सदस्यता का विवरण
श्री विवेक सहाय	20.06.53	26.07.11	बी.ए.(ऑनर्स)	परिचालन, योजना, सूचना प्रौद्योगिकी, सुरक्षा एवं सामान्य प्रबंधन	दो \$	शून्य
श्री अनिल कुमार गुप्ता	24.09.56	16.2.06 (30.12.09 से प्रबंध निदेशक)	एम.ए., एम.फिल. इकोनॉमिक्स, एम.बी.ए.(एनएमपी)	रेलवे परिचालन, वाणिज्य एवं सुरक्षा संबंधी मामलों। कंटेनर टर्मिनलों की योजना एवं प्रबंधन एवं विपणन की सेवाओं में विशेषज्ञता	तीन \$\$	शून्य
श्री हरप्रीत सिंह	24.11.57	20.07.06	ग्रेड I मैक.इ.(लंदन) ए.एम.आई.इ. (मैक इंजी.) इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, ए.एम.आई.इ.(इले. इंजी.), इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, एमबीए(वित्त)	परियोजना एवं सेवाएं का प्रबंधन	दो *	एक **
श्रीमती पी अल्लि रानी	15.05.60	31.08.09	एम.ए., एम.फिल. (इकोनॉमिक्स), एमबीए(वित्त)	रेलवे वित्त एवं टेलीकॉम वित्त में 23 वर्ष तक काय	छ: #	छ: ##
लै.जनरल अरविंद महाजन, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम एंड बार	24.12.47	13.5.11	बिजनेस मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा, मैक. इंजी. (ऑटोमोबाइल्स), एएमआईई (मैक.), एमआईई (मैक.) एवं एफआईई, ए.फिल (डिफेंस स्टडिज) में पीजी डिग्री	मैनेजमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाय चैन मैनेजमेंट	दो @	तीन @@
डॉ.(प्रो.) ए.के. बंधोपाध्याय	11.11.47	13.05.11	इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री, पीएचडी (इंजी.)	इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च	एक ^	एक ^^
डॉ.(प्रो.) कौशिक गुप्ता	31.8.63	13.05.11	इकनॉमिक्स में एमएससी, पीएचडी, यूनीवर्सिटी ऑफ यार्क, यू.के. से वर्ल्ड बैंक फेलो के रूप में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च	इकनॉमिक्स एंड रिसर्च	शून्य	शून्य

कंपनियों के नाम:

- \$ 1. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. 2. इंडियन रेलवे क्रेटिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन लि.
- \$\$ 1. फ्रेश एंड हेल्थी एंटरप्राइजेज लि. 2. गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्रा. लि. 3. कॉनयेक कॉरटेक प्रा. लि.
- * 1. फ्रेश एंड हेल्थी एंटरप्राइजेज लि. 2. इफिनिटी लॉजिस्टिक्स सोल्यूशन्स प्रा. लि.
- ** इफिनिटी लॉजिस्टिक्स सोल्यूशन्स प्रा. लि. की समिति में नियुक्ति
- # 1. फ्रेश एंड हेल्थी एंटरप्राइजेज लि. 2. हिमालयन टर्मिनल्स प्रा. लि. 3. अल्बार्टोस सीएफएस प्रा. लि. 4. स्ट्रार ट्रेक टर्मिनल्स प्रा. लि. 5. सीएमए सीजीएम लॉजिस्टिक्स पार्क (दादरी) प्रा. लि.
- ## 1. फ्रेश एंड हेल्थी एंटरप्राइजेज लि. 2. हिमालयन टर्मिनल्स प्रा. लि. 3. अल्बार्टोस सीएफएस प्रा. लि. 4. स्ट्रार ट्रेक टर्मिनल्स प्रा. लि. 5. सीएमए सीजीएम लॉजिस्टिक्स पार्क प्रा. लि. - लेखा समिति के सदस्य
- @ 1. एनएमडीसी लि. 2. एलआईसी ऑफ इंडिया
- @@ 1. एनएमडीसी लि. की लेखा समिति के सदस्य 2. एलआईसी ऑफ इंडिया की रिस्क मैनेजमेंट समिति एवं पॉलिसी धारक सुरक्षा समिति के सदस्य
- ^ रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
- ^^ रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की लेखा समिति के सदस्य

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारको,

आपकी कंपनी के निदेशक दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष की आपकी कंपनी की व्यावसायिक एवं परिचालन संबंधी रिपोर्ट को सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2009-10
परिचालन से आय	3828.12	3705.68
मूल्यहास एवं कर पूर्व लाभ	1203.50	1141.69
कर पूर्व लाभ	1058.27	1006.59
कर हेतु प्रावधान	179.77	219.92
कर पश्चात् लाभ	878.50	786.67
विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	875.95	786.69
विनियोजन:		
अंतरिम लाभांश	97.49	77.99
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	103.99	103.99
लाभांश पर निगमित कर	33.06	30.52
सामान्य आरक्षित निधि को अंतरण	87.59	78.67
तुलन-पत्र में ले जाया गया अधिशेष	553.82	495.52
प्रति शेयर अर्जन (₹)	67.39	60.52

लाभांश

कंपनी के पूंजीगत व्यय की आवश्यकता के दृष्टिगत, कंपनी बोर्ड ने ₹ 129.98 करोड़ की प्रदत्त शेयरपूंजी पर 80% के अंतिम लाभांश की संस्तुति की है। अंतरिम लाभांश का 75% की दर से पहले ही भुगतान किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2009-10 के कुल लाभांश ₹ 181.98 करोड़ (लाभांश कर रहित) की तुलना में वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए कुल लाभांश का भुगतान ₹ 201.48 करोड़ है।

मुख्य वित्तीय परिणाम

समीक्षाधीन वर्ष में आपकी कंपनी ने अपने व्यवसाय में 3.30% वृद्धि दर्ज की जिससे गत वर्ष का व्यवसाय ₹ 3,705.68 करोड़ से बढ़कर इस वर्ष ₹ 3,828.12 करोड़ हो गया। कुल व्यय में 3.22% की वृद्धि हुई। वर्ष 2009-10 के ₹ 2,879.14 करोड़ के व्यय की तुलना में 2010-11 में ₹ 2,971.91 करोड़ का व्यय हुआ। गत वर्ष 2009-10 के कर पूर्व लाभ में 5.13% की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 1,058.27 करोड़ के लाभ की गणना की गई है। आयकर, पूर्व अवधि/कर समायोजन हेतु प्रावधान करने के उपरांत कंपनी का शुद्ध लाभ ₹ 875.95 करोड़ हो गया जोकि गत वर्ष से 11.35% अधिक है। कर पश्चात लाभ में यह वृद्धि मुख्यतः सख्त व्यय नियंत्रण और कंपनी द्वारा सुधारात्मक पद्धतियों को स्वीकार करने के कारण हुई है।

परिचालन निष्पादन

वर्ष 2009-10 में 2.42 मिलियन टीईयू का संचालन किया गया था जो 5.8% अधिक है। वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी का थ्रूपुट नई उपलब्धि प्राप्त करते हुए 2.5 मिलियन टीईयू से भी अधिक रहा।

टर्मिनलों पर संचालन (टीईयू में)	2010-11	2009-10	% वृद्धि की प्रतिशतता
आयात-निर्यात	20,18,551	18,82,277	7.24
आंतरिक	5,43,746	5,38,970	0.89
योग	25,62,297	24,21,247	5.83

मुख्य रूप से बढ़ोतरी आयात-निर्यात थ्रूपुट में हुई जिसमें 7.24% की वृद्धि दर्ज की गई।

पूँजीगत संरचना

पूँजीगत संरचना में कोई परिवर्तन नहीं है। भारत सरकार ने 63.09% शेयर रखे हुए हैं तथा शेष 36.91% शेयर जनसाधारण के पास हैं।

निदेशकों की रिपोर्ट

कॉनकॉर के शेयरों को सूचीबद्ध एवं इलेक्ट्रॉनिक फार्म में रखना

कॉनकॉर के शेयरों को शेयर बाजार (स्टॉक एक्सचेंज) अर्थात् मुंबई एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है। इन सभी शेयर बाजारों को सूचीबद्ध कराने का शुल्क अदा कर दिया गया है।

कॉनकॉर ने अपने शेयरधारकों को शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक फार्म में रखने की सुविधा देने के प्रयोजनार्थ नेशनल सिक्क्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, दोनों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सेबी के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कॉनकॉर के शेयरों को 'कम्पलसरी डिमेट मोड' के अंतर्गत रखा गया है। शेयर बाजारों में सूचीबद्ध 4,79,82,992 शेयरों में से 4,79,80,755 शेयरों को 31 मार्च, 2011 तक इलेक्ट्रॉनिक फार्म में सूचीबद्ध किया जा चुका है। दिनांक 31.03.2011 को कंपनी की बाजार पूंजी ₹ 15,599 करोड़ थी (एनएसई के अंतिम मूल्य के अनुसार)।

पूंजीगत व्यय

मुख्यतः टर्मिनलों के विकास/विस्तार, वैगनों, संचालन उपकरणों आदि की अधिप्राप्ति और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग ₹ 310.46 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया गया।

नए टर्मिनल और टर्मिनल नेटवर्क का विस्तार

- इस वर्ष दो नए टर्मिनल – खेमली (राजस्थान) और राऊरकेला (उड़ीसा) दिनांक 15.08.2010 और 15.12.2010 को क्रमशः चालू किए गए।
- द्रोणागिरी नोड (मुंबई), भुसावल, गांधीधाम, नागपुर, दादरी, बालासोर, मुरादाबाद, व्हाईटफील्ड, खेमली, हल्दिया, औरंगाबाद एवं अंकलेश्वर टर्मिनलों के विस्तार और इससे संबंधित कार्यों हेतु 63.30 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।

तीव्र गति वाले वैगन

वर्ष के दौरान कॉनकॉर ने अपने वैगनों के विद्यमान बेड़े में 565 नए तीव्र गति वाले वैगनों को शामिल किया जिससे तीव्र गति के इन वैगनों की संख्या बढ़कर 9309 हो गयी। इसके साथ ही कुल वैगनधारिता बढ़कर 10,666 यूनिट हो गई।

कंटेनर

दिनांक 31.03.2011 तक आपकी कंपनी के पास कंटेनरों की कुल संख्या 15,579 कंटेनर थी (जिसमें अपने स्वामित्व वाले तथा पट्टे पर लिए गए कंटेनर, दोनों शामिल हैं)। इसके पास 55 रीच स्टैकर और 14 गैंत्री क्रेने हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी

आपकी कंपनी ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर प्रगति की है। वीसेट आधारित नेटवर्क का विस्तार किया गया है और अब यह 66 स्थानों पर उपलब्ध है। आंतरिक और आयात-निर्यात, वित्त और मानव संसाधन हेतु ईआरपी के लिए टर्मिनल प्रबंध प्रणालियों को टर्मिनलों के विस्तारित नेटवर्क के लिए लागू किया गया और केंद्रीयकृत वास्तु पर आधारित वाणिज्यिक अनुप्रयोगों हेतु 'डेटा वेयरहाउस मोड्यूल' क्षेत्रीय इकाईयों/क्षेत्रीय कार्यालयों और निगमित कार्यालय में सुचारु रूप से चल रहा है। एक समर्पित 'वेब-सर्वर' के माध्यम से 'वेब' आधारित प्रणाली सफलतापूर्वक कार्य कर रही है जो ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान कर रही है। हमारी वेबसाइट पर ग्राहक प्रतिपुष्टि प्रणाली चालू कर दी गई है। इससे हम निरंतर अपने निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं और ग्राहक शिकायत एवं प्रतिपुष्टि के आधार पर सुधारालम्क उपाय करते हैं। तुगलकाबाद में वाणिज्यिक प्रणाली (सीसीएलएस) पर दस्तावेजों की ई-फाईलिंग शुरू की गई है जिससे ग्राहक अपने कार्यालयों से अपने दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में जमा करा सकते हैं। कॉनकॉर को इसकी परियोजना 'वेब बेस्ड इंटीग्रेटेड कंटेनर/टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम' हेतु 'इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इन पब्लिक सेक्टर' श्रेणी में ई-एशिया 2009 पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है जिसका एशिया पेसिफिक काउंसिल फॉर ट्रेड फेसिलिटेशन एण्ड इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस द्वारा निर्णय किया गया है। व्यवसाय निरंतरता योजना के अंतर्गत कॉनकॉर ने वाणिज्यिक अनुप्रयोगों हेतु बैंक अप साइट स्थापित की है। कॉनकॉर को पुनः सूचना संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) लागू करने हेतु एसटीक्यूसी आईटी सर्टिफिकेशन सर्विसेज (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) द्वारा आईएसओ/आईसीसी-27001-2005 का प्रमाण-पत्र दिया गया।

मानकीकरण/प्रमाणन

- आईएसओ 9001:2008 मानकों के अनुरूप 'गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली' हेतु पंजीकरण का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया जो 28.03.2013 तक वैध है।
- आईएसओ 9001:2008 मानकों के अनुरूप दिनांक 30.03.2010 से 28.03.2013 तक की अवधि के लिए पंजीकरण सारणी आईएसओ प्रमाणन परामर्शदाता द्वारा निर्धारित की गई है।
- गुणवत्ता नियमावली और प्रक्रिया नियमावली सहित गुणवत्ता लक्ष्यों की समीक्षा की गई और इन्हें नए 9001:2008 मानकों के अनुरूप अद्यतन किया गया। नए आईएसओ मानकों के अनुरूप निगमित कार्यालय के आईएसओ प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण करवाया गया।

निदेशकों की रिपोर्ट

- दिनांक 31.03.2011 तक 57 व्यावसायिक ईकाइयाँ आईएसओ प्रमाण-पत्र ले चुकी हैं।

संयुक्त उद्यम/नीतिगत गठजोड़

आपकी कंपनी ने एक्जिम के साथ-साथ आंतरिक व्यवसाय क्षेत्र संभारतंत्र मूल्य आधारित श्रृंखला के सभी क्षेत्रों में कंपनी के व्यवसाय के विस्तार की संभावनाओं को तलाश कर अपने ग्राहकों को समग्र संभारतंत्र और परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर देना जारी रखा है। आधारभूत संरचना के साथ-साथ मूल्य आधारित श्रृंखला के अन्य क्षेत्रों में विस्तार का अधिकतम सदुपयोग करने के लिए नीतिगत गठजोड़ को मजबूत किया गया है।

मानव संसाधन प्रबंधन

कॉनकॉर में मानव संसाधनों को प्रमुख परिसंपत्ति माना गया है। आपकी कंपनी की मानव संसाधन नीति का मुख्यतः ध्यान संगठन के व्यवसाय के साथ तालमेल बिठाने तथा कार्यनीतिक व्यावसायिक हिस्सेदारी बनने पर होता है। कॉनकॉर का सदैव प्रयास रहा है कि कर्मचारियों की कार्य क्षमता देखकर, नए विचारों को प्रोत्साहित कर और पुरस्कारों का समुचित वितरण करके उनका सशक्तिकरण एवं व्यक्तिगत विकास किया जा सके जिससे मानव संसाधन के माध्यम से व्यवसाय क्षमता का विकास हो। कॉनकॉर द्वारा प्रतिभावान कर्मचारियों को आकर्षित करने, उन्हें बनाए रखने हेतु इस वर्ष में निम्नलिखित सफल उपाय किए गए:—

1. परिवर्तन प्रबंधन में मानव संसाधन की प्रमुख भूमिका को एक सशक्त और पारदर्शी निष्पादन प्रबंधन प्रणाली को तैयार करके एवं उसका कार्यान्वयन करके सफलतापूर्वक शुरू किया गया। इसके लिए मुख्य निष्पादक संकेतकों की पहचान करना, लक्ष्य व मापने योग्य पैरामीटरों के साथ लक्ष्य निर्धारित किए गए। निष्पादन से संबंधित वैरीएबल पे को प्रत्येक कार्यपालक और सुपरवाइजर के पीएमएस के साथ जोड़ दिया गया है।
2. आंतरिक एवं बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों की दक्षता का विकास करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सीखने एवं संगठन विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण विभाग द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें आंतरिक विकसित मोड्यूल के साथ-2 विभिन्न बाह्य मानव संसाधन के विशेषज्ञों के सहयोग से विकसित मोड्यूलस थे।
3. कॉनकॉर ने कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने और कार्य दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपनी कुछ एचआर नीतियों में संशोधन एवं युक्तिसंगत बनाया। कंपनी ने सफलतापूर्वक अपनी जनशक्ति को बरकरार रखा है और नई प्रतिभाओं को अपनी ओर आकर्षित किया, इससे कर्मचारियों का आना-जाना 2% से कम रहा। कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि जारी रही, प्रति कर्मचारी अर्जन पिछले वर्ष में 3.44 करोड़ रुपये से बढ़कर 3.48 करोड़ रुपये हो गया।
4. कर्मचारी लागत कुल लागत की 2.94% पर सीमित की गई।

औद्योगिक संबंध

कॉनकॉर में कर्मचारी संबंध मूलभूत व्यावसायिक आवश्यकताओं, संविदा श्रमिकों का प्रबंधन, कानूनी परिप्रेक्ष्य और निगमित अविरोधता पर केंद्रित है। औद्योगिक संबंध की तरफ दृष्टिकोण प्रो-एक्टिव, अच्छा एवं पारदर्शी रहा है जिससे कर्मचारियों को बेहतर वेतन तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित रूप से मिल सके। वित्त वर्ष के दौरान कर्मचारी संबंध सौहार्द्रपूर्ण बने रहे तथा कोई भी कार्यदिवस व्यर्थ नहीं हुआ।

आरक्षण नीति

कॉनकॉर राष्ट्रपति के निदेश एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर एससी, एसटी, ओबीसी, शारीरिक विकलांग और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के संबंध में जारी दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन कर रही है। एससी, एसटी, ओबीसी, शारीरिक विकलांग कर्मचारियों की दिनांक 31.03.2011 को कॉनकॉर की जनशक्ति में प्रतिनिधित्व निम्नलिखित है:

श्रेणी	2010-11 में कार्यभार ग्रहण करने वाले	31.03.2011 को	
		कुल कर्मचारियों की संख्या	कुल जनशक्ति का %
अनुसूचित जाति	07	169	14.73
अनुसूचित जनजाति	03	43	3.75
अन्य पिछड़ा वर्ग	15	249	21.71
शारीरिक विकलांग	01	19	1.66

विशेष उपलब्धियाँ

1. भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने 15 दिसंबर, 2010 को नई दिल्ली में एमओयू लक्ष्यों में उत्कृष्ट उपलब्धि हेतु वर्ष 2008-09 हेतु एमओयू एक्सलेंस प्रमाण-पत्र कॉनकॉर को प्रदान किया।
2. कॉनकॉर ने जनवरी, 2011 के दौरान नई दिल्ली में हुई कांवेस्ट 2011 इंटरनेशनल कांफ्रेंस एंड एक्सपो के दौरान 'पहला नार्दन इंडिया मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक अवार्ड्स फॉर आईसीडी एण्ड रेल ऑपरेशन ऑफ द ईयर' प्राप्त किया।

निदेशकों की रिपोर्ट

- मैसर्स केयर (क्रेडिट विश्लेषण एवं अनुसंधान लिमिटेड) ने कौनकॉर को पुनः क्रेडिट रेटिंग AAA(IS) ट्रिपल 'ए' (जारीकर्ता) प्रदान किया है। केयर AAA(IS) का सिंबल को सर्वोत्तम क्रेडिट गुणवत्ता का समझा जाता है जिसमें ऋण दायित्वों के समय से सर्विसिंग हेतु सर्वोच्च सुरक्षा मिलती है।
- वर्ष 2009-10 हेतु भारत में लिस्टेड कंपनियों के ईटी सर्वेक्षण के अनुसार, कौनकॉर को टर्नओवर के मामले में भारत में शीर्ष 500 कंपनियों में से 160वां स्थान प्राप्त हुआ एवं निवल लाभ के संदर्भ में यह 85वें स्थान पर है। परिवहन एवं लॉजिस्टिक क्षेत्र में, कौनकॉर टर्नओवर के मामले में तीसरे एवं निवल लाभ के मामले में पहले स्थान पर है।
- कौनकॉर ने एविजम इंडिया एंड फेयरप्ले एक्स पोजिशन ग्रुप से 'इनलैंड कंटेनर डिपो ऑपरेशन ऑफ दि ईयर' के लिए पहला इंडिया मेरीटाइम एंड लॉजिस्टिक अवार्ड 2010 प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार मुंबई में हुए एक समारोह के दौरान दिया गया।
- कौनकॉर के इनलैंड कंटेनर डिपो, दादरी को 'आईसीडी ऑफ दि ईयर' हेतु वार्षिक इंडियन मेरीटाइम अवार्ड 2010 हेतु चुना गया। यह चयन वर्ष 2009-10 के दौरान ग्राहक सेवा में उच्च स्तर की विश्वसनीयता के कारण दिया गया है।
- कंपनी को 'ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक' क्षेत्र के अंतर्गत सर्वोत्तम भारतीय कंपनी होने के कारण डन एंड ब्रैडस्ट्रीट द्वारा रोल्टा कारपोरेट अवार्ड्स के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार कौनकॉर को अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मुंबई में दिया जाएगा। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट ने भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में से कौनकॉर को कुल आय के मामले में 133वें स्थान पर, निवल लाभ के मामले में 65वें स्थान पर एवं नेटवर्थ की लिस्टिंग के मामले में 79वें स्थान पर रखा है।

विदेशी मुद्रा-अर्जन एवं व्यय

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा का कोई अर्जन नहीं किया गया, विदेशी मुद्रा व्यय का विवरण निम्नलिखित है :

	(₹ लाख में)
विदेशी मुद्रा व्यय:	
(क) आयात का सीआईएफ आधारित सामान एवं कल-पूर्व	26.12
(ख) पूंजीगत वस्तु/अग्रिम	4935.34
(ग) अन्य	14.38

राष्ट्रपति के दिशा निर्देश

वित्तीय वर्ष 2010-11 में सरकार की ओर से राष्ट्रपति जी का कोई भी दिशानिर्देश प्राप्त नहीं हुआ।

राजभाषा

कौनकॉर में, राजभाषा हिंदी के प्रयोग में यथेष्ट वृद्धि हुई है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूर्णतः पालन किया गया और हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए। राजभाषा अधिनियम की दृष्टि से 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के साथ राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप पत्राचार हिंदी में करने के सभी प्रयास किए गए।

कौनकॉर में, हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करने हेतु प्रबंध निदेशक महोदय की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं तथा इन बैठकों में लिए गए निर्णयों का अनुपालन किया गया।

14 सितंबर से 28 सितंबर, 2010 में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं यथा निबंध लेखन, टिप्पण एवं आलेखन, कंप्यूटर टाइपिंग इत्यादि का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में लगभग 95 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। हिंदी पखवाड़ा के दौरान एक कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया जिसमें 8 प्रतिष्ठित कवियों ने भाग लिया। हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह में प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा सभी सफल अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिए गए। इस वर्ष 'कौनकॉर राजभाषा पुरस्कार योजना' के अंतर्गत 128 अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में काम करने पर नकद पुरस्कार दिए गए। नराकास (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति) उपक्रम, दिल्ली द्वारा वर्ष 2008-09 हेतु कौनकॉर को कार्यालयीन कार्य में हिंदी में प्रगामी प्रयोग के लिए सांत्वना पुरस्कार के रूप में नराकास राजभाषा शील्ड प्रदान की गई। नराकास के तत्वावधान में दिनांक 10.11.2010 को 'हमारा उपक्रम' विषय पर अंतरनिगम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न पीएसयू के 29 कर्मचारियों ने भाग लिया।

निगमित कार्यालय के पुस्तकालय में सुविख्यात लेखकों की हिंदी पुस्तकें हैं। पुस्तकों की संख्या बढ़कर 1105 हो गई है। प्रमुख समाचार-पत्रों के साथ-साथ मासिक और पाक्षिक पत्रिकाओं का मंगाना जारी रहा। मूल रूप से हिंदी लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साहित्यिक पत्रिका मधुभाषिका का प्रकाशन हर तिमाही होता है। पत्रिका में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों को उचित मानदेय भी दिया जाता है। इस पत्रिका को कौनकॉर की वेबसाइट पर भी दर्शाया जाता है।

कौनकॉर की वेबसाइट द्विभाषी है तथा सभी कंप्यूटरों पर द्विभाषी काम करने की सुविधा हेतु यूनिकोड उपलब्ध है।

निदेशकों की रिपोर्ट

सतर्कता

सतर्कता प्रभाग ने वर्ष 2010-11 के दौरान व्यवस्था में सुधार के दृष्टिगत "निवारक सतर्कता" पर अपना ध्यान केन्द्रित रखना जारी रखा। विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों/अंतर्देशीय कंटेनर डिपो/कंटेनर मालभाड़ा स्टेशनों एवं परियोजना कार्यों की जांच हेतु 13 निवारक/अकस्मात जाँच और मुख्य कार्यों की पाँच गहन जाँच की गईं। इसके अतिरिक्त, शिकायतों और अन्य सूचनाओं के आधार पर 7 मामले दर्ज किए गए/छानबीन की गईं।

वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न ठेकेदारों/ग्राहकों से ₹ 1.44 करोड़ वसूल किए गए। इसके अलावा, निवारक जांच और अन्य जांच-पड़ताल के माध्यम से प्राप्त अनुभव के आधार पर विभिन्न कार्यरत प्रभागों की कार्यविधियों और प्रणालियों में सुधार हेतु 17 अनुशंसाएँ की गईं। विभिन्न टर्मिनलों पर प्रणाली में सुधार करके इन्हें अपनाया तथा क्रियान्वित किया गया है और जिसका लक्ष्य भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन में सुधार करना है।

गलती करने वाले कर्मचारियों/कांटेक्टों के विरुद्ध उचित दंडात्मक कार्रवाई की गई।

विभिन्न कार्यकलापों को प्रारंभ करके क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ निगमित कार्यालय में 'सतर्कता जागरूकता अवधि' मनाया गया। 'हैंड बुक ऑन विजिलेंस' को अक्टूबर, 2010 में सतर्कता जागरूकता अवधि के दौरान निगमित कार्यालय तथा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में लोकार्पित किया गया। सतर्कता के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए निगमित कार्यालय एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में इंटरएक्टिव सत्र आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, 9 प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं एक टर्मिनल प्रबंधक सम्मेलन का आयोजन निगमित कार्यालय में किया गया जिसमें संविदाओं के गुणवत्ता प्रबंधन पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश आदि का विवरण

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश आदि से संबंधित कंपनी (निदेशकों की रिपोर्ट में स्पष्ट विवरण) नियम, 1988 के साथ कंपनी अधिनियम, 1956 धारा 217(1)(ई) के प्रावधान के अनुसार दिया जाने वाला अपेक्षित विवरण इस स्तर पर कंपनी पर लागू नहीं होता।

निदेशकों का उत्तरदायित्व संबंधी कथन

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अनुपालन में निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी कथन की एतद्वारा पुष्टि की जाती है :-

- कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखाओं को तैयार करते समय लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है तथा साथ ही महत्वपूर्ण विचलन के संबंध में उपयुक्त व्याख्या दी गई है ;
- कि निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों को निरन्तर अपनाया है तथा ऐसे निर्णय एवं प्राक्कलन किए हैं जो तर्कपूर्ण एवं यथोचित हैं जिससे कि आलोच्य वर्ष में कंपनी का लाभ-हानि लेखा तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में कंपनी की स्थिति का सही एवं निष्पक्ष आकलन हो सके ;
- कि कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने पर्याप्त लेखा पुस्तकों के रख-रखाव के लिए उचित तथा संतोषजनक सावधानी बरती है ताकि कंपनी की परिसंपत्तियाँ सुरक्षित रह सकें और इसे अन्य अनियमितताओं तथा धोखाधड़ी से बचाया जा सके ;
- कि निदेशकों ने 31.3.2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखाओं को 'कार्यरत संस्था' के आधार पर तैयार किया है।

निगमित शासन

आपकी कंपनी ने लिस्टिंग एग्रीमेंट के क्लॉज 49 की आवश्यकताओं एवं निगमित शासन के बारे में डीपीई दिशानिर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन किया गया है।

निगमित शासन रिपोर्ट, लिस्टिंग एग्रीमेंट के क्लॉज 49 की आवश्यकताओं के अनुपालन का प्रमाण-पत्र और निगमित शासन एवं प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण पर डीपीई के दिशानिर्देश इस रिपोर्ट के अनुलग्नक में दी गई है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण सीएसआर कार्यकलाप किए गए। कुछ प्रमुख कार्यकलापों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिसका लक्ष्य ग्राम पंचायतों एवं गांवों में प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों का निर्माण करना है। कर्नाटक में प्रायोजित ऐसे 20 केंद्रों के विकास हेतु 65 लाख रुपये खर्च किए गए जिससे लगभग 1,47,253 प्रौढ़ लाभान्वित हुए।

विभिन्न राज्यों में हिंसा से प्रभावित बच्चों की शिक्षा सहायता के लिए राष्ट्रीय सांप्रदायिक सदभाव संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कामरूम (असम), कोकराझार (असम), अहमदाबाद (गुजरात) व श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) के जिलों में जातीय/सांप्रदायिक/आतंकवादी हिंसा द्वारा प्रभावित 366 से अधिक बच्चों की सहायता हेतु एनएफसीएच को 30 लाख रुपये का योगदान दिया गया।

निदेशकों की रिपोर्ट

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अनुसार वांछित सूचना शून्य है क्योंकि किसी भी कर्मचारी ने कथित नियमों में दी गई राशि से अधिक धनराशि प्राप्त नहीं की है।

लेखापरीक्षक

सरकारी कंपनी होने के कारण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मैसर्स कुमार चोपड़ा एंड एसोसिएट्स को वित्त वर्ष 2010-2011 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के तौर पर नियुक्त किया है।

निदेशक बोर्ड

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान निदेशक बोर्ड की कंपनी के व्यावसायिक मामलों को निपटाने हेतु 5 बैठकें हुईं। श्री विनय मित्तल, अध्यक्ष/रेलवे बोर्ड ने दिनांक 26.07.11 से कॉनकॉर का अंशकालिक अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। लैपिट. जनरल (सेवानिवृत्त) अरविंद महाजन, डॉ. (प्रोफेसर) ए.के. बंधोपाध्याय एवं डॉ. (प्रोफेसर) कौशिक गुप्ता दिनांक 13.05.2011 से कॉनकॉर के निदेशक बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त हुए। निम्नलिखित निदेशक वर्ष के दौरान तथा इस रिपोर्ट के तैयार होने तक कार्यभार संभाले हुए थे :-

- श्री विवेक सहाय, अंशकालिक अध्यक्ष (30.06.2011 तक)
- श्री विनय मित्तल, अंशकालिक अध्यक्ष (27.07.2011 से)
- श्री अनिल कुमार गुप्ता, प्रबंध निदेशक
- श्री हरप्रीत सिंह, निदेशक (परियोजना एवं सेवाएं)
- श्री यश वर्धन, निदेशक (अंतरराष्ट्रीय विपणन एवं परिचालन)
- श्रीमती पी अल्लि रानी, निदेशक (वित्त)
- श्री एस.के. दास, निदेशक
- श्री एस. बालाचंद्रन, निदेशक (31.12.2010 तक)
- श्री वी. संजीवी, निदेशक (31.12.2010 तक)
- श्री जनत शाह, निदेशक (31.12.2010 तक)
- श्री टी.आर. डूंगाजी, निदेशक (03.04.2011 तक)
- लैपिट. जनरल अरविंद महाजन, (सेवानिवृत्त), निदेशक
- डॉ. (प्रोफेसर) ए.के. बंधोपाध्याय, निदेशक
- डॉ. (प्रोफेसर) कौशिक गुप्ता, निदेशक

क्रमावर्तन स्वरूप निदेशकों की सेवा-निवृत्ति

कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार श्री अनिल कुमार गुप्ता, श्री हरप्रीत सिंह और श्रीमती पी. अल्लिरानी निदेशकगण क्रमावर्तन स्वरूप सेवा निवृत्त होने वाले हैं और पात्रता होने के कारण पुनः नियोजन का स्वयं प्रस्ताव करते हैं।

आचार संहिता

बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन हेतु आचार संहिता बनाई गई है जिसकी प्रति कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधकों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर एतद्वारा घोषणा की जाती है कि बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान आचार संहिता का अनुपालन किया है।

निष्कर्ष

आपकी कंपनी सभी कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और लगन, भारतीय रेल, सीमाशुल्क, पत्तनों, निवेशकों और सबसे अधिक ग्राहकों द्वारा दिए गए समर्थन एवं सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करती है।

निदेशक बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

दिनांक: 10.08.2011

स्थान: नई दिल्ली

(पी.अल्लिरानी)

निदेशक (वित्त)

(अनिल कुमार गुप्ता)

प्रबंध निदेशक

निदेशकों की रिपोर्ट की 2010-11 की युक्तिका

वित्तीय वर्ष 2010-11 की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में दी गई टिप्पणियों/कमियों का उत्तर:

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में मद संख्या	लेखापरीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट बिंदु 2	₹1.45 करोड़ की भूमि और भवन की बिक्री/पट्टे पर लेने के आधार करार अभी तक कंपनी के पक्ष में निष्पादित किए गए हैं। (अनुसूची 3 की टिप्पणी 2)।	₹1.45 करोड़ की भूमि और भवन की बिक्री/पट्टे पर लेने के करार के बारे में संबंधित प्राधिकरण से पत्राचार चल रहा है।
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुबंध का बिंदु (ix) (क)	कंपनी उपयुक्त प्राधिकरण के पास अविवादित सांविधिक देय को, जिसमें भविष्यनिधि, निवेशक, शैक्षिक एवं सुरक्षा निधि, राज्य कर्मचारी बीमा, आयकर, बिक्री कर, सम्पत्ति कर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, उपकर और इस कंपनी पर लागू अन्य संवैधानिक देय सम्मिलित हैं, जमा कराने में साधारणतः नियमित रही है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, किसी सांविधिक दायित्व के संबंध में कोई अविवादित राशि देय नहीं है जिसका भुगतान दिनांक 31 मार्च, 2011 को इसके देय होने की तिथि से छह माह से अधिक की अवधि से बकाया हो: उत्तरी क्षेत्र - सांविधिक का नाम: सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 - देय का प्रकार : सीमाशुल्क (नीलामी) - राशि (₹ करोड़ में): 1.37 - संबंधित राशि की अवधि: 1997-98 (₹ 1.08 करोड़) और 2003-04 (₹ 29.58 लाख) उत्तर पश्चिम क्षेत्र - सांविधिक का नाम: कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम - देय का प्रकार : संविदाकारों को किए गए भुगतान पर भविष्यनिधि - राशि (₹ करोड़): 0.05 - संबंधित राशि की अवधि : 2009-10 - सांविधिक का नाम: भवन एवं अन्य कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 - देय का प्रकार : भवन एवं अन्य कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत उपकर - राशि (₹ करोड़): 0.97 - संबंधित राशि की अवधि : 2010-11 तक - सांविधिक का नाम: मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1961 - देय का प्रकार : संपत्ति कर - राशि (₹ करोड़): 0.06 - संबंधित राशि का अवधि : 2005-06 से 2009-10 हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार देय बिक्री कर, आयकर, सीमाशुल्क, संपत्ति कर, उत्पाद शुल्क और उपकर जिसे किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया है, उसका विवरण निम्नलिखित है: - मंच जहां विवाद लंबित है : सेसटेट - देय का प्रकार: सेवा कर वित्त अधिनियम, 1994 - राशि (₹ करोड़): 0.01 - संबंधित राशि की अवधि : 1.5.2003 से 16.7.2003	यह राशि गैर निपटान कार्गो की नीलामी से प्राप्त सीमाशुल्क से संबंधित है। चूंकि आयातकों ने इन कन्साइनमेंट्स पर माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है, अतः यह मामला माननीय उच्च न्यायालय के पास लंबित है। इस राशि को भविष्यनिधि प्राधिकारी के पास वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान पहले ही जमा करा दिया गया है। संदर्भित राशि का दिल्ली को छोड़कर अन्य राज्यों में संविदाकारों को किए गए भुगतान से वसूल कर लिया गया है। इसे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना जारी होने के पश्चात जमा कर दिया जाएगा। संदर्भित राशि को सीएमओ, नई पालिका मंडीदीप के पास 13, अप्रैल, 2011 को जमा करा दिया गया है। यह मामला संबंधित प्राधिकरण में अपील में है।

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध निगमित शासन

निगम का दर्शन-शास्त्र

कॉनकॉर का मिशन देश के आयात-निर्यात एवं आंतरिक व्यवसाय तथा वाणिज्य के लिए दक्ष और विश्वसनीय बहुविध परिवहन संभारतंत्र आधार उपलब्ध कराना और अंशधारिता मूल्यों में वृद्धि सुनिश्चित करना है। यह कंपनी अपने संसाधनों के अधिकतम उपयोग से उच्च विकास दर बनाए रखने तथा नियोजित पूंजी पर अधिकतम प्रतिलाभ (रिटर्न) देने हेतु प्रतिबद्ध है। हमेशा की तरह यह कंपनी अपने व्यवसाय को अच्छे निगमित शासन के सिद्धान्तों के अनुरूप चलाने के लिए प्रयासरत है।

निदेशक बोर्ड

कंपनी के निदेशक बोर्ड में प्रबंध निदेशक तथा एक रिक्त पद सहित पाँच कार्यपालक निदेशक, एक अंशकालिक गैरकार्यपालक अध्यक्ष सहित भारत सरकार द्वारा नामित दो गैरकार्यपालक निदेशक और तीन अंशकालिक गैरकार्यपालक निदेशक (स्वतंत्र) सम्मिलित हैं।

वित्तीय वर्ष 2010-2011 में व्यावसायिक मामलों पर निदेशक बोर्ड की 5 बैठकों निम्नलिखित तिथियों को आयोजित हुईं:-

बोर्ड बैठक का क्रमांक	बोर्ड बैठक की तिथि
140	27 अप्रैल, 2010
141	19 जुलाई, 2010
142	19 अक्तूबर, 2010
143	21 दिसम्बर, 2010
144	18 जनवरी, 2011

कॉनकॉर के निदेशक मंडल ने निदेशक बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता का निर्माण किया है जोकि 1 जनवरी, 2006 से लागू है। इसके अतिरिक्त, आचार संहिता में वर्णित प्रावधानों के अनुपालन करने की निदेशक बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने पुष्टि कर दी है।

निदेशकों का वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति, अन्तिम सामान्य बैठक में उपस्थिति, और अन्य निदेशक पद, अध्यक्ष एवं समिति सदस्यता (जैसा प्राप्त हुआ) की संख्या निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	निदेशक पद की श्रेणी	निदेशक का नाम	बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति	अन्तिम सामान्य बैठक में उपस्थिति	बाह्य समिति की सं. सदस्यता/ अध्यक्षता	बाह्य समिति की सं. निदेशक पद/ अध्यक्षता
(I) अंशकालिक अकार्यपालक अध्यक्ष						
1.	अध्यक्ष एवं सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड	श्री विवेक सहाय [^]	चार	हाँ	शून्य	तीन
(II) कार्यपालक निदेशक						
2.	प्रबंध निदेशक	श्री अनिल कु. गुप्ता	पाँच	हाँ	शून्य	तीन
3.	निदेशक (वित्त)	श्रीमती पी अल्लिरानी	पाँच	हाँ	छः	दो
4.	निदेशक (आंतरिक)	-	-	-	-	छः
5.	निदेशक (परियोजना एवं सेवाएँ)	श्री हरप्रीत सिंह	पाँच	हाँ	एक	दो
6.	निदेशक (अंत.वि. एवं परि.)	श्री यश वर्धन	पाँच	-	एक	सात
(III) सरकार द्वारा नामित गैरकार्यपालक निदेशक (रेल मंत्रालय)						
7.	निदेशक (कार्यपालक निदेशक टीटी (एफ), (रेल मंत्रालय)	श्री एस.के. दास	पाँच	हाँ	शून्य	एक
(iv) अंशकालिक गैरकार्यपालक निदेशक (स्वतंत्र)						
8.	निदेशक	श्री एस. बालाचन्द्रन*	दो	हाँ	छः	दो
9.	निदेशक	श्री वी. संजीवी*	चार	हाँ	दो	पाँच
10.	निदेशक	श्री जनत शाह*	तीन	हाँ	शून्य	दो
11.	निदेशक	श्री टी. आर. डूंगाजी**	पाँच	हाँ	तीन	तीन

[^] दिनांक 30.06.2011 को सेवानिवृत्त हुए।

* दिनांक 31.12.2010 को निदेशकों की सेवा अवधि समाप्त हो गई।

** दिनांक 03.04.2011 को निदेशक की सेवा अवधि समाप्त हो गई।

- मंच जहां विवाद लंबित है: सीसीई (अपील)
- देय का प्रकार: सेवा कर वित्त अधिनियम, 1994
- राशि (₹ करोड़): 0.01
- संबंधित राशि की अवधि: जनवरी, 2004 से मार्च, 2004
- मंच जहां विवाद लंबित है: उप रजिस्ट्रार, वड़ोदरा
- देय का प्रकार: अतिरिक्त स्टेप ड्यूटी
- राशि (₹ करोड़): 0.20
- संबंधित राशि की अवधि: 2003-2004
- मंच जहां विवाद लंबित है: वेट अपील प्राधिकरण
- देय का प्रकार: डीवेट दिल्ली की धारा 86(19) के अंतर्गत दंड
- राशि (₹ करोड़): 0.33
- संबंधित राशि की अवधि: 14 दिसंबर, 2005

- मंच जहां विवाद लंबित है: वेट अपील प्राधिकरण दिल्ली
- देय का प्रकार: बिक्री कर (उ.क्षेत्र) बिक्री कर अधिनियम
- राशि (₹ करोड़): 0.01
- संबंधित राशि की अवधि: 1997-1998
- मंच जहां विवाद लंबित है: वेट अपील प्राधिकरण दिल्ली
- देय का प्रकार: बिक्री कर (उ.क्षेत्र) बिक्री कर अधिनियम
- राशि (₹ करोड़): 0.08
- संबंधित राशि की अवधि: 2000-2001
- मंच जहां विवाद लंबित है: दिल्ली वेट अपील प्राधिकरण
- देय का प्रकार: दिल्ली वेट अधिनियम
- राशि (₹ करोड़): 0.11
- संबंधित राशि की अवधि: 2008-2009
- मंच जहां विवाद लंबित है: नगर निगम, लुधियाना
- देय का प्रकार: स्थानीय कर के अंतर्गत चुंगीकर
- राशि (₹ करोड़): 0.16
- संबंधित राशि की अवधि: 2007-2008

- मंच जहां विवाद लंबित है: सेवा कर अपील प्राधिकरण, लुधियाना
- देय का प्रकार: सेवा कर वित्त अधिनियम, 1994
- राशि (₹ करोड़): 0.13
- संबंधित राशि की अवधि: 2007-2008
- मंच जहां विवाद लंबित है: जिला न्यायालय, कानपुर
- देय का प्रकार: जल कर- जल संस्थान, कानपुर
- राशि (₹ करोड़): 0.69
- संबंधित राशि की अवधि: 2000-2001 से अब तक

अपील प्राधिकरण के आदेशानुसार, यह मामला पुनःनिर्धारण हेतु संबंधित निर्धारण प्राधिकरण को भेज दिया गया है।

यह मामला संबंधित प्राधिकरण में अपील में है।

अपील प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध इस मामले में कॉनकॉर द्वारा दिल्ली स्थित माननीय उच्च न्यायालय में मई, 2006 में विभिन्न डिटेंशन आर्डर्स, रालिंग स्टॉक को जब्त/रोकने तथा दंड थोपने के विभिन्न आदेशों के विरुद्ध एक याचिका दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दण्डात्मक आदेशों पर कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। वेट प्राधिकरण ने अपने दिनांक 30.11.09 के आदेशानुसार कंपनी को निर्देश दिया है कि प्रत्येक अपील की 50% राशि जमा करा दें। तथापि, इस आदेश के विरुद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक नई याचिका फरवरी 2010 में दायर कर दी गई है जिसके लिए सीओडी से अनुमति ली जा रही है।

यह मामला संबंधित प्राधिकरण में अपील में है।

यह मामला संबंधित प्राधिकरण में अपील में है।

यह मामला संबंधित प्राधिकरण में अपील में है।

इस मामले में कॉनकॉर के पक्ष में निर्णय हुआ है और माननीय न्यायालय ने नगर निगम, लुधियाना को निदेश दिया है कि कॉनकॉर को 0.16 करोड़ लौटा दें। तथापि, नगर निगम, लुधियाना ने माननीय उच्च न्यायालय में इन आदेशों के खिलाफ याचिका दायर कर दी है।

यह मामला संबंधित प्राधिकरण में अपील में है।

जल संस्थान, कानपुर के खिलाफ जिला न्यायालय, कानपुर में याचिका दायर कर दी गई है।

निगमित शासन

पारिश्रमिक समिति एवं नीति

आपकी कंपनी ने बोर्ड की 'मानव संसाधन एवं पारिश्रमिक समिति' नामक एक स्थायी समिति का गठन किया है जो कंपनी की एचआर नीतियों का निरीक्षण करेगी और इस संबंध में कंपनी की पहल एवं इनपुट्स उपलब्ध कराएगी। इसके अतिरिक्त, यह समिति वार्षिक परिवर्तनीय वेतन एवं कार्यपालकों तथा गैर यूनियन वाले पर्यवेक्षकों के लिए भुगतान हेतु नीति निर्धारित करेगी।

लेफ्टिनेंट जन. अरविंद महाजन (सेवानिवृत्त), निदेशक	—	सदस्य
डॉ (प्रोफेसर) ए.के. बंधोपाध्याय, निदेशक	—	सदस्य
श्री एस. के. दास, निदेशक	—	सदस्य

भारत सरकार के उपक्रम के रूप में इसके कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति महोदय करते हैं और इन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित औद्योगिक महंगाई भत्ते पर आधारित वेतनमान और शर्तों के अनुरूप पारिश्रमिक दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2010-11 में कार्यात्मक निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ लाख में)

निदेशक का नाम	वेतन एवं भत्ते	परिलब्धियां	निष्पादन प्रोत्साहन	सेवानिवृत्त हितलाभ*	कुल
श्री अनिल कु. गुप्ता, प्रबंध निदेशक	18.19	7.60	9.95	5.28	41.02
श्री हरप्रीत सिंह, निदेशक (परि. एवं. सेवा.)	22.35	6.09	7.33	4.30	40.07
श्री यश वर्धन, निदेशक (अंत. वि. एवं परि.)	16.00	5.66	6.88	4.48	33.02
श्रीमती पी. अल्लिरानी, निदेशक (वित्त)	15.91	5.92	5.09	3.37	30.29

* पीएफ. एचपीएल/ईएल तथा ग्रेज्युटी लाभ में कर्मचारी के योगदान की गणना बीमांकिक मूल्य आधार पर की गई है।

भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक कंपनी से कोई भी पारिश्रमिक नहीं लेते हैं। वे सरकार से पारिश्रमिक लेते हैं। अंशकालिक गैरकार्यपालक निदेशकों को बैठक में उनकी उपस्थिति पर 20,000/- रुपये प्रति बैठक के अनुसार बैठक - शुल्क दिया जाता है।

लेखापरीक्षा समिति

वर्ष के प्रारंभ में लेखा समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे—

श्री एस. बालाचंद्रन, स्वतंत्र निदेशक	—	अध्यक्ष
श्री वी. संजीवी, स्वतंत्र निदेशक	—	सदस्य
प्रो. जनत शाह, स्वतंत्र निदेशक	—	सदस्य

वर्ष के दौरान, 31 दिसंबर, 2010 को उपरोक्त लेखापरीक्षा समिति के सभी सदस्यों की अवधि के समाप्त होने के परिणामस्वरूप, अंतरिम अवधि में एक तदर्थ लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया जिसे कंपनी के निदेशक मंडल में तीन स्वतंत्र निदेशकों के नामांकन के पश्चात् निम्नवत पुनर्गठित किया गया है:

लेफ्टिनेंट जन. अरविंद महाजन (सेवानिवृत्त), स्वतंत्र निदेशक	—	सदस्य
डॉ (प्रोफेसर) कौशिक गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक	—	सदस्य
श्री एस. के. दास, निदेशक	—	सदस्य

इस समिति की वित्तीय वर्ष 2010-11 में चार बार बैठकें दिनांक 27.04.2010, 19.07.2010, 19.10.2010 तथा 18.01.2011 को हुईं। उक्त बैठकों में समिति सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
श्री एस. बालाचंद्रन	तीन
श्री वी. संजीवी	तीन
श्री जनत शाह	दो
श्री एम.एस.खान*	एक
श्री टी.आर. झूंगाजी*	एक
श्री एस. के. दास*	एक

* तदर्थ समिति के सदस्य

निगमित शासन

निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति को अब 'लेखापरीक्षा एवं इथिक्स समिति' के रूप में पुनः नामकरण किया गया है तथा इसके विचारार्थ विषयों को बढ़ाया गया है। समूह महाप्रबंधक (वित्त एवं कंपनी सचिव) इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

यह समिति कंपनी की विस्तृत संरचना, विभिन्न पूंजीगत एवं सिविल परियोजनाओं, व्यावसायिक विस्तार योजनाओं और बोर्ड को भेजने से पूर्व वार्षिक/तिमाही वित्तीय परिणामों की समीक्षा करती है। साथ ही, आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं किसी महत्वपूर्ण जांच परिणाम तथा उस पर समय-समय पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में यह समिति कंपनी के प्रबंधन के साथ समीक्षा करती है। समिति यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि कंपनी द्वारा लिया गया निर्णय उद्देश्यपरक हो और राजस्व की दक्ष वसूली और व्यय के औचित्य को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण हो।

शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत निवारण समिति

शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत निवारण समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :-

कार्यपालक निदेशक टीटी (एफ), रेलवे बोर्ड/रेल मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक	—	सदस्य
निदेशक (वित्त) / कौनकॉर	—	सदस्य
निदेशक (अंतरराष्ट्रीय विपणन एवं परिचालन) / कौनकॉर	—	सदस्य

रेल मंत्रालय द्वारा नामित कार्यपालक निदेशक टीटी(एफ), रेलवे बोर्ड/निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं।

समूह महाप्रबंधक (वित्त एवं कंपनी सचिव) इस समिति के सचिव हैं और शेयर बाजारों के साथ सूचीबद्धता करार हेतु अनुपालन अधिकारी भी हैं। वित्तीय वर्ष 2010-11 के अंत में निवेशकों की कोई भी शिकायत लंबित नहीं थी।

शेयर अंतरण समिति एवं पद्धति

वर्ष के दौरान शेयर अंतरण समिति का पुनर्गठन निम्नवत रूप से किया गया है:-

निदेशक (वित्त)	—	अध्यक्ष
निदेशक (अंतरराष्ट्रीय विपणन एवं परिचालन)	—	सदस्य
समूह महाप्रबंधक (वित्त एवं कंपनी सचिव)	—	सदस्य

कौनकॉर के शेयरों को दिनांक 31.05.99 से आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने के कारण इन शेयरों का व्यापार आवश्यक 'डीमेट फार्म' में रखा गया है।

शेयर अंतरण, डिपॉजिटरी कनेक्टिविटी एवं अन्य संबंधित कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए कंपनी ने मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसिस प्रा. लि. को पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है। वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान भौतिक रूप से शेयर अंतरण हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ अतः शेयर अंतरण हेतु किसी निवेशक का अनुरोध लंबित नहीं है।

सामान्य सभा की बैठकें

गत तीन वर्षों की वार्षिक सामान्य बैठकों का स्थान, समय एवं तिथियों का विवरण निम्नलिखित हैं :-

वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि	स्थान	समय
17.09.2010	ऑडिटोरियम, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, न्याय मार्ग, भूटान दूतावास के समीप, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली - 110021	अपराह्न 3.30 बजे
19.09.2009	एयरफोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली-110010	अपराह्न 3.00 बजे
25.08.2008	स्टीन ऑडिटोरियम, हैबिटैट वर्ल्ड, इंडिया हैबिटैट सेंटर, गेट नं. 3, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	अपराह्न 3.00 बजे

आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में डाक मतों द्वारा पारित करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

निगमित शासन

प्रकटन

- इस वर्ष के दौरान निदेशकों या उनके रिश्तेदारों से कोई वस्तुपरक लेन-देन नहीं हुआ जिससे कंपनी के हितों के साथ मतभेद की संभावना रही हो।
- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'संबंधित पार्टी प्रकटन' लेखाकरण मानक की आवश्यकतानुरूप संबंधित पार्टियों के साथ अंतरण को कंपनी के तुलनपत्र के संगत अनुसूची में प्रकट किया गया है।
- स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या अन्य किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में अनुपालन न किए जाने के कारण अथवा पूंजी बाजार से संबंधित किसी अन्य मामले में गत तीन वर्षों के दौरान कंपनी पर कोई दण्ड/आलोचना नहीं लगाई गई।

संचार के माध्यम

संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के संबंध, में कंपनी के तिमाही अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों, अंशधारिता पैटर्न और वार्षिक रिपोर्ट को कंपनी की वेबसाइट www.concorindia.com पर दर्शाया जाता है। वेबसाइट को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। टेंडरिंग प्रक्रिया में अधिक प्रचार एवं पारदर्शिता हेतु विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों/विभागों की निविदाओं को वेबसाइट पर डाला जाता है और भारत सरकार के पोर्टल <https://tenders.gov.in> पर भी इसे दर्शाया जाता है।

सामान्य शेरधारकों हेतु सूचना

- वार्षिक सामान्य बैठक की संख्या : 23 वीं वार्षिक सामान्य बैठक
दिनांक : 19 सितंबर, 2011
समय : अपराह्न 4.00 बजे
स्थान : ऑडिटोरियम, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, न्याय मार्ग, भूटान दूतावास के समीप, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली – 110021
- वित्तीय कैलेण्डर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम : तिमाही समाप्ति के 45 दिनों के अन्दर
उपर्युक्त अलेखापरीक्षित तिमाही वित्तीय परिणामों पर सीमित समीक्षा रिपोर्ट : तिमाही समाप्ति के 45 दिनों के अन्दर
निदेशक बोर्ड द्वारा वार्षिक लेखा का अनुमोदन एवं प्रमाणीकरण : जुलाई, 2011 माह में
शेरधारकों द्वारा लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा को अंगीकार करना : सितंबर, 2011 की समाप्ति से पूर्व
- शेर अंतरण पुस्तिका को बन्द रखने की तिथि (दोनों दिन शामिल) : 08.09.2011 से 19.09.2011
- लाभांश भुगतान की तिथि : वार्षिक सामान्य बैठक में घोषणा के 30 दिनों के अन्दर
- स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्धता : (क) दि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, फिरोज जीजीभाई टावरस, दलाल स्ट्रीट फोर्ट, मुंबई – 400001
(ख) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, 'एक्सचेंज प्लाजा' बांद्रा (पूर्वी), मुंबई-400051
- सिक्योरिटी कोड एवं आईएसआईएन नं. :
एनएसई : कॉनकॉर
बीएसई : 531344
आईएसआईएन : आईएनई111A01017

निगमित शासन

(vii) बाजार भाव आंकड़े (₹ में)

माह	एनएसई		बीएसई	
	उच्चतम	न्यूनतम	उच्चतम	न्यूनतम
अप्रैल, 10	1459.70	1280.20	1500.00	1286.80
मई, 10	1359.60	1202.60	1354.90	1203.10
जून, 10	1359.00	1203.65	1355.00	1205.10
जुलाई, 10	1445.00	1322.00	1449.95	1311.30
अगस्त, 10	1438.00	1246.60	1452.95	1239.70
सितंबर, 10	1395.00	1281.40	1356.00	1284.30
अक्टूबर, 10	1373.90	1266.20	1375.00	1269.00
नवंबर, 10	1352.00	1076.00	1360.00	1072.10
दिसंबर, 10	1325.00	1215.20	1306.00	1220.00
जनवरी, 11	1283.95	1190.00	1289.00	1160.00
फरवरी, 11	1227.00	1058.10	1223.70	1051.00
मार्च, 11	1280.10	1108.40	1251.00	1100.65

(viii) शेर बाजार सूचकांक

माह	एनएसई		बीएसई	
	उच्चतम	न्यूनतम	उच्चतम	न्यूनतम
अप्रैल, 10	5399.65	5160.90	18047.80	17276.80
मई, 10	5278.70	4786.45	17536.86	15960.15
जून, 10	5366.75	4961.05	17919.62	16318.39
जुलाई, 10	5477.50	5225.60	18237.56	17395.58
अगस्त, 10	5549.80	5348.90	18475.27	17819.99
सितंबर, 10	6073.50	5403.05	20267.98	18027.12
अक्टूबर, 10	6284.10	5937.10	20854.55	19768.96
नवंबर, 10	6338.50	5690.35	21108.64	18954.2
दिसंबर, 10	6147.30	5721.15	20552.03	19074.57
जनवरी, 11	6181.05	5416.65	20665.80	18038.48
फरवरी, 11	5599.25	5177.70	18690.97	17295.62
मार्च, 11	5872.00	5348.20	19575.16	17792.17

- पंजीयक (रजिस्ट्रार) एवं शेर अंतरण एजेन्ट; मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसिस (प्रा.) लि., बीटल हऊस, तृतीय तल, 99, मदनगरी, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, नई दिल्ली-110055
फोन नं. 011-29961282-83
ई-मेल आईडी: beetal@beetalfinancial.com

(x) 31.03.2011 को शेरधारिता पैटर्न

विवरण	शेरों की संख्या	प्रतिशतता
(क) भारत सरकार	81999802	63.09
(ख) बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियाँ	7561587	5.81
(ग) विदेशी संस्थागत निवेशक	35378619	27.22
(घ) म्यूचुअल फंड्स एवं यूटीआई	918746	0.71
(ङ) निकाय निगम	2941870	2.26
(च) भारतीय जन-साधारण	1105335	0.85
(छ) अप्रवासी भारतीय/ओसीबी	37994	0.03
(ज) अन्य	38841	0.03
	129982794	100.00

निगमित शासन

(xi) शेयरों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में रख-रखाव तथा तरलता

शेयरों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यवसाय करने हेतु कॉनकॉर ने नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं। 4,79,82,992 शेयरों में से 31.03.2011 तक 4,79,80,755 शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचीबद्ध थे।

(xii) बकाया जीडीआर/एडीआर/वारन्ट या कोई परिवर्तनीय दस्तावेज : लागू नहीं हैं

(xiii) कार्यस्थल विवरण : दिनांक 31.03.2011 तक कंपनी के पास 18 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, 13 आंतरिक तथा 30 संयुक्त कंटेनर टर्मिनल सहित कुल 61 टर्मिनल हैं।

(xiv) पत्राचार हेतु पता: समूह महाप्रबंधक (लेखा एवं कंपनी सचिव), भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, कॉनकॉर भवन, सी-3, मथुरा रोड़, अपोलो अस्पताल के सामने, नई दिल्ली-110 076 दूरभाष - 41673149

(xv) हाल ही में, 'हरित पहल' के रूप में सरकार ने अपने शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में ई-मेल के माध्यम से विभिन्न दस्तावेज उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की है। आपकी कंपनी ऐसी किसी भी पहल के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है एवं तदनुसार अपने शेयरधारकों से अपने संबंधित डीपी/कंपनी रजिस्ट्रार से साथ जैसा मामला हो, अपने ई-मेल आईडी देने या इन्हें अद्यतन करने का तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेजों को प्राप्त करने का अपना विकल्प देने का अनुरोध किया है

प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

औद्योगिक परिदृश्य

भारतीय बहुविध संभारतंत्र के क्षेत्र में वर्ष 2006 के बाद से अनेक कंटेनर ट्रेन संचालकों का आगमन हुआ है। वर्तमान में, इस व्यवसाय में (कॉनकॉर के अलावा) 15 कंटेनर ट्रेन संचालक हैं जिन्होंने 20 वर्षों की अवधि हेतु, जिसे अगले 10 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, कंटेनर ट्रेन चलाने के लिए भारतीय रेल के साथ कंसेशन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लगभग सभी 15 संचालकों ने अपनी ट्रेन सेवाएं आरंभ कर दी हैं। इनमें से कुछ ने अपनी टर्मिनल सुविधाएं भी स्थापित कर दी हैं। इस व्यावसाय में नए प्रवेशकों द्वारा संचालन सीमित रूप से दो संचालकों द्वारा अप्रैल, 2007 में प्रारंभ किया गया। यह संख्या कॉनकॉर को छोड़कर 15 हो गई है तथा इन संचालकों द्वारा ढोई जा रही मात्रा, नए रेकों के शामिल करने के कारण निरंतर बढ़ रही है। ये संचालक भारतीय रेल के माल शेडों/टर्मिनलों का अपने परिचालन हेतु उपयोग कर रहे हैं। कई नए पत्तों यथा मुंद्रा, पीपावाव, वार्डजैग, टूटीकोरीन, वालरपदम तथा पश्चिम तट पर कुछ अन्य के प्रारंभ होने से देश के अंदर क्षेत्रों में संपर्क बढ़ने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप आगामी वर्षों में कंटेनर यातायात देश के अंतःक्षेत्रों में बढ़ेगा।

परिवर्तित बाह्य व्यापार परिदृश्य के साथ आपकी कंपनी ने आयात-निर्यात के साथ-साथ आंतरिक खंड में परिवहन वैल्यू चैन के सभी क्षेत्रों में कंपनी की मौजूदगी का विस्तार करने की संभावनाओं पर विचार करते हुए अपने ग्राहकों को संपूर्ण संभारतंत्र एवं परिवहन समाधान प्रदान करने पर बल दिया है। अवसंरचना के इष्टतम उपयोग के साथ ही साथ वैल्यू चैन के अन्य क्षेत्रों में विस्तार हेतु दोनों क्षेत्रों में कार्यनीतिक गठजोड़ हेतु संभावनाओं की तलाश की गई है।

आयात-निर्यात और आंतरिक व्यवसाय

विश्व अर्थव्यवस्था में आई अमूल्य मंदी ने पिछले दो वित्तीय वर्षों में देश के आयात-निर्यात व्यावसाय को प्रभावित किया। 2010-11 ने समग्र आयात-निर्यात यातायात में परिवर्तन देखा जो पहले वित्तीय वर्ष में संचालित किए गए 18,82,277 टीईयू की तुलना में 20,18,551 टीईयू हो गया, जो गत वर्ष के निष्पादन के (2010-11) में 7.24 प्रतिशत अधिक था। कॉनकॉर के आयात-निर्यात व्यवसाय में यह वृद्धि अन्य ट्रेन संचालकों द्वारा रोलिंग स्टॉक के अधिष्ठापन के बावजूद हुई है। मंदी की प्रवृत्तियों एवं अन्य ट्रेन संचालकों द्वारा निरंतर कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण, अपना शेयर और वृद्धि बनाए रखना एक चुनौती होगी। और अधिक मात्रा को आकर्षित करने, आपकी कंपनी सेवा की गुणवत्ता और प्राइसिंग के संदर्भ में अन्य संचालकों द्वारा दी जा रही सेवाओं से मैच करना तथा उसने बेहतर सेवा देना जारी रखेगी।

आंतरिक बुकिंग, भारतीय रेल द्वारा दिसंबर, 2010 में कमोडिटी विशेष रेल भाड़ा संरचना प्रारंभ करने के कारण प्रभावित हुई। 2010-11 में इस क्षेत्र में कुल यातायात 5,43,746 टीईयू था जबकि 2009-10 में 5,38,970 टीईयू संचालित किए गए थे जिससे 0.89 प्रतिशत की मामूली वृद्धि परिलक्षित होती है। फिर भी, विवेकशील मूल्य-निर्धारण के परिणामस्वरूप, आंतरिक क्षेत्र में राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2010-11 में 3.65 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई।

आपकी कंपनी के प्रबंधन और स्टॉफ के सतत प्रयासों के कारण सभी निष्पादन पैरामीटरों पर समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निष्पादन उपलब्धियां सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में निर्धारित उच्च लक्ष्यों के साथ मेल खाती है। आपकी कंपनी वर्ष 2010-11 हेतु 'बहुत अच्छा' एमओयू रेटिंग प्राप्त करने की अपेक्षा रखती है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कॉनकॉर ने विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों के लिए भली-भांति परिभाषित भूमिका, उत्तरदायित्व और प्राधिकार दिए हैं। इसे मजबूत आंतरिक प्रबंधन सूचना प्रणाली से जोड़ा गया है जिससे प्रभावी निरीक्षण हेतु समुचित सूचना प्रवाह सुनिश्चित किया गया है। इन प्रक्रियाओं के अनुपालन का निरीक्षण निरंतर आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा किया जाता है। ये आंतरिक लेखापरीक्षक बाह्य कंपनियों होती हैं जो सीधे ही उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट करती हैं जिससे इनकी स्वतंत्रता भी सुनिश्चित होती है। आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है और अनुपालन हेतु अनुरोध किया जाता है तथा रिपोर्टों के साथ अनुपालन कार्रवाई को समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

जमानती ऋण एवं गैर जमानती ऋण

वित्तीय वर्ष 2010-11 में कंपनी द्वारा कोई भी जमानती और गैर जमानती ऋण नहीं लिया गया।

प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

अचल परिसंपत्ति

(₹ करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2011	2010	वृद्धि %
परिसंपत्ति की मूल लागत	3,286.15	2,988.86	9.95
घटा संचयी मूल्यह्रास	959.13	825.00	16.26
निवल अचल परिसंपत्ति	2,327.02	2,163.86	7.54

इस वर्ष के दौरान ₹ 310.46 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया गया। इसमें मुख्यतः टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, वैगनों/संचालन उपकरणों की खरीद आदि पर किया गया व्यय सम्मिलित है।

वैगन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कौनकॉर के स्वामित्व वाले वर्तमान बेड़े में 565 तीव्र गति वाले बीएलसी वैगन और जोड़े गए जिससे तीव्र गति वाले वैगनों की संख्या 9,309 हो गई। दिनांक 31.03.2011 को कुल वैगनधारिता 10,666 यूनिट थी।

मालसूची

चूंकि कौनकॉर सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी है अतः इसकी मालसूची में कोई स्टॉक नहीं हैं। मालसूची में अतिरिक्त कल-पुर्जों को दर्शाया जाता है जिन्हें कंपनी अपने उपकरणों के रख-रखाव हेतु रखती है।

विविध देनदार

इस वर्ष कुल विविध देनदार परिचालन से हुई आय का 0.45% है। जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, संदेहास्पद देनदारों हेतु प्रावधान किया गया है।

नकद एवं बैंक खातों में शेष

कौनकॉर अपने सभी नकद शेषों को बैंकों में लघु और मध्यम सावधि जमा में रखती है। इस प्रारक्षित नकदी का निगम की विस्तार गतिविधियों और निगम की पूंजीगत व्यय योजना के अनुसार संयुक्त उद्यमों में निवेश के वित्त पोषण हेतु प्रयोग किया जाता है।

आय

परिचालन से आय वित्तीय वर्ष 2009-2010 की अपेक्षा 3.30% बढ़ गई है। दोनों व्यावसायिक खण्डों यथा आयात-निर्यात और आंतरिक में से मालभाड़ा राजस्व का अधिकांश भाग आयात-निर्यात खण्ड से मिलता है। व्यापार मात्रा में वृद्धि और तीव्र गति वाले वैगनों को सफलतापूर्वक शुरू करना तथा चलाना कंपनी की व्यावसायिक वृद्धि के मुख्य कारण रहे हैं।

व्यय

टर्मिनल और अन्य सेवा प्रभार गत वित्तीय वर्ष 2009-10 की अपेक्षा 3.77% बढ़ गए। चालू वर्ष में प्रत्यक्ष व्यय में वृद्धि संगत परिचालन आय में वृद्धि और रेल मालभाड़ा में वृद्धि के कारण है।

प्रशासनिक व्यय

वित्तीय वर्ष 2009-10 की अपेक्षा प्रशासनिक व्यय में 11.17% की कमी हुई है।

कर्मचारियों का पारिश्रमिक

वित्तीय वर्ष 2009-10 की अपेक्षा कर्मचारी लागत 4.26% बढ़ गई जोकि वार्षिक वेतन वृद्धि, पदोन्नति, महंगाई भत्ते में वृद्धि, कर्मचारी हितलाभ के प्रावधान आदि के कारण है।

प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

कराधान

आयकर प्रावधान करते समय लेखाकरण मानक - 22 का पूर्णतः अनुपालन किया जा रहा है। लेखाओं पर टिप्पणियों में दिए गए विस्तृत विवरण के अनुसार इस वर्ष आस्थगित कर प्रावधान ₹ 17.66 करोड़ हो गया है। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 आईए के अंतर्गत कर लाभ प्राप्त किया है।

दृष्टिकोण

कौनकॉर का वर्ष 2010-11 हेतु कुल थ्रूपुट 25,62,297 टीईयू था जबकि पिछले वित्त वर्ष में 24,21,247 टीईयू संचालित किए गए थे जिससे 5.83 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित होती है। इसने आपकी कंपनी को 2.5 मिलियन टीईयू से अधिक एक वित्त वर्ष में संचालित करने के मुकाम को पार करने में मदद की। यह भारत में एकमात्र अंतःप्रदेश सभारतंत्र संचालक है जिसने ऐसा किया है। ढोए गए लदान के संदर्भ में, इसके फलस्वरूप हमने अब तक का सर्वाधिक 27.75 मिलियन टन का संचालन किया।

यदि हम खंडवार वृद्धि को देखें तो 7.24 प्रतिशत की क्षेत्रवार वृद्धि के परिणामस्वरूप 5.83 प्रतिशत की समग्र वृद्धि आयात-निर्यात थ्रूपुट में संभव हुई। ऐसा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में कुछ सुधार के कारण हुआ जिससे वर्ष 2009-10 में प्राप्त मामूली 1.47 प्रतिशत की वृद्धि को बढ़ाकर 7.24 प्रतिशत करने में मदद मिली। हालांकि, आंतरिक वृद्धि में कमी आई जो 2010-11 में 0.89 प्रतिशत की मामूली वृद्धि तक सीमित रही जबकि 2009-10 के दौरान 18.9 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि दर्ज की गई थी। यह कमी मूल रूप से कुछ वस्तुओं की रेटिंग से संबंधित नीतियों में कुछ परिवर्तन के परिणामस्वरूप आई। आपकी कंपनी ने आंतरिक क्षेत्र पर बल देने के लिए कुछ उपायों को पहले ही प्रारंभ कर दिया है।

कुल मिलाकर वित्त वर्ष 2009-10 के 4.9 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2010-11 में थ्रूपुट में 5.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

चुनौतियों का मुकाबला करने की व्यावसायिक नीति

उपर्युक्त पैरा में वर्णित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी ने बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की चुनौतियों के समक्ष अपनी लाभप्रदता बनाए रखने के लिए तीन स्तरीय रणनीति तैयार की है।

- प्रभावी प्रत्युत्तर एवं एकीकृत मल्टीमॉडल सेवाओं से ग्राहक संतुष्टि।
- विविधता एवं उत्पाद भिन्नता द्वारा राजस्व में वृद्धि।
- प्रौद्योगिकी में नवीनता लाकर लागत प्रबंधन।

इन श्रेणियों में से प्रत्येक हेतु अल्पकालिक (2 वर्ष से कम), मध्यमकालिक (2 से 5 वर्ष) एवं दीर्घकालिक (5 वर्ष से अधिक) की कार्ययोजनाएं तैयार कर ली गई है।

निदेशक बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

दिनांक : 10.08.2011

स्थान : नई दिल्ली

(पी. अल्लिरानी) (अनिल कुमार गुप्ता)

निदेशक (वित्त) प्रबंध निदेशक

प्रमाण – पत्र

सेवा में,

सदस्यगण,

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

हमने, जैसाकि शेयर बाजारों के साथ कॉनकॉर का सूचीबद्धता करार के खण्ड 49 में अनुबद्ध है, 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड द्वारा निगमित शासन की शर्तों तथा लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किए जाने की जाँच की है।

निगमित शासन की शर्तों की अनुपालना करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जाँच उपरोक्त खण्ड में अनुबद्ध निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कंपनी द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रियाओं और क्रियान्वयन की समीक्षा तक सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय कथनों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और व्याख्या के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने सूचीबद्धता करार के उपरोक्त खण्ड में वर्णित निगमित शासन की शर्तों तथा लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।

हमारा यह भी कथन है कि ऐसा अनुपालन न तो यह आश्वासन है कि कंपनी भविष्य में इसे व्यवहार में लाएगी, और न ही दक्षता या समर्थता है जिसके द्वारा प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को चलाया है।

कृते अखिल रोहतगी एंड कंपनी

(अखिल रोहतगी)

व्यवसायगत कंपनी सचिव

एफ.सी.एस.: 1600

सी.पी.सं. 2317

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 03.08.2011

दिनांक 31 मार्च, 2011 का तुलन-पत्र

(₹ करोड़ में)

अनुसूची	31.03.2011 को	31.03.2010 को			
निधियों का स्रोत					
शेयरधारकों की निधियाँ					
शेयर पूँजी	1	129.98	129.98		
प्रारक्षित एवं अधिशेष	2	4,847.83	4,977.81	4,206.42	4,336.40
आस्थगित कर देयताएँ (आस्थगित कर परिसंपत्ति घटाकर)		228.56			210.90
योग		5,206.37			4,547.30
निधियों की प्रयोज्यता					
अचल परिसंपत्ति					
सकल परिसंपत्ति	3	3,286.15			2,988.86
घटा : मूल्यहास/परिशोधन		959.13			825.00
निवल परिसंपत्ति		2,327.02			2,163.86
जमा: पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य (अग्रिम राशियों समेत)		319.14	2,646.16	206.43	2,370.29
निवेश	4	243.96			240.54
चल परिसंपत्ति, ऋण एवं अग्रिम राशि					
(क) चल देयताएँ	5	2,392.69		2,092.54	
(ख) ऋण एवं अग्रिम		474.27	2,866.96	479.84	2,572.38
घटा : चल देयताएँ एवं प्रावधान	6				
(क) चल देयताएँ		396.64		489.94	
(ख) प्रावधान		154.07	550.71	145.97	635.91
निवल चल परिसंपत्ति			2,316.25		1,936.47
लेखाकरण संबंधी महत्वपूर्ण नीतियाँ	10				
लेखाओं पर टिप्पणियाँ	11				
योग			5,206.37		4,547.30

“1” से “11” अनुसूचियाँ लेखाओं का अभिन्न अंग हैं।

(हरीश चंद्र)

स.म.प्र. (वित्त) एवं कंपनी सचिव

(पी. अल्लिरानी)

निदेशक (वित्त)

(अनिल कुमार गुप्ता)

प्रबंध निदेश

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार कृते कुमार चोपड़ा एवं एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स

दिनांक : 21.07.2011

स्थान : नई दिल्ली

(आर.के. अग्रवाल)

साझेदार

दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि लेखा

(₹ करोड़ में)

अनुसूची	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	31.03.2010 को समाप्त वर्ष
आय		
परिचालन से आय	3,828.12	3,705.68
अन्य आय	7 202.06	180.05
योग	4,030.18	3,885.73
व्यय		
टर्मिनल एवं अन्य सेवा प्रभार	2,612.42	2,517.40
कर्मचारियों का पारिश्रमिक और हितलाभ	8 87.43	83.86
प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	9 126.83	142.78
मूल्यहास/परिशोधन	145.23	135.10
योग	2,971.91	2,879.14
कर पूर्व लाभ	1,058.27	1,006.59
घटा : कर हेतु प्रावधान		
चालू कर	162.11	202.78
आस्थगित कर	17.66	17.14
कर पश्चात् लाभ	878.50	786.67
जमा/(घटा) : पूर्व अवधि समायोजन (निवल)	0.01	0.49
जमा/(घटा) : पूर्ववर्ती वर्षों के लिए कर समायोजन (निवल)	(2.56)	(0.47)
शुद्ध लाभ	875.95	786.69
विनियोजन		
अदा किया गया अंतरिम लाभांश	97.49	77.99
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	103.99	103.99
निगमित लाभांश कर	33.06	30.52
सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरण	87.59	78.67
तुलन-पत्र में ले जाया गया शेष	553.82	495.52
	875.95	786.69
प्रत्येक ₹10/- के शेयर पर मूल एवं अपेक्षाकृत कम आय (₹ में) (संदर्भ अनुसूची 11 की टिप्पणी 36)	67.39	60.52

अनुसूची 1 : शेयर पूँजी

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011 को	31.03.2010 को
प्राधिकृत		
प्रत्येक 10 ₹ के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	200.00	200.00
जारी किए गए, अधिदत्त एवं प्रदत्त		
12,99,82,794 (गत वर्ष 12,99,82,794) इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10/- के पूर्णरूप से प्रदत्त (6,49,91,397) इक्विटी शेयर मिलाकर आरक्षित निधि को पूँजीगत करते हुए पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयरों को जारी किया गया	129.98	129.98
योग	129.98	129.98

अनुसूची 2 : प्रारक्षित एवं अधिशेष

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011 को	31.03.2010 को
सामान्य प्रारक्षित		
आदि शेष	458.95	380.28
जमा : लाभ एवं हानि लेखा से अंतरण	87.59	78.67
	546.54	458.95
लाभ एवं हानि लेखा		
आदि शेष	3,747.47	3,251.95
वर्ष के दौरान जोड़	553.82	495.52
	4,301.29	3,747.47
योग	4,847.83	4,206.42

(हरीश चंद्र)
स.म.प्र. (वित्त) एवं कंपनी सचिव

(पी. अल्लिरानी)
निदेशक (वित्त)

(अनिल कुमार गुप्ता)
प्रबंध निदेश

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते कुमार चोपड़ा एवं एसोसिएट्स,
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स

(आर.के. अग्रवाल)
साझेदार

दिनांक : 21.07.2011
स्थान : नई दिल्ली

अनुसूची 3 : अचल परिसंपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास / परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2010 को	वर्ष के दौरान जोड़	बिक्री / समायोजन	31.03.2011 को	01.04.2010 को	वर्ष के लिए	बिक्री / समायोजन	31.03.2011 तक	31.03.2011 को	31.03.2010 को
प्रत्यक्ष परिसंपत्ति										
पूर्णस्वामित्व	12.27	0.39	-	12.66	-	-	-	-	12.66	12.27
पट्टे वाली भूमि	117.23	24.09	-	141.32	15.72	2.48	-	18.20	123.12	101.51
भवन	587.07	59.12	1.91	644.28	132.66	19.26	1.05	150.87	493.41	454.41
रेल स्थल	50.66	26.09	-	76.75	16.31	2.81	-	19.12	57.63	34.35
संयंत्र एवं मशीनरी	1908.23	183.79	-	2092.02	511.76	101.60	-	613.36	1478.66	1396.47
कंटेनर	92.61	-	0.38	92.23	27.25	4.38	0.27	31.36	60.87	65.36
विद्युतीय फिटिंग	49.39	2.61	0.16	51.84	30.51	3.51	0.14	33.88	17.96	18.88
कंप्यूटर	53.29	9.06	7.10	55.25	34.53	5.01	6.60	32.94	22.31	18.76
फर्नीचर एवं फिक्सचर	10.16	0.69	-	10.85	5.79	0.62	(0.01)	6.42	4.43	4.37
कार्यालय उपकरण	7.96	1.18	0.06	9.08	2.84	0.42	0.02	3.24	5.84	5.12
टेलीफोन प्रणाली	1.55	0.09	-	1.64	0.76	0.07	-	0.83	0.81	0.79
एयरकंडीशनर	5.64	0.34	0.04	5.94	1.56	0.28	0.02	1.82	4.12	4.08
वाहन	0.62	0.08	0.09	0.61	0.45	0.04	0.07	0.42	0.19	0.17
पूँजीगत व्यय*	23.38	0.09	3.43	20.04	22.59	0.30	2.94	19.95	0.09	0.79
उप योग	2920.06	307.62	13.17	3214.51	802.73	140.78	11.10	932.41	2282.10	2117.33
अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति										
सॉफ्टवेयर	18.80	2.84	-	21.64	14.18	1.95	-	16.13	5.51	4.62
पैँजीकरण शुल्क	50.00	-	-	50.00	8.09	2.50	-	10.59	39.41	41.91
उप योग	68.80	2.84	-	71.64	22.27	4.45	-	26.72	44.92	46.53
योग	2988.86	310.46	13.17	3286.15	825.00	145.23	11.10	959.13	2327.02	2163.86
पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य (अग्रिम राशि ₹200.62 करोड़ सहित (विगत वर्ष ₹93.87 करोड़))									319.14	206.43
कुल योग									2646.16	2370.29
गत वर्ष	2640.95	350.35	2.44	2988.86	691.98	135.10	2.08	825.00	2163.86	

*कृपया अनुसूची 11 की टिप्पणी 15 (ख) का संदर्भ ग्रहण करें।

- टिप्पणी 1) संयंत्र एवं मशीनरी और कंटेनर के सकल ब्लॉक में ₹ 1.87 करोड़ (गत वर्ष ₹ 1.87 करोड़) और ₹ 0.10 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.10 करोड़) की राशि सम्मिलित है जो कि अप्रचलित / बेकार होने के कारण प्रगामी प्रयोग से निवृत्त मदों से संबंधित है।
- 2) भूमि और भवन के सफल ब्लॉक में ₹ 1.45 करोड़ (गत वर्ष ₹ 1.45 करोड़) के मूल्य की यह परिसंपत्ति सम्मिलित है जिसकी बिक्री / पट्टे के लिए करार का अभी निष्पादन किया जाना है।
- 3) भवनों के सकल ब्लॉक में ₹ 21.38 करोड़ (गत वर्ष ₹ 19.46 करोड़) के मूल्य का पूर्णस्वामित्व भवन सम्मिलित है।

अनुसूची 4 : निवेश

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011 को	31.03.2010 को
दीर्घकालिक निवेश (कीमत पर)		
व्यवसाय निवेश (अनुत्कथित)		
I. व्यावसायिक व्यवस्था		
– हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लि. और मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लि. के साथ 'ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप – एयर कार्गो कॉम्प्लैक्स' के नाम से	-	0.87
– हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लि. के साथ 'हॉलकॉन' के नाम से	3.19	3.19
	3.19	4.06
II. संयुक्त उद्यम के शेयरों में		
4,706,695 स्टार ट्रेक टर्मिनल प्रा. लि. में पूर्णरूप से प्रदत्त (गत वर्ष 4,706,695) प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	4.71	4.71
2,940,000 अल्बोट्रोस सीएफएस प्रा. लि. में पूर्णरूप से प्रदत्त (गत वर्ष 2,940,000) प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	2.94	2.94
2,443,630 ट्राइडेंट टर्मिनल्स इंडिया प्रा. लि. में पूर्णरूप से प्रदत्त (गत वर्ष 2,443,630) प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	2.44	2.44
117,780,000 गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्रा. लि. में पूर्णरूप से प्रदत्त (गत वर्ष 117,780,000) प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	117.78	117.78
2,048,200 सीएमए-सीजीएम लॉजिस्टिक पार्क (दादरी) प्रा. लि. में पूर्णरूप से प्रदत्त (गत वर्ष 2,048,200) प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	2.05	2.05
54,600,300 गेटवे टर्मिनल प्रा. लि. में पूर्णरूप से प्रदत्त (गत वर्ष 54,600,300) प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	54.60	54.60
शून्य इटीग्रेटेड इंग्रज लॉज प्रा. लि.* में पूर्णरूप से प्रदत्त (गत वर्ष 5,000) प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	-	0.01
980,000 इफिनिटी लॉजिस्टिक सोल्यूशन प्रा. लि. में पूर्णरूप से प्रदत्त (गत वर्ष 980,000) प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	0.98	0.98
857,500 हिंद कॉनकॉर टर्मिनल्स (दादरी) प्रा. लि. में पूर्णरूप से प्रदत्त (गत वर्ष 857,500) प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	0.86	0.86
49,000 कंटेनर गेटवे लि. में पूर्णरूप से प्रदत्त (गत वर्ष 49,000) प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	0.05	0.05
3,716,160 ऑलकार्गो लॉजिस्टिक पार्क प्रा. लि. में पूर्णरूप से प्रदत्त (गत वर्ष 1,135,167) प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	3.71	1.13
1,775,000 कॉनयक कारट्रेक प्रा. लि. में पूर्णरूप से प्रदत्त (गत वर्ष 50,000) प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	1.77	0.05
	191.89	187.60
III. विदेशी संयुक्त उद्यम के शेयरों में		
80,000 हिमालयन टर्मिनल्स प्रा. लि. नेपाल में पूर्णरूप से प्रदत्त प्रत्येक 100 नेपाली रुपया (62.50 भारतीय रुपये के बराबर) के इक्विटी शेयर (गत वर्ष 80,000)	0.50	0.50
	0.50	0.50
IV. भारतीय सहायक कंपनियों के शेयर (पूर्णस्वामित्व वाली) में		
48,273,810 फ्रेश एंड हेल्थी एंटरप्राइजेज लि. में (गत वर्ष 48,273,810) प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	48.38	48.38
	48.38	48.38
योग (I+II+III+IV)	243.96	240.54

अनुसूची 5 : चल परिसंपत्ति, ऋण एवं अग्रिम

	(₹ करोड़ में)	
	31.03.2011	31.03.2010
	को	को
क. चल परिसंपत्ति		
मालसूची		
(जैसा कि प्रबंधन द्वारा स्वीकृत, मूल्यांकित और प्रमाणित.)		
सामान एवं अतिरिक्त कल-पुर्जे (कीमत पर) (टिप्पणी सं. 20, अनुसूची 11)	6.95	7.25
घटा : अप्रचलित सामान के लिए प्रावधान	0.69	0.26
	<u>6.26</u>	<u>6.99</u>
विविध देनदार		
छः महीने से अधिक के देनदार		
गैर जमानती, अच्छे देनदार	3.73	2.68
गैर जमानती, संदेहास्पद	2.25	2.02
	<u>5.98</u>	<u>4.70</u>
घटा : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	2.25	2.02
अन्य		
गैर जमानती, अच्छे देनदार	13.54	14.96
	<u>17.27</u>	<u>17.64</u>
नकद एवं बैंक शेष		
नकदी शेष (अग्रदाय समेत)	0.23	0.27
हस्तगत चेक	12.07	16.39
मार्गस्थ प्रेषण	-	0.01
अनुसूचित बैंकों में शेष :		
- चालू खाता	44.04	32.77
- फ्लेक्सी जमा	2.74	160.61
- सावधि जमा	2,236.60	1,779.46
	<u>2,283.38</u>	<u>1,972.84</u>
	<u>2,295.68</u>	<u>1,989.51</u>
अन्य चल परिसंपत्ति		
जमा, ऋण एवं अग्रिम पर उपचित ब्याज	73.48	78.40
योग चल परिसंपत्ति - क	<u>2,392.69</u>	<u>2,092.54</u>
ख. ऋण एवं अग्रिम		
पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कंपनी-एफएचईएल को ऋण (गैर जमानती ब्याज मुक्त)	28.14	33.64
कर्मचारियों को ऋण (जमानती)	20.73	18.32
अन्य को ऋण (गैर जमानती)	-	0.20
अग्रिम (गैर जमानती)		
नकदी या वस्तुएँ या मूल्य में वसूली योग्य	23.06	89.37
घटा : संदिग्ध अग्रिम हेतु प्रावधान	1.83	1.75
जमा राशि (गैर जमानती)		
- सरकारी प्राधिकरणों में	8.67	2.45
- अन्य	1.24	1.18
घटा : संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान	0.03	0.03
	<u>9.88</u>	<u>3.66</u>
अग्रिम आयकर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधानों को घटाकर)	<u>394.29</u>	<u>336.46</u>
कुल ऋण एवं अग्रिम - ख	<u>474.27</u>	<u>479.84</u>
योग (क+ख)	<u>2,866.96</u>	<u>2,572.38</u>

अनुसूची 6 : चल देयताएँ एवं प्रावधान

	(₹ करोड़ में)	
	31.03.2011	31.03.2010
	को	को
क. चल देयताएँ		
- विविध लेनदार		
- माइक्रो एवं लघु उद्योग	-	-
- अन्य	221.71	299.53
ग्राहकों द्वारा अग्रिम/जमा	108.63	80.31
अदावी लाभांश (*)	0.10	0.09
बुक ओवरड्राफ्ट (टिप्पणी संख्या 12, अनुसूची 11)	12.41	58.73
अन्य	53.79	51.28
	<u>396.64</u>	<u>489.94</u>
ख. प्रावधान		
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	103.99	103.99
निगमित लाभांश कर	16.87	17.27
कर्मचारी सेवानिवृत्ति हितलाभ	30.28	24.71
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	2.93	-
कुल प्रावधान - ख	<u>154.07</u>	<u>145.97</u>
कुल (क + ख)	<u>550.71</u>	<u>635.91</u>

(*) ₹ 50,699/- (गत वर्ष ₹ 2,30,060/-) निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि के खाते में जमा किए गए।

अनुसूची 7 : अन्य आय

	(₹ करोड़ में)	
	31.03.2011	31.03.2010
	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष
पर अर्जित ब्याज :		
- लघु अवधि की बैंक जमा/आईसीडी	145.85	147.31
(स्रोत पर काटा गया आयकर ₹ 14.61 करोड़, गत वर्ष ₹ 20.13 करोड़)		
- कर्मचारियों को ऋण	1.03	0.78
- पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कंपनी - एफएचईएल को ऋण	0.49	-
(स्रोत पर काटा गया आयकर ₹ 0.05 करोड़, गत वर्ष ₹ शून्य)		
- इरवो को ऋण (टिप्पणी संख्या 13, अनुसूची 11)	0.01	0.02
(स्रोत पर काटा गया आयकर ₹ शून्य गत वर्ष ₹ 0.01 करोड़)		
संयुक्त उद्यम कंपनी से लाभांश	5.30	0.30
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	0.08	0.01
अधितर प्रावधान पुरांकित किया गया (टिप्पणी संख्या 26, अनुसूची 11)	27.66	15.74
विविध आय	21.64	15.78
व्यवसाय व्यवस्था के लाभ में हिस्सा (टिप्पणी संख्या 17 (ख), अनुसूची 11)	-	0.11
योग	<u>202.06</u>	<u>180.05</u>

अनुसूची 8 : कर्मचारियों का पारिश्रमिक और हितलाभ

	(₹ करोड़ में)	
	31.03.2011	31.03.2010
	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष
वेतन, भत्ते एवं अन्य कर्मचारी हितलाभ	67.46	64.48
भविष्य निधि, परिवार पेंशन निधि, ईएसआई एवं श्रमिक कल्याण निधि में योगदान	4.73	5.20
आवास पट्टा हेतु किराया (निवल)	1.77	1.57
कर्मचारी कल्याण एवं चिकित्सा व्यय	11.59	9.85
उपदान	1.35	2.51
स्टॉफ प्रशिक्षण	0.53	0.25
योग	87.43	83.86

अनुसूची 9 : प्रशासनिक एवं अन्य व्यय

	(₹ करोड़ में)	
	31.03.2011	31.03.2010
	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	1.98	2.11
यात्रा एवं वाहन प्रभार (निदेशकों का यात्रा व्यय ₹ 0.33 करोड़ सहित, गत वर्ष ₹ 0.44 करोड़)	10.86	10.17
कार्यालय भवन हेतु किराया एवं लाइसेंस शुल्क	1.67	1.56
बिजली और पानी	5.09	5.19
मरम्मत और अनुरक्षण:		
— भवन	5.98	4.01
— संयंत्र	2.60	3.91
— अन्य	17.33	14.02
सुरक्षा व्यय	29.90	21.94
वाहनों का चालन और अनुरक्षण व्यय	0.04	26.54
व्यावसायिक विकास	1.47	0.04
डाक, टेलीफोन एवं इंटरनेट	2.64	1.53
पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ	1.66	2.68
बैंक प्रभार	0.30	1.48
विधिक एवं व्यावसायिक सेवाएं	4.09	0.09
बीमा	1.36	4.28
शुल्क और अभिदान	0.13	1.22
विज्ञापन	1.81	0.15
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक		1.70
— लेखापरीक्षा शुल्क	0.08	0.08
— कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.02	0.02
— अन्य सेवाएँ	0.08	0.07
— वास्तविक फुटकर व्यय	0.08	0.06
घटौती एवं छूट	26.21	0.23
दरें एवं कर	3.07	52.11
जोखिम वाले बेकार सामान को भस्म करना	-	3.26
दान	0.03	0.33
विविध व्यय (टिप्पणी संख्या 16 (क) और 17 (क), अनुसूची 11)	7.57	0.01
बट्टे खाते की गई राशि	0.01	0.01
निम्नलिखित के लिए प्रावधान:		
संदिग्ध ऋण	0.26	0.02
संदिग्ध अग्रिम	0.08	-
अप्रचलित सामान	0.43	-
योग	126.83	142.78

अनुसूची 10 : लेखाकरण संबंधी महत्वपूर्ण नीतियाँ

1. लेखाकरण धारणाएँ एवं संकल्पनाएँ

वित्तीय लेखाओं को सामान्यतः परंपरागत लागत के प्रोद्भवन के आधार पर और लागू अनिवार्य लेखाकरण मानक सिद्धांतों के अनुरूप एवं कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रस्तुतीकरण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार बनाया गया है। लेखाकरण नीतियाँ, यदि उनका अन्वया उल्लेख नहीं किया गया है, सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप ही होती हैं।

2. अचल परिसंपत्ति एवं पूंजीगत निर्माणाधीन कार्य

(i) अचल परिसंपत्ति को उनकी अधिग्रहण या निर्माण लागत से संचयी मूल्यहास घटाकर दर्शाया गया है। अधिग्रहण लागत में से अग्रिम पूंजी पर ब्याज तथा ड्यूटी क्रेडिट्स को घटाया गया है तथा इसमें माल-भाड़ा, सीमाशुल्क, कर एवं अन्य आकस्मिक प्रभार सम्मिलित हैं। उन परिसंपत्तियों के संदर्भ में, जिनका पूंजीकरण किया जाना है और जिनका अंतिम बिल/दावों को प्राप्त करना/पास करना शेष है, पूंजीकरण इंजीनियरी प्राक्कलनों पर आधारित है। लागत और मूल्यहास का अन्तिम समायोजन पहले की तरह वास्तविक लागत पता लगाने और दावे को अंतिम रूप से निपटाने वाले वर्ष में किया गया है। मशीनरी के पुर्जों को, जिन्हें केवल अचल परिसंपत्ति के लिए प्रयोग किया जाता है और जिनका प्रयोग अनियमित है, पूंजीगत किया गया है। अचल परिसंपत्ति की अधिप्राप्ति हेतु अदा किए गए अग्रिम और उस परिसंपत्ति की लागत को, जो तुलन-पत्र की तिथि तक प्रयोग में नहीं लाई गई है, तथा उस परिसंपत्ति की लागत को, जो प्रयोग हेतु अभी तैयार नहीं है, पूंजीगत निर्माणाधीन कार्य में शामिल किया गया है।

(ii) संपदा की 'कनवेंस डीड' के निष्पादन होने और दायित्व निर्धारित होने पर अचल संपदाओं पर देय स्टांप ड्यूटी हेतु प्रावधान किया गया है।

(iii) निर्धारित अचल परिसंपत्ति हेतु प्राप्त अनुदान को परिसंपत्ति की कुल कीमत या पूंजीगत निर्माणाधीन कार्य, जैसा भी मामला हो, से घटाया गया है। प्राप्त अनुदान की अप्रयुक्त राशि को चल देयता के रूप में दर्शाया गया है।

(3) अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति :

(i) सॉफ्टवेयर :

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर का अंदरूनी भाग नहीं है, पर किए गए व्यय का पूंजीकरण अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के रूप में किया गया है। सॉफ्टवेयर की लागत में लाइसेंस शुल्क और कार्यान्वयन सेवाओं की लागत सम्मिलित है। जिस वर्ष में सॉफ्टवेयर लगाया जाता है उसी वर्ष उसकी लागत को पूंजीगत किया जाता है। सॉफ्टवेयर को पांच वर्षों में परिशोधित किया जाता है।

(ii) पूंजीकरण शुल्क :

रेल मंत्रालय को अदा किए गए पूंजीकरण शुल्क का, जो भारतीय रेल द्वारा कंटेनर ट्रेनों के आवागमन के लिए अनुमोदन हेतु दिया गया है, अप्रत्यक्ष पूंजी के रूप में पूंजीकरण किया गया है। इस पूंजीकरण शुल्क को बीस वर्षों में परिशोधित किया जाता है।

4. उधार लागत

अधिग्रहीत अथवा सापेक्ष परिसंपत्ति के निर्माण में लगी उधार लागत को संबंधित परिसंपत्ति के साथ ही पूंजीगत राशि के अंतर्गत दर्शाया गया है और अन्य सभी उधार लागत को राजस्व में प्रभारित किया गया है। सापेक्ष परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जिसे सार्थक प्रयोग हेतु तैयार करने में अवश्य ही पर्याप्त समय अवधि लगती है।

5. निवेश

(i) लंबी अवधि के निवेश को वास्तविक लागत पर दर्शाया गया है। मूल्य में कमी हेतु प्रावधान किया गया है ताकि अस्थायी कमी के अतिरिक्त गिरावट को दर्शाया जा सके।

(ii) चल निवेश को कमतर या उचित मूल्य पर दर्शाया गया है।

6. मालसूची

सामान एवं अतिरिक्त कल-पुर्जों का मूल्यांकन भारत और अंतर्राष्ट्रीय के अनुसार वास्तविक लागत पर किया गया है। जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, अप्रचलित कल-पुर्जों हेतु प्रावधान किया गया है।

7. मूल्यहास/परिशोधन

(i) पट्टे पर ली गई भूमि पर बनाई गई परिसंपत्ति सहित अचल परिसंपत्ति पर मूल्यहास का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों और मूल्यहास की सीधी रेखा पद्धति के आधार पर की गई है लेकिन इसमें टर्मिनल की

अनुसूची 10 : लेखाकरण संबंधी महत्वपूर्ण नीतियाँ

सड़कें/पेवमेन्ट/चारदीवारी (बाउन्डरी वाल)/भंडारागार तथा विद्युतीय साजो-सामान शामिल नहीं है जिनके लिए मूल्यहास की दर क्रमशः 3.34 प्रतिशत तथा 10.34 प्रतिशत तथा बीएफकेआई वैगन के लिए 6.79 प्रतिशत है।

- सतत लीज पर ली गई के अलावा लीजहोल्ड भूमि लीज की अवधि में परिशोधित की जाती है। लीजहोल्ड बिल्डिंगों, लीज की अवधि या अनुसूची XIV के अंतर्गत निहित दरों के अनुसार बिल्डिंग की उपयोगी काल, इनमें से जो भी कम हो, के अनुसार परिशोधित होती है।
- सड़कें, पुलिया एवं विद्युत पारेषण इत्यादि जैसी परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय, जिनका स्वामित्व कंपनी के पास नहीं है, ऐसे व्यय की भारग्रहण की लेखा अवधि में राजस्व को भारित किया जाता है। तथापि, योग्य परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय, जिसका स्वामित्व कंपनी के पास होता है एवं जिसे कंपनी की भूमि पर नहीं बनाया गया है उसे उपयोगिता की लगभग अवधि या 5 वर्षों की अवधि तक इसमें जो भी कम हो पीएंडएल लेखा के बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। इस उद्देश्य के लिए भूमि को कंपनी का नहीं माना जाता है यदि भूमि का स्वामित्व या लीज/लाइसेंस कंपनी के पास नहीं है।

8. परिसंपत्ति का हानिकरण

जब परिसंपत्ति का वास्तविक मूल्य (Carrying Amount) वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाए तब इसे परिसंपत्ति का हानिकरण कहा जाता है। इस प्रकार की हानि को उसी वर्ष, जिसमें परिसंपत्ति के हानिकरण का पता चलता है, लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

- तुलन-पत्र की तिथि को कर्मचारियों को देय उपदान (ग्रेच्युटी) का प्रावधान स्वतंत्र बीमांकक के मूल्यांकन को आधार मानते हुए उपचित आधार पर (अक्रुअल बेसिस) किया गया है। अंशदान को अनुमोदित उपदान निधि के ट्रस्ट में जमा किया जाता है जो इस उद्देश्य हेतु कंपनी द्वारा गठित किया गया है।
- स्वतंत्र बीमांकक द्वारा तुलन-पत्र की तिथि को कर्मचारियों को देय अवकाश वेतन के लिए उपचित देयता (अक्रुड लायबिलिटी) का मूल्यांकन किया गया जिसके आधार पर कर्मचारियों को देय अवकाश के नकद मूल्य का प्रावधान किया गया है।
- कर्मचारी भविष्य/निधि और परिवार पेंशन निधि जैसी परिभाषित अंशदायी स्कीमों के अंशदान का जब भी उपचित हुआ, तभी लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया गया है।

10. विदेशी मुद्रा लेन-देन

- विदेशी मुद्रा के संव्यवहार को उस दिन प्रचलित विनिमय दर पर अभिलेखित किया गया है।
- विदेशी मुद्रा ऋण, चल देयता और चल परिसंपत्ति को वित्तीय वर्ष के अन्त में उस समय प्रचलित विनिमय दर के अनुसार लिया गया है।
- विदेशी मुद्रा विनिमय में उतार-चढ़ाव के कारण लाभ या हानि को लाभ एवं हानि लेखाकरण में किया गया है।

11. परिचालन से आय (टर्मिनल एवं अन्य सेवा प्रभार)

रेल भाड़ा आय एवं संबंधित खर्च को भारतीय रेल द्वारा आरआर जारी करने के समय लेखाकरण किया जाता है जबकि सड़क परिवहन/हैंडलिंग आय एवं संबंधित खर्चों को कंटेनर बुकिंग के समय लेखाकरण किया जाता है। टर्मिनल सेवा प्रभार एवं भाड़ा 'कंप्लीटेटेड सर्विस काँट्रैक्ट मेथड' पर कंटेनरों को छोड़ते समय/प्राप्त करते समय लेखाकरण किया जाता है।

12. दावों/प्रति दावों/जुर्माना/पुरस्कार

दावों/प्रति दावों/जुर्माना/पुरस्कार का लेखाकरण इनके निपटान के वर्ष में किया गया है।

13. आय पर कर

- आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुरूप चालू कर हेतु प्रावधान किया गया है।
- निर्धारणों को अंतिम रूप देने पर विवादित आयकर देनदारियों का लेखाकरण किया जाता है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

सांविधिक दायित्वों के संबंध में प्रावधानों को, तुलन-पत्र की तिथि को उनकी उपस्थिति एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, संभाव्य दर्शाया गया है।

आकस्मिक देयताओं का निर्धारण उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर किया जाता है। इन देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है और इन्हें लेखा पर टिप्पणियों के रूप में दर्शाया गया है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को लेखाओं में नहीं दर्शाया गया है।

अनुसूची 11 : लेखाओं पर टिप्पणियाँ

- उन पूंजीगत करारों की अनुमानित राशि जो अभी तक निष्पादित नहीं किए गए हैं और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम राशि घटाकर)

	2010-11	2009-10
(क) संयुक्त उद्यम से संबंधित	20.26	11.97
(ख) अन्य	249.56	188.74
2. निम्नलिखित के संबंध में आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया है:		
(क) बकाया साख-पत्र एवं बैंक गारंटी	39.56	44.30
(ख) संयुक्त उद्यम के लिए बैंक गारंटी एवं बिड बाँड	126.32	167.92
(ग) कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है और इसमें से अग्रिम/ विरोध सहित भुगतान, माध्यस्थम, न्यायालय आदेश आदि की राशि घटाई गई है [इसमें ₹ 356.68 करोड़ के वे दावे सम्मिलित हैं जो माध्यस्थम/ न्यायालय में माध्यस्थम पंचाट के विचाराधीन हैं (गत वर्ष ₹ 311.92 करोड़)]	769.50	720.38

उन आकस्मिक देयताओं को, जिनका दावा प्राप्त हो चुका है, प्रकटन के माध्यम से दर्शाया गया है इस राशि में ₹ 11.61 करोड़ (गत वर्ष ₹ 10.56 करोड़) सम्मिलित हैं जो कंपनी को पुनः प्राप्य हैं। प्रकटन में जहाँ विधि मामले चालू हैं, मूल दावे पर ब्याज की मांग को नहीं दर्शाया गया है क्योंकि मूल दावा ही निश्चित नहीं है। उपरोक्त दर्शाई गई आकस्मिक देयता हेतु किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उपलब्ध सूचना, तथ्यों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन, संबंधित मामलों में विधि पक्ष के गत अनुभव के आधार पर यह संभव नहीं है कि इससे भविष्य में आर्थिक लाभ होगा।

(घ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारण अधिकारी (एओ) ने कंपनी के कुछ दावों को अस्वीकृत कर दिया जिसमें धारा 80 आईए के अंतर्गत रेल प्रणाली और आईसीडी (अंतर्देशीय पत्तनों) हेतु निर्धारण वर्ष 2003-04 से 2007-08 हेतु की गई कटौतियाँ प्रमुख हैं। आयकर विभाग ने कर तथा ब्याज की कुल ₹ 423.30 करोड़ की मांग की। कंपनी ने इन निर्धारण आदेशों के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपीलें दायर की। आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारण वर्ष 2003-04 से 2006-07 के लिए रेल प्रणाली से संबंधित 80 आईए के अंतर्गत दावों को स्वीकृत कर दिया जबकि इनलैंड पोर्ट्स के संबंध में 80 आईए के अंतर्गत दावे अमान्य कर दिए गए। आयकर आयुक्त (अपील) के 80 आईए के अंतर्गत दावों पर निर्णय को आयकर माध्यस्थम अधिकरण ने वर्ष 2003-04 से 2005-06 के लिए सही ठहराया है। कंपनी ने आयकर माध्यस्थम अधिकरण के निर्धारण वर्ष 2003-04 और 2005-06 में दिए आदेशों हेतु माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलें दायर की हैं। इस मामले पर निर्धारण वर्ष 2003-04 से 2005-06 के लिए सीआईटी(ए) के निर्णय को आईटीएटी ने बरकरार रखा और कंपनी ने आईटीएटी के आदेशों के विरुद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में पहले याचिकाएं दायर कर दी हैं। ऐसे ही मिलते-जुलते निर्धारण वर्ष 2006-07 और वर्ष 2007-08 के लिए एओ के आदेश को सीआईटी(ए) ने बरकरार रखा तथा कंपनी ने सीआईटी(ए) के आदेशों के विरुद्ध अब माननीय आईटीएटी के पास अपीलें दायर की हैं। निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए अपील सीआईटी(ए) के पास लंबित है। माननीय सीओडी (विवादों पर समिति) ने निर्धारण वर्ष 2003-04 से 2005-06 के लिए धारा 80 आईए के अंतर्गत आईसीडी कटौती के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में कंपनी को अपनी अपील दायर करने की अनुमति दे दी है जबकि विभाग द्वारा निर्धारण वर्ष 2003-04 से वर्ष 2005-06 के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रेल प्रणाली पर धारा 80 आईसी के अंतर्गत कटौती के मामले में याचिका दायर करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है।

(ड.) सीआईटी(ए) ने एओ के निर्धारण वर्ष 2003-04 से 2005-06 के लिए कंपनी के अंतर्देशीय पत्तनों के संबंध में कटौती के दावों के विरुद्ध 26.70 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने और वसूलने के आदेश को बरकरार रखा। दिनांक 17 जून, 2011 के आदेशों के विरुद्ध माननीय आईटीएटी ने सीआईटी(ए) के उक्त आदेशों के विरुद्ध दायर की गई अपीलें पर कंपनी के पक्ष में निर्णय दिया है। निर्धारण वर्ष 2006-07 और वर्ष 2007-08 के ऐसे ही मामले में एओ ने 41.94 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया/ वसूला जिसके विरुद्ध कंपनी ने सीआईटी(ए) के पास अपील दायर की है।

अनुसूची 11 : लेखाओं पर टिप्पणियाँ

(च) विवादित आयकर देयताओं का सारांश:

निर्धारण वर्ष	विवाद की प्रकृति	राशि (₹ करोड़)
2003-04	* 271(1)(c) के अंतर्गत जुर्माना	5.30
	* नियमित रूप से मूल्यांकन	5.30
2004-05	* 271(1)(c) के अंतर्गत जुर्माना	9.64
	* नियमित रूप से मूल्यांकन	9.53
2005-06	* 271(1)(c) के अंतर्गत जुर्माना	11.76
	* नियमित रूप से मूल्यांकन	12.19
2006-07	* 271(1)(c) के अंतर्गत जुर्माना	17.10
	* नियमित रूप से मूल्यांकन	17.78
2007-08	* 271(1)(c) के अंतर्गत जुर्माना	24.84
	* नियमित रूप से मूल्यांकन	24.84
	* नियमित रूप से मूल्यांकन	62.25
2008-09	* 271(1)(c) के अंतर्गत जुर्माना	68.64
समेकित राशि	* नियमित रूप से मूल्यांकन	131.89

अनुसूची 11 : लेखाओं पर टिप्पणियाँ

निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए 14.92 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि को छोड़कर उक्त सभी विवादित कर देयताओं का भुगतान किया जा चुका है / विभाग द्वारा वसूली की जा चुकी है। इसके लिए विभाग को अन्य आगामी निर्धारण वर्षों के लिए देय धन वापसी के समायोजन हेतु आवेदन किया गया है।

- कॉनकॉर ने 1320 वैगनों की आपूर्ति हेतु हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ एक संविदा तैयार की थी। 1050 वैगनों की आपूर्ति के बाद एचईआई के द्वारा शर्तों का पालन न करने पर वित्तीय वर्ष 2004-05 में इस संविदा को समाप्त कर दिया गया। कॉनकॉर ने एचईआई को संविदा के लिए दिए गए असमायोजित अग्रिम के बदले धन वापसी हेतु ₹ 5.99 करोड़ तथा एचईआई के द्वारा संविदा की शर्तों का पालन न करने पर निष्पादन गारंटी ₹ 7.37 करोड़ की राशि भुनवा ली। इस मामले को माध्यस्थम अभिकरण को भेज दिया गया है और अभिकरण में कार्यवाही चल रही है। निष्पादन गारंटी की भुनवा ली गई राशि को 'पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य' के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत आवश्यक, कॉनकॉर ने सीमाशुल्क विभाग के पक्ष में ₹ 22,169.28 करोड़ (गत वर्ष ₹ 20,866.00 करोड़) का 'कस्टोडियन कम कैरियर बॉन्ड' निष्पादित किया है। ये बॉन्ड चल प्रकृति के हैं जिसके लिए सीमाशुल्क विभाग द्वारा दावे प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- पूर्ववर्ती वर्षों की तरह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 आईए के अंतर्गत रेल प्रणाली और आईसीडी (इनलैंड पत्तन) के संबंध में इस वर्ष हेतु कर का प्रावधान ₹ 164.64 करोड़ (गत वर्ष ₹ 118.00 करोड़) की कर कटौती को ध्यान में रखकर किया गया है।
- रेल द्वारा कंटेनरों के परिवहन हेतु 30.07.2010 तक दुलाई खर्च भारतीय रेल को समय-समय पर रेल मंत्रालय द्वारा विहित दरों के अनुसार पाक्षिक आधार पर भुगतान किया गया। हालांकि 31.07.2010 से, भारतीय रेल ने टर्मिनल प्रबंधन प्रणाली प्रारंभ की है जिसके अनुसार दुलाई प्रभार टीएमएस से रेल रसीद बनाने पर भुगतान किया जाता है। रेलवे को भुगतान किए गए देय राशि का सामंजस्य 'आनगोइंग' आधार पर आवधिक रूप से किया जाता है तथा यदि कोई अंतर होता है तो उसे आगामी अवधि हेतु भुगतानों में समायोजित किया जाता है तथा/अथवा रेलवे पर दावे को तरजीह दी जाती है।
- (i) परिचालन से हुई आय में माल-भाड़ा, संचालन, टर्मिनल सेवा-प्रभार, विलंब शुल्क और परिचालन से हुई अन्य आय सम्मिलित हैं और यह आय माफ कर दिए शुल्क (Waivers) की राशि ₹ 0.08 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.50 करोड़) घटाने के बाद की है।
(ii) टर्मिनल एवं अन्य सेवा प्रभारों में रेल माल-भाड़ा, संचालन, सड़क परिवहन तथा अन्य परिचालन व्यय सम्मिलित हैं। इसमें विद्युत एवं ईंधन तथा भंडारों एवं कल-पुर्जे की खपत में क्रमशः ₹ 14.03 करोड़ (गत वर्ष ₹ 14.99 करोड़) तथा ₹ 2.67 करोड़ (गत वर्ष ₹ 2.29 करोड़) भी शामिल हैं।
- (i) ऋण और अग्रिम में सीमाशुल्क और पत्तन न्यास को दी गई राशि ₹ 1.17 करोड़ (गत वर्ष ₹ 1.11 करोड़) सम्मिलित है।
(ii) कर्मचारियों को दिए गए ऋण में ₹ 0.09 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.12 करोड़) सम्मिलित है जो निदेशकों और कंपनी के अधिकारियों की तरफ बकाया है। वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया ₹ 0.11 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.12 करोड़) था।

- वर्ष के दौरान कंपनी ने अतिरिक्त कंटेनरों की नीलामी से ₹ 8.99 करोड़ (गत वर्ष ₹ 18.22 करोड़) वसूले (नीलामी पर व्यय घटाकर वसूले) जिसमें से ₹ 1.71 करोड़ (गत वर्ष ₹ 4.13 करोड़) सीमाशुल्क को देय/अदा किए गए। ₹ 6.02 करोड़ (गत वर्ष ₹ 10.25 करोड़) आय में दर्शाए गए हैं और शेष राशि ₹ 1.26 करोड़ (गत वर्ष ₹ 3.84 करोड़) चल देयताएँ के अंतर्गत दर्शायी गई है।
- पट्टे पर ली गई जमीन पर बनाई गई परिसंपत्ति पर मूल्यहास का प्रावधान कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुरूप है किंतु यह पट्टे पर लेने की अवधि का ध्यान किए बिना किया गया है, चूंकि पट्टे के नवीनीकरण/को आगे बढ़ाए जाने की आशा है।
- 'चल देयताएं-अन्य में कॉनकॉर/व्यवसाय समझौता में विशिष्ट स्थायी परिसंपत्तियों की अधिप्राप्ति हेतु मिली अप्रयुक्त अनुदान ₹ 0.23 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.25 करोड़) शामिल है। स्थायी परिसंपत्तियों की अधिप्राप्ति हेतु वर्ष के दौरान प्राप्त एवं उपयोग की गई पूंजीगत अनुदानों के लिए ₹ 4.25 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.38 करोड़) की राशि को अचल परिसंपत्तियों के सकल मूल्य में से घटा दिया गया है।
- 'बुक ओवरड्राफ्ट' में कंपनी द्वारा जारी किए वे चेक दर्शाए गए हैं जिनका समाशोधन (Clearance) लंबित है। ये चेक बैंकों में फ्लेक्सी/अन्य डिपोजिट के रूप में जमा हैं जिन्हें सावधि जमा के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- वर्ष 1998-99 के दौरान रेल मंत्रालय से प्राप्त राष्ट्रपति के दिशा निर्देशों के अनुपालन में कंपनी ने 'इरवो' को 8.5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर ₹ 2.00 करोड़ का ऋण दिया। इस राशि की वापसी निर्धारित समय-सारिणी के अनुरूप की जा रही है। दिनांक 31.03.2011 को बकाया ऋण राशि शून्य है (गत वर्ष ₹ 0.20 करोड़)।
- कंपनी द्वारा उस भूमि पर, जो अपनी स्वामित्व वाली नहीं है, किंतु जिस पर नियंत्रण एवं कंपनी का है (कृपया अनुसूची-3 का संदर्भ ग्रहण करें), किया गया पूंजीगत व्यय निम्नलिखित है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2011 को	31-03-2010 को
भवन	3.58	6.94
रेल साइडिंग	10.93	10.84
संयंत्र एवं मशीन	3.04	3.04
विद्युत फिटिंग	2.29	2.36
फर्नीचर	0.03	0.03
अन्य	0.17	0.17
योग	20.04	23.38

- (क) वर्ष के दौरान कंपनी ने राजस्व स्वीकरण हेतु लेखाकरण नीति में परिवर्तन किया है। पहले मालभाड़ा, संचालन से हुई आय और संबंधित व्यय का लेखांकन कंटेनरों की बुकिंग के समय किया जाता था। टर्मिनल सेवा प्रभार और घाट-शुल्क का लेखांकन कंटेनरों की प्राप्ति पर/जारी करने के समय पूर्ण सेवा करार प्रणाली के आधार पर किया जाता था। अब रेल मालभाड़ा आय और संबंधित व्यय का लेखांकन भारतीय रेल द्वारा आर आर जारी करने के समय किया जाता है जबकि सड़क परिवहन/संचालन से हुई आय और संबंधित व्यय को लेखांकन कंटेनरों की बुकिंग के समय किया जाता है। टर्मिनल सेवा प्रभार और घाट शुल्क का लेखांकन पूर्ण सेवा करार प्रणाली के आधार पर कंटेनरों की प्राप्ति पर/कंटेनरों को जारी करते समय किया जाता है।
इस परिवर्तन के फलस्वरूप, परिचालन से आय ₹ 9.82 करोड़ कम हो गई, टर्मिनल एवं अन्य सेवा प्रभार ₹ 7.60 करोड़ रुपये एवं कर पूर्व निवल लाभ ₹ 2.22 करोड़ कम हो गया।

- (ख) वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने से नहीं संबंधित भूमि पर पूंजीगत व्यय के परिशोधन से संबंधित लेखाकरण नीति में परिवर्तन किया है। पहले कंपनी से संबंधित नहीं भूमि पर पूंजीगत व्यय को लाभ एवं हानि लेखा में इसकी अनुमानित प्रयोज्यता अवधि या अपेक्षाकृत कम अवधि में जो 5 वर्ष से अधिक न हो, में से जो कमतर हो, बट्टे खाते किया जाता था। इस उद्देश्य के लिए यह मान लिया जाता है कि भूमि का स्वामित्व कंपनी के पास नहीं है, यदि भूमि कंपनी की अपनी स्वामित्व वाली नहीं है या लीज/लाइसेंस पर न हो। अब बनाने योग्य परिसंपत्ति पर पूंजीगत व्यय, जैसे सड़कें, पुलिया और बिजली वितरण आदि

अनुसूची 11 : लेखाओं पर टिप्पणियाँ

जिसका स्वामित्व कंपनी के पास नहीं है, इसे होने वाली लेखा अवधि के राजस्व में प्रभारित किया जाता है। तथापि, बनाने योग्य परिसंपत्ति जिसका स्वामित्व कंपनी के पास है और उस भूमि पर बनाई गई है जिसका स्वामित्व कंपनी का नहीं है, उसे लाभ एवं लेखा में, इसकी अनुमानित प्रयोज्यता अवधि या पांच वर्ष की अवधि में से जो अपेक्षाकृत कम अवधि है, बट्टे खाते किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए भूमि को कंपनी की नहीं माना जाता है यदि वह कंपनी की स्वामित्व वाली/या लीज/लाइसेंस पर नहीं है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप, वर्ष के दौरान मूल्यहास ₹ 41.25 लाभ बढ़ गया तथा समान रूप से कर पूर्व लाभ में कमी हुई।

16. (क) विविध व्यय में अचल परिसंपत्ति की बिक्री से हानि ₹ 94.97 लाख (गत वर्ष ₹ 23.59 लाख) और विनिमय उतार चढ़ाव से (हानि) में ₹ 0.04 लाख (गत वर्ष ₹ 0.05 लाख) सम्मिलित हैं।
- (ख) दावे के निपटान होने तक दुर्घटना में क्षतिग्रस्त वैगनों एवं कंटेनरों को बट्टे खाते में नहीं डाला गया है/वसूल किया गया/वसूल करने योग्य अनुमानित दावा तथा वैगनों के नुकसान के प्रावधान हेतु कुल मिलाकर ₹ 1.36 करोड़ (गत वर्ष ₹ 1.36 करोड़) को वित्त वर्ष 2008-09 से संचित मूल्यहास में समायोजित किया जाता रहा है।
17. (क) हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड तथा मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ बंगलौर में एयरकार्गो परिसर के परिचालन हेतु कंपनी के त्रिपक्षीय व्यवसाय समझौते के अनुसार, 14 जनवरी, 2011 तक (कॉनकॉर के समझौते से अलग होने की तारीख) लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार सत्ता में कंपनी का हिस्सा होने के कारण ₹ 0.45 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.51 करोड़) के नुकसान को 'विविध व्यय' के अंतर्गत लेखाकरण किया गया है। इस तरह समझौते से अलग होने के परिणामस्वरूप, व्यवसाय समझौते में कॉनकॉर के हिस्से का निवेश 'ऋण एवं अग्रिम' लेखाशीर्ष में नामे बना रहेगा।
- (ख) नासिक में एयरकार्गो कॉम्प्लेक्स में आईसीडी के परिचालन हेतु हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लि. के साथ कंपनी ने हॉलकॉन के साथ एक व्यावसायिक प्रबंध किया है। दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के अलेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार हॉलकॉन के लाभ में कंपनी की हिस्सेदारी ₹ 0.08 लाख थी (गत वर्ष ₹ 10.89 लाख) जिसका लेखाकरण 'विविध आय' शीर्ष के अंतर्गत किया गया है।
18. भारतीय रेल/इसकी इकाइयों द्वारा कंपनी के लिए किए जा रहे कार्य का लेखाकरण सामान्यतः पत्राचार/प्राक्कलन/सूचना आदि के आधार पर किया गया है।
19. रेल मंत्रालय के समय-समय पर दिए गए निर्देशानुसार, भारतीय रेल को अदा की गई/अदा की जाने वाली भू-लाइसेंस शुल्क की गणना बीस फुट के समकक्ष (टीईयू) संख्या के आधार पर की जाती है। कॉनकॉर ने वर्ष 1999-2000 से 2003-2004 के बीच खाली कंटेनरों के आंतरिक परिवहन के लिए भारतीय रेल को भू-लाइसेंस शुल्क के रूप में अदा किए गए ₹ 2.82 करोड़ हेतु दावा दायर किया है। तथापि, सावधानी बरतते हुए इस राशि का प्राप्ति/स्वीकार्यता के आधार पर लेखाकरण किया जाएगा।
20. भंडार और अतिरिक्त कल-पुर्जों की राशि में ₹ 2.01 करोड़ (गत वर्ष ₹ 2.16 करोड़) की वे मदें भी सम्मिलित हैं जो विगत 3 वर्षों से प्रयोग में नहीं लाई गईं। ये मदें उनकी विशिष्ट प्रकृति के कारण रखनी आवश्यक हैं और आशयपूर्ण प्रयोग हेतु उपयुक्त हैं।
21. निदेशकों को दिया गया/दिया जाने वाला प्रबंधकीय पारिश्रमिक:

(₹ करोड़ में)

प्रबंधकीय एवं पूर्णकालिक निदेशकगण	2010-11	2009-10
वेतन और भत्ते	1.02	1.57
भत्तों का मूल्य	0.25	0.43
उपदान (ग्रेच्युटी), भविष्यनिधि, पेंशन एवं अवकाश के नकदीकरण के लिए अंशदान	0.17	0.53
योग	1.44	2.53

इसके अतिरिक्त, प्रबंध निदेशक एवं पूर्णकालिक निदेशकों को कंपनी की कार निजी यात्रा के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई है जिसके लिए आवश्यक कटौती समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुरूप की जाती है।

अनुसूची 11 : लेखाओं पर टिप्पणियाँ

22. पूर्व अवधि समायोजन में निम्नलिखित सम्मिलित है :

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2009-10
आय		
परिचालन से आय	1.41	0.52
अन्य आय	0.52	-
योग (क)	1.93	0.52
व्यय		
टर्मिनल एवं अन्य सेवा प्रभार (₹ 1.16 के व्यय की वसूली घटाकर (गत वर्ष ₹ शून्य))	1.68	-
कटौती व्यय	-	0.01
विधिक एवं संव्यावसायिक	-	0.02
मरम्मत एवं अनुरक्षण	0.07	-
मूल्यहास	0.14	-
अन्य	0.03	-
योग (ख)	1.92	0.03
निवल पूर्व अवधि समायोजन (क-ख)	0.01	0.49

23. लाभांश का विदेशी मुद्रा में भुगतान
कंपनी ने इस वर्ष के दौरान लाभांश का कोई भी भुगतान विदेशी मुद्रा में नहीं किया है।

24. विदेशी मुद्रा में किए गए व्यय और आय का विवरण (भुगतान के आधार पर)

(₹ लाख में)

	2010-11	2009-10
(क) विदेशी मुद्रा में व्यय :		
(i) पुस्तक और पत्रिकाएँ	0.28	-
(ii) यात्रा	13.60	19.07
(iii) बैठक एवं सम्मेलन	0.50	2.73
(iv) शुल्क और अभिदान	-	2.55
(ख) सीआईएफ आधार पर आयातित वस्तुओं का मूल्य :		
(i) सामान और अतिरिक्त कल-पुर्जों	26.12	23.15
(ii) पूंजीगत सामान (अग्रिम सहित)	4935.34	5661.49

25. सामान एवं अतिरिक्त कल-पुर्जों के उपयोग पर व्यय:

(₹ करोड़ में)

	2010-11		2009-10	
	राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता
i) आयातित सामान	0.56	21%	0.22	10%
ii) स्वदेशी	2.10	79%	2.07	90%

अनुसूची 11 : लेखाओं पर टिप्पणियाँ

26. इस वर्ष पुरांकित अतिरिक्त प्रावधानों में निम्नलिखित सम्मिलित है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2009-10
(क) रेल माल-भाड़ा और विलंब शुल्क	1.03	2.22
(ख) सड़क माल-भाड़ा	0.20	-
(ग) संचालन	1.38	3.05
(घ) टर्मिनल एवं सेवा शुल्क	0.44	0.15
(ङ.) सीमाशुल्क लागत वसूली	0.97	0.17
(च) दरें और कर	8.68	0.19
(छ) नीलामी	2.34	1.04
(ज) घटौती एवं छूट	4.13	1.31
(झ) बकाया वेतन	3.11	0.76
(ट) अन्य	5.38	6.85
योग	27.66	15.74

27. कंपनी को आपूर्तिदाताओं से माइक्रो, स्माल एंड मिडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट, 2006 के अंतर्गत उनकी स्थिति के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है और इसलिए उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रकटन नहीं किया गया है।
28. (क) वित्तीय वर्ष 2008-09 में राष्ट्रपति के दिशानिर्देश के अनुसार कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में दिनांक 1 जनवरी, 2007 से संशोधन किया गया है। इन दिशानिर्देशों के फलस्वरूप पात्र कर्मचारियों को भुगतान किया जा चुका/रहा है।
- (ख) द्वितीय वेतन समिति की संस्तुतियों के संबंध में डीपीई परिपत्र के फलस्वरूप कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए एक पेंशन योजना को तैयार करने जा रही है। चूंकि इस योजना को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, कंपनी के योजना हेतु अंशदान के लिए ₹ 4.03 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.50 करोड़) का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।
- (ग) सीमाशुल्क लागत वसूली एवं संरक्षा व्यय आदि हेतु सरकार को देय राशि के संबंध में वेतन संशोधन के प्रभाव लेखाकरण उस समय किया जाता है जब इसके दावे का अंतिम निपटान किया जाता है।
29. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग (II) की धारा 3 की अन्य उपधाराओं में अपेक्षित सूचना देने संबंधी प्रकटन का प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि कॉनकॉर विनिर्माण करने वाली कंपनी नहीं है।
30. भारत सरकार की एसएफआईएस योजना के अंतर्गत कंपनी ने वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान ₹ 82.46 करोड़ राशि की (मई 2009 में ₹ 29.75 करोड़ एवं फरवरी 2010 में ₹ 52.71 करोड़) ड्यूटी क्रेडिट हकदारी स्क्रिप्स प्राप्त किया। योजना के अनुसार इन स्क्रिप्सों का घरेलू खरीदों पर उत्पाद शुल्क के भुगतान तथा पूंजीगत माल के आयात हेतु क्रेडिट ड्यूटी के लिए दो वर्षों के अंदर उपयोग किया जा सकता है। चालू वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान, ₹ 14.24 करोड़ (गत वर्ष ₹ 8.28 करोड़) की राशि पूंजीगत माल के आयात पर सीमाशुल्क क्रेडिट हेतु तथा ₹ 17.41 करोड़ (गत वर्ष ₹ 7.87 करोड़) घरेलू क्रय पर उत्पाद शुल्क क्रेडिट के लिए उपयोग किया गया है जिससे 31.03.2011 तक ₹ 34.66 करोड़ शेष बचे है। वर्ष के दौरान कोई भी समाप्त राशि नहीं है जिसका उपयोग न किया गया हो (गत वर्ष ₹ 33.12 करोड़)।
- चालू वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान, कंपनी ने सितंबर, 2010 में ₹ 99.18 करोड़ की अतिरिक्त एसएफआईएस स्क्रिप्स प्राप्त की। इस प्रकार से 31.03.2011 तक संचयी शेष ₹ 133.84 करोड़ है (गत वर्ष ₹ 66.31 करोड़)।
31. सरकार ने दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तों) नियम 2002, भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकरण अधिनियम, 1996 और भवन एवं अन्य निर्माण कामगार उपकरण नियम, 1998 के अंतर्गत उपबंधों के तहत भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों पर उपकरण लगा दिया है। ऐसे उपकरण कुछ अन्य राज्यों द्वारा भी लगाए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान दिल्ली सरकार के श्रम विभाग से नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें 1996 के बाद से उपकरण हेतु ₹ 46.05 लाख का भुगतान करने

अनुसूची 11 : लेखाओं पर टिप्पणियाँ

को कहा गया है। चूंकि उपकरण वसूलने की बजट अधिसूचना अगस्त 2005 में प्रकाशित हुई थी, उस तिथि से देयता राशि ₹ 4.13 लाख को जमा कर दिया गया है जोकि संविदाकारों से वसूलने योग्य है।

32. कंपनी ने 1 अप्रैल, 2007 से आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकरण मानक 15 – कर्मचारी हितलाभ (संशोधित 2005) को अपना लिया है। उपर्युक्त लेखाकरण मानक के अनुसार आवश्यक प्रकटन निम्नलिखित हैं –

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं:

- (i) भविष्यनिधि हेतु नियोक्ता का अंशदान
(ii) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 हेतु नियोक्ता का अंशदान

कंपनी एक अलग ट्रस्ट को पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्यनिधि हेतु निर्धारित अंशदान अदा करती है जो इस निधि को अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश करता है। अवधि विशेष के लिए निधि हेतु अंशदान को व्यय दर्शाया जाता है और इसे लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। ऐसे निर्धारित अंशदान हेतु कंपनी की बाध्यता सीमित है। तथापि, सदस्य को उसके अंशदान हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम ब्याज दर पर भुगतान करना ट्रस्ट द्वारा आवश्यक है। इस वर्ष के दौरान कंपनी ने लाभ और हानि लेखा में निम्नलिखित राशियों को दर्शाया है –

- (i) भविष्यनिधि में नियोक्ता का अंशदान – ₹ 3.93 करोड़ (गत वर्ष ₹ 4.42 करोड़)
(ii) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में नियोक्ता का अंशदान ₹ 0.79 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.78 करोड़)

(ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं:

उपदान:

कंपनी में परिभाषित हितलाभ उपदान योजना लागू है जिसे उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत चलाया जाता है। यह योजना कंपनी द्वारा वित्त पोषित है और इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। इसके लिए देयता की गणना बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

अवकाश यात्रा रियायत:

कंपनी अपने कर्मचारियों को एलटीसी की सुविधा प्रदान करती है जिसे इस संबंध में बनाई गई नीति के अनुसार दिया जाता है। इस सुविधा हेतु देयता का लेखाकरण उपचित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

अवकाश नकदीकरण:

कंपनी में अपने कर्मचारियों के लिए परिभाषित हितलाभ अवकाश नकदीकरण योजना लागू है। इस योजना के अंतर्गत वे अपने अर्जित अवकाश और एक निर्धारित सीमा तक चिकित्सा अवकाश तथा इसके लिए निर्धारित अन्य शर्तों के अनुसार नकदीकरण करा सकने के पात्र हैं। अवकाश नकदीकरण की देयता का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा सुविधाएं :

कंपनी ने एक मेडिकल ट्रस्ट बनाया है जो अपने कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु उनकी पात्रता को प्रचलित चिकित्सा नीति के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इसके लिए देयता का स्वीकरण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

दीर्घ अवधि की मेडिकल देयता :

प्रचलित मेडिकल पॉलिसी के अनुसार कर्मचारी वर्ष में अपने एक माह के मूल वेतन+महंगाई भत्ते के बराबर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार है। यदि किसी वर्ष विशेष में कर्मचारी अपनी पूरी स्वीकृत राशि खर्च नहीं कर पाता है तो शेष राशि को आगामी वर्षों में अग्रेषित कर दिया जाता है। इसकी देयता का स्वीकरण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

- (ग) सारांश स्थिति: लाभ और हानि लेखा, तुलन-पत्र और निधियों की स्थिति में दर्शाए गए विभिन्न परिभाषित हितलाभों का विवरण निम्नलिखित है:

अनुसूची 11 : लेखाओं पर टिप्पणियाँ

लाभ और हानि लेखा में दर्शाए गए व्यय:

(₹ लाख में)

	उपदान (वित्त पोषित)		अवकाश नकदीकरण (गैर वित्त पोषित)		सेवानिवृत्त पश्चात् चिकित्सा हितलाभ (वित्त पोषित)	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
	वर्तमान सेवा लागत	124.99	116.54	180.78	183.47	-
हितलाभ दायित्व पर ब्याज लागत	107.64	74.70	152.02	89.53	-	-
योजनागत परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ	(94.87)	(72.51)	-	-	-	-
निवल बीमाकिक (लाभ)/(हानि)	(2.91)	132.10	(6.11)	509.67	-	-
लाभ और हानि लेखा में दर्शाए गए व्यय	134.85	250.83	326.69	782.67	-	-
तुलन-पत्र में दर्शायी गई राशि:						
31 मार्च को दायित्वों की वर्तमान कीमत (i)	1498.58	1308.35	1977.94	1847.77	10.17	-
31 मार्च को योजनागत परिसंपत्ति की उचित कीमत (ii)	1375.96	1069.76	-	-	-	-
अंतर (ii) - (i)	(122.62)	(238.59)	(1977.94)	(1847.77)	(10.17)	-
तुलन-पत्र में दर्शायी गई निवल परिसंपत्ति/(देयताएं)	(122.62)	(238.59)	(1977.94)	(1847.77)	(10.17)	-
परिभाषित हितलाभ दायित्व की वर्तमान कीमत में परिवर्तन:						
1 अप्रैल को दायित्व की वर्तमान कीमत	1308.35	995.95	1847.80	1193.74	10.17	-
ब्याज लागत	107.64	74.70	152.02	89.54	-	-
वर्तमान सेवा लागत	124.99	116.54	180.78	183.46	-	-
अदा किए गए हितलाभ	(39.49)	(10.96)	(196.52)	(128.64)	-	-
दायित्वों पर निवल बीमाकिक (लाभ)/(हानि)	(2.90)	132.12	(6.11)	509.67	-	-
31 मार्च को परिभाषित हितलाभ दायित्व की वर्तमान कीमत	1498.58	1308.35	1977.94	1847.77	10.17	-
योजनागत परिसंपत्ति की उचित कीमत में परिवर्तन						
1 अप्रैल को योजनागत परिसंपत्ति की उचित कीमत	1069.76	587.11	-	-	-	-
योजनागत परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ	-	72.51	-	-	-	-
नियोक्ता द्वारा अंशदान	250.83	421.07	-	-	-	-
अदा किए गए हितलाभ	(39.49)	(10.96)	-	-	-	-
बीमाकिक (लाभ)/(हानि)	-	0.03	-	-	-	-
31 मार्च को योजनागत परिसंपत्ति की उचित कीमत	1375.96	1069.76	-	-	-	-

अनुसूची 11 : लेखाओं पर टिप्पणियाँ

लाभ और हानि लेखा में दर्शाए गए व्यय :

(₹ लाख में)

	ब्याज गारंटी देयता पीएफ (गैर वित्त पोषित)		दीर्घ अवधि चिकित्सा देयता (गैर वित्त पोषित)		अवकाश यात्रा रियायत (गैर वित्त पोषित)	
	2010.11	2009.10	2010.11	2009.10	2010.11	2009.10
	वर्तमान सेवा लागत	-	-	-	-	29.45
हितलाभ दायित्व पर ब्याज लागत	-	-	-	-	4.91	4.39
योजनागत परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ	-	-	-	-	-	-
निवल बीमाकिक (लाभ)/(हानि)	-	-	-	-	32.21	6.42
लाभ और हानि लेखा में दर्शाए गए व्यय	-	-	-	-	65.97	43.88
तुलन पत्र में दर्शायी गई राशि						
31 मार्च का दायित्वों की वर्तमान कीमत (1)	128.16	118.41	206.91	-	62.05	65.52
31 मार्च का योजनागत परिसंपत्ति की उचित कीमत (2)	-	-	-	-	-	-
अंतर (2) - (1)	(128.16)	(118.41)	(206.91)	-	(62.05)	(65.52)
तुलन पत्र में दर्शायी गई निवल परिसंपत्ति/(देयताएं)	(128.16)	(118.41)	(206.91)	-	(62.05)	(65.52)
परिभाषित हितलाभ दायित्व की वर्तमान कीमत में परिवर्तन :						
1 अप्रैल को दायित्व की वर्तमान कीमत	118.41	118.41	206.91	-	65.52	58.50
ब्याज लागत	-	-	-	-	4.91	4.39
वर्तमान सेवा लागत	-	-	-	-	29.45	33.07
अदा किए गए हितलाभ	-	-	-	-	(70.04)	(36.85)
दायित्व पर निवल बीमाकिक (लाभ)/(हानि)	9.75	-	-	-	32.21	6.42
31 मार्च को परिभाषित हितलाभ दायित्व की वर्तमान कीमत	128.16	118.41	206.91	-	62.05	61.52
योजनागत परिसंपत्ति की उचित कीमत में परिवर्तन						
1 अप्रैल को योजनागत परिसंपत्ति की उचित कीमत	-	-	-	-	-	-
योजनागत परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ	-	-	-	-	-	-
नियोक्ता द्वारा अंशदान	-	-	-	-	-	-
अदा किए गए हितलाभ	-	-	-	-	-	-
बीमाकिक (लाभ)/(हानि)	-	-	-	-	-	-
31 मार्च को योजनागत परिसंपत्ति की उचित कीमत	-	-	-	-	-	-

अनुसूची 11 : लेखाओं पर टिप्पणियाँ

(घ) योजनागत परिसंपत्ति का विवरण : योजनागत परिसंपत्ति (उपदान) की लागत का विवरण निम्नलिखित है :

	31.03.2011 को	(₹ लाख में)	31.03.2010 को
(1) राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	99.25		49.35
(2) केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ	252.01		213.01
(3) निगम बांड / ऋण-पत्र	850.81		670.26
(4) अन्य	13.91		133.94
	1215.98		1066.56

(ङ) बीमांकिक पूर्वानुमान : बीमांकिक मूल्यांकन हेतु प्रयोग में लाए गए प्रमुख पूर्वानुमान :

1. दीर्घ अवधि चिकित्सा देयता			
अवधि	2010-11		2009-10
छूट	8% प्रति वर्ष		
सामान्य सेवानिवृत्त आयु	60 वर्ष		
मृत्यु संख्या	एलआईसी 94-96 एल्टिमेट		
प्रतिलाभ की अपेक्षित दर	0		
निकासी दर (प्रति वर्ष)	2.00% प्रति वर्ष (18 से 60 वर्ष)		
2. अवकाश का नकदीकरण			
अवधि	2010-11		2009-10
छूट दर	8.25 % प्रति वर्ष		7.50%
वेतन वृद्धि दर	5.00 % प्रति वर्ष		5.00%
मृत्यु संख्या	एलआईसी 94-96 एल्टिमेट		एलआईसी 94-96 एल्टिमेट
प्रतिलाभ की अपेक्षित दर	0		0
निकासी दर (प्रति वर्ष)	2.00% प्रति वर्ष (18 से 60 वर्ष)		3.00% प्रति वर्ष (30 वर्ष तक)
			2.00% प्रति वर्ष (31 से 44 वर्ष तक)
			1.00% प्रति वर्ष (44 वर्ष से ऊपर)
3. सेवानिवृत्त पश्चात चिकित्सा हितलाभ			
अवधि	2010-11		2009-10
छूट दर	8.00% प्रति वर्ष		
सेवानिवृत्ति पश्चात् मृत्यु संख्या	एलआईसी 96-98 एन्यूजेंट्स एल्टिमेट		
4. ब्याज गारंटी देयता पीएफ			
अवधि	2010-11		2009-10
छूट दर	8 % प्रति वर्ष		
5. उपदान			
अवधि	2010-11		2009-10
छूट दर	8.25 % प्रति वर्ष		7.50%
वेतन वृद्धि दर	5.00 % प्रति वर्ष		5.00%
मृत्यु संख्या	एलआईसी 94-96 एल्टिमेट		एलआईसी 94-96 एल्टिमेट
प्रतिलाभ की अपेक्षित दर	7.76%		12.35%
निकासी दर (प्रति वर्ष)	2.00% प्रति वर्ष (18 से 60 वर्ष)		3.00% प्रति वर्ष (30 वर्ष तक)
			2.00% प्रति वर्ष (31 से 44 वर्ष तक)
			1.00% प्रति वर्ष (44 वर्ष से ऊपर)
6. अवकाश यात्रा रियायत			
अवधि	2010-11		2009-10
छूट दर	7.5 % प्रति वर्ष		7.50%
वेतन वृद्धि दर	5.00 % प्रति वर्ष		5.00%
मृत्यु संख्या	एलआईसी 94-96 एल्टिमेट		एलआईसी 94-96 एल्टिमेट
निकासी दर (प्रति वर्ष)	3.00% प्रति वर्ष (30 वर्ष तक)		3.00% प्रति वर्ष (30 वर्ष तक)
	2.00% प्रति वर्ष (31 से 44 वर्ष तक)		2.00% प्रति वर्ष (31 से 44 वर्ष तक)
	1.00% प्रति वर्ष (44 वर्ष से ऊपर)		1.00% प्रति वर्ष (44 वर्ष से ऊपर)

अनुसूची 11 : लेखाओं पर टिप्पणियाँ

33. लेखाकरण मानक - 17 के अंतर्गत खण्डवार सूचना :

(क) प्राथमिक खण्ड : इस कंपनी को अखिल भारतीय आधार पर दो मुख्य परिचालन प्रभागों - आयात-निर्यात प्रभाग और आंतरिक प्रभाग में बाँटा गया है। इन दोनों प्रभागों के आधार पर कंपनी अपने प्राथमिक सूचना खण्ड का प्रतिवेदन करती है। कंपनी के ये दोनों प्रभाग संचालन, परिवहन और भंडारगारण गतिविधियों में संलिप्त हैं।

आयात-निर्यात और आंतरिक खण्डों से सीधे संबंधित राजस्व और व्यय को दोनों खण्डों में विनियोजित किया गया है। संयुक्त राजस्व और व्यय को उचित आधार पर विनियोजित किया गया है। परिसंपत्ति खण्ड में सभी परिचालन परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जिसे किसी खण्ड द्वारा प्रयोग किया जाता है और जिसमें मुख्यतः माल-सूची, विविध देनदार, नकद एवं बैंक अधिशेष, ऋण एवं अग्रिम, अन्य चल परिसंपत्ति और प्रावधानों पश्चात् निवल अचल परिसंपत्ति शामिल हैं। इसी प्रकार, खण्ड-देयताओं में सभी परिचालन देयताएँ और मुख्यतः विविध लेनदार, ग्राहकों से लिया गया अग्रिम, अन्य देयताएँ एवं प्रावधान शामिल हैं। हालांकि, खण्ड परिसंपत्ति और देयताओं में करों हेतु प्रावधान सम्मिलित नहीं है। संयुक्त परिसंपत्ति और देयताओं को खण्डों में उचित आधार पर विनियोजित किया गया है।

प्राथमिक प्रतिवेदन प्रपत्र में व्यावसायिक खण्डों से संबंधित सूचना निम्नलिखित है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	आयात-निर्यात		आंतरिक		अविनियोज्य		योग	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
राजस्व								
खण्ड राजस्व	2991.45	2898.49	836.67	807.19	-	-	3828.12	3705.68
परिणाम								
खण्ड परिणाम	824.41	759.11	78.67	112.06	-	-	903.08	871.17
निगम व्यय				46.87	44.63	46.87	44.63	
परिचालन से लाभ							856.21	826.54
ब्याज एवं अन्य					202.06	180.05	202.06	180.05
आयकर					179.77	219.92	179.77	219.92
पूर्व अवधि समायोजन (निवल)					0.01	0.49	0.01	0.49
पूर्ववर्ती वर्षों के लिए कर समायोजन (निवल)					(2.56)	(0.47)	(2.56)	(0.47)
निवल लाभ							875.95	786.69
अन्य सूचना								
खण्ड परिसंपत्ति	1778.16	1708.41	591.50	599.27	-	-	2369.66	2307.68
अविनियोजित निगम परिसंपत्ति					3387.42	2875.53	3387.42	2875.53
कुल परिसंपत्ति							5757.08	5183.21
खण्ड देयताएँ	258.35	302.94	90.33	94.02	-	-	348.68	396.96
अविनियोजित निगम देयताएँ					5408.40	4786.25	5408.40	4786.25
कुल देयताएँ							5757.08	5183.21
पूँजीगत व्यय	238.18	225.49	47.61	122.13	24.67	2.73	310.46	350.35
मूल्यहास	106.87	100.19	36.95	33.01	1.41	1.90	145.23	135.10
मूल्यहास के अतिरिक्त गैर-नकदी व्यय	1.68	0.14	0.09	0.04	(0.03)	0.08	1.74	0.26

टिप्पणी (या) :-

- किसी भी खण्ड में पूर्व अवधि समायोजन का आवंटन नहीं किया गया है।
- गैर आवंटित निगमित देयताओं में ₹ 4,977.81 करोड़ (गत वर्ष ₹ 4,336.40 करोड़) शेरधारकों की निधि हेतु राशि शामिल है।

(ख) द्वितीय खण्ड : चूंकि कंपनी का परिचालन भारतवर्ष के भौगोलिक क्षेत्र में ही सीमित है, अतः इसका कोई प्रतिवेदनीय द्वितीय खण्ड नहीं है।

अनुसूची 11 : लेखाओं पर टिप्पणियाँ

34. लेखाकरण मानक – 18 के अंतर्गत संबंधित पार्टों का प्रकटन :

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक : कंपनी के निदेशकगण

(₹ लाख में)

संबंधित पार्टों का नाम	लेन-देन का प्रकार (प्रतिपूर्ति छोड़कर)			
	भत्तों सहित अदा किया गया पारिश्रमिक		ऋण एवं प्राप्य अग्रिम	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
i) पूर्णकालिक निदेशकगण:				
अनिल कुमार गुप्ता, प्रबंध निदेशक 31.12.2009 से	41.02	44.93	1.65	2.13
राकेश मेहरोत्रा, पूर्व प्रबंध निदेशक 31.10.2009 तक	-	59.93	-	-
सुरेश कुमार, पूर्व निदेशक(वित्त) 30.06.2009 तक	-	23.30	-	-
पी अल्लि रानी, निदेशक (वित्त) 31.08.2009 से	30.29	31.89	4.36	5.74
हरप्रीत सिंह, निदेशक (परि. एवं सेवाएं)	40.07	49.06	2.77	3.31
यश वर्धन, निदेशक (अंत. वि. एवं परि.)	33.02	43.51	-	-
ii) नामित स्वतंत्र निदेशक	बैठक शुल्क			
जनत शाह (01.01.2008 से)	1.20	0.80		
एस.बालाचंद्रन (01.01.2008 से)	1.00	1.80		
वी. संजीवी (01.01.2008 से)	2.00	2.40		
टी. आर. डूंगाजी (04.04.2008 से)	1.80	2.20		
एम.एस. खान (केवल एक बैठक)	0.20	-		

ख) संयुक्त उद्यम :

- स्टॉर ट्रेक टर्मिनल्स प्रा.लि.
- ट्राईडेंट टर्मिनल्स प्रा.लि.
- अल्बार्ट्रेस सीएफएस प्रा.लि.
- गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्रा.लि.
- जेडब्ल्यूजी-एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (एक व्यावसायिक व्यवस्था) (#)
- हिमालयन टर्मिनल्स प्रा.लि. (विदेशी संयुक्त उद्यम)
- सीएमए-सीजीएम लॉजिस्टिक्स पार्क (दादरी) प्रा.लि.
- हॉलकॉन (एक व्यावसायिक व्यवस्था)
- इंडिया गेटवे टर्मिनल प्रा.लि.
- इंटिग्रेटेड इंफ्रा लॉग प्रा.लि. (*)
- इंफिनिट लॉजिस्टिक्स सोल्यूशन प्रा.लि.
- हिंद कॉनकॉर टर्मिनल्स (दादरी) प्रा.लि.
- कंटेनर गेटवे लि.
- ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स पार्क प्रा.लि.
- कॉनयक कॉरट्रेक प्रा.लि.

(#) 14 जनवरी, 2011 से व्यवसाय व्यवस्था समाप्त कर दी गई।

(*) आरओसी में से कंपनी का नाम निकाले जाने के परिणामस्वरूप, संयुक्त उद्यम कंपनी में निवेश बड़े खाते किया गया।

अनुसूची 11 : लेखाओं पर टिप्पणियाँ

ग) पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कंपनी : फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राइजेज लि.

उपर्युक्त (ख) और (ग) पर उल्लिखित पार्टियों से संबंधित अंतरण

(₹ लाख में)

	संयुक्त उद्यम		सहायक कंपनी	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
किराया, अनुरक्षण प्रभार, ब्याज तथा लाभांश से प्राप्त/प्राप्य आय	760.21	282.18	-	-
मान्य आय में शेर्यर	(44.90)	(39.73)	-	-
वर्ष के दौरान निवेश (निवल)	430.10	3745.67	-	-
संयुक्त उद्यम हेतु बीजी/विड बॉन्ड्स	126.32	167.92	-	-
31 मार्च को शेष				
- प्राप्त प्रतिभूति जमा	204.92	204.92	-	-
- चल परिसंपत्ति ऋण एवं अग्रिम	46.49	197.11	2814.33	3364.33
- निवेश	19558.34	19215.24	4838.00	4838.00
- चल देयताएं तथा प्रावधान	16.95	10.72	-	-

35. लेखाकरण मानक – 19 के अंतर्गत पट्टे

i) पट्टे/किराए पर ली गई परिसंपत्ति

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2009-10
(क) दिनांक 01.04.2011 या इसके बाद पट्टे पर ली गई दिनांक परिसंपत्ति पर तुलन-पत्र की तिथि से, अनिरसनीय (नॉनकैन्सलेबल) परिचालित पट्टे के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टे का भुगतान		
(i) एक वर्ष से अधिक नहीं	0.83	2.22
(ii) एक वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष से अधिक नहीं	-	1.01
(iii) 5 वर्ष से अधिक	-	-
(ख) लेखाओं में पट्टा-भुगतान ₹ 18.14 करोड़ दर्शाया गा है (गत वर्ष ₹ 17.51 करोड़)		
(ग) लेखाओं में उप-पट्टों (सब लीज)/वसूली ₹ 0.41 करोड़ दर्शाया गई है (गत वर्ष ₹ 0.12 करोड़) परिचालित पट्टे कंटेनरों, कार्यालय परिसरों और स्टॉफ को मुहैया कराए गए आवास से संबंधित हैं। प्रत्येक मामले में पट्टा-करार की अवधि भिन्न भिन्न है।		
ii) पट्टे/किराए पर ली गई परिसंपत्ति :		
	2010-11	2009-10
सकल चल राशि (भवन एवं भंडारागार)	22.63	22.63
संचयी मूल्यहास	4.67	4.22
वर्ष के दौरान मूल्यहास	0.45	0.45

36. प्रति शेर्यर अर्जन: लेखाकरण मानक 20 के अनुसार प्रति शेर्यर अर्जन की गणना निम्नलिखित है:

	2010-11	2009-10
लाभ एवं हानि लेखा के अनुसार कराधान पश्चात्		
लाभ, पूर्व अवधि समायोजन और पूर्ववर्ती वर्षों हेतु कर समायोजन (₹ करोड़ में)	875.95	786.69
₹ 10/- की कीमत वाले इक्विटी शेर्यरों की भारत और संख्या	129,982,794	129,982,794
प्रत्येक शेर्यर से मूल एवं कमतर अर्जन (₹ में)	67.39	60.52

अनुसूची 11 : लेखाओं पर टिप्पणियाँ

37. लेखाकरण मानक – 22 के अंतर्गत आय पर करों का लेखाकरण :
आस्थगित कर परिसंपत्ति एवं देयताओं के संघटक :

	(₹ करोड़ में)	
	2010-11	2009-10
i. आस्थगित कर देयताएँ : लेखा पुस्तिकाओं और कराधान मूल्यहास में अंतर	242.77	224.22
ii. आस्थगित कर परिसंपत्ति : धारा 43 बी के अंतर्गत व्यय संदेहास्पद अग्रिम/उधार/भंडार हेतु प्रावधान अन्य	9.11 1.50 3.41	11.57 1.28 0.47
	14.02	13.32
iii. निवल आस्थगित कर देयता [i-ii]	228.75	210.90

38. संयुक्त उद्यम में अधिकार संबंधी वित्तीय रिपोर्ट – लेखाकरण मानक – 27 :
(क) कंपनी के संयुक्त उद्यमों का संक्षिप्त विवरण, जहाँ कंपनी ने निवेश किया है –

विवरण	किस देश में गठन हुआ	अंशधारिता (%)
स्टॉर ट्रेक टर्मिनल्स प्रा.लि. : दादरी, यू.पी. में एक सीएफएस की स्थापना करने एवं उसे चलाने हेतु मैसर्स मर्सक इंडिया प्रा.लि. के साथ संयुक्त उद्यम।	भारत	49
ट्राईडेंट टर्मिनल्स प्रा.लि. : दादरी, यू.पी. में सीएफएस हेतु ट्रांसवर्ल्ड ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम।	भारत	49
अल्बार्ट्रास सीएफएस प्रा. लि. : दादरी, यू.पी. में सीएफएस हेतु ट्रांसवर्ल्ड ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम।	भारत	49
गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्रा.लि. : जे.एन.पत्तन, मुंबई में 'थर्ड बर्थ' हेतु मर्सक एएस, कोपनहेगन के साथ संयुक्त उद्यम।	भारत	26
@ जेडब्ल्यूजी-एयरकार्गो कॉम्प्लेक्स : बेंगलूर में एयरकार्गो व्यवसाय हेतु हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. और मैसर्स मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लि. के साथ व्यावसायिक व्यवस्था।	भारत	33.33
हिमालयन टर्मिनल्स प्रा.लि. : बीरगंज (नेपाल) में रेल कंटेनर टर्मिनल के प्रबंधन और परिचालन हेतु नेपालीज इंटरप्राइजेज (नेपाल का इंटरस्टेट मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट प्रा.लि. और नेपाल ट्रांजिट एंड वेयरहाउस कंपनी लि.) के साथ संयुक्त उद्यम।	नेपाल	40
# सीएमए-सीजीएम लॉजिस्टिक्स पार्क (दादरी) प्रा.लि. : दादरी, यू.पी. में सीएफएस हेतु 'एम्या लॉजिस्टिक्स प्रा. लि.' (गत वर्ष : सीएमए-सीजीएम ग्लोबल इंडिया प्रा. लि.) के साथ संयुक्त उद्यम।	भारत	49
हॉलकॉन : ओजर एयरपोर्ट, नासिक में एयरकार्गो कॉम्प्लेक्स एवं आईसीडी के परिचालन हेतु हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. के साथ व्यावसायिक व्यवस्था।	भारत	50
इंडिया गेटवे टर्मिनल प्रा.लि. : कोचीन में कंटेनर टर्मिनलों की स्थापना हेतु दुबई पोर्ट इंटरनेशनल के साथ संयुक्त उद्यम	भारत	15
* इंटीग्रेटेड इंफ्रा लॉग प्रा.लि. : संभारतंत्र अवसंरचना स्थापित करने, अधिग्रहण करने, विकसित करने, प्रबंध करने व रख-रखाव संबंधी कार्य को करने के लिए आईएल एंड एफएस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि. के साथ संयुक्त उद्यम	भारत	50

अनुसूची 11 : लेखाओं पर टिप्पणियाँ

हिंद कॉनकॉर टर्मिनल्स (दादरी) प्रा.लि. : दादरी, यू.पी. में सीएफएस हेतु मैसर्स हिंद टर्मिनल्स प्रा. लि. के साथ संयुक्त उद्यम।	भारत	49
इंफिनिट लॉजिस्टिक्स सोल्यूशन्स प्रा.लि. : यह संयुक्त उद्यम ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के साथ गठित किया गया है ताकि देशभर में लॉजिस्टिक्स फ्रेट टर्मिनलों को स्थापित किया जा सके और समेकित लॉजिस्टिक्स सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।	भारत	49
कंटेनर गेटवे लि. : गेटवे रेल फ्रेट प्रा. लि. के साथ गद्दी हरसरू, गुडगांव (हरियाणा) में विद्यमान रेलसड़क मार्ग से जुड़े कंटेनर टर्मिनल के परिचालन हेतु संयुक्त उद्यम।	भारत	49
ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स पार्क प्रा. लि. : दादरी में सीएफएस की स्थापना एवं उसे चलाने हेतु ऑलकार्गो ग्लोबल लॉजिस्टिक्स लि. के साथ संयुक्त उद्यम।	भारत	49
## कॉनयक कॉरट्रेक प्रा. लि. : पूर्णतः तैयार यूनिट वाहन संभारतंत्र के निर्माण के विकास के व्यवसाय की स्थापना तथा उसके काम के लिए एनवाईके ऑटो लॉजिस्टिक्स (इंडिया) लिमिटेड (गत वर्ष : एनवाईके लाईन (इंडिया) लिमिटेड) के साथ संयुक्त उद्यम।	भारत	50

@ 14 जनवरी, 2011 से व्यवसाय व्यवस्था समाप्त कर दी गई।

वर्ष के दौरान, 'एम्या लॉजिस्टिक्स प्रा. लि.' द्वारा सीएमए सीजीएम ग्लोबल इंडिया प्रा.लि. से संयुक्त उद्यम में 51% शेयरधारिता प्राप्त की गई।

* आरओसी में से कंपनी का नाम निकाले जाने के परिणामस्वरूप संयुक्त उद्यम कंपनी में निवेश बट्टे खाते किया गया।

वर्ष के दौरान, 'एनवाईके ऑटो लॉजिस्टिक्स (इंडिया) लि.' द्वारा एनवाईके लाईन (इंडिया) लि. से संयुक्त उद्यम में 50% शेयरधारिता प्राप्त की गई।

(ख) उपर्युक्त संयुक्त उद्यमों में परिसंपत्ति, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं एवं पूंजी प्रतिबद्धताओं में उपलब्ध जानकारी के अनुसार कॉनकॉर की अंशधारिता:

(₹ लाख में)

	परिसंपत्ति	देयताएँ	आय	व्यय	आकस्मिक देयताएं एवं पूंजीगत प्रतिबद्धताएं
स्टॉर ट्रेक टर्मिनल्स प्रा. लि.	1170.90 (1249.88)	307.31 (553.02)	938.76 (1251.73)	778.56 (1008.83)	- (350.42)
ट्राईडेंट टर्मिनल्स प्रा. लि.	799.37 (824.76)	623.99 (628.90)	281.08 (271.11)	299.72 (251.06)	- (2695.00)
अल्बार्ट्रास सीएफएस प्रा. लि.	1299.08 (1254.00)	261.03 (751.37)	1557.30 (1642.89)	1373.75 (1455.71)	254.59 (256.18)
*गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्रा. लि.	25,753.45 (30,662.84)	15,647.60 (19,944.32)	10,879.16 (10,414.89)	10,046.54 (9529.15)	22,820.74 (23,318.16)
^जेडब्ल्यूजी-एयरकार्गो कॉम्प्लेक्स	-	-	35.10 (0.24)	80.16 (17.11)	- -
#हिमालयन टर्मिनल्स प्रा.लि.	238.88 (114.03)	90.47 (105.73)	487.78 (387.36)	346.54 (317.36)	- -
सीएमए-सीजीएम लॉजिस्टिक्स पार्क (दादरी) प्रा. लि.	864.16 (739.22)	327.46 (413.31)	899.00 (782.37)	674.15 (576.13)	245.00 (245.00)
हॉलकॉन	328.01 (403.46)	20.15 (95.69)	95.92 (144.06)	95.83 (133.17)	- -

अनुसूची 11 : लेखाओं पर टिप्पणियाँ

	परिसंपत्ति	देयताएँ	आय	व्यय	आकस्मिक देयताएँ एवं पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ
इंडिया गेटवे टर्मिनल प्रा. लि.	15,702.26 (10,884.67)	9494.74 (6222.49)	1591.89 (1379.50)	2423.34 (1730.88)	- (7525.91)
इंटिग्रेटेड इफ्रा लॉग प्रा. लि.	- (-)	- (-)	- (-)	- (0.29)	- (-)
हिंद कौनकॉर टर्मिनल्स प्रा. लि.	24.10 (101.56)	0.12 (15.81)	- (-)	- (-)	- (-)
इंफिनिट लॉजिस्टिक्स सोल्यूशन्स प्रा. लि.	82.29 (80.37)	5.74 (2.64)	8.54 (4.53)	9.71 (3.88)	- -
ऑलकागौ लॉजिस्टिक्स पार्क प्रा. लि.	656.15 (120.08)	39.53 (6.56)	- (-)	- (-)	- (396.68)
कॉनयक कॉरट्रेक प्रा लिमिटेड	179.32 (6.59)	3.36 (1.68)	1.91 (1.58)	3.14 (1.67)	- -
कंटेनर गेटवे लिमिटेड	6.40 (6.24)	1.50 (1.34)	- -	- -	- -

उपर्युक्त तालिका में:

- गत वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दिए गए हैं।
 - चालू वर्ष के आंकड़े अलेखापरीक्षित हैं।
 - *चालू वर्ष के आंकड़े दिनांक 31 दिसंबर, 2010 को समाप्त 9 महीने के लिए लेखापरीक्षित हैं।
 - ^चालू वर्ष के आंकड़े दिनांक 14 जनवरी, 2011 तक लेखापरीक्षित हैं, इसी दिन कौनकॉर इस संयुक्त उपक्रम से बाहर हुआ था।
 - # गत वर्ष के लिए आंकड़े दिनांक 16 जुलाई, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित हैं।
39. प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान किसी परिसंपत्ति में असामान्य प्रकृति की क्षति का कोई संकेत नहीं मिला है, अतः परिसंपत्ति में क्षति से संबंधित लेखाकरण मानक-28 के अंतर्गत परिसंपत्ति में क्षति हेतु प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।
40. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441 ए के अन्तर्गत जारी अध्यादेश लंबित होने के कारण कंपनी के कुल व्यवसाय पर उपकर हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
41. लेखाकरण मानक 29 के अंतर्गत प्रावधानों का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

	2010-11			2009-10		
	संपत्ति कर	रेलवे को किराया	उपदान एवं अवकाश का नकदीकरण	संपत्ति कर	रेलवे को किराया	उपदान एवं अवकाश का नकदीकरण
आदि शेष	12.31	2.49	21.49	10.80	2.21	16.87
जमा: आदि शेष में समायोजन	-	-	0.38	-	-	-
वर्ष के दौरान जोड़	2.23	0.24	4.59	3.22	0.28	10.36
प्रयुक्त / व्यय की गई राशि	1.52	1.35	4.46	1.52	-	5.74
अप्रयुक्त राशि, जो वर्ष के दौरान वापस की गई	7.65	-	0.84	0.19	-	-
अंत शेष	5.37	1.38	21.16	12.31	2.49	21.49

अनुसूची 11 : लेखाओं पर टिप्पणियाँ

उपर्युक्त प्रावधान सांविधिक देयताओं और सेवायोजन की शर्तों की देयताओं इत्यादि के रूप में हैं। इनके भुगतान का समय होगा : उपदान-उपदान अधिनियम के अनुसार, अवकाश नकदीकरण-कंपनी की नीति के अनुसार, संपत्ति कर और रेल को किराया-सामान्यतः मांग पर। भविष्य में इनका भुगतान निश्चित और उपरोक्त में से किसी की भी प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

42. सूचीबद्धता करार की धारा 32 के अंतर्गत प्रकटन निम्नलिखित है:
- क) पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कंपनी को दिया गया ऋण : मैसर्स फ्रेश एंड हेल्थी एंटरप्राइजेज लि. (एफएचईएल) ₹ 28.14 करोड़ (गत वर्ष ₹ 33.64 करोड़)। वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि ₹ 33.64 करोड़ (गत वर्ष : ₹ 38.64 करोड़)।
- ख) अन्य ऋण एवं अग्रिम:

(₹ करोड़ में)

नाम	सात वर्षों बाद पुनः अदायगी				ब्याज दर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 372ए से कम है			
	बकाया राशि		अधिकतम बकाया राशि वित्तीय वर्ष		बकाया राशि		अधिकतम बकाया राशि वित्तीय वर्ष	
	31 मार्च 2011 को	31 मार्च 2010 को	2010-11	2009-10	31 मार्च 2011 को	31 मार्च 2010 को	2010-11	2009-10
इरवो	-	0.20	0.20	0.40	-	-	-	-
विविध स्टॉफ ऋण*	18.37	16.01	20.07	16.62	12.03	11.38	12.75	12.55
एफएचईएल**	-	-	-	-	28.14	33.64	33.64	38.64

* चूंकि यह सूची काफी बड़ी है, अतः नाम नहीं दिए जा रहे हैं।

** पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कंपनी

43. (क) जब तक अन्यथा नहीं बताया जाता है, आंकड़े करोड़ रुपये में हैं।
- (ख) गत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के वर्गीकरण की पुष्टि के लिए, जहां कहीं आवश्यक समझा गया, वर्गीकृत / पुनः व्यवस्थित किया गया है।

अनुसूची 11 : लेखाओं पर टिप्पणियाँ (जारी)

44 तुलन-पत्र सार और कंपनी के व्यवसाय की सामान्य रूपरेखा (अनुसूची VI भाग IV में संशोधन के रूप में)

I. पंजीकरण का विवरण

पंजीकरण संख्या	030915	राज्य कोड	55
तुलन-पत्र की दिनांक	31	03	2011
	दिनांक	माह	वर्ष

II. वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी

पब्लिक/यूरो इश्यू		(₹ करोड़ में)
शून्य		राइट इश्यू
बोनस इश्यू		शून्य
शून्य		निजी स्थापना में
		शून्य

III. निधियों के जुटाने और वितरण की स्थिति

कुल देयताएँ	5,757.08	कुल परिसंपत्ति	5,757.08
निधियों के स्रोत:			
प्रदत्त पूंजी	129.98	प्रारक्षित एवं अधिशेष	4,847.83
प्रारक्षित ऋण	-	अनारक्षित ऋण	-
चल देयताएँ	550.71	आस्थगित कर देयताएँ	228.56
निधियों की प्रयोज्यता			
निवल अचल परिसंपत्ति	2,646.16	निवेश	243.96
चल परिसंपत्ति	2,866.96	विविध व्यय	-
संचित हानियाँ	-		

IV. कंपनी का निष्पादन

कुल व्यवसाय (अन्य आय सहित)	4,030.18	कुल व्यय	2,971.91
कर से पूर्व लाभ	1,058.27	कर पश्चात् लाभ	875.95
प्रति शेयर अर्जन (रुपये)	67.39	लाभांश %	155%

V. कंपनी के तीन मुख्य उत्पाद/सेवाओं के जेनरिक

नाम (मौद्रिक शर्तों के अनुसार)		1. कंटेनरों का परिवहन
मद कोड सं. (आईटीसी कोड)		2. कंटेनरों का संचालन
उत्पाद वर्णन		3. कंटेनरों की पार्किंग
		लागू नहीं
		लागू नहीं

“अनुसूची 1 से 11 पर हस्ताक्षर”

(हरीश चन्द्र)

लेखा एवं कंपनी सचिव

(पी अल्लिरानी)

निदेशक (वित्त)

(अनिल कुमार गुप्ता)

प्रबंध निदेशक

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते कुमार चोपड़ा एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स

(आर के अग्रवाल)

साझेदार

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 21.07.2011

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण, भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

हमने भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2011 तक के तुलन-पत्र और उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरण की, जो इसके साथ संलग्न है, लेखापरीक्षा कर ली है। इसमें 6 क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखाओं को भी शामिल किया गया है जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है। उत्तरी क्षेत्र, उत्तर मध्य तथा निगमित कार्यालय, नई दिल्ली के लेखाओं की लेखापरीक्षा हमारे द्वारा की गई है। इन वित्तीय कथनों के प्रति कंपनी प्रबंधन उत्तरदायी है। लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय कथनों पर अपनी राय देना हमारा दायित्व है। हमने लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की है। उन मानकों के अनुसार हमें लेखापरीक्षा को इस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से एवं निष्पादित करना होता है कि इस संबंध में अपेक्षित उचित आश्वासन प्राप्त कर लिए जाएं कि ये वित्तीय कथन असरकारक असत्य कथनों से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में नमूने के आधार पर जाँच, राशियों के समर्थन में साक्ष्य और वित्तीय कथनों में प्रकटीकरण सम्मिलित हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलन के साथ-साथ समग्र वित्तीय कथनों के प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित हैं। हमें विश्वास है कि हमारी राय के समर्थन में हमारी लेखापरीक्षा में पर्याप्त आधार मौजूद है।

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227(4 ए) के अनुसार, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश 2004 द्वारा यथासंशोधित कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 की आवश्यकतानुसार और ऐसी जाँच जिसे हम उपयुक्त समझते हैं तथा लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर और शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद हम उक्त आदेश के अनुच्छेद 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों के विवरण को यहाँ संलग्न करते हैं।

2. प्रथम पैरा में उल्लिखित अनुसूची में दी गई हमारी टिप्पणी के संदर्भ में हम यह रिपोर्ट देते हैं कि :

₹ 1.45 करोड़ की भूमि और भवन की बिक्री/पट्टे पर लेने के करार अभी तक कंपनी के पक्ष में निष्पादित नहीं किए गए हैं। (कृपया अनुसूची 3 की टिप्पणी 2 का संदर्भ ग्रहण करें)।

3. हम यह रिपोर्ट देते हैं कि :

(क) हमने उन सभी जानकारी और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

(ख) जैसाकि हमने पुस्तिकाओं का निरीक्षण करके देखा, हमारी राय में, कंपनी द्वारा विधि अनुसार अपेक्षित उचित लेखा पुस्तिकाएँ रखी गई हैं और हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य से हमें उपयुक्त शाखा लेखापरीक्षकों से उनके द्वारा लेखापरीक्षित क्षेत्रीय कार्यालयों के पर्याप्त विवरण प्राप्त हुए हैं।

(ग) शाखा लेखापरीक्षकों ने कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखाओं की लेखापरीक्षित रिपोर्टों को हमें अग्रेषित किया है और इस रिपोर्ट को बनाते समय उन्हें विधिवत समायोजित किया गया है।

(घ) इस रिपोर्ट में तैयार किए गए तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण लेखा-पुस्तिकाओं के अनुरूप हैं।

(ङ) हमारी राय में, तुलन-पत्र लाभ और हानि लेखा एवं नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3 सी) में निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

(च) कंपनी मामलों से संबंधित भारत सरकार के विभाग से दिनांक 21 अक्टूबर, 2003 को जारी आदेश संख्या जीएसआर 829(ई) के संदर्भ में सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) (जी) की प्रयोज्यता से छूट प्राप्त है।

(छ) हमारे मतानुसार और सर्वोत्तम ज्ञान व हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कि उपर्युक्त पैरा 3 में दी गई हमारी टिप्पणी (कोई वित्तीय प्रभाव नहीं) पर ध्यान न करते हुए, चूंकि इनका वित्तीय प्रभाव निर्धारित नहीं किया जा सकता, इन लेखाओं के साथ पठित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ और उससे संबंधित टिप्पणियाँ और कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अपेक्षित सूचना और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सही और स्पष्ट रूप देते हैं :

(i) तुलन-पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2011 को कंपनी के कार्यों की स्थिति,

(ii) लाभ और हानि लेखा के मामले में, उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए लाभ की स्थिति ; और

(iii) नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में, उस दिनांक को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के नकदी प्रवाह की स्थिति दी गई है।

कृते कुमार चोपड़ा एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स

एफआरएन : 000131 एन

(सीए.आर.के.अग्रवाल)

साझेदार

सदस्य संख्या 081510

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 21.07.2011



दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष हेतु भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड के लेखाओं पर सम दिनांक को दी गई हमारी रिपोर्ट के पैरा 1 में वर्णित संलग्नक :

- (i) (क) कंपनी मात्रात्मक ब्यौरे सहित अचल परिसंपत्ति का पूर्ण विवरण एवं स्थिति को दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड रख रही है।
 (ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्ति का प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध तरीके से वास्तविक सत्यापन किया गया है जो हमारी राय में कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति के अनुसार उचित है। सत्यापन के दौरान पाई गई कमियां नगण्य थीं।
 (ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कुछ अचल परिसंपत्ति का निपटान/बट्टे खाते में किया है। तथापि, हमारी राय में इससे कंपनी की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
- (ii) (क) वर्ष के दौरान सामान एवं अतिरिक्त कल-पुर्जों के स्टॉक का प्रबंधन द्वारा टेस्ट चेक आधार पर वास्तविक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में वास्तविक सत्यापन की पुनरावृत्ति न्यायोचित है।
 (ख) प्रबंधन ने सामान एवं अतिरिक्त कल-पुर्जों के सत्यापन की जो प्रक्रिया अपनाई है वह कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय के स्वरूप की दृष्टि से उचित एवं पर्याप्त है।
 (ग) कंपनी सामान और अतिरिक्त कल-पुर्जों का उचित रिकॉर्ड रख रही है। पुस्तक रिकॉर्ड से तुलना करने पर सामान के वास्तविक सत्यापन में पाई गई विसंगतियां नगण्य थीं।
- (iii) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को कोई जमानती ऋण अथवा गैर-जमानती ऋण नहीं दिया है।
 (ख) उपर्युक्त पैरा के अनुसार (क) के अनुसार लागू नहीं।
 (ग) उपर्युक्त पैरा के अनुसार (क) के अनुसार लागू नहीं।
 (घ) उपर्युक्त पैरा के अनुसार (क) के अनुसार लागू नहीं।
 (ङ) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कोई जमानती ऋण अथवा गैर-जमानती ऋण नहीं लिया है।
 (च) उपर्युक्त पैरा के अनुसार (ङ) के अनुसार लागू नहीं।
 (छ) उपर्युक्त पैरा के अनुसार (ङ) के अनुसार लागू नहीं।
- (iv) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, सामान और कल-पुर्जों की खरीद, अचल परिसंपत्ति और सेवाएँ देने के संबंध में कंपनी के आकार और व्यवसाय के अनुरूप स्वरूप के यहाँ समुचित आंतरिक नियन्त्रण प्रक्रियाएँ हैं।
- (v) (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऐसी कोई संविदा या व्यावसायिक प्रबंधन नहीं किया गया जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में दर्शाया जाना आवश्यक है।
 (ख) उपर्युक्त पैरा (क) के अनुसार लागू नहीं।
- (vi) कंपनी ने जनता से कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58 ए और 58 एए के अंतर्गत या अन्य संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।
- (vii) हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय के स्वरूप के अनुरूप कंपनी में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान है।
- (viii) हमें दी गई सूचना के अनुसार केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (डी) के अधीन लागत रिकॉर्ड के रख-रखाव के लिए कोई दिशा निर्देश निर्धारित नहीं किए हैं।
- (ix) (क) कंपनी उपयुक्त प्राधिकरण के पास अविवादित सांविधिक देय को, जिसमें भविष्यनिधि, निवेशक शैक्षिक, एवं सुरक्षा निधि, राज्य कर्मचारी बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और इस कंपनी पर लागू अन्य संवैधानिक देय सम्मिलित हैं, जमा कराने में साधारणतः नियमित रही है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, बकाया सांविधिक देय के संबंध में अविवादित देय राशि जिसका भुगतान दिनांक 31 मार्च, 2011 को इसके देय होने की तिथि से छह माह से अधिक की अवधि बकाया हो नीचे दर्शाई गई है:

संविधि का नाम	देय का प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)	संबंधित अवधि
सीमाशुल्क अधिनियम, 1962	सीमाशुल्क (नीलामी) (उत्तरी क्षेत्र)	1.37	1997-98 ₹ 1.08 करोड़ 2003-04 ₹ 29.58 लाख
कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम	संविदाकारों पर भविष्यनिधि भुगतान (उत्तर पश्चिम क्षेत्र)	0.05	2009-10
भवन एवं अन्य कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996	भवन एवं अन्य कामगार कल्याण अधिनियम, 1996 के अंतर्गत उपकर	0.97	वर्ष 2010-11 तक
मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1961	संपत्ति कर	0.06	2005-06 से 2009-10

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और उपकर का देय है जिसे किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया है, का विवरण निम्नलिखित है:

मंच, जहां विवाद लंबित है	देय का प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)	संबंधित अवधि
सीईएसटीएटी	सेवा कर वित्त अधिनियम, 1994	0.01	01-05-2003 से 16-07-2003 तक
सीसीई (अपील)	सेवा कर वित्त अधिनियम, 1994	0.01	जनवरी, 2004 से मार्च, 2004 तक
उप-रजिस्ट्रार, वड़ोदरा	अतिरिक्त स्टैप ड्यूटी	0.20	2003-04
वैट अपील प्राधिकरण	दिल्ली मूल्य वर्धित कर की धारा 86(19) के अंतर्गत दंड	0.33	14 दिसंबर, 2005
वैट अपील प्राधिकरण दिल्ली	बिक्री कर (उत्तरी क्षेत्र) दिल्ली बिक्री कर अधिनियम	0.01	वर्ष 1997-98
वैट अपील प्राधिकरण दिल्ली	बिक्री कर (उत्तरी क्षेत्र) दिल्ली बिक्री कर अधिनियम	0.08	वर्ष 2000-01
वैट अपील प्राधिकरण दिल्ली	दिल्ली वैट कर अधिनियम	0.11	वर्ष 2008-09
लुधियाना नगर निगम	स्थानीय कर के अंतर्गत चुंगी	0.16	2007-08
सेवा कर अपील प्राधिकरण लुधियाना	सेवा कर वित्त अधिनियम, 1994	0.13	2007-08
जिला अदालत, कानपुर	जल कर- जल संस्थान कानपुर	0.69	2000-01 से अब तक

- (x) कंपनी की वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर न तो संचित हानि है और न ही इसकी हमारे द्वारा लेखापरीक्षित वित्तीय वर्ष के दौरान निवर्तमान वित्तीय वर्ष में, कोई नकद हानि हुई है।
- (xi) वर्ष के दौरान, वित्तीय संस्थानों या बैंकों को देय के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई। कंपनी ने कोई ऋण-पत्र (डिबेन्चर) जारी नहीं किए।
- (xii) कंपनी ने शेयरों, 'डिबेन्चरों' और अन्य प्रतिभूतियों की एवज में कोई ऋण और अग्रिम नहीं दिया।
- (xiii) हमारी राय में, यह कंपनी चिट फण्ड या निधि म्यूचुअल बेनीफिट फंड/समिति नहीं है।
- (xiv) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और व्याख्या के अनुसार यह कंपनी शेयरों, प्रतिभूति और अन्य निवेशों का कारोबार नहीं करती। संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों के शेयरों में किए गए निवेश कंपनी के अपने नाम से हैं और इनकी ट्रेडिंग नहीं की जाती है।
- (xv) कंपनी ने अपने संयुक्त उद्यम द्वारा बैंक से लिए गए ऋण के लिए भुगतान गारंटी हेतु गारंटीदाता (एक संयुक्त उद्यम साझेदार) की प्रति बंध-पत्र दिया है जोकि ऋण तथा शेष ब्याज का 26% (संयुक्त उद्यम में कंपनी शेयरधारिता) है। दिनांक 31.03.2011 को इस प्रति बंध-पत्र की राशि 126.32 करोड़ थीं। हमारी राय में इस प्रकार के निबंधन एवं शर्तें प्रथम दृष्टया कंपनी के हितों के प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते।
- (xvi) कंपनी ने इस वर्ष के दौरान कोई सावधिक ऋण नहीं लिया है।
- (xvii) कंपनी ने वर्ष के दौरान लघु अवधि या दीर्घ अवधि के आधार पर कोई निधि नहीं उगाही, अतः यह धारा लागू नहीं होती।
- (xviii) कंपनी ने इस वर्ष उन पार्टियों/कंपनियों को प्रिफेंशियल शेयरों का आबंटन नहीं किया जिन्हें कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में उल्लिखित किया जाता है।
- (xix) कंपनी ने इस वर्ष के दौरान कोई ऋण-पत्र (डिबेन्चर) जारी नहीं किए।
- (xx) इस वर्ष के दौरान कंपनी ने 'पब्लिक इश्यू' के माध्यम से कोई राशि नहीं उगाही है। अतः यह धारा लागू नहीं होती।
- (xxi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी में या इसके द्वारा कोई धोखाधड़ी की सूचना या रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

कृते कुमार चोपड़ा एंड एसोसिएट्स
 चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स
 एफआरएन : 000131 एन
 (सीए. आर. के. अग्रवाल)
 साझेदार
 सदस्य संख्या 081510

दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

	2010-2011	2009-2010
(क) परिचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
कर और असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ	1,058.27	1,006.59
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
मूल्यहास / परिशोधन	145.23	135.10
ब्याज और लाभांश आय	(152.68)	(148.41)
संदिग्ध ऋण / अग्रिम / स्टोर के लिए प्रावधान	0.74	0.02
बट्टे खाते किया गया निवेश	0.01	-
अचल परिसंपत्ति की बिक्री से हानि / लाभ	0.87	0.22
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	1,052.44	993.52
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
व्यापार और अन्य प्राप्य राशियाँ	62.88	4.50
मालसूची	0.30	(1.91)
व्यापार देय राशियाँ और प्रावधान	(84.80)	14.40
परिचालन से सृजित नकदी	1,030.82	1,010.51
पूर्व अवधि समायोजन	0.01	0.49
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	(222.50)	(368.49)
परिचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी (क)	808.33	642.51
(ख) निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
अचल परिसंपत्ति की खरीद	(314.71)	(350.73)
अचल परिसंपत्ति की बिक्री	1.20	0.14
राजकीय सहायता प्राप्त एवं अचल परिसंपत्ति अधिप्राप्ति हेतु प्रयोग	4.25	0.38
पूँजीगत चालू कार्य / अग्रिम	(112.71)	39.46
निवेश की खरीद	(3.43)	(37.46)
ब्याज, लाभांश और अन्य आय	152.68	148.41
अग्रिम / ऋण - सहायक	5.50	(6.00)
निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी (ख)	(267.22)	(205.80)
(ग) वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
प्रदत्त लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	(234.94)	(212.92)
वित्तीय क्रियाकलापों से निवल नकदी (ग)	(234.94)	(212.92)
नकदी और नकदी के समकक्ष में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)	306.17	223.79
नकदी और नकदी के समकक्ष में आदि शेष	1,989.51	1,765.72
नकदी और नकदी के समकक्ष में अंत शेष	2,295.68	1,989.51
टिप्पणी : 1) गत वर्ष के ऑकड़ों को जहाँ कहीं उनको चालू वर्ष के ऑकड़ों के वर्गीकरण की पुष्टि के लिए आवश्यक समझा गया, पुनः वर्गीकृत / पुनः व्यवस्थित किया गया है।		
(2) नकदी प्रवाह विवरण में नकदी और नकदी के समकक्ष सहित तुलनपत्र की निम्नलिखित राशि सम्मिलित है।		
नकदी शेष (अग्रदाय समेत)	0.23	0.27
हस्तगत चेक	12.07	16.39
मार्गरथ विप्रेक्षण	-	0.01
अनुसूचित बैंकों में शेष :		
- चालू खाता	44.04	32.77
- फ्लेक्सी जमा	2.74	160.61
- सावधि जमा	2,236.60	1,779.46
	2,295.68	1,989.51

(हरीश चंद्र) (पी. अल्लिरानी) (अनिल कुमार गुप्ता) सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
 स.म.प्र. (वित्त) एवं कंपनी सचिव निदेशक (वित्त) प्रबंध निदेशक कृते कुमार चोपड़ा एंड एसोसिएट्स
 स्थान : नई दिल्ली चाार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
 दिनांक : 21.07.2011 (आर.के. अग्रवाल), साझेदार

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(1) (ई) के अधीन सहायक कंपनी में कंपनी की अभिरूचि संबंधी कथन

सहायक कंपनी का नाम	फ्रेश एंड हेल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड
1. सहायक कंपनी का वित्त वर्ष कब समाप्त हुआ	दिनांक 31.03.2011 को
2. किस तिथि से यह सहायक कंपनी बनी	दिनांक 01.02.2006 से
3 (क) भारतीय कंटेनर निगम के साथ - साथ सहायक कंपनी में इसके नामित सदस्यों सहित वित्त वर्ष के अंत में धारित शेयरों की कुल संख्या	4,82,73,810 ईक्विटी शेयर, प्रत्येक ₹ 10 का।
(ख) शेयरधारिता कितनी है	100%
4. सहायक कंपनी की अभी तक लाभ / हानि की कुल निवल योग राशि जहाँ तक धारक कंपनी के सदस्यों का संबंध है	
(क) धारक कंपनी के लेखाओं के साथ न मिलाए गए हों	
(i) 31.03.2011 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु	₹ 42,15,873/- का लाभ
(ii) सहायक कंपनी बनने के बाद से सहायक कंपनी के विगत वित्तीय वर्षों का लेखा	₹ 39,44,04,955/- की हानि
(ख) धारक कंपनी के लेखाओं के साथ मिलाए गए हों:	
(i) 31.03.2011 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु	शून्य
(ii) धारक कंपनी की सहायक कंपनी बनने से पहले सहायक कंपनी के विगत वर्षों का लेखा	शून्य

हरीश चंद्र अनिल कुमार गुप्ता पी. अल्लिरानी
 स.म.प्र. (वित्त) एवं कंपनी सचिव प्रबंध निदेशक निदेशक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 21.07.2011

फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

(कॉनकॉर की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

आपकी कंपनी के निदेशक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखाओं के साथ आपकी कंपनी की व्यावसायिक एवं परिचालन गतिविधियों की रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

परिचालन समीक्षा

कंपनी ने हिमाचल प्रदेश के शिमला/किन्नौर जिलों से 9361.373 एमटी सेब की खरीद की और दिल्ली, मुंबई, चैन्नई, अहमदाबाद और पूरे देश में फलों के अन्य बाजारों में 9538.54 एमटी (1374.109 एमटी के आदि स्टॉक सहित) की बिक्री की।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने बेहतर किस्म के फलों की खरीद, राई तक आवाजाही में तीव्रता लाकर अत्यधिक मात्रा में पैकिंग सामग्री की रिसाईकिलिंग करके, अलग-अलग सेबों की छटाई/ग्रेडिंग/पैकिंग करके सामग्री की हैंडलिंग प्रणाली में अभिनव परिवर्तन लाकर परिचालन में महत्वपूर्ण सुधार किए। हमारा प्रयास ग्राहकों को मूल रूप से घरेलू जमीन पर उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता वाले फलों की आपूर्ति करने का रहा है।

विपणन समीक्षा

वर्ष 2010-11 सेब व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा रहा। एफएचईएल ने 9361 एमटी सेब खरीदे। स्टोर किए गए सेबों को थोक में दिल्ली, चैन्नई, हैदराबाद, बंगलोर, मुंबई आदि शहरों की थोक मंडियों में बेचा गया। वर्ष 2010-11 में एफएचईएल के अच्छे सेबों को आयातित (वाशिंगटन) सेबों के मूल्य पर बेचा गया। कंपनी ने बड़े रिटेल चेन यथा वाल-मार्ट हेरिटेज, मोर, रिलायंस, बिग बाजार, मदर डेयरी, बिग एप्पल आदि को सेबों की आपूर्ति की। इसके अतिरिक्त दक्षिण बाजारों में एमएनसी मैसर्स यूनीफ्रूटी के माध्यम से सेबों की उल्लेखनीय मात्रा बेची। इसके अलावा पंजाब, मुंबई और चैन्नई के कई खरीददारों ने एफएचईएल से सीधे ही सेब खरीदे। हमारे प्रयासों के अनुरूप लगभग 80-90 प्रतिशत ऑफसीजन बिक्री निर्धारित दरों पर की गई। दीवाली के दौरान एफएचईएल ने 6,12,20/25 सेबों के गिफ्ट पैक में 132 एमटी सेब बेचे। सेब व्यवसाय में किसी व्यवसायी द्वारा बेची गई सेब की मात्रा का यह सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा है। इसके अतिरिक्त मार्च, 2011 के अंत के बाद भी गिफ्ट पैकों की बिक्री जारी रही। सेबों के अलावा एफएचईएल ने परीक्षण आधार पर 70 एमटी किन्नू भी खरीदे और बेचे ऑफसीजन के दौरान एफएचईएल ने चावल, लहसुन और गाजर के भंडारागरण हेतु चैम्बरों को किराए पर दिया। हम रिटेल चेनों के लिए आम और केले भी पका रहे हैं।

वित्तीय समीक्षा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के परिचालन टर्नओवर में लगभग 158 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2009-10 में यह ₹ 24.92 करोड़ थी जो वित्तीय वर्ष 2010-11 में बढ़कर ₹ 64.35 करोड़ हो गई। बिक्री लागत लगभग 115 प्रतिशत बढ़ गई। वित्तीय वर्ष 2009-10 में यह ₹ 23.78 करोड़ थी जो वित्तीय वर्ष 2010-11 में बढ़कर ₹ 51.03 करोड़ हो गई। इसके अलावा कर्मचारी लागत, प्रशासनिक/अन्य व्यय और ब्याज क्रमशः ₹ 1.43 करोड़, ₹ 2.84 करोड़ और ₹ 5.08 करोड़ रहा। मूल्यहास आस्थगित कर और बड़े खाते किए गए प्राथमिक व्यय के प्रावधान के बाद जो क्रमशः ₹ 3.64 करोड़, ₹ 0.19 करोड़ और ₹ 0.03 करोड़ था, कंपनी ने गत वर्ष की निवल हानि ₹ 9.06 करोड़ की तुलना में ₹ 0.42 करोड़ का निवल लाभ दर्ज करते हुए उपलब्धि प्राप्त की।

पूंजीगत संरचना

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹ 50 करोड़ तथा जारी, अधिदत्त एवं प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 48.27 करोड़ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान कॉनकॉर ने एमएचईएल की 100 प्रतिशत ईक्विटी शेयर पूंजी बरकरार रखी।

फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

(कॉनकॉर की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

जमानती ऋण

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान आपकी कंपनी ने एक्सिस बैंक (पूर्व नाम यूटीआई बैंक) से लिए गए ₹ 49.42 करोड़ के ऋण के पुनर्भुगतान हेतु चार किश्तें प्रत्येक ₹ 1.56 करोड़ की कुल मिलाकर ₹ 6.24 करोड़ अदा की। इस पुनर्भुगतान के बाद एक्सिस बैंक से लिए गए जमानती मियादी ऋण की शेष राशि दिनांक 31 मार्च, 2011 को ₹ 36.14 करोड़ (उपचित ब्याज और देय ₹ 0.26 करोड़ सहित) रह गई।

वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पूरी करने के लिए आपकी कंपनी ने जमानती कार्यशील पूंजी सीमा एवं आकस्मिक व्यय सीमा क्रमशः ₹ 36 करोड़, ₹ 4 करोड़ हेतु स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के साथ एक व्यावसायिक करार किया है। ₹ 36 करोड़ की अनुमोदित कार्यशील पूंजी में से कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 33.47 करोड़ निकाले। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला को ₹ 22.20 करोड़ अदा करने के बाद दिनांक 31.03.2011 को जमानती कार्यशील पूंजी सीमा ₹ 11.18 करोड़ थी और इस राशि की अदायगी मई 2011 में कर दी गई।

गैर जमानती ऋण

दिनांक 31.03.2011 को स्वामित्व वाली कंपनी कॉनकॉर की ओर कुल बकाया ऋण देय ₹ 28.58 करोड़ (वर्ष 2009-10 के लिए ₹ 11.50 करोड़, वर्ष 2008-09 के लिए ₹ 16.64 करोड़ और उपचित ब्याज एवं देय ₹ 0.44 करोड़ सहित तथा टीडीएस घटाकर) है।

नियंत्रित वातावरण भंडारगृह

देश में उत्पादित फलों और सब्जियों की 'सेल्फ लाइफ' बढ़ाने के लिए कंपनी ने राई, सोनीपत में नियंत्रित वातावरण भंडार की 3 इकाईयां स्थापित की हैं जिनकी प्रत्येक की क्षमता 4000 मीट्रिक टन है। वर्ष 2010-11 के दौरान इसका सफलतापूर्वक परिचालन किया गया।

कर्मचारियों का विवरण

इस कंपनी पर कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) लागू नहीं होती।

मानव संसाधन प्रबंधन

मानव संसाधन एफएचईएल प्रबंधन की मूल परिसंपत्ति है। दिनांक 31.3.2011 को कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या 33 बनी रही (जिसमें नियमित कर्मचारियों की संख्या 16, तदर्थ - 7, प्रतिनियुक्ति पर 4, प्रबंधन प्रशिक्षु - 2 और संविदा आधार पर 4 कर्मचारी शामिल हैं)। सभी कर्मचारी लक्ष्य प्राप्ति हेतु उच्च स्तरीय अभिप्रेरित हैं। कंपनी कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण भी देती है।

औद्योगिक संबंध

औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण बने रहे तथा वित्त वर्ष के दौरान किसी कार्य दिवस का नुकसान नहीं हुआ। कंपनी श्रम कानूनों के अंतर्गत निहित सभी विनियमों का पालन कर रही है।

आरक्षण नीति

एफएचईएल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, शारीरिक विकलांग और पूर्व सैनिकों हेतु समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और राष्ट्रपति के निदेशों का पालन करती है। दिनांक 31.3.2011 को कुल 33 नियमित कर्मचारियों में से 5 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दो अनुसूचित जाति तथा एक कर्मचारी एसटी वर्ग से था।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश, विदेश मुद्रा विनिमय से अर्जन एवं व्यय का विवरण

ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी समावेश संबंधी विवरण विस्तार से संलग्नक में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जन अथवा व्यय नहीं किया गया।

लेखापरीक्षक

मैसर्स एस.एस.पोद्दार एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को वर्ष 2010-11 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया। सांविधिक लेखा परीक्षकों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित सेवाकर के सहित ₹ 1,08,000/- का भुगतान किया गया।

फ्रेश एंड हेल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

(कॉनकॉर की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

निदेशक मंडल

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए निदेशक मंडल की 6 बैठकें हुईं। प्रो. जनत शाह और श्री टी आर डूंगाजी गैर सरकारी अंशकालिक निदेशकों का कार्यकाल क्रमशः 31.12.2010 तथा 03.04.2011 को समाप्त हो गया।

रिपोर्ट देने की तिथि तक निम्नलिखित निदेशक पदभार ग्रहण किए हुए थे-

- (1) श्री अनिल कुमार गुप्ता, प्रबंध निदेशक / कॉनकॉर एवं अध्यक्ष / एफएचईएल
- (2) श्री हरप्रीत सिंह, निदेशक (परियोजना एवं सेवाएं) / कॉनकॉर एवं निदेशक / एफएचईएल
- (3) श्री यशवर्धन, निदेशक (अंत. वि. एवं परि.) / कॉनकॉर एवं निदेशक / एफएचईएल
- (4) श्रीमती पी अल्लिरानी, निदेशक (वित्त) / कॉनकॉर एवं निदेशक / एफएचईएल

चक्रानुक्रम में निदेशकों की सेवानिवृत्ति

कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों की शर्तों के मुताबिक श्रीमती पी. अल्लिरानी, निदेशक चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त होनी वाली हैं और पात्र होने पर वे अपनी पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव करती हैं।

निदेशकों का उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2एए) के अनुपालन में निदेशकों का उत्तरदायित्व संबंधी विवरण की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है-

- (i) कि दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लेखाओं को तैयार करते समय लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है तथा साथ ही महत्वपूर्ण विचलन के संबंध में उपयुक्त स्पष्टीकरण दिया गया है।
- (ii) कि निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों को चुनकर निरंतर अपनाया है तथा ऐसे निर्णय एवं प्राक्कलन किए हैं जो तर्कपूर्ण एवं यथोचित हैं जिससे कि आलोच्य वर्ष में कंपनी का लाभ-हानि लेखा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी की स्थिति का सही एवं निष्पक्ष आकलन हो सके।
- (iii) कि कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने लेखा पुस्तकों के उपयुक्त रख-रखाव के लिए उचित तथा संतोषजनक सावधानी बरती है ताकि कंपनी की परिसंपत्तियाँ सुरक्षित रह सकें और इसे अन्य अनियमितताओं तथा धोखाधड़ी से बचाया जा सके।
- (iv) कि निदेशकों ने दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखाओं को 'कार्यरत संस्था' के आधार पर तैयार किया है।

आचार संहिता

कंपनी ने बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कॉनकॉर की आचार संहिता को अंगीकार किया है।

बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर यह घोषित किया जाता है कि दिनांक 31.03.11 को समाप्त वित्तीय वर्ष में सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आचार संहिता का अनुपालन किया है।

निगमित शासन रिपोर्ट

निगमित शासन रिपोर्ट संलग्न है।

निष्कर्ष

आपकी कंपनी भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, बैंकों और लेखापरीक्षकों के प्रति उनके समर्थन एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती है।

निदेशक बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से
(अनिल कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.06.2011

फ्रेश एंड हेल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

(कॉनकॉर की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध

निगमित शासन रिपोर्ट

फ्रेश एंड हेल्थी इंटरप्राइजेज लिमिटेड कोल्ड चैन व्यवसाय को चलाने के लिए कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है।

कंपनी का उद्देश्य

एफएचईएल का उद्देश्य फलों और सब्जियों की खरीद, परिवहन, भंडारण और वितरण में अद्यतन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके देश में विश्व श्रेणी के संगठन के रूप में विकसित करना है। कंपनी अपने ग्राहकों को धन की उपादेयता प्रदान करके और गुणवत्ता एवं दक्ष सेवाएं देकर अपने श्रेयधारकों की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करती है। संलग्नक में दर्शाए गए प्रकटन द्वारा अच्छे निगमित शासन के सर्वोत्तम सिद्धांतों के अनुसार अपना व्यवसाय चलाना इस कंपनी का उद्देश्य है।

निदेशक मंडल

कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 86(ए) और 86(बी) के संदर्भ में प्रबंध निदेशक, कॉनकॉर एफएचईएल बोर्ड का पदेन अंशकालिक अध्यक्ष होता है और बोर्ड के अन्य सभी सदस्य कंपनी अधिनियम, 1956 और तत्समय लागू सरकार की दिशानिर्देशों के अधीन कॉनकॉर द्वारा नामित किए जाते हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल में एक अध्यक्ष (पदेन) सहित 4 अंशकालिक निदेशक हैं जिन्हें कॉनकॉर (होलडिंग कंपनी) द्वारा नामित किया जाता है। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान कार्यों को निपटाने के लिए निम्नांकित दिनों को बोर्ड की 06 (छः) बैठकें हुईं।

बोर्ड बैठक संख्या	बोर्ड बैठक की तिथियां
26	26 अप्रैल, 2010
27	19 जुलाई, 2010
28	16 अगस्त, 2010
29	18 अक्टूबर, 2010
30	20 दिसम्बर, 2010
31	17 जनवरी, 2011

कंपनी ने बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कॉनकॉर की आचार संहिता को अंगीकार किया है।

बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर यह घोषित किया जाता है कि दिनांक 31.03.11 को समाप्त वित्तीय वर्ष में सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आचार संहिता का अनुपालन किया है।

निदेशकों का संयोजन, वर्ष के दौरान बोर्ड बैठकों में उपस्थिति, अंतिम वार्षिक आम बैठक, अन्य निदेशकों की संख्या तथा समितियों की सदस्यता नीचे दी गई है -

क्र. सं.	निदेशक पद की श्रेणी	निदेशक का नाम	बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति	अंतिम आम बैठक में उपस्थिति	अन्य समिति सदस्यता / अध्यक्ष की संख्या	अन्य निदेशक / अध्यक्ष की संख्या		
(I) अंशकालिक पदेन / गैर कार्यपालक अध्यक्ष								
1	प्रबंध निदेशक, कॉनकॉर	श्री अनिल कुमार गुप्ता	छह	हाँ	शून्य	शून्य	तीन	एक
(II) अंशकालिक / गैर कार्यपालक निदेशक								
2	निदेशक (परि. एवं सेवाएं), कॉनकॉर	श्री हरप्रीत सिंह	छह	हाँ	एक	शून्य	दो	शून्य
3	निदेशक (अंत वि एवं परि.), कॉनकॉर	श्री यशवर्धन	छह	नहीं	दो	शून्य	सात	दो
4	निदेशक (वित्त) / कॉनकॉर	श्रीमती पी अल्लिरानी	छह	हाँ	पाँच	दो	छह	दो
(III) अंशकालिक / गैर कार्यपालक निदेशक (स्वतंत्र)								
5		श्री टी आर डूंगाजी [^]	पाँच	हाँ	चार	एक	तीन	शून्य
6		प्रो. जनत शाह ^{**}	तीन	नहीं	एक	शून्य	पाँच	शून्य

[^] दिनांक 03.04.2011 को सेवानिवृत्त
^{**} दिनांक 31.12.2011 को सेवानिवृत्त

फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

(कॉनकॉर की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति में शामिल थे :

श्री टी आर डूंगाजी	—	अध्यक्ष
श्री यशवर्धन	—	सदस्य
श्रीमती अल्लिरानी	—	सदस्य

श्री टी आर डूंगाजी अंशकालिक, गैर कार्यपालक निदेशक दिनांक 03.04.2011 को सेवानिवृत्त होने के कारण श्री हरप्रीत सिंह, निदेशक (परियोजना एवं सेवाएं), कॉनकॉर को इस समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

वर्तमान में, समिति में निम्नलिखित सम्मिलित हैं —

श्री हरप्रीत सिंह	—	अध्यक्ष
श्री यशवर्धन	—	सदस्य
श्रीमती पी.अल्लिरानी	—	सदस्य

सुश्री सुमनलता, उपप्रबंधक (वित्त) एवं कंपनी सचिव इस समिति की सचिव हैं।

वित्त वर्ष 2010-11 में इस समिति की 4(चार) बैठकें हुईं।

इस समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है :-

क्रम संख्या	सदस्यों के नाम	उपस्थित बैठकों की संख्या
1	श्री टी आर डूंगाजी	चार
2	श्री यशवर्धन	चार
3	श्रीमती पी अल्लिरानी	चार

यह समिति कंपनी की बोर्ड संरचना, विभिन्न पूंजीगत और सिविल परियोजनाओं, वार्षिक/त्रैमासिक वित्तीय परिणामों को बोर्ड के पास भेजने से पूर्व समीक्षा करती है। समिति का प्रयास रहता है कि कंपनी में निर्णय लेना उद्देश्यपरक हो और राजस्व की प्रभावी वसूली तथा व्यय के औचित्य को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण हो।

पारिश्रमिक समिति एवं नीति

एफएचईएल में कॉनकॉर द्वारा नामित होल्डिंग कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। वे अपना पारिश्रमिक कॉनकॉर से सरकार द्वारा निर्धारित आईडीए वेतनमान और शर्तों के अनुसार पाते हैं।

अंशकालिक गैर कार्यपालक निदेशकों (स्वतंत्र)/एफएचईएल जो कॉनकॉर के भी अंशकालिक गैर कार्यपालक निदेशक (स्वतंत्र) हैं को बैठक शुल्क के रूप में 20,000/- रु. प्रति बैठक दिया जाता है।

इसलिए कोई पारिश्रमिक समिति नहीं गठित की गई है।

सहायक कंपनी

एफएचईएल कॉनकॉर की पूर्णस्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है और इसका कुल टर्नओवर अथवा 'नेटवर्थ' कॉनकॉर (होल्डिंग कंपनी) के टर्नओवर अथवा नेटवर्थ के 20 प्रतिशत से भी कम है। कंपनी स्वेच्छा से निगमित शासन दिशानिर्देशों का पालन कर रही है तथा कॉनकॉर के निदेशक मंडल के दो स्वतंत्र निदेशक इसके बोर्ड में हैं एवं लेखापरीक्षा समिति में एक स्वतंत्र निदेशक को लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। यह कंपनी एफएचईएल की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त को होल्डिंग कंपनी कॉनकॉर के निदेशक मंडल के सम्मुख रखने की परंपरा का निर्वाह कर रही है।

सामान्य सभा की बैठकें

पिछली तीन सामान्य बैठकों के स्थान, समय और तिथि का विवरण नीचे दिया गया है —

वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि	स्थान	समय
16.09.2010	सम्मेलन कक्ष, प्रथम तल, भारतीय कंटेनर निगम लि., कॉनकॉर भवन, सी-3, मथुरा रोड़, अपोलो अस्पताल के सामने, नई दिल्ली-110076	15:00 बजे
07.09.2009	तथैव	17:00 बजे
22.08.2008	तथैव	15:00 बजे

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों में कोई विशेष संकल्प नहीं पास किया गया।

फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

(कॉनकॉर की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

वर्तमान वर्ष की आम सभा बैठक:-

दिनांक	:	20.08.2011
समय	:	10:30 बजे
स्थान	:	सम्मेलन कक्ष, प्रथम तल, भारतीय कंटेनर निगम लि., कॉनकॉर भवन, सी-3, मथुरा रोड़, अपोलो अस्पताल के सामने, नई दिल्ली-110076

प्रकटन

- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी रीलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर लेखामानक (एएस-18) की आवश्यकताओं के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन अनुसूची 14 में प्रकट की गई है।
- पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी दिशानिर्देशों से संबंधित किसी मामले के गैर अनुपालन के कारण किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी के ऊपर कोई दण्ड/आलोचना नहीं की गई है।
- इन दिशानिर्देशों की आवश्यकतानुसार अनुपालन विवरण इस रिपोर्ट में दिया गया है।
- एफएचईएल अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, अन्य विभिन्न वर्ग, पूर्व सैनिकों से संबंधित आरक्षण के संबंध में राष्ट्रपति और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पूर्णरूप से पालन करती है।
- लेखा पुस्तिकाओं में उस व्यय को नामे नहीं किया गया है जो व्यवसाय के उद्देश्य से नहीं किए गए हैं।
- कंपनी ने ऐसा कोई खर्च नहीं किया है जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो तथा निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए खर्च किया हो।
- प्रशासनिक और कार्यालय व्यय का कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में विवरण—

वित्त वर्ष	प्रशा. और कार्या. व्यय (₹ लाख में)	कुल व्यय (₹ लाख में)	कुल व्यय के समक्ष प्रशा. व कार्या. व्यय की प्रतिशतता
2010-11	284.10	6403.94	4.44%
2009-10	179.43	3462.27	5.18%

संचार के साधन

वित्तीय परिणाम : वार्षिक, अर्धवार्षिक तथा तिमाही परिणाम नियमित रूप से कंपनी की वेबसाइट www.fhel.co.in पर दर्शाए जाते हैं।

वार्षिक रिपोर्ट : लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा, निदेशक रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ-साथ वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य सूचनाएं सदस्यों तथा अन्य, सदस्यों को परिचालित की जाती है। प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

आगामी वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति/नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का विवरण

नाम	जन्म तिथि	पदभार ग्रहण करने की तिथि	योग्यता	विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	अन्य कंपनियों की सूची	अन्य समितियों की सदस्यता का विवरण
श्रीमती पी अल्लिरानी	15.05.1960	09.07.2009	एम.ए., एम फिल	26 वर्ष तक रेलवे वित्त तथा दूरसंचार वित्त और योजना आयोग में काम किया	छः \$	पाँचः \$\$

\$ 1. कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 2 मैसर्स हिमालयन टर्मिनल्स प्रा.लि. बीरगंज, नेपाल 3 मैसर्स स्ट्रार ट्रेक टर्मिनल्स प्रा. लि, दादरी 4. मैसर्स अल्बार्टोस सीएफएस प्रा.लि., दादरी 5. मैसर्स सीएमए सीजीएम लॉजिस्टिक्स पार्क (दादरी) प्रा.लि. 6. मैसर्स इनीफनित लॉजिस्टिक्स सोल्यूशन्स प्रा. लि.

\$\$ 1. हिमालयन टर्मिनल्स प्रा. लि.— लेखापरीक्षा समिति के सदस्य 2. अल्बार्टोस सीएफएस प्रा. लि. — लेखापरीक्षा समिति के सदस्य व अध्यक्ष 3. स्ट्रार ट्रेक टर्मिनल्स प्रा. लि. — लेखापरीक्षा समिति के सदस्य व अध्यक्ष 4. सीएमए सीजीएम लॉजिस्टिक्स पार्क (दादरी) प्रा.लि. — लेखापरीक्षा समिति के सदस्य व अध्यक्ष 5. इनीफनित लॉजिस्टिक्स सोल्यूशन्स प्रा. लि. — लेखापरीक्षा समिति के सदस्य।

फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

(कॉनकॉर की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण

1. उद्योग संरचना तथा विकास

भारत में फल और सब्जी व्यवसाय लगभग पूरी तरह से असंगठित क्षेत्र में है। खेत के आकार छोटे हैं तथा पारंपरिक रूप से उत्पादनकर्ता या तो अपने उत्पाद नजदीक के बाजारों, मंडियों में लाते हैं या अपने उत्पाद बेचने के लिए कमीशन एजेंटों के पास भेजते हैं। आपूर्ति चेन में सभी भागीदार : उत्पादक, कमीशन एजेंट, अन्य बिचौलिया तथा खुदरा व्यापारी पूर्णतः असंगठित हैं। केवल हाल ही में कुछ रीटेल चेन्स भी इसमें धीरे से आगे बढ़ रहे हैं तथा ऐसा प्रारूप विकसित कर रहे हैं जिससे लाभ हो सकता है। सामग्री के शीघ्र नष्ट होने की प्रकृति के कारण, रीटेल चेन्स में नए उत्पाद पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है और यह भी नजदीक के मंडी से खरीद लिया जाता है। इसके अलावा, देश में कोल्ड चेन अवसंरचना की कमी है और इसलिए सीजन के दौरान हम बाजार में अधिकता देखते हैं तथा मूल्य काफी कम हो जाते हैं उक्त सारे कारक उत्पाद को नुकसान पहुंचाते हैं।

अधिकांश उपलब्ध कोल्ड स्टोर सुविधाएं आलू भंडारण के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। कोल्ड चेन अवसंरचना की उपलब्धता और अन्य फलों व सब्जियों के भंडारण ज्ञान के संबंध में अंतराल है। इससे इस क्षेत्र में समस्या और अवसर दोनों मिलते हैं। एफएचईएल उन पहली कंपनियों में से एक है जिसने सेब के भंडारण हेतु विशिष्ट सीए स्टोर में निवेश किया है। पिछले तीन वर्षों में देश में कुछ और सुविधाएं तैयार हुई हैं।

2. विशेषताएं और कमियां

विशेषताएं

- (क) भारत में फल और सब्जी का बाजार काफी बड़ा (लगभग ₹ 2,00,000 करोड़) है और इसलिए व्यापार की काफी संभावनाएं हैं।
- (ख) गुणवत्ता उत्पाद की काफी लेटेन्ट मांग है, चूंकि देश में काफी मात्रा में फल का आयात किया जा रहा है।
- (ग) उत्पादन केंद्र पर वस्तु के मूल्य और खुदरा दुकानों पर मूल्य के बीच काफी अंतर होने के कारण इस व्यवसाय में अधिक मार्जिन संभव है।

कमियां

- (क) यह क्षेत्र अत्यंत असंगठित है।
- (ख) फसल पूर्व सावधानियां व फसल पश्चात् प्रबंधन के ज्ञान की कमी है और इसलिए परीक्षण किए जाने चाहिए तथा ऐसी प्रक्रिया धीमी है।
- (ग) आशानुसार रीटेल चेन स्थापित नहीं हुई हैं और इसलिए व्यवस्थित वितरण संभव नहीं है।
- (घ) यह व्यवसाय कुल मिलाकर उन स्टैक होल्डरों की साख पर निर्भर है जिनकी विनियोजनीय साख नहीं है।

3. अवसर एवं बाधाएं

अवसर

- (क) एक बार यदि एक सामग्री के लिए व्यवसाय संगठित हो जाए तो अन्य फलों और सब्जियों के लिए ऐसा करना आसान हो जाएगा तथा इस प्रकार बिक्री में काफी बढ़ोतरी के अवसर हैं।
- (ख) चूंकि प्रत्येक वर्ष फल का आयात काफी बढ़ रहा है, इससे यह पता चलता है कि ग्राहकों को गुणवत्ता वाले फल पसंद हैं और इस प्रकार संगठित व्यवसाय इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

बाधाएं

- (क) पारंपरिक रूप से बिचौलियों और उत्पादकों के बीच अनुबंध है जिससे उत्पाद में कमी के समय इस फल को खरीदने में कठिनाई आती है।
- (ख) सस्ता आयात अथवा सीमाशुल्क में कमी।
- (ग) प्रशिक्षित जनशक्ति की अनुपलब्धता।

4. क्षेत्रवार या उत्पाद वार निष्पादन

कंपनी ताजे फलों के संभारतंत्र में व्यवसायरत है। कंपनी की सारी गतिविधियां इस व्यवसाय के ईर्द गिर्द हैं और सभी परिचालन भारत में हैं। अतः क्षेत्रवार रिपोर्ट करने से संबंधित लेखा मानक एएस-17 द्वारा कोई अन्य रिपोर्ट करने योग्य क्षेत्र निश्चित नहीं किया गया है।

फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

(कॉनकॉर की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

5. दृष्टिकोण

भारत एक विशाल देश है और गुणवत्ता फल व सब्जियों के लिए बाजार तेजी से बढ़ रहा है। भारत फल और सब्जियां उत्पादन करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है तथा यह व्यवसाय ₹ 2,00,000 करोड़ से अधिक का है। इसमें से ₹ 60,000 करोड़ के फल और सब्जियां कोल्ड चेन अवसंरचना व संगठित वितरण एवं विपणन की कमी के कारण नष्ट हो जाती हैं। व्यवसाय की प्रकृति तथा सामग्री की नष्ट होने की प्रकृति के कारण इसे संगठित करना तथा इससे लाभ कमाना वास्तव में एक बड़ी चुनौती है। कंपनी प्रत्येक वर्ष व्यवसाय में पर्याप्त सुधार करने में सफल रही है। हालांकि, वर्तमान में हमारा मुख्य ध्यान हिमाचल प्रदेश से आ रहे सेबों पर है। हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक क्षेत्र सेब की फसल के लिए वर्षा पर निर्भर हैं।

हालांकि, ऐसा जोखिम कुछ वर्षों में एकाधबार होता है। अन्यथा, हिमाचल प्रदेश लगभग ₹ 2000 करोड़ प्रति वर्ष का सेब उत्पादित करता है। किन्नौर के सेब अधिक मूल्य वाले होते हैं तथा कंपनी की इस क्षेत्र में पर्याप्त पहुंच है। शिमला और किन्नौर के सेबों की मांग अच्छी रहने की उम्मीद है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2010-11 में गत वित्त वर्ष की ₹ 9.06 करोड़ की निवल हानि की तुलना में ₹ 0.42 करोड़ का कर पश्चात् निवल लाभ अर्जित करके एक उपलब्धि प्राप्त की है।

6. जोखिम और चिंताएं

- (i) यह व्यवसाय विशेष रूप से वर्षा जैसी मौसम दशाओं पर निर्भर है।
- (ii) व्यापार का असंगठित प्रकृति का होना
- (iii) छोटे आकार के खेतों के स्वामित्व के कारण आर्थिक पक्ष कमजोर होना।
- (iv) सस्ते आयात से प्रतिस्पर्धा।
- (v) जानकारी का अभाव।
- (vi) प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी।
- (vii) स्थानीय प्रतिस्पर्धा।

7. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी पर्याप्तता

कंपनी के पास विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के लिए अच्छी तरह की निश्चित भूमिकाएं, उत्तरदायित्व और अधिकार हैं। यह मजबूत आंतरिक एमआईएस प्रणाली के साथ प्रभावी मानीटरी सुगम बनाने के लिए उचित सूचना के प्रवाह को सुनिश्चित करता है। इन प्रक्रियाओं के पालन की मानीटरी बारंबार आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा की जाती है। कंपनी की अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है जिसके अंतर्गत आंतरिक लेखा फर्म को परिचालन में आंतरिक नियंत्रण की उपयुक्तता को प्रमाणित करना तथा निर्धारित प्रक्रियाओं से विचलन पर रोक लगाना होता है। आंतरिक लेखापरीक्षक वाह्य फर्म होती है जो उच्चतर प्रबंधन को सीधे ही रिपोर्ट करती है, इस प्रकार इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है तथा अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

8. जमानती ऋण

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी ने ₹ 1.56 करोड़ की चार किश्तें प्रत्येक कुल मिलाकर ₹ 6.24 करोड़ एक्सिस बैंक (पूर्व नाम यूटीआई बैंक) द्वारा दिए गए ₹ 49.92 करोड़ के ऋण का पुनर्भुगतान हेतु किया। पुनर्भुगतान के पश्चात्, एक्सिस बैंक की जमानती अवधि ऋण दिनांक 31 मार्च, 2011 को ₹ 36.14 करोड़ रह गया (उपचित ब्याज एवं देय ₹ 0.26 करोड़ सहित)।

9. गैर जमानती ऋण

दिनांक 31 मार्च, 2011 को कॉनकॉर को देय कुल बकाया ऋण ₹ 28.58 करोड़ रह गया (वित्त वर्ष 2009-10 में ₹ 11.50 करोड़, वर्ष 2008-09 में ₹ 16.64 करोड़ तथा ₹ 0.44 करोड़ उपचित ब्याज तथा देय पर टीडीएस घटाकर)

10. अचल परिसंपत्ति

	2011	2010	(₹ करोड़ में)
31 मार्च को समाप्त परिसंपत्तियों की मूल कीमत	81.69	81.43	प्रतिशत बढ़ोतरी (घटोतरी)
घटाएं : संचित मूल्यह्रास	13.06	9.42	0.32
निवल अचल परिसंपत्तियां	68.63	72.01	38.64
			(4.69)

वर्ष के दौरान ₹ 0.26 करोड़ की राशि पूंजीकृत की गई। परिसंपत्ति में वृद्धि मुख्यतः प्लांट व मशीनरी की खरीद के कारण हुई है।

फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

(कॉनकॉर की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

11. मालसूची

	मद	आदि स्टॉक	खरीद	बिक्री	खपत*	अंत शेष
सेव	मात्रा (कि.ग्रा.) वर्त. वर्ष	13,74,109	93,61,373	95,38,540	2,82,073	9,14,869
	मात्रा (कि.ग्रा.) गत वर्ष	28,17,275	28,55,850	42,05,745	93,271	13,74,109
	राशि (₹ में) वर्त. वर्ष	7,95,35,123	32,55,17,973	58,86,51,869	-	4,74,74,162
	राशि (₹ में) गत वर्ष	12,55,89,888	12,07,64,234	21,86,78,044	-	7,95,35,123
पैकिंग सामग्री	मात्रा (कि.ग्रा.) वर्त. वर्ष	6,34,440	27,07,583	12,97,200	12,82,495	7,62,328
	मात्रा (कि.ग्रा.) गत वर्ष	4,37,513	6,80,491	1,85,883	2,97,681	6,34,440
	राशि (₹ में) वर्त. वर्ष	66,11,502	3,77,37,207	1,78,46,571	1,39,28,438	1,25,73,700
	राशि (₹ में) गत वर्ष	42,33,520	1,03,68,477	43,65,865	36,24,630	66,11,502

* फल की खपत में नमी से हुआ नुकसान, बर्बादी, फलों का परीक्षण आदि शामिल है।

12. विविध देनदार

वर्ष की परिचालन आय का 19.23 प्रतिशत विविध देनदार हैं। संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान ₹ 12,652 है।

13. नकद और बैंक

जमानती और गैर जमानती ऋण के संबंध में वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी उपलब्ध नकदी को बैंकों के पास अल्पकालिक नियत जमा के रूप में रखती है।

14. आय

परिचालन से आय में वित्त वर्ष 2009-10 की तुलना में 158.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

15. व्यय

वित्त वर्ष 2009-10 की तुलना में बिक्री लागत में 114.59 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

16. प्रशासनिक व्यय

वित्तीय वर्ष 2009-10 की अपेक्षा प्रशासनिक व्यय में 58.33 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

17. कर्मचारी पारिश्रमिक

गत वर्ष की तुलना में कर्मचारी लागत में 4.32 प्रतिशत की कमी आई है।

18. नियोजित लोगों की संख्या सहित मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध में उल्लेखनीय विकास

मानव संसाधन एफएचईएल के मुख्य परिसंपत्तियां हैं। दिनांक 31.03.2011 को कर्मचारियों की कुल संख्या 33 रही (जिसमें 16 नियमित, 7 तदर्थ, 4 प्रतिनियुक्ति पर, 2 प्रबंधन प्रशिक्षु और 4 संविदा आधार पर कार्यरत थे)। सभी कर्मचारी लक्ष्य प्राप्ति के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरित हैं। कंपनी नियमित रूप से कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी देती है।

औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण तथा शांतिपूर्ण बने रहे और वित्त वर्ष के दौरान किसी कार्य दिवस का नुकसान नहीं हुआ। कंपनी श्रम कानूनों के अंतर्गत निहित सभी विनियमों का अनुपालन कर रही है।

दिनांक 31.3.2011 को कुल नियमित कर्मचारियों की संख्या 33 बनी रही जिसमें 5 ओबीसी और 2 अनुसूचित जाति एवं 01 अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी शामिल हैं।

फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

(कॉनकॉर की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

19. पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण, प्रौद्योगिकी संरक्षण, अक्षय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण :

पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण, प्रौद्योगिकी संरक्षण

कंपनी सुरक्षित और स्वस्थ कार्य माहौल प्रदान करने के महत्व को पहचानती है और भारत के अंदर व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के संदर्भ में संगत सांविधिक जरूरतों का अनुपालन करती है।

कंपनी का मानना है कि अच्छा पर्यावरण प्रबंधन हमारी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाती है और उन समुदायों को, जिनकी हम सेवा करते हैं, समग्र पर्यावरण और आर्थिक कल्याण में योगदान देकर लाभ पहुंचाते हैं।

पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण के लिए उठाए गए कदम :

सीए स्टर, राई में कंपनी के पास वर्षाजल संरक्षण पिट्स की सुविधा है, जहां वर्षाजल इकट्ठा (भंडार के छत और पेवमेंट पर) किया जाता है और पुनः भूमिगत किया जाता है।

खराब फल जो सार्टिंग – ग्रेडिंग के पश्चात् निकलते हैं उन्हें सुअर पालन फार्मों को दे दिया जाता है इस तरह से प्रदूषण रोका जाता है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार डीजे सेटों की चिमनी को सही तरीके से लगातार वायु प्रदूषण रोका जाता है।

डीजी सेटों पर इनसुलेटेड कैनोपी लगाकर ध्वनि प्रदूषण से बचा जाता है।

सीवर का निपटान एचएसआईआईडीसी सीवर ट्रीटमेंट संयंत्र में किया जाता है इससे जमीन पर कोई प्रदूषण नहीं होता है।

442 किलोलीटर के वाटर टैंकों को ओवरफ्लो से बचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर के इस्तेमाल द्वारा जल संरक्षण किया जाता है। साथ ही, समय पर पानी के रिसाव का पता करके एवं इसे ठीक करके भी जल संरक्षण किया जाता है।

सीए स्टर के चारों ओर वृक्षारोपण किया गया।

विदेशी मुद्रा संरक्षण

भारत बड़ी मात्रा में फल और सब्जियों का आयात करता है। यदि हमारे पास उचित कोल्ड चेन अवसंरचना हो तो विदेशी मुद्रा की बड़ी मात्रा बचाई जा सकती है। वर्ष 2009-10 में वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पूरे संसार में लगभग 98,895 एमटी सेब आयात किए गए और अप्रैल-सितम्बर 2010 तक यह आंकड़ा 77,398 एमटी हो चुका था। मूल्य के आधार पर इसकी कीमत 1500 करोड़ के लगभग होगी। कंपनी का मुख्य व्यवसाय घरेलू बागबानी को बढ़ावा देना है जिससे आयात में स्वतः कमी आएगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

20. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

सामाजिक उद्देश्य प्राप्ति के लिए भू पैदावार में सुधार लाने के लिए कंपनी की योजना तीस बागान मालिकों को पांच लाख रु. की सहायता प्रदान करने की है।

फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

(कॉनकॉर की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

निदेशकों की रिपोर्ट का संलग्नक

कंपनी नियम, 1988 के अंतर्गत आवश्यक विवरण (निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट में विवरण का प्रकटन)

क. ऊर्जा संरक्षण

वर्ष 2010-11 के दौरान, राई में स्थित नियंत्रित वातावरण (सी ए) स्टोर में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, कम्प्रेसड एयर, ल्यूब ऑयल सिस्टम, लाइटनिंग, वाटर बैलेंसिंग, कूलिंग वाटर सिस्टम का नियमित आंतरिक लेखा परीक्षण किया गया।

वर्ष के दौरान, ऊर्जा संरक्षण के लिए विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत किए गए विभिन्न उपाय निम्नलिखित हैं –

1. रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, ऑक्जिलरी यूनिट्स के लिए ऊर्जा की खपत

(क) सी.ए. स्टोर में प्रशीतन, प्रोसेसिंग एरिया, एयर कंडीशनिंग और कार्यालय भवन के लिए ऊर्जा की बचत वाले कम्प्रेसर और चिलर लगाए गए हैं। प्रशीतन, सम्पीडक, कूलिंग कायल फैन मोटर्स (312 मोटर्स), एयर कूलिंग के लिए यूनिट फैन मोटर्स (51 मोटर्स), कूलिंग टावर फैन मोटर (6 मोटर्स) कार्बन डाई ऑक्साइड मार्जक (12 मोटर्स) के लिए परिवर्तनीय आवृत्ति वाली ड्राइव (वेरियेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव) इस्तेमाल की गई हैं।

(ख) कूलिंग टावर्स और कंडेन्सर वाटर पम्पस का परिचालन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जाता है।

(ग) रेफ्रिजरेशन कम्प्रेसर्स और एयर कंडीशनिंग सिस्टम को अनुकूलतम ढंग से चलाया जाता है।

(घ) वायु सम्पीडकों, नाइट्रोजन जनित्र सम्पीडकों और डीजल जनरेटरों की सफाई और उन्हें बदलना।

2. प्रकाश

पूरे प्लांट में प्रकाश के लिए अधिक रोशनी वाली ट्यूब लाइटें और कार्यालय भवन में सीएफएल का इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट्स का इस्तेमाल, लाइट का अधिकतम उपयोग हेतु बिजली की फिटिंग्स की सफाई करके, और वोल्टेज के समुचित उपयोग से बचत करके ऊर्जा की बचत की जाती है। वर्ष के दौरान प्रकाश की जहां आवश्यकता हो वहीं प्रकाश उपलब्ध कराया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा गया। बाह्य प्रकाश, यूटीलिटी क्षेत्र, कॉरिडोर, सीटिंग हॉल, पैकिंग हॉल मशीन कक्ष और कार्यालय भवन को चिह्नित किया गया और ऊर्जा संरक्षण कार्यान्वित किया गया।

3. ताप ऊर्जा

कोल्ड रूम में ताप ऊर्जा की कमी/अधिकता को रोकने के लिए अनुकूलतम उष्मारोधक लगाए जाते हैं और पाइप लाइनों को ढका जाता है ताकि कम से कम ऊर्जा क्षत्र क्षय हो। चिल्ड वाटर ट्यूब्स, कंडेशंसड वाटर ट्यूब्स की सफाई संधिनित्र जल नली, अतिशीत जल नली की सफाई और प्रशीतन गृह एवं प्रोसेसिंग एरिया के आगम एवं निर्गम गेटों को समुचित ढंग से सील करके बाहरी हवा का प्रवेश न्यूनतम करके ताप ऊर्जा का बचाव किया जाता है।

फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

(कॉनकॉर की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

4. ईंधन तेल

डीजल जनरेटरों के अवयवों के नियमित और समुचित एहतियाती रखरखाव और 'केलीब्रेशन' द्वारा ईंधन का न्यूनतम उपभोग सुनिश्चित किया गया है। नाइट्रोजन जनरेटर संयंत्र, फोर्क लिफ्ट और स्टेकर चार्जिंग को बंद करके डीजी पर भार को कम किया गया है और ये उपकरण विद्युत बोर्ड द्वारा विद्युत आपूर्ति होने पर चलाए जाते हैं।

5. ल्यूब्रिकेन्ट्स

ल्यूब्रिकेन्ट्स के अनुकूलतम उपयोग के लिए निर्धारित बढ़िया किस्म के ल्यूब ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है और ल्यूब ऑयल के रिसाव को दिन प्रतिदिन रोका जाता है।

6. कूलिंग टॉवर और प्रोसेसिंग के लिए जल

442 किलोलीटर जल टैंकों से पानी के अधिक बहाव को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रकों का इस्तेमाल करके, प्रासेस्ड जल का दोबारा इस्तेमाल, बेकार जल और फलों को धोने के लिए इस्तेमाल किए गए जल का बागबानी के लिए उपयोग और जल रिसाव का समय पर पता लगा कर उसे रोकने जैसे उपाय करके जल संरक्षण किया जाता है।

7. सामग्री की हैंडलिंग और अन्य कार्यों के लिए उपकरणों हेतु बैटरी चार्जर्स

ऊर्जा की बचत के लिए चार्जर्स को कम करंट वाले स्वचालित उपकरणों से लगाया जाता है।

(ख) ऊर्जा के उपयोग में कमी के लिए अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव

हमारे स्टोर के लिए 132 केवी सब स्टेशन को सीधे ही पावर सप्लाई हेतु एक अलग से फीडर लगाने का प्रस्ताव उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, हरियाणा को अनुरोध सहित भेजा गया है। अभी सभी नजदीकी औद्योगिक ईकाईयों को एक ही फीडर से पावर सप्लाई दी जा रही है। किसी भी औद्योगिक ईकाई की एचटी लाईन में खराबी आ जाने पर पूरी एचटी लाइन बंद हो जाती है। यदि अलग से फीडर अनुमोदित हो जाता है तो पावर सप्लाई की उपलब्धता बढ़ जाएगी।

(ग) ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए उपायों का प्रभाव

ऊर्जा की प्रतिटन खपत 234 केडब्ल्यूएच है जोकि गत वर्ष की खपत 348 केडब्ल्यूएच से कम है।

फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड
(कॉनकॉर की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

प्रपत्र – क
ऊर्जा संरक्षण के संबंध में विवरण का प्रकटन

(अ) ऊर्जा एवं ईंधन का उपभोग

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1 विद्युत		
1.1 यूनिट खरीदे गए कुल राशि	2483544.2	1295871.0
दर/यूनिट	13863501.6	5945858.3
1.2 स्व उत्पादन		
1.2.1 डीजल जनरेटर से यूनिट (केडब्ल्यूएच)	437478.4	496918.4
डीजल ऑयल प्रति लीटर यूनिट	3.68	3.68
लागत/यूनिट	9.64	8.55
1.2.2 स्टीम टरबाइन/जनरेटर द्वारा यूनिट	शून्य	शून्य
प्रति लीटर ईंधन तेल / गैस	शून्य	शून्य
लागत / यूनिट	शून्य	शून्य
2 कोयला (जहां इस्तेमाल किया गया और उसकी विशिष्ट किस्म) मात्रा (टन)	शून्य	शून्य
कुल कीमत	शून्य	शून्य
औसत दर	शून्य	शून्य
3 फरनेस ऑयल मात्रा (किलोलीटर)	शून्य	शून्य
कुल राशि	शून्य	शून्य
कुल औसत दर	शून्य	शून्य
4 अन्य/आंतरिक उत्पादन (कृपया विवरण दें) मात्रा	शून्य	शून्य
कुल लागत	शून्य	शून्य
दर/यूनिट	शून्य	शून्य

(ब) खपत प्रति इकाई उत्पादन (उत्पाद भंडारण प्रति टन)

विवरण	मानदण्ड (यदि कोई)	चालू वर्ष	गत वर्ष
उत्पाद यूनिट:			
उत्पाद भंडारण ऊर्जा लागत प्रति टन (₹ में)	-	1448.791	1982.22
विद्युत	-		-
फरनेस ऑयल	-		-
कोयला (किस्म बताएं)	-		-
अन्य (उल्लेख करें)	-		-

फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड
(कॉनकॉर की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

प्रपत्र – ख
(नियम 2 देखें)

(आमेलन के संबंध में विवरण प्रकटन का फार्म)

(क) अनुसंधान और विकास

- वर्निदिष्ट क्षेत्र जहां कंपनी द्वारा अनुसंधान और विकास का कार्य किया गया :- अन्य फलों एवं सब्जियां यथा कीनू, चावल, लहसन, गाजर के वाणिज्यिक भंडारण तथा आम, केला पकाने तथा अमरुद की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए अपनी प्रयोगशाला में अध्ययन किया गया।
- उपर्युक्त अनुसंधान और विकास गतिविधि के परिणामस्वरूप हुए लाभ। चावल, लहसन और गाजर का भंडारण तीसरे पक्ष के लिए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, छोटे स्तर पर आम और केले को तीसरे पक्ष के लिए पकाया जा रहा है।
- भावी कार्य योजना : भविष्य में आम और केला को अत्यधिक मात्रा में पकाने पर परीक्षण किया जाना प्रस्तावित है।
- अनुसंधान और विकास पर व्यय
 - पूजी - शून्य
 - आवर्ती - शून्य
 - कुल - शून्य
 - कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में - शून्य

(ख) प्रौद्योगिकी समावेशन, अनुकूलन एवं नवाचार

(1) संक्षेप में तकनीकी समावेशन, अनुकूलन, नवाचार, के लिए गए प्रयास।	अभी हमारा ध्यान नई प्रौद्योगिकी के साथ विभिन्न फल और सब्जियों के भंडारण पर अधिक से अधिक परीक्षण करने पर है जिससे कि भंडारण का अधिकतम उपयोग किया जा सके। इस प्रकार से उपर्युक्त उल्लिखित कई परीक्षण किए जा चुके हैं और ये काफी सफल रहे हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि भंडारण का उपयोग धीरे-धीरे बढ़ेगा।
(2) उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप हुए लाभ जैसे उत्पाद में सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापी इत्यादि।	सभी फल और सब्जियों का भंडारण से इनकी बेमौसम बिक्री करने में कंपनी को सहायता मिल रही है। इससे ग्राहक संतुष्टि बढ़ रही है, आयात प्रतिस्थापन तथा किसानों को उत्पाद का अधिक मूल्य मिल रहा है।
(3) आयातित तकनीक के मामले में (वित्तीय वर्ष की शुरुआत से लेकर पिछले पांच वर्ष के दौरान आयातित)	(क) फल और सब्जियों के दीर्घकालिक भंडारण के लिए नियंत्रित वातावरण प्रौद्योगिकी (ख) 2007-08 (ग) प्रगति पर (घ) संप्रति सेबों के लिए इस्तेमाल। अन्य फलों और सब्जियों पर परीक्षण प्रगति पर है।
(क) आयातित प्रौद्योगिकी (ख) आयात वर्ष (ग) क्या तकनीकी का पूर्ण समावेशन किया गया (घ) यदि पूर्ण समावेशन नहीं किया गया तो वह क्षेत्र कौन से हैं जहां ऐसा नहीं हुआ, इसके कारण क्या हैं, और भविष्य के लिए कार्य योजना क्या है?	

फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

(कॉनकॉर की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

दिनांक 31 मार्च, 2011 का तुलन-पत्र

विवरण	अनुसूची	31.03.2011 को	(राशि ₹ में) 31.03.2010 को
निधियों के स्रोत			
शेयरधारकों की निधियाँ			
शेयर पूँजी	1	482,738,100	482,738,100
आरक्षित तथा अधिशेष	2	1,061,900	1,061,900
		483,800,000	483,800,000
ऋण निधियाँ	3		
जमानती ऋण		473,189,389	424,246,518
गैर जमानती ऋण		285,842,750	336,432,750
		759,032,139	760,679,268
आस्थगित कर देयता		1,885,245	-
		1,244,717,384	1,244,479,268
निधियों की प्रयोज्यता			
अचल परिसंपत्ति	4		
सकल ब्लॉक		816,922,972	814,316,428
घटा : मूल्यहास		130,652,809	94,244,913
निवल ब्लॉक		686,270,163	720,071,515
चल परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	5		
माल सूची		62,230,262	87,680,625
विविध देनदार		123,715,539	20,849,703
नकद एवं बैंक शेष		4,043,422	29,874,087
अन्य चल परिसंपत्तियाँ		1,548,506	524,179
ऋण एवं अग्रिम		7,635,853	7,751,823
		199,173,582	146,680,417
घटा : चल देयताएँ एवं प्रावधान	6		
चल देयताएँ		28,573,082	14,293,348
प्रावधान		2,927,361	3,234,271
		31,500,443	17,527,619
शुद्ध चल परिसंपत्ति	7		
विविध व्यय		167,673,139	129,152,798
(बट्टे खाते अथवा समायोजित न होने वाला) प्रारंभिक व्यय		585,000	850,000
		585,000	850,000
लाभ एवं हानि लेखा			
वर्ष के लिए		(4,215,873)	90,643,062
आदि शेष		394,404,955	303,761,893
		1,244,717,384	1,244,479,268

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ लेखाओं पर टिप्पणियाँ
1 से 14 अनुसूचियाँ लेखाओं का अभिन्न हिस्सा हैं।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार कृते एस. एस. पोद्दार एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एस एस पोद्दार
साझेदार
सदस्य संख्या – 015018

दिनांक : 27.06.2011
स्थान : नई दिल्ली

निदेशक बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

अनिल कुमार गुप्ता
अध्यक्ष

पी. अल्लिरानी
निदेशक

नरेश कुमार जावा
सीईओ

सुमल लता
उप प्रबंधक (वित्त) एवं कंपनी सचिव

फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

(कॉनकॉर की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि लेखा

विवरण	अनुसूची	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	(राशि ₹ में) 31.03.2010 को समाप्त वर्ष
आय			
परिचालन से आय	8	643,484,013	249,169,259
अन्य आय	9	3,011,282	6,414,794
योग		646,495,295	255,584,053
व्यय			
बिक्री की लागत	10	510,262,078	237,781,142
कर्मचारियों का पारिश्रमिक और लाभ	11	14,281,423	14,926,133
प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	12	28,410,092	17,943,347
मूल्यहास		36,407,896	36,651,109
व्याज		50,767,688	38,177,344
बट्टे खाते में डाला गया प्रारंभिक व्यय		265,000	748,040
योग		640,394,177	346,227,115
कर पूर्व लाभ / (हानि)		6,101,118	(90,643,062)
घटा : आस्थगित कर हेतु प्रावधान		1,885,245	-
कर पश्चात लाभ / (हानि)		4,215,873	(90,643,062)
तुलन पत्र में ले जाया गया शेष		4,215,873	(90,643,062)
मूल एवं कमतर अर्जन / (हानि) प्रति शेयर		0.09	(1.88)
प्रत्येक ₹ 10/- के (₹ में)			

1 से 14 अनुसूचियाँ लेखाओं का अभिन्न हिस्सा हैं।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एस. पोद्दार एंड कंपनी,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

निदेशक बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

एस एस पोद्दार
साझेदार
सदस्य संख्या – 015018

दिनांक : 27.06.2011

स्थान : नई दिल्ली

अनिल कुमार गुप्ता
अध्यक्ष

नरेश कुमार जावा

सीईओ

पी. अल्लिरानी
निदेशक

सुमल लता

उप प्रबंधक (वित्त) एवं कंपनी सचिव

फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड
(कॉनकॉर की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

अनुसूची 1 : शेयर पूँजी

	(राशि ₹ में)	
	31.03.2011	31.03.2010
	को	को
प्राधिकृत पूँजी		
प्रत्येक ₹ 10/- के 5,00,00,000 (पिछले वर्ष 5,00,00,000 इक्विटी शेयर)	500,000,000	500,000,000
जारी किए गए, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
प्रत्येक ₹ 10/- के पूर्णतः प्रदत्त 4,82,73,810 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 4,82,73,810)	482,738,100	482,738,100
योग	482,738,100	482,738,100

अनुसूची 2 : आरक्षित और अधिशेष

	(राशि ₹ में)	
	31.03.2011	31.03.2010
	को	को
शेयर प्रीमियम	1,061,900	1,061,900
योग	1,061,900	1,061,900

फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड
(कॉनकॉर की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

अनुसूची 3 : जमानती और गैर जमानती ऋण

	(राशि ₹ में)	
	31.03.2011	31.03.2010
	को	को
जमानती ऋण		
एक्सिस बैंक से सावधि ऋण (उपचित एवं देय ब्याज ₹ 25,90,277 /- सहित) (पिछले वर्ष ₹ 30,40,760) (कंपनी की वर्तमान एवं भविष्य की अचल परिसंपत्तियों (चल एवं अचल) पर पहले प्रभार और कंपनी की वर्तमान एवं भविष्य की चालू परिसंपत्तियों पर दूसरे प्रभार पर प्रतिभूत)	361,395,182	424,246,518
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला द्वारा कार्यशील पूंजीसीमा (सभी भावी दोनों चल परिसंपत्तियों पर मालबंद के आधार पर जमानती)	111,794,207	111,794,207
	473,189,389	424,246,518
गैर जमानती ऋण		
कंपनी के ऋण (नियंत्रक कंपनी भारतीय कंटेनर निगम लि. से उपचित ब्याज एवं देय ऋण ₹ 44,10,000 (गत वर्ष शून्य) (टीडीएस घटाकर ₹ 4,90,000 (गत वर्ष शून्य))	285,842,750	336,432,750
योग	759,032,139	760,679,268

अनुसूची 4 : अचल परिसंपत्तियाँ

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास / परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2010 को	वर्ष के दौरान	बिक्री / समायोजन जोड़	31.03.2011 को	01.04.2010 को	वर्ष के लिए	बिक्री / समायोजन पर	31.03.2011 तक	31.03.2011 को	31.03.2010 तक
प्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ										
भवन	191,591,146	-	-	191,591,146	16,388,006	6,235,449	-	22,623,455	168,967,691	175,203,140
संयंत्र एवं मशीनरी	451,431,297	2,383,719	-	453,815,016	56,980,441	21,877,568	-	78,858,009	374,957,007	394,450,856
कंप्यूटर	1,145,906	176,146	-	1,322,052	497,806	195,987	-	693,793	628,259	648,100
फर्नीचर और फिटिंग	1,573,149	46,679	-	1,619,828	389,580	94,915	-	484,495	1,135,333	1,183,569
बिन	168,574,930	-	-	168,574,930	19,989,080	8,003,977	-	27,993,057	140,581,873	148,585,850
योग	814,316,428	2,606,544	-	816,922,972	94,244,913	36,407,896	-	130,652,809	686,270,163	720,071,515
गत वर्ष	813,150,673	1,165,755	-	814,316,428	57,593,804	36,651,109	-	94,244,913	720,071,515	755,556,869

फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

(कॉनकॉर की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

अनुसूची 5 : चल परिसंपत्ति, ऋण एवं अग्रिम

	(राशि ₹ में)	
	31.03.2011	31.03.2010
	को	को
माल सूची		
(यथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित, स्वीकृत और मूल्यांकित)		
ताजा फल	47,404,162	79,535,123
पैकिंग सामग्री	12,573,700	6,611,502
वैक्स	1,534,000	1,534,000
उपभोग्य वस्तुएं	718,400	-
योग (क)	62,230,262	87,680,625
विविध देनदार		
6 महीने से अधिक के देनदार		
गैर जमानती और अच्छे	12,652/-	
गैर जमानती और संदेहास्पद	12,652/-	
	25,304/-	
घटा : संदेहास्पद देनदारी हेतु	12,652	25,304
अन्य गैर जमानती अच्छे देनदार	123,702,887	20,824,399
योग (ख)	123,715,539	20,849,703
नकद एवं बैंक शेष		
अग्रदाय सहित नकद	1,714	10,000
अनुसूचित बैंकों में शेष		
— चालू खाता	3,099,159	11,107,776
— जमा खाते	686,222	1,326,321
— सावधि जमा*	256,327	17,429,989
योग (ग)	4,043,422	29,874,087
* बिक्री कर प्राधिकरण के पास एक्सिस बैंक की गारंटी सहित गिरवी		
2,00,000 ₹ (पिछले वर्ष ₹ 2,00,000)		
अन्य चल परिसंपत्तियां	1,548,506	524,179
योग (घ)	1,548,506	524,179
ऋण एवं अग्रिम		
कर्मचारियों को ऋण (जमानती)	2,377,011	2,528,287
अग्रिम (गैर जमानती)		
नकद या वस्तु या मूल्य में वसूली योग्य अग्रिम	45,873	50,633
— सरकारी प्राधिकरण	2,682,758	2,996,357
— अन्य	63,000	70,800
अग्रिम आय कर/टीडीएस, (प्रावधान घटाकर)	2,467,211	2,105,746
योग (ङ)	7,635,853	7,751,823
योग (क से ङ)	199,173,582	146,680,417

फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

(कॉनकॉर की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

अनुसूची 6 : चल देयताएँ और प्रावधान

	(राशि ₹ में)	
	31.03.2011	31.03.2010
	को	को
क. चल देयताएँ		
विविध देनदार	9,789,254	5,580,471
अन्य	18,783,828	8,712,877
योग (क)	28,573,082	14,293,348
प्रावधान		
सेनानिवृत्ति लाभ	2,788,153	3,234,271
अन्य प्रावधान	139,208	-
योग (ख)	2,927,361	3,234,271
योग (क + ख)	31,500,443	17,527,619

अनुसूची 7 : विविध व्यय

	(राशि ₹ में)	
	31.03.2011	31.03.2010
	को	को
प्रारंभिक व्यय		
आदि शेष	850,000	623,040
जोड़े : वर्ष के दौरान	-	975,000
घटा : अवधि के दौरान बट्टे खाते में डाला गया	265,000	748,040
योग	585,000	850,000

अनुसूची 8 : परिचालन से आय

	(राशि ₹ में)	
	31.03.2011	31.03.2010
	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष
ताजा फलों की बिक्री	590,072,961	218,678,044
बिक्री – ऑफ सीजन की गतिविधियां	30,662,546	22,441,976
कार्टन की बिक्री	17,846,571	4,365,865
स्क्रेप की बिक्री	1,020,326	1,296,571
कूलिंग शुल्क	3,881,609	2,386,803
योग	643,484,013	249,169,259

फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

(कॉनकॉर की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

अनुसूची 9 : अन्य आय

(राशि ₹ में)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	31.03.2010 को समाप्त वर्ष
अर्जित ब्याज :		
– वित्तीय संस्थानों में लघु अवधि जमा	-	-
– बैंकों में लघु अवधि जमा (टीडीएस 172,814 ₹) (पिछले वर्ष 142,613 ₹)	681,191	1,376,273
विविध आय	2,330,091	5,038,521
योग	3,011,282	6,414,794

अनुसूची 10 : बिक्री की लागत

(राशि ₹ में)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	31.03.2010 को समाप्त वर्ष
बिक्री की लागत		
प्रारंभिक स्टॉक (क)		
ताजे फल	79,535,123	125,589,888
वैक्स	1,534,000	1,574,000
पैकिंग सामग्री	6,611,502	4,233,520
(क)	87,680,625	131,397,408
जमा: खरीद (ख)		
ताजे फल	327,007,811	120,764,234
वैक्स	-	-
पैकिंग सामग्री	37,737,207	10,368,477
(ख)	364,745,018	131,132,711
घटा : क्लोजिंग स्टॉक		
ताजे फल	47,404,162	79,535,123
वैक्स	1,534,000	1,534,000
पैकिंग सामग्री	12,573,700	6,611,502
(ग)	61,511,862	87,680,625
निवल (क+ख+ग)	(अ) 390,913,781	174,849,494
खरीद/सीए स्टोर/भंडारण व्यय		
सीए स्टोर का रखरखाव	10,295,000	8,308,120
माल भाड़ा व्यय	36,975,521	11,533,294
संचालन प्रभार	1,523,296	999,070
लॉडिंग/अनलोडिंग प्रभार	12,207,291	3,992,178
ऊर्जा एवं ईंधन	18,618,627	10,116,196
परीक्षण व्यय/प्रभार/उपभोग की वस्तुएं	32,052	10,180
अधिप्राप्ति पर्यवेक्षण परामर्श	7,363,080	4,862,160
नियंत्रण कक्ष में पानी का छिड़काव	227,100	57,600
उपभोग का सामान	1,556,072	469,792
एपीएमसी शुल्क	3,115,647	1,108,327
निष्पादन पुरस्कार	150,000	120,500
स्टोर का किराया	140,886	123,165
फोर्कलिफ्ट भाड़ा प्रभार	-	4,000
(ब)	92,204,572	41,704,581
खरीद – ऑफ सीजनल गतिविधियां	(स) 27,143,725	21,227,067
योग (अ से स)	510,262,078	237,781,142

फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

(कॉनकॉर की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

अनुसूची 11 : कर्मचारियों का पारिश्रमिक और हितलाभ

(राशि ₹ में)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	31.03.2010 को समाप्त वर्ष
वेतन, भत्ते एवं अन्य कर्मचारी हितलाभ	11,428,821	12,799,571
अंशदायी भविष्य निधि एवं परिवार पेंशन निधि में योगदान	1,009,860	930,997
आवास पट्टा हेतु किराया	446,257	500,507
कर्मचारी कल्याण एवं चिकित्सा	1,368,521	471,379
उपदान	-	218,193
प्रशिक्षण व्यय	27,964	5,486
योग	14,281,423	14,926,133

अनुसूची 12 : प्रशासनिक एवं अन्य व्यय

(राशि ₹ में)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	31.03.2010 को समाप्त वर्ष
छपाई एवं स्टेशनरी व्यय	279,021	182,560
यात्रा एवं वाहन	1,314,540	1,087,023
यात्रा एवं वाहन – निदेशकगण	2,400	88,894
कार्यालय स्थल का किराया/राई कार्यालय की भूमि और लाइसेंस शुल्क	2,355,920	2,187,019
अनुसंधान एवं विकास व्यय	12,744	-
कार्यालय / सीए स्टोर का अनुरक्षण	1,568,907	990,537
विद्युत व्यय	47,822	66,768
मरम्मत एवं रखरखाव :		
– भवन	17,986	-
– संयंत्र एवं मशीनरी	773,102	468,706
सुरक्षा व्यय	1,085,529	968,546
कार्यालय वाहन/कार किराया प्रभार	2,202,837	2,009,642
व्यवसाय विकास	37,144	24,572
डाक टेलीफोन एवं इंटरनेट	629,633	628,635
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	8,100	21,550
बैंक प्रभार	47,684	31,416
विधिक एवं व्यवसायिक शुल्क	671,502	385,126
एजेंसी प्रभार मिशन	14,274,335	6,966,472
बीमा किस्त	566,849	744,506
अभिदान एवं सदस्यता शुल्क	3,425	1,625
प्रदर्शनी व्यय	-	20,327
छूट	1,601,027	98,753
विज्ञापन	547,219	661,628
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक		
– सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	83,387	77,210
– कर लेखा परीक्षा शुल्क	35,737	33,090
संदेहास्पद देनदारी हेतु प्रावधान	12,652	-
विविध व्यय	230,590	198,742
योग	28,410,092	17,943,347

फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

(कॉनकॉर की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

अनुसूची 13 : लेखाकरण संबंधी महत्वपूर्ण नीतियाँ

1. लेखाकरण धारणाएँ एवं संकल्पनाएँ

वित्तीय लेखाओं को सामान्यतः परंपरागत लागत के प्रोद्भवन के आधार पर और स्वीकृत अनिवार्य लेखाकरण मानक सिद्धांतों के अनुरूप एवं कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रस्तुतीकरण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाता है। लेखाकरण नीतियाँ, यदि उनका अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया है, सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप ही होती हैं।

2. अचल परिसंपत्ति

अचल परिसंपत्ति को उनकी अधिग्रहण या निर्माण लागत से संचयी मूल्यहास घटाकर दर्शाया जाता है। अधिग्रहण लागत में से अग्रिम पूंजी पर ब्याज को घटाया गया है तथा इसमें माल-भाड़ा, शुल्क, कर एवं अन्य प्रासंगिक व्यय सम्मिलित हैं। उन परिसंपत्तियों के संदर्भ में, जिनका पूंजीकरण किया जाना है और जिनका अंतिम बिल/दावों को प्राप्त करना/पास करना शेष है, पूंजीकरण इंजीनियरी प्राक्कलनों पर आधारित है। लागत और मूल्यहास का अन्तिम समायोजन पहले की तरह वास्तविक लागत पता लगने और दावे को अंतिम रूप से निपटाने वाले वर्ष में किया गया है। मशीनरी के पुर्जों को, जिन्हें केवल अचल परिसंपत्ति के लिए प्रयोग किया जाता है और जिनका प्रयोग अनियमित है, पूंजीगत दर्शाया गया है।

3. उधार लागत

अधिग्रहीत अथवा सापेक्ष परिसंपत्ति के निर्माण में लगी उधार लागत को संबंधित परिसंपत्ति के साथ ही पूंजीगत राशि के अंतर्गत दर्शाया गया है और अन्य सभी उधार लागत को राजस्व में प्रभारित किया गया है। सापेक्ष परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जिसे सार्थक प्रयोग हेतु तैयार करने में अवश्य ही पर्याप्त समय अवधि लगती है।

4. माल सूची

मालसूचियों का मूल्यांकन लागत या नकदीकरण मूल्य, जो भी कम हो, पर किया गया है। लागत के अंतर्गत सीधी खरीद और प्रत्यक्ष विनियोज्य व्यय का अनुपात शामिल है। लागत का निर्धारण भारत औसत आधार पर किया गया है।

5. मूल्यहास

मूल्यहास की गणना कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दर और सीधी पंक्ति पद्धति के आधार पर की गई है।

6. परिसंपत्तियों का हानिकरण

जब परिसंपत्ति का वास्तविक मूल्य (Carrying Amount) वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाए तब इसे परिसंपत्ति का हानिकरण कहा जाता है। इस प्रकार की हानि को उसी वर्ष, जिसमें परिसंपत्ति के हानिकरण का पता चलता है, लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

7. सेवानिवृत्ति लाभ

तुलन-पत्र की तिथि को कर्मचारियों को देय उपदान (ग्रेच्युटी) का प्रावधान उपचित स्वतंत्र बीमाकिक द्वारा उपचित आधार पर (अक्रुअल बेसिस) किया गया है।

'कर्मचारियों को देय अवकाश यात्रा छूट और अवकाश वेतन हेतु उपचित देयता के प्रावधान को अवकाशों के नकद मूल्य के आधार पर' किया दिया गया है।

कर्मचारी भविष्यनिधि और परिवार पेंशन निधि जैसी निर्धारित अंशदायी स्कीमों के अंशदान का जब भी उपचित हुआ, तभी लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया गया है।

8. राजस्व स्वीकरण

विक्रय

सामान की बिक्री से राजस्व स्वीकरण तब किया जाता है जब सामान के स्वामित्व के जोखिम और लाभ को ग्राहक को अंतरित किया जाता है और इसके निर्धारण अथवा प्राप्ति पर कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं होती है।

किराए से आय

राजस्व का स्वीकरण उपचित के आधार पर किया जाता है।

अन्य आय

राजस्व का स्वीकरण उपचित आधार पर किया जाता है।

9. आय पर कर

(i) आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुरूप चालू कर हेतु प्रावधान किया जाता है।

(ii) कर योग्य आय और लेखानुसार आय के बीच समय का अन्तर, जो एक अवधि में निकलता है और एक अथवा बाद के वर्षों में प्रत्यावर्तित हो सकता है, के अध्याधीन आस्थगित कर का स्वीकरण किया गया है।

फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

(कॉनकॉर की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

10. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ :

सांविधिक दायित्वों के संबंध में प्रावधानों का लेखाकरण उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया गया है, तुलन-पत्र तिथि को उनकी उपस्थिति संभाव्य दर्शाया है।

आकस्मिक देयताओं का निर्धारण उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर किया जाता है। इन देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है और इन्हें लेखा पर टिप्पणियों में दर्शाया गया है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों का लेखाओं में तब लेखाकरण नहीं किया जाता जब तक कि भविष्य में उनकी वसूली की पूर्ण निश्चितता न हो।

11. प्रारंभिक व्यय

प्रारंभिक व्यय का परिशोधन पाँच वर्ष की अवधि तक किया जाता है।

12. लीज

लीज किराए परिचालन लीज के अनुरूप हैं इसलिए इनका लीज शर्तों के अनुरूप लेखाकरण किया गया है।

अनुसूची 14 : लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1. ₹ 2,00,000 बैंक गारंटी से संबंधित (गत वर्ष में ₹ 2,00,000) आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया।

2. कंपनी ने एचएसआईडीसी लिमिटेड से 30 वर्ष के लिए पट्टे पर भूमि ली है, जिसे 99 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और इसके लिए कोई लीज प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है। पहले पंद्रह वर्षों के लिए 66,400 वर्ग मीटर क्षेत्र का पट्टा किराया प्रतिमाह ₹ 1.50 प्रति वर्ग मीटर है और इसके बाद इसे परस्पर सहमति से में तय किया जाएगा।

3. व्यावसायिक सहयोगी से प्राप्त कंसाइनमेंट नोट बिलों के आधार पर बिक्री का लेखाकरण किया गया है।

4. संबंधित पार्टि प्रकटन

आईसीएआई द्वारा जारी संबंधित पार्टि प्रकटन संबंधी लेखाकरण मानक - 18 के अंतर्गत 'संबंधित पार्टि प्रकटन' निम्नलिखित है -

(क) संबंध -

i) वे कंपनियाँ जिनका नियंत्रण है -

होलिडिंग कंपनी - भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

श्री अनिल कुमार गुप्ता	अध्यक्ष
श्री हरप्रीत सिंह	निदेशक
श्रीमती पी अल्लिरानी	निदेशक
श्री यशवर्धन	निदेशक
श्री टी आर डूंगाजी	निदेशक

(ख) व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित लेन-देन किए गए:

	2010-11	2009-10
i) वे पार्टियाँ जिनका नियंत्रण है (होलिडिंग कंपनी)		
लिया गया ब्याज मुक्त गैर जमानती ऋण	शून्य	₹ 22,00,00,000
लौटाया गया ब्याज मुक्त गैर जमानती ऋण	₹ 5,50,00,000	₹ 16,00,00,000
ऋण पर ब्याज	₹ 49,00,000	शून्य
ऋण पर ब्याज पर काटा गया टीडीएस	₹ 4,90,000	शून्य
ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक		
निदेशकों को दिया गया बैठक शुल्क		
श्री जनत शाह	₹ 60,000	₹ 60,000
श्री टी आर डूंगाजी	₹ 1,80,000	₹ 1,00,000
(ग) वर्ष के अंत में शेष		
	2010-11	2009-10
i) वे पार्टियाँ जिनका नियंत्रण है (होलिडिंग कंपनी)		
गैर जमानती ऋण	₹ 28,14,32,750	₹ 33,64,32,750
गैर जमानती ऋण	₹ 44,10,000	शून्य
ii) मुख्य प्रबंधन कार्मिक		शून्य

फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

(कॉनकॉर की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

5. प्रति शेयर अर्जन	31.03.11	31.03.10
लाभ एवं हानि लेखा के अनुसार कर पश्चात् लाभ (₹)	42,15,873	(9,06,43,062)
बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (अंकों में)	4,82,73,810	4,82,73,810
मूल और कमतर अर्जन (हानि) (₹) / प्रति शेयर	0.09	(1.88)
6. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441ए के अंतर्गत अधिसूचना जारी होना लंबित है अतः कुल कारोबार पर उपकर हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।		
7. विदेशी मुद्रा में आय और व्यय का विवरण:	2010-11	2009-10
क) विदेशी मुद्रा में व्यय		
यात्रा व्यय (₹)	शून्य	शून्य
ख) विदेशी मुद्रा में आय	शून्य	शून्य
8. खरीद, बिक्री और स्टॉक से संबंधित, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची IV के भाग II के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त सूचना:		

सेब	मद	आदि स्टॉक	खरीद	बिक्री	खपत*	अंत शेष
	मात्रा (कि.ग्रा.) वर्त. वर्ष	13,74,109	93,61,373	95,38,540	2,82,073	9,14,869
	मात्रा (कि.ग्रा.) गत वर्ष	28,17,275	28,55,850	42,05,745	93,271	13,74,109
	राशि (₹ में) वर्त. वर्ष	7,95,35,123	32,55,17,973	58,86,51,869	-	4,74,74,162
	राशि (₹ में) गत वर्ष	12,55,89,888	12,07,64,234	21,86,78,044	-	7,95,35,123
पैकिंग सामग्री	मात्रा (कि.ग्रा.) वर्त. वर्ष	6,34,440	27,07,583	12,97,200	12,82,495	7,62,328
	मात्रा (कि.ग्रा.) गत वर्ष	4,37,513	6,80,491	1,85,883	2,97,681	6,34,440
	राशि (₹ में) वर्त. वर्ष	66,11,502	3,77,37,207	1,78,46,571	1,39,28,438	1,25,73,700
	राशि (₹ में) गत वर्ष	42,33,520	1,03,68,477	43,65,865	36,24,630	66,11,502

* फल की खपत में नमी से हुआ नुकसान, बर्बादी, फलों का परीक्षण आदि शामिल है।

- लेखाकरण मानक -19 के अनुसार कार्यालय परिसर और कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए आवास हेतु परिचालित लीज की राशि ₹ 27,69,709 (पूर्व वर्ष में 26,61,474) को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया गया है जोकि ₹ 32,968 (पूर्व वर्ष में ₹ 26,052 को घटाकर है। लीज व्यवस्था की अवधि मामले दर मामले में भिन्न-भिन्न है।
- परिचालन से आय में सेबों, किन्नु, सीएफबी कार्टन की बिक्री, सीएफबी - कार्टन (बक्से), ऑफ सीजन गतिविधियां और कूलिंग प्रभार शामिल हैं।
- खराब एवं संदेहास्पद देनदारी हेतु ₹ 12,652 (गत वर्ष शून्य) का प्रावधान किया गया।
- कंपनी फलों के संभारतंत्र का व्यवसाय कर रही है। इसकी सभी गतिविधियां इसके व्यवसाय के इर्द-गिर्द हैं और इसके सभी परिचालन भारत में हुए हैं। इस प्रकार लेखाकरण मानक-17 में परिभाषित खंडवार प्रतिवेदन से संबंधित कोई प्रतिवेदनीय खंड नहीं है।
- कंपनी ने 1 अप्रैल, 2010 से आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकरण मानक 15 - कर्मचारी हितलाभ (संशोधित 2005) को अपना लिया है। उपर्युक्त लेखाकरण मानक के अनुसार आवश्यक प्रकटन निम्नलिखित हैं -

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं :

- कर्मचारी पेंशन योजना 1995 हेतु नियोक्ता का अंशदान कंपनी एक अलग ट्रस्ट को पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्यनिधि हेतु निर्धारित अंशदान अदा करती है जो इस निधि को अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश करता है। अवधि विशेष के लिए निधि हेतु अंशदान को व्यय दर्शाया जाता है और इसे लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। ऐसे निर्धारित अंशदान हेतु कंपनी की बाध्यता सीमित है। तथापि, सदस्य को उसके अंशदान हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम ब्याज दर पर भुगतान करना ट्रस्ट द्वारा आवश्यक है। इस वर्ष के दौरान कंपनी ने लाभ और हानि लेखा में निम्नलिखित राशियों को दर्शाया है -

- भविष्यनिधि में नियोक्ता का अंशदान - ₹ 8.21 लाख (गत वर्ष ₹ 7.53 लाख)

(ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं :

उपदान : कंपनी में परिभाषित हितलाभ उपदान योजना लागू है जिसे उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत चलाया जाता है। यह योजना गैर वित्त पोषित है। इसके लिए देयता की गणना बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

अवकाश यात्रा रियायत : कंपनी अपने कर्मचारियों को एलटीसी की सुविधा प्रदान करती है जिसे इस संबंध में बनाई गई नीति के अनुसार दिया जाता है। इस सुविधा हेतु देयता का लेखाकरण उपचित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

अवकाश नकदीकरण : कंपनी में अपने कर्मचारियों के लिए परिभाषित हितलाभ अवकाश नकदीकरण योजना लागू है। इस योजना के अंतर्गत वे अपने अर्जित अवकाश और एक निर्धारित सीमा तक चिकित्सा अवकाश तथा इसके लिए निर्धारित अन्य शर्तों के अनुसार नकदीकरण करा सकने के पात्र हैं। अवकाश नकदीकरण की देयता का प्रावधान बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

(कॉनकॉर की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

(ग) सारांश स्थिति :

विवरण	अवकाश यात्रा छूट (गैर वित्त पोषित)		उपदान (गैर वित्त पोषित)		अवकाश नकदीकरण (गैर वित्त पोषित)	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
लाभ और हानि लेखा में दर्शाए गए व्यय	254,941	52,626	-	2,18,193	-	961,730
तुलन-पत्र में दर्शायी गई राशि:						
31 मार्च को दायित्वों की वर्तमान कीमत (i)	1,39,208	-	7,51,563	8,71,392	20,36,590	23,62,879
31 मार्च को योजनागत परिसंपत्ति की उचित कीमत (ii)	-	-	-	-	-	-
अंतर (ii)-(i)	(1,39,208)	-	(7,51,563)	(8,71,392)	(20,36,590)	(23,62,879)
तुलन-पत्र में दर्शायी गई निवल परिसंपत्ति / (देयताएं)	(1,39,208)	-	(7,51,563)	(8,71,392)	(20,36,590)	(23,62,879)

(घ) बीमांकक पूर्वांनुमान : बीमांकक मूल्यांकन हेतु प्रयोग में लाए गए प्रमुख पूर्वांनुमान :

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|
| | 2010-11 | 2009-10 |
| i) अपनाई गई विधियां | प्रक्षेपित यूनिट कार्ड विधि | लागू नहीं |
| ii) बट्टा दर | 8.00% | लागू नहीं |
| iii) भावी वेतन वृद्धि | 5.50% | लागू नहीं |
- लंबी अवधि के आधार पर महंगाई दर के दृष्टिगत वेतन वृद्धि दर का पूर्वांनुमान लगाया गया है।
- वर्ष के दौरान, कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) संशोधित नियम, 2011 के अंतर्गत निर्धारित वेतन के समकक्ष या इससे ज्यादा वेतन प्राप्त करने वाला कंपनी का कोई कर्मचारी नहीं है।
 - वर्ष के दौरान चालू कर हेतु कंपनी द्वारा प्रावधान नहीं किया गया क्योंकि कंपनी ने आयकर अधिनियम 1961 अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2010-11 तक की ₹ 58.77 करोड़ की हानि को लेखाओं में अग्रेषित किया है।
 - आस्थगित कर परिसंपत्ति का लेखाकरण नहीं किया गया क्योंकि ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्ति की वसूली के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय की उपलब्धता को लेकर अनिश्चय है तथापि लाभ एवं हानि लेखा में लाभ पर आस्थगित कर देयता का लेखांकन किया गया है।
 - कंपनी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत आने वाले आपूर्तिकर्ताओं से तुलन पत्र की तिथि तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अतः इस अधिनियम के अंतर्गत कोई प्रकटन नहीं किया गया है।
 - चूंकि लीज का नवीनीकरण/विस्तार होना अपेक्षित है। अतः भूमि की लीज अवधि पर ध्यान न देते हुए लीज होल्ड भूमि पर बने परिसंपत्तियों पर मूल्यहास हेतु कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुरूप प्रावधान किया गया है।
 - विविध लेनदारों, ऋण एवं अग्रिम, जमा, विविध देनदारों आदि के शेष की पुष्टि/मिलान किया जाना है।
 - वर्ष के दौरान आयातित उपयोज्य, माल पर किया गया ₹ शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य) था।
 - अन्य आय में पूर्व वर्षों के लिए हरियाणा वेट से प्राप्त क्रेडिट ₹ 8,65,856 भी शामिल है।
 - संरक्षा व्यय आदि के संबंध में वेतन संशोधन के प्रभाव का लेखाकरण दावों की प्राप्ति पर किया जाएगा।
 - प्रबंधन की राय में, वर्ष के दौरान किसी परिसम्पत्ति के हानिकरण के संकेत नहीं मिले। तदनुसार, लेखाकरण मानक-28 के अंतर्गत आवश्यक परिसम्पत्ति के हानिकरण हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया।
 - कर्मचारियों को देयता/कैफेटेरिया सिद्धांत पर आधारित कॉनकॉर के परिपत्र संख्या/एचआर/276/6/912 दिनांक 23.4.2009 (डीपीई कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70)/08-डीपीई (डब्ल्यूधन सी) - जीएलएक्स. VI/08 दिनांक 26.11.2008 के अनुसार) के आधार पर ₹ 398.90 है। इस पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के पश्चात् विचार किया जाएगा।
 - मैसर्स यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड के पास ₹ 2,15,560 का दावा किया गया है और दिनांक 31.3.2011 तक विचारार्थ है। इसका निपटान दिनांक 10.5.2011 को ₹ 2,13,760 में किया गया।
 - नेशनल हार्टीकल्चर बोर्ड से चिल्लर यूनिटस (10 न.) प्राप्त करने के लिए ₹ 713,600 का अनुदान प्राप्त हुआ है। इनकी अधिप्राप्ति कर ली गई तथा इसका लेखाकरण/एएस-12 सरकारी अनुदान के अनुरूप नोमिनल वैल्यू पर आईसीएआई द्वारा जारी किया गया है।

फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

(कॉनकॉर की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

27. लेखाकरण मानक – 29 के अनुसार, विवरण निम्नलिखित है।

विवरण	(राशि ₹ में)	
	उपदान एवं अवकाश नकदीकरण 2010-11	2009-10
आदि शेष	32,34,271/-	27,28,597/-
वर्ष के दौरान जोड़	-	11,79,923/-
प्रयुक्त/उपचित राशि	4,46,118/-	6,74,249/-
अंत शेष	27,88,153/-	32,34,271/-

28. (क) जब तक कि बताया ना गया हो, सभी आकड़ों को रु. में दर्शाया गया है।

(ख) पूर्व वर्ष के आकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक समझा गया, इस वर्ष के वर्गीकरण के साथ समानरूपता के लिए सुधारा/पुनर्गठित/पुनर्संयोजित किया गया है।

29. तुलन-पत्र सार और कंपनी के व्यवसाय की सामान्य रूपरेखा

(अनुसूची VI भाग IV में संशोधन के रूप में)

I पंजीकरण का विवरण

पंजीकरण संख्या	U51909DL2006PLC145734		
राज्य कोड	55		
तुलन-पत्र की दिनांक	31	03	2011
	दिनांक	माह	वर्ष

II वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी (₹ हजार में)

पब्लिक/यूरो इश्यू	राइट इश्यू
शून्य	शून्य
बोनस इश्यू	निजी स्थापना में
शून्य	शून्य

III. निधियों के जुटाने और वितरण की स्थिति (₹ हजार में)

कुल देयताएँ	कुल परिसंपत्ति
1,276,218	1,276,218
निधियों के स्रोत:	
प्रदत्त पूंजी	प्रारक्षित एवं अधिशेष
482738	1062
प्रारक्षित ऋण	अनारक्षित ऋण
473189	285843
चल देयताएँ	आस्थगित कर देयताएँ
31501	1885
निधियों की प्रयोज्यता निवल अचल परिसंपत्ति	निवेश
686270	शून्य
चल परिसंपत्ति	विविध व्यय
199174	585
संचित हानियाँ	
390189	

IV कंपनी का निष्पादन

कुल व्यवसाय (अन्य आय सहित)	कुल व्यय
646495	640394
कर से पूर्व लाभ/(हानि)	कर पश्चात् लाभ/(हानि)
6101	4216

V. कंपनी के मुख्य उत्पाद (मौद्रिक शर्तों के अनुसार)

उत्पाद वर्णन	सेब
--------------	-----

“अनुसूची 1 से 14 पर हस्ताक्षर”

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एस. पोद्दार एंड कंपनी,

चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स

एस. एस. पोद्दार

साझेदार

सदस्य संख्या – 015018

दिनांक : 27.06.2011

स्थान : नई दिल्ली

निदेशक बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

अनिल कुमार गुप्ता
अध्यक्षपी. अल्लिरानी
निदेशकनरेश कुमार जावा
सीईओसुमन लता
उप प्रबंधक (वित्त) एवं कंपनी सचिव

फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

(कॉनकॉर की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

- हमने फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के 31 मार्च, 2011 तक के संलग्न तुलन-पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा एवं नकद प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय कथनों के प्रति कंपनी प्रबंधन उत्तरदायी है। लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय कथनों पर अपनी राय देना हमारा दायित्व है।
- हमने लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की है। उन मानकों के अनुसार हमें लेखापरीक्षा को इस प्रकार योजनाबद्ध एवं निष्पादित करना होता है कि इस संबंध में अपेक्षित उचित आश्वासन प्राप्त कर लिए जाएं कि ये वित्तीय कथन असरकारक असत्य कथनों से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में नमूने के आधार पर जाँच, राशियों के समर्थन में साक्ष्य और वित्तीय कथनों में प्रकटीकरण सम्मिलित हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलन के साथ-साथ समग्र वित्तीय कथनों के प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित हैं। हमें विश्वास है कि हमारी राय के समर्थन में हमारी लेखापरीक्षा में पर्याप्त आधार मौजूद हैं।
- कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (4ए) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 में यथा अपेक्षित, हम उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों के विवरण को यहाँ संलग्न करते हैं।
- इसके अतिरिक्त, हम यह रिपोर्ट देते हैं कि :
 - हमने उन सभी जानकारी और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे ;
 - जैसाकि हमने पुस्तिकाओं का निरीक्षण करके देखा, हमारी राय में कंपनी द्वारा विधि अनुसार अपेक्षित उचित लेखा पुस्तिकाएँ रखी गई हैं।
 - इस रिपोर्ट में तैयार किए गए तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा, नकद प्रवाह विवरण लेखा-पुस्तिकाओं के अनुरूप हैं।
 - हमारी राय में तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा, नकद प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3 सी) में निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप हैं।
 - भारत सरकार के कंपनी मामलों से संबंधित विभाग से दिनांक 21 अक्टूबर, 2003 को जारी आदेश संख्या जीएसआर 829(ई) के संदर्भ में सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) (जी) की प्रयोज्यता से छूट है।
 - हमारी राय में और हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अपेक्षित सूचना और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप उक्त लेखा सही और स्पष्ट रूप देते हैं:
 - तुलन-पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2011 को कंपनी के कार्यों की स्थिति,
 - लाभ और हानि लेखा के मामले में, उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए हानि की स्थिति ; और
 - नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में, उस दिनांक को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की स्थिति दी गई है।

कृते एस एस पोद्दार एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स

साझेदार

सदस्य सं. 015018

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 27.06.2011

फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

(कॉनकॉर की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राइजेज लि. के

लेखाओं पर सम दिनांक को दी गई हमारी रिपोर्ट के पैरा 3 में वर्णित संलग्नक :

- (i) (क) कंपनी ने मात्रात्मक ब्यौरे सहित अचल परिसंपत्ति का पूर्ण विवरण एवं स्थिति को दर्शाते हुए उचित रिकार्ड रखा है।
- (ख) वर्ष के दौरान कंपनी की अचल परिसंपत्ति का प्रबंधन द्वारा वास्तविक सत्यापन किया गया है और बुक रिकार्ड और वास्तविक सत्यापन में कमी नगण्य पाई गई। हमारी राय में सत्यापन की पुनरावृत्ति कंपनी के आकार को देखते हुए तर्कसंगत है।
- (ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्ति के प्रमुख भाग का पर्याप्त निपटान नहीं किया है, जिससे कंपनी का कार्यरत संस्था का दर्जा प्रभावित हो।
- (ii) (क) जैसा कि हमें जानकारी दी गई 31 मार्च 2011 को सामान एवं अतिरिक्त कल-पुर्जों के स्टॉक का प्रबंधन द्वारा वास्तविक सत्यापन किया गया है। प्रबंधन की राय में वास्तविक सत्यापन की पुनरावृत्ति वर्ष में एक बार तर्कसंगत है। कंपनी के आधार और व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए प्रबंधन द्वारा अपनाई गई भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया उपयुक्त और पर्याप्त है।
- (ख) हमारी राय में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन ने सामान एवं अतिरिक्त कल-पुर्जों के सत्यापन की जो प्रक्रिया अपनाई है वह कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय के स्वरूप की दृष्टि से उचित एवं पर्याप्त है।
- (ग) (i) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और व्याख्या के अनुसार कंपनी मालसूची का उचित रिकार्ड रखती है।
- (ii) हमें दी गई व्याख्या के अनुसार भौतिक रूप से किए गए सत्यापन और लेखा पुस्तिकाओं के रिकार्ड में पाई गई कमियां नगण्य थीं और उनका लेखा पुस्तिकाओं में उचित रूप से लेखाकरण किया गया है।
- (iii) (क) हमें दी गई सूचना के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को कोई ऋण नहीं दिया है। अतः कंपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट आदेश 2003 यथा संशोधित की धाराएं 4 (iii) (ए) से 4 (iii) (डी) इस पर लागू नहीं होती।
- (ख) फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर के अनुसार एक कंपनी से ब्याज मुक्त गैर जमानती ऋण लिया है। वर्ष के दौरान यह ऋण अधिकतम ₹ 33,64,32,750 लाख था और वर्ष की समाप्ति पर पार्टी से लिए गए इस ऋण का शेष ₹ 28,58,42,750 रहा।
- (ग) हमारी राय में, ब्याज की दर और अन्य शर्तें एवं निबंधन, जिन पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनी से ऋण लिया गया है, प्रथम दृष्टया कंपनी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती।
- (घ) जैसाकि निर्धारित किया गया है, कंपनी मूलधन की अदायगी नियमित रूप से कर रही है।
- (iv) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, सामान और कल-पुर्जों की खरीद, अचल परिसंपत्ति माल की बिक्री और सेवाएं देने के संबंध में कंपनी के आकार और व्यवसाय के स्वरूप के अनुरूप यहाँ समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं हैं। हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं में बड़ी कमी को सुधारने हेतु निरंतर असफलता नहीं पाई गई।
- (v) (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में अधिनियम की धारा 301 में संदर्भित संविदा एवं करारों संबंधी विवरण जोकि कंपनी अधिनियम की धारा 301 के तहत रखे रजिस्टर में दर्शाया जाना आवश्यक है उसके तहत दर्शाया गया है।
- (ख) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में दर्ज किए गए संविदा या करारों के अनुसरण में किए गए अंतरणों और वर्ष के दौरान किसी भी पार्टी के साथ अंतरण को उन्हीं मूल्यों पर किया गया है जोकि उस समय पर विद्यमान बाजार कीमतों के अनुरूप है।
- (vi) कंपनी ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की, इसलिए आदेश का अनुच्छेद 4(vi) इस कंपनी पर लागू नहीं होता।
- (vii) हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय के स्वरूप के अनुरूप कंपनी में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान है।
- (viii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं यथा स्पष्टीकरण के अनुसार, इस कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (डी) के अधीन लागत रिकार्ड को रखने की आवश्यकता नहीं है।

फ्रेश एंड हैल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

(कॉनकॉर की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

- (ix) (क) कंपनी रिकार्ड के अनुसार कंपनी अविवादित सांविधिक देय को जमा करने में नियमित रही है।
- (ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार भविष्य निधि, निवेशक शैक्षिक सुरक्षा निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, संपत्ति कर, बिक्री कर, सेवाकर, सीमाशुल्क एवं उत्पाद शुल्क, उपकर जैसी गैर विवादित राशियां और अन्य कोई गैर विवादित देय नहीं है जिसका भुगतान वर्ष की समाप्ति पर देय हो, इसके देय होने की तिथि से छह माह से अधिक की अवधि से बकाया हो।
- (ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार बिक्री कर, आयकर, संपत्ति कर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं उपकर देय शेष नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण जमा न कराया गया हो।
- (x) (i) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी की संचित हानि इसकी नेटवर्थ से 50 प्रतिशत से कम नहीं थी।
- (ii) कंपनी को वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं हुई।
- (iii) कंपनी को वित्तीय वर्ष समाप्ति के बाद शुरु वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई।
- (xi) कंपनी के रिकार्ड जिसका हमने निरीक्षण किया और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, तुलन-पत्र की तिथि का वित्तीय संस्थानों या बैंक या ऋण-पत्र (डिबेंचर) धारको को देय के भुगतान में कंपनी द्वारा कोई चूक नहीं हुई।
- (xii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमें दिखाए गए दस्तावेजों और रिकार्ड के अनुसार कंपनी ने शेयरों, 'डिबेंचरों' और अन्य प्रतिभूतियों को प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखकर कोई ऋण और अग्रिम नहीं दिया।
- (xiii) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियां चिट फंड और निधि/म्यूचुअल बेनीफिट फंड/समिति जैसी नहीं है। अतः इस कंपनी पर कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2003 (यथा संशोधित) की धारा 4(xiii) के प्रावधान लागू नहीं होते।
- (xiv) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, यह कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, 'डिबेंचरों' और अन्य निवेशों का व्यवसाय या खरीद-फरोख्त नहीं करती। तदनुसार इस कंपनी पर कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2003 (यथा संशोधित) की धारा 4(xiv) के प्रावधान लागू नहीं होते।
- (xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने किसी सहयोगी या सहायक कंपनी द्वारा लिए गए ऋण हेतु बैंक या वित्तीय संस्थानों को कोई गारंटी नहीं दी है।
- (xvi) हमारी राय में सांविधिक ऋण प्रयोज्य उद्देश्य हेतु उपयोग में लाया गया है।
- (xvii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के तुलन-पत्र और नकदी प्रवाह विवरण के समग्र निरीक्षण के अनुसार हम यह रिपोर्ट देते हैं कि कंपनी ने लघु अवधि के लिए कोई निधि नहीं उगाही जिसका प्रयोग दीर्घ अवधि के निवेश के लिए किया गया हो।
- (xviii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचिबद्ध पार्टियों और कंपनियों को इस कंपनी ने इस वर्ष के दौरान शेयरों का अधिमाम्य आबंटन (प्रिफरेंशियल अलोटमेंट) नहीं किया है।
- (xix) हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की अवधि के दौरान कंपनी के पास कोई बकाया ऋण पत्र (डिबेंचर) नहीं है।
- (xx) हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की अवधि के दौरान कंपनी ने 'पब्लिक इश्यू' के माध्यम से कोई राशि नहीं उगाही।
- (xxi) वित्तीय कथनों पर सही और स्पष्ट रिपोर्ट देने के उद्देश्य से किए गए लेखापरीक्षा के आधार पर तथा कंपनी प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम यह रिपोर्ट देते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी में या इसके द्वारा कोई धोखाधड़ी की सूचना/रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

कृते एस. एस. पोद्दार एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(एस. एस. पोद्दार)

साझेदार

सदस्य सं. 015018

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 27.06.2011

फ्रेश एंड हेल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

(कॉनकॉर की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	31.03.2010 को समाप्त वर्ष
		(राशि ₹ में)
क. परिचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
कर और असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ/(हानि)	6,101,118	(90,643,062)
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
मूल्यहास	36,407,896	36,651,109
प्रारंभिक व्यय	265,000	748,040
ब्याज नामे किया गया	50,767,688	38,177,344
अर्जित ब्याज	(681,191)	(1,376,273)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	92,860,511	(16,442,842)
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
व्यापार और अन्य प्राप्य राशियाँ	(102,865,836)	25,598,838
मालसूची (बढ़ोतरी)	25,450,363	43,716,783
प्रभारित अनुषंगी हितलाभ कर	-	-
अग्रिम तथा अन्य चल परिसंपत्तियाँ (कमी)	(902,454)	819,723
व्यापार एवं अन्य देय राशियाँ	13,972,824	(147,101,262)
परिचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	28,515,408	(93,408,760)
घटा : अदा किया गया कर	-	(75,000)
परिचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	28,515,408	(93,483,760)
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
अचल परिसंपत्तियों में कमी/बढ़ोतरी	(2,606,544)	(1,165,755)
प्राप्त ब्याज	675,288	1,311,182
निवेश क्रियाकलापों में (इस्तेमाल) से निवल नकदी	(1,931,256)	145,427
ग. वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
प्रीमियम पर शेयर पूंजी जारी करना	-	133,800,000
प्रारंभिक व्यय	-	(975,000)
	111,794,207	-
ऋण का उपयोग	-	220,000,000
ऋण की अदायगी	(117,400,853)	(222,400,853)
अदा किया गया ब्याज	(46,808,171)	(38,627,826)
वित्तीय क्रियाकलापों में / (इस्तेमाल) से निवल नकदी	(52,414,817)	91,796,321
नकदी और नकदी के समकक्ष निवल बढ़ोतरी (कमी)	(25,830,665)	(1,542,012)
नकदी और नकदी के समकक्ष में आदि शेष	29,674,087	31,216,099
नकदी और नकदी के समकक्ष में अंत में शेष	3,843,422	29,674,087
लेखा पुस्तिकाओं में निवल वृद्धि/(कमी)	(25,830,665)	(1,542,012)

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. एस. पोद्दार एंड कंपनी,
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स

निदेशक बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

एस. एस. पोद्दार
साझेदार
सदस्य संख्या - 015018

अनिल कुमार गुप्ता
अध्यक्ष

पी. अल्लिरानी
निदेशक

दिनांक : 27.06.2011
स्थान : नई दिल्ली

नरेश कुमार जावा
सीईओ

सुमन लता
उप प्रबंधक (वित्त) एवं कंपनी सचिव

फ्रेश एंड हेल्थी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

(कॉनकॉर की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए फ्रेश एंड हेल्थी एंटरप्राइजेज लि., नई दिल्ली के लेखाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए फ्रेश एंड हेल्थी एंटरप्राइजेज लि. के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन के अनुरूप तैयार करना कंपनी प्रबंधन का दायित्व है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देने के प्रति उत्तरदायी हैं कि उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा और आश्वासन मानकों के अनुरूप की गई है। हमें बताया गया है कि यह लेखापरीक्षा उनकी दिनांक 27.06.2011 की रिपोर्ट के अनुसार कर ली गई है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षा की ओर से मैंने यह निर्णय लिया है कि दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए फ्रेश एंड हेल्थी एंटरप्राइजेज लि. सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न की जाए और इसलिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत इस के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

(जॉन के सैलेट)

वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक
और लेखापरीक्षा बोर्ड - IV के पदेन सदस्य

समेकित वित्तीय विवरण

दिनांक 31 मार्च, 2010 का तुलन-पत्र

अनुसूची	31.03.2011		31.03.2010	
	को		को	
निधियों का स्रोत				
शेयरधारकों की निधियाँ				
शेयर पूंजी	1	129.98		129.98
प्रारक्षित एवं अधिशेष	2	4,808.81	4,938.79	4,166.98
ऋण निधियाँ	3		47.32	42.42
आस्थगित कर देयताएँ (आस्थगित कर परिसंपत्ति को घटाकर)			228.75	210.90
योग		5,214.86		4,550.28
निधियों की प्रयोज्यता				
अचल परिसंपत्ति				
सकल परिसंपत्ति	4	3,367.84		3,070.29
घटा : मूल्यहास/परिशोधन		972.20		834.43
निवल ब्लॉक		2,395.64		2,235.86
जमा : पूंजीगत निर्माणाधीन कार्य (अग्रिम सहित)		319.14	2,714.78	206.43
निवेश	5		195.58	192.16
चल परिसंपत्ति, ऋण एवं अग्रिम राशि				
(क) चल परिसंपत्ति	6	2,411.40		2,106.43
(ख) ऋण एवं अग्रिम		446.90	2,858.30	446.98
घटा: चल देयताएँ एवं प्रावधान	7			
(क) चल देयताएँ		399.50		491.38
(ख) प्रावधान		154.36	553.86	146.29
निवल चल परिसंपत्ति			2,304.44	637.67
विविध व्यय	11			1,915.74
(बट्टे खाते या समायोजित न किए गए व्यय)				
प्रारंभिक व्यय			0.06	0.09
लेखाकरण संबंधी महत्वपूर्ण नीतियाँ	12			
लेखाओं पर टिप्पणियाँ	13			
योग		5,214.86		4,550.28

1 से 13 अनुसूचियाँ लेखाओं का अभिन्न अंग हैं।

(हरीश चन्द्र)
लेखा एवं कंपनी सचिव

(पी अल्लिरानी) (अनिल कुमार गुप्ता)
निदेशक (वित्त) प्रबंध निदेशक

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते कुमार चोपड़ा एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स
(आर के अग्रवाल)
साझेदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21.07.2011

समेकित वित्तीय विवरण

दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि लेखा

अनुसूची	31.03.2011		31.03.2010	
	को समाप्त वर्ष		को समाप्त वर्ष	
आय				
परिचालन से आय		3,892.47		3,730.60
अन्य आय	8	201.87		180.69
योग		4,094.34		3,911.29
व्यय				
टर्मिनल एवं अन्य सेवा प्रभार		2,663.45		2,541.18
कर्मचारियों का पारिश्रमिक और हितलाभ	9	88.85		85.35
प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	10	129.67		144.57
मूल्यहास/परिशोधन		148.87		138.77
ब्याज		4.59		3.82
प्रारंभिक व्यय बट्टे खाते किए गए		0.03		0.07
योग		3,035.46		2,913.76
कर पूर्व लाभ				
घटा : कर हेतु प्रावधान		1,058.88		997.53
चालू कर		162.11		202.78
आस्थगित कर		17.85	179.96	17.14
कर पश्चात लाभ		878.92		777.61
जमा/(घटा) : पूर्व अवधि समायोजन (निवल)		0.01		0.49
जमा/(घटा) : पूर्ववर्ती वर्षों के लिए कर समायोजन (निवल)		(2.56)		(0.47)
निवल लाभ		876.37		777.63
विनियोजन				
अदा किया गया अंतरिम लाभांश		97.49		77.99
प्रस्तावित अंतिम लाभांश		103.99		103.99
निगमित लाभांश कर		33.06		30.52
सामान्य लाभांश कर		87.59		78.67
तुलन-पत्र में ले जाया गया शेष		554.24		486.46
		876.37		777.63
प्रत्येक ₹ 10/- के शेयर पर मूल एवं अपेक्षाकृत कम आय (₹ में)		67.42		59.83

(नोट संख्या 17, अनुसूची 13)

“1” से “13” अनुसूचियाँ लेखाओं का अभिन्न अंग हैं।

(हरीश चन्द्र)
लेखा एवं कंपनी सचिव

(पी अल्लिरानी) (अनिल कुमार गुप्ता)
निदेशक (वित्त) प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21.07.2011

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते कुमार चोपड़ा एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स
(आर के अग्रवाल)
साझेदार

समेकित वित्तीय विवरण

अनुसूची 1 : शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011 को	31.03.2010 को
प्राधिकृत		
10 रु. प्रत्येक के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	200.00	200.00
जारी किए गए, आधिदत्त एवं प्रदत्त		
10 रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर 12,99,82,794 (पिछले वर्ष 12,99,82,794) पूर्ण: प्रदत्त जारी किए गए (जिसमें आरक्षित सामान्य निधि के पूंजीकरण द्वारा जारी पूर्णतः प्रदत्त बोनस शेयर 6,49,91,397 इक्विटी शेयर शामिल हैं)	129.98	129.98
योग	129.98	129.98

अनुसूची 2 : प्रारक्षित एवं अधिशेष

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011 को	31.03.2010 को
सामान्य प्रारक्षित		
आदि शेष	458.95	380.28
जमा : लाभ एवं हानि लेखा से अंतरण	87.59	78.67
लाभ एवं हानि लेखा		
आदि शेष	3,708.03	3,221.57
वर्ष के दौरान जोड़	554.24	486.46
योग	4,808.81	4,166.98

अनुसूची 3 : जमानती एवं गैर जमानती ऋण

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011 को	31.03.2010 को
जमानती ऋण		
एक्सिस बैंक से लिया गया आवधिक ऋण (₹ 0.26 करोड़ देय और उपचित व्याज सहित) (पिछले वर्ष : ₹ 0.30 करोड़) कंपनी के वर्तमान और भावी अचल परिसंपत्तियों (चल और अचल) पर प्रथम प्रभार के प्रति जमानती और कंपनी के वर्तमान और भावी चालू परिसंपत्तियों पर द्वितीय प्रभार) (एफएचईएल)	36.14	42.42
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला से कार्यशील पूंजी सीमा (वर्तमान और भावी दोनों सम्पत्तियों पर मालबंधन के साथ जमानती) (एफएचईएल)	11.18	-
योग	47.32	42.42

समेकित वित्तीय विवरण

अनुसूची 4 : अचल परिसंपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2010 को	वर्ष के दौरान जोड़	बिक्री/ समायोजन	31.03.2011 को	01.04.2010 को	वर्ष के लिए	बिक्री/ समायोजन	31.03.2011 तक	31.03.2011 को	31.03.2010 को
प्रत्यक्ष परिसंपत्ति										
पूर्णस्वामित्व भूमि	12.27	0.39	-	12.66	-	-	-	-	12.66	12.27
पट्टे वाली भूमि	117.23	24.09	-	141.32	15.72	2.48	-	18.20	123.12	101.51
भवन	606.23	59.12	1.91	663.44	134.29	19.88	1.05	153.12	510.32	471.94
रेल स्थल	50.66	26.09	-	76.75	16.31	2.81	-	19.12	57.63	34.35
संयंत्र एवं मशीनरी	1953.34	184.03	-	2137.37	517.45	103.79	-	621.24	1516.13	1435.89
कंटेनर	92.61	-	0.38	92.23	27.25	4.38	0.27	31.36	60.87	65.36
विद्युतीय फिटिंग	49.39	2.61	0.16	51.84	30.51	3.51	0.14	33.88	17.96	18.88
कंप्यूटर	53.41	9.08	7.10	55.39	34.58	5.03	6.60	33.01	22.38	18.83
फर्नीचर एवं फिक्सचर	10.31	0.69	-	11.00	5.84	0.63	(0.01)	6.48	4.52	4.47
कार्यालय उपकरण	7.99	1.18	0.06	9.11	2.84	0.42	0.02	3.24	5.87	5.15
विन्स	16.86	-	-	16.86	2.01	0.80	-	2.81	14.05	14.85
टेलीफोन प्रणाली	1.55	0.09	-	1.64	0.76	0.07	-	0.83	0.81	0.79
एयरकंडीशनर	5.64	0.34	0.04	5.94	1.56	0.28	0.02	1.82	4.12	4.08
वाहन	0.62	0.08	0.09	0.61	0.45	0.04	0.07	0.42	0.19	0.17
पूंजीगत व्यय*	23.38	0.09	3.43	20.04	22.59	0.30	2.94	19.95	0.09	0.79
उप योग	3001.49	307.88	13.17	3296.20	812.16	144.42	11.10	945.48	2350.72	2189.33
अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति										
सॉफ्टवेयर	18.80	2.84	-	21.64	14.18	1.95	-	16.13	5.51	4.62
पंजीकरण शुल्क	50.00	-	-	50.00	8.09	2.50	-	10.59	39.41	41.91
उप योग	68.80	2.84	-	71.64	22.27	4.45	-	26.72	44.92	46.53
योग	3070.29	310.72	13.17	3367.84	834.43	148.87	11.10	972.20	2395.64	2235.86
पूंजीगत निर्माणाधीन कार्य (अग्रिम राशि ₹ 200.62 करोड़ रु. सहित) (गत वर्ष ₹ 93.87 करोड़)									319.14	206.43
कुल योग									2714.78	2442.29
गत वर्ष	2722.27	350.46	2.44	3070.29	697.74	138.77	2.08	834.43	2235.86	

* कृपया अनुसूची 13 की टिप्पणी 7 का संदर्भ ग्रहण लें।

टिप्पणी: (1) संयंत्र एवं मशीनरी और कंटेनर के सकल ब्लॉक में ₹ 1.87 करोड़ (गत वर्ष ₹ 1.87 करोड़) और ₹ 0.10 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.10 करोड़) की राशि सम्मिलित है जो कि अप्रचलित/बेकार होने के कारण प्रगामी से निवृत्त मदों से संबंधित है।

(2) भूमि और भवन के सकल ब्लॉक में ₹ 1.45 करोड़ (गत वर्ष ₹ 1.45 करोड़) के मूल्य की वह परिसंपत्ति सम्मिलित है जिसकी बिक्री/पट्टे के लिए करार का अभी निष्पादन किया जाना है।

(3) भवन में सकल ब्लॉक में ₹ 21.385 करोड़ (गत वर्ष ₹ 19.46 करोड़) के मूल्य का पूर्णस्वामित्व भवन सम्मिलित है।

समेकित वित्तीय विवरण

अनुसूची 5 : निवेश

	31.03.2011 को	(₹ करोड़ में) 31.03.2010 को
लंबी अवधि के लिए निवेश (कीमत पर) व्यवसाय निवेश (अनुत्कथित)		
I. व्यावसायिक व्यवस्था में		
– हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लि. और मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लि. के साथ 'ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप – एयर कार्गो कॉम्प्लैक्स' के नाम से	-	0.87
– हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लि. के साथ 'हॉलकॉन' के नाम से	3.19	3.19
	3.19	4.06
II. संयुक्त उद्यम के शेयर में		
4,706,695 स्टार ट्रेक टर्मिनल प्रा. लि. में पूर्णरूप से प्रदत्त प्रत्येक (गत वर्ष 4,706,695) 10 रु. के इक्विटी शेयर	4.71	4.71
2,940,000 अल्बार्टोस सीएफएस प्रा. लि. में पूर्णरूप से प्रदत्त प्रत्येक (गत वर्ष 2,940,000) 10 रु. के इक्विटी शेयर	2.94	2.94
2,443,630 ट्राईडेंट टर्मिनल्स प्रा. लि. में पूर्णरूप से प्रदत्त प्रत्येक (गत वर्ष 2,443,630) 10 रु. के इक्विटी शेयर	2.44	2.44
117,780,000 गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्रा. लि. में पूर्णरूप से प्रदत्त प्रत्येक (गत वर्ष 117,780,000) 10 रु. के इक्विटी शेयर	117.78	117.78
2,048,200 सीएमए-सीजीएम लॉजिस्टिक्स पार्क (दादरी) प्रा. लि. में पूर्णरूप (गत वर्ष 2,048,200) से प्रदत्त प्रत्येक 10 रु. के इक्विटी शेयर	2.05	2.05
54,600,300 इंडिया गेटवे टर्मिनल प्रा. लि. में पूर्णरूप से प्रदत्त प्रत्येक (गत वर्ष 54,600,300) 10 रु. के इक्विटी शेयर	54.60	54.60
शून्य इंटिग्रेटेड इन्फ्रा लॉग प्रा. लि. में पूर्णरूप से प्रदत्त प्रत्येक (गत वर्ष 5,000) 10 रु. के इक्विटी शेयर	-	0.01
980,000 इन्फाइनाइट लॉजिस्टिक्स साल्यूशन प्रा. लि. में पूर्णरूप से प्रदत्त प्रत्येक (गत वर्ष 980,000) 10 रु. के इक्विटी शेयर	0.98	0.98
857,500 हिंद कॉनकॉर टर्मिनल्स (दादरी) प्रा. लि. में पूर्णरूप से प्रदत्त प्रत्येक (गत वर्ष 857,500) 10 रु. के इक्विटी शेयर	0.86	0.86
49,000 कंटेनर गेटवे लि. में पूर्णरूप से प्रदत्त प्रत्येक (गत वर्ष 49,000) 10 रु. के इक्विटी शेयर	0.05	0.05
3,716,160 ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स पार्क प्रा. लि. में पूर्णरूप से प्रदत्त प्रत्येक (गत वर्ष 1,135,167) 10 रु. के इक्विटी शेयर	3.71	1.13
1,775,000 कॉनयाक कार्ट्रेक प्रा. लि. में पूर्णरूप से प्रदत्त प्रत्येक (गत वर्ष 50,000) 10 रु. के इक्विटी शेयर	1.77	0.05
	191.89	187.60
III. विदेशी संयुक्त उद्यम के शेयरों में		
80,000 हिमालयन टर्मिनल्स प्रा. लि. में पूर्णरूप से प्रदत्त प्रत्येक (गत वर्ष 80,000) 100 रु. नेपाल (62.50 रु भारतीय रुपये के बराबर) के इक्विटी शेयर	0.50	0.50
	0.50	0.50
योग (I+II+III)	195.58	192.16

समेकित वित्तीय विवरण

अनुसूची 6 : चल परिसंपत्ति, ऋण एवं अग्रिम

	31.03.2011 को	(₹ करोड़ में) 31.03.2010 को
क. चल परिसंपत्ति		
मालसूची		
(जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित, स्वीकृत और मूल्यांकित) सामान एवं अतिरिक्त कल-पुर्जे (कीमत पर) (टिप्पणी सं. 10, अनुसूची 13)	11.69	15.20
जमा : पैकिंग सामान	1.48	0.82
घटा : अप्रचलित सामान के लिए प्रावधान	0.69	0.26
	12.48	15.76
विविध देनदार		
छ: महीने से अधिक के देनदार		
गैर जमानती, अच्छे देनदार	3.73	2.68
गैर जमानती, संदेहास्पद	2.25	2.02
	5.98	4.70
घटा: संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	2.25	3.73
अन्य		2.02
गैर जमानती, अच्छे देनदार	25.91	17.04
	29.64	19.72
नकद एवं बैंक शेष		
नकदी शेष (अग्रदाय समेत)	0.23	0.27
हस्तगत चेक	12.07	16.39
मार्गस्थ प्रेषण	-	0.01
अनुसूचित बैंकों में शेष :		
– चालू खाता	44.35	33.88
– फ्लेक्सी जमा	2.81	160.74
– सावधि जमा	2,236.63	1,781.21
	2,283.79	1,975.83
	2,296.09	1,992.50
अन्य चल परिसंपत्ति		
जमा, ऋण एवं अग्रिम पर उपचित ब्याज	73.19	78.45
चल परिसंपत्ति योग – क	2,411.40	2,106.43
ख. ऋण एवं अग्रिम		
कर्मचारियों को ऋण (जमानती)	20.97	18.57
अन्य को ऋण (गैर जमानती)	-	0.20
अग्रिम (गैर जमानती)		
नकदी या वस्तुएं या मूल्य में वसूली योग्य	23.06	89.38
घटा : संदिग्ध अग्रिम हेतु प्रावधान	1.83	1.75
जमा राशि (गैर जमानती)	21.23	87.63
– सरकारी प्राधिकरणों में	8.94	2.75
– अन्य	1.25	1.19
घटा : संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान	0.03	0.03
अग्रिम आयकर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान घटाकर)	394.54	336.67
ऋण एवं अग्रिम का योग – ख	446.90	446.98
योग (क + ख)	2,858.30	2,553.41

समेकित वित्तीय विवरण

अनुसूची 7 : चल देयताएँ एवं प्रावधान

	(₹ करोड़ में)	
	31.03.2011 को	31.03.2010 को
क. चल देयताएँ		
विविध लेनदार		
– माइक्रो एवं लघु उद्योग	-	-
– अन्य	222.69	300.10
ग्राहकों द्वारा अग्रिम/जमा	108.63	80.31
अदावी लाभांश (*)	0.10	0.09
बुक ओवरड्राफ्ट	12.41	58.73
अन्य	55.67	52.15
कुल चल देयताएँ	399.50	491.38
ख. प्रावधान		
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	103.99	103.99
निगमित लाभांश कर	16.87	17.27
कर्मचारी सेवानिवृत्ति हितलाभ	30.56	25.03
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	2.93	-
अन्य प्रावधान	0.01	-
कुल प्रावधान – ख	154.36	146.29
योग (क + ख)	553.86	637.67

(*) वर्ष के दौरान ₹ 50,699 (गत वर्ष ₹ 230,060) की राशि को निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि के खाते में जमा किया गया।

अनुसूची 8 : अन्य आय

	(₹ करोड़ में)	
	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	31.03.2010 को समाप्त वर्ष
अर्जित ब्याज :		
– लघु अवधि की बैंक जमा/आईसीडी	145.92	147.45
(स्रोत पर काटा गया कर ₹ 14.63 करोड़ गत वर्ष ₹ 20.14 करोड़)		
– कर्मचारियों को ऋण	1.03	0.78
– इरवो को ऋण (स्रोत पर काटा गया कर शून्य गत वर्ष ₹ 0.01 करोड़)	0.01	0.02
संयुक्त उद्यम कंपनी से लाभांश	5.30	0.30
परिसंपत्ति की बिक्री से लाभ	0.08	0.01
अधितर प्रावधान पुरांकित किया गया	27.66	15.74
विविध आय	21.87	16.28
व्यवसाय प्रबंध के लाभ में हिस्सा (नोट सं. 9 (ख) अनुसूची 13)	-	0.11
योग	201.87	180.69

समेकित वित्तीय विवरण

अनुसूची 9 : कर्मचारियों का पारिश्रमिक और हितलाभ

	(₹ करोड़ में)	
	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	31.03.2010 को समाप्त वर्ष
वेतन, भत्ते एवं अन्य कर्मचारी हितलाभ	68.60	65.75
नियोक्ता का भविष्य निधि, परिवार पेंशन निधि, ईएसआई एवं श्रमिक कल्याण निधि में योगदान	4.83	5.29
आवास पट्टा हेतु किराया	1.81	1.62
कर्मचारी कल्याण एवं चिकित्सा व्यय	11.73	9.91
उपदान	1.35	2.53
स्टॉफ प्रशिक्षण	0.53	0.25
योग	88.85	85.35

अनुसूची 10 : प्रशासनिक एवं अन्य व्यय

	(₹ करोड़ में)	
	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	31.03.2010 को समाप्त वर्ष
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2.01	2.13
यात्रा एवं वाहन प्रभार	10.99	10.29
(निदेशकों का यात्रा व्यय ₹ 0.45 करोड़ सहित, गत वर्ष ₹ 0.48 करोड़)		
कार्यालय भवन हेतु किराया एवं लाइसेंस शुल्क	1.91	1.78
बिजली और पानी	5.09	5.20
मरम्मत और अनुरक्षण :		
– भवन	5.98	4.01
– संयंत्र एवं मशीनरी	2.68	3.96
– अन्य	17.49	14.12
सुरक्षा व्यय	30.01	26.64
वाहनों का चालन और अनुरक्षण व्यय	0.26	0.24
व्यावसायिक विकास	1.47	1.53
डाक, टेलीफोन एवं इंटरनेट	2.70	2.74
पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ	1.66	1.48
बैंक प्रभार	0.30	0.09
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	4.16	4.32
बीमा	1.42	1.29
शुल्क और अभिदान	0.13	0.15
विज्ञापन	1.86	1.77
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक		
– लेखापरीक्षा शुल्क	0.09	0.09
– कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.02	0.02
– अन्य सेवाएँ	0.08	0.07
– फ्रुटकर व्यय	0.08	0.06
छूट और बट्टा	26.37	52.12
दरें एवं कर	3.07	3.26
खतरनाक अपशेष भस्मक	-	0.33
दान	0.03	0.01
विविध व्यय (अनुसूची 13 की टिप्पणी 9 क)	9.03	6.85
बट्टे खाते किया गया निवेश	0.01	-
निम्नलिखित के लिए प्रावधान:		
संदिग्ध ऋण	0.26	0.02
संदिग्ध अग्रिम	0.08	-
अप्रचलित कल-पूर्जे	0.43	-
योग	129.67	144.57

समेकित वित्तीय विवरण

अनुसूची 11 : विविध व्यय

(जो समायोजित या बट्टे खाते में नहीं डाले गए)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	(₹ करोड़ में) 31.03.2010 को समाप्त वर्ष
क. प्रारंभिक व्यय		
आदि शेष	0.09	0.06
जमा : वर्ष के दौरान	-	0.10
	0.09	0.16
घटा : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में (1/5 वां)	0.03	0.07
योग	0.06	0.09

अनुसूची 12 : लेखाकरण संबंधी महत्वपूर्ण नीतियाँ

1. लेखाकरण धारणाएँ एवं संकल्पनाएँ

वित्तीय लेखाओं को सामान्यतः परंपरागत लागत के प्रोद्भवन के आधार पर और लागू अनिवार्य लेखाकरण मानक सिद्धांतों के अनुरूप एवं कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रस्तुतीकरण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार बनाया गया है। लेखाकरण नीतियाँ, यदि उनका अन्वय उल्लेख नहीं किया गया है, सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप ही होती है।

2. अचल परिसंपत्ति एवं पूंजीगत निर्माणाधीन कार्य

(i) अचल परिसंपत्ति को उनकी अधिग्रहण या निर्माण लागत से संयोजी मूल्यहास घटाकर दर्शाया गया है। अधिग्रहण लागत में से अग्रिम पूंजी पर ब्याज एवं शुल्क ऋण को घटाया गया है तथा इसमें माल-भाड़ा, सीमाशुल्क, कर एवं अन्य प्रासंगिक व्यय सम्मिलित हैं। उन परिसंपत्तियों के संदर्भ में, जिनका पूंजीकरण किया जाना है और जिनका अंतिम बिल/दावों को प्राप्त करना/पास करना शेष है, पूंजीकरण इंजीनियरी प्राक्कलनों पर आधारित है। लागत और मूल्यहास का अन्तिम समायोजन पहले की तरह वास्तविक लागत पता लगने और दावे को अंतिम रूप से निपटाने वाले वर्ष में किया गया है। मशीनरी के पुर्जों को, जिन्हें केवल अचल परिसंपत्ति के लिए प्रयोग किया जाता है और जिनका प्रयोग अनिश्चित है, पूंजीगत दर्शाया गया है। उन अचल परिसंपत्तियों को, जो अभीष्ट प्रयोग हेतु अभी तैयार नहीं हैं, अचल परिसंपत्ति का अधिग्रहण हेतु अदा किया गया अग्रिम और उस परिसंपत्ति की लागत को, जो तुलन-पत्र की तिथि तक प्रयोग में नहीं लाई गई है, पूंजीगत निर्माणाधीन कार्य में शामिल किया गया है।

(ii) संपदा की 'कनवेंस डीड' के निष्पादन होने और दायित्व निर्धारित होने पर अचल संपदाओं पर देय स्टॉप ड्यूटी हेतु प्रावधान किया गया है।

(iii) निर्धारित अचल परिसंपत्ति हेतु प्राप्त अनुदान को परिसंपत्ति की कुल कीमत या पूंजीगत निर्माणाधीन कार्य, जैसा भी मामला हो, से घटाया गया है। प्राप्त अनुदान की अप्रयुक्त राशि को चल देयता के रूप में दर्शाया गया है।

3. अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति:

i) सॉफ्टवेयर

सॉफ्टवेयर, जोकि हार्डवेयर का अंदरूनी भाग नहीं है, पर दिए गए व्यय का पूंजीकरण अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के रूप में किया गया है। सॉफ्टवेयर की कीमत में लाइसेंस फीस और कार्यान्वयन लागत शामिल है और इसके कार्यान्वयन के वर्ष में पूंजीगत किया गया है। सॉफ्टवेयर को पाँच वर्षों में परिशोधित किया जाता है।

ii) पूंजीकरण शुल्क

रेल मंत्रालय को अदा किए गए पूंजीकरण शुल्क का, जो भारतीय रेल द्वारा कंटेनर ट्रेनों के आवागमन के लिए अनुमोदन हेतु दिया गया है, अप्रत्यक्ष पूंजी के रूप में पूंजीकरण किया गया है। इस पूंजीकरण शुल्क को बीस वर्षों में परिशोधित किया जाता है।

4. उधार लागत

अधिग्रहीत अथवा सापेक्ष परिसंपत्ति के निर्माण में लगी उधार लागत को संबंधित परिसंपत्ति के साथ ही पूंजीगत राशि के अंतर्गत दर्शाया गया है और अन्य सभी उधार लागत को राजस्व में प्रभारित किया गया है। सापेक्ष परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जिसे सार्थक प्रयोग हेतु तैयार करने में अवश्य ही पर्याप्त समय अवधि लगती है।

5. निवेश

i) लंबी अवधि के निवेश को वास्तविक लागत पर दर्शाया गया है। मूल्य में कमी हेतु प्रावधान किया गया है ताकि अस्थायी कमी के अतिरिक्त गिरावट को दर्शाया जा सके।

ii) चालू निवेश को कमतर या उचित मूल्य पर दर्शाया गया है।

6. माल सूची

i) सामान एवं अतिरिक्त कल-पुर्जों का मूल्यांकन भारत और अंतर्राष्ट्रीय वास्तविक लागत पर किया गया है। जहाँ कहीं आवश्यक है, अप्रचलित कल-पुर्जों हेतु प्रावधान किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण

ii) माल सूची का मूल्य निर्धारण मूल्य अथवा प्रापण मूल्य, इसमें से जो भी कम हो, के आधार पर किया गया है।

7. मूल्यहास/परिशोधन

(i) अचल परिसंपत्ति पर मूल्यहास की गणना कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों और मूल्यहास की 'सीधी रेखा पद्धति' के आधार पर की गई है लेकिन इसमें टर्मिनल की सड़कें/पेवमेन्ट/चार दीवारी (बाउन्डरी वाल)/भंडारागार तथा विद्युतीय साजो-सामान शामिल नहीं है, जिनके लिए मूल्यहास की दर क्रमशः 3.34 प्रतिशत तथा 10.34 प्रतिशत तथा उन्नत बीएफकेआई वैगन के लिए 6.79 प्रतिशत है।

ii) पट्टे पर ली गई भूमि और आवासीय स्थान (भारतीय रेल से पट्टे पर लिए गए) को पट्टे पर लेने की अवधि में परिशोधित (अमोरटाइज्ड) की जाती है।

iii) कंपनी से असंबंधित भूमि पर किए गए पूंजीगत व्यय को लाभ एवं हानि लेखा से इसकी अनुमानतः प्रयोग अवधि के दौरान या आनुपातिक लघु अवधि के दौरान जो पाँच वर्ष से अधिक न हो, में से जो भी अपेक्षाकृत कम है, बट्टे-खाते में डाल दिया जाता है। इस उद्देश्य हेतु कंपनी से संबंधित होने वाली उस भूमि पर विचार नहीं किया गया है। यदि वह कंपनी की स्वामित्वाधीन नहीं है या पट्टे/लाइसेंस पर नहीं ली गई है।

8. परिसंपत्ति का हानिकरण

जब परिसंपत्ति का वास्तविक मूल्य (बतलपदह/उवनदज) वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाए तब इसे परिसंपत्ति का हानिकरण कहा जाता है। इस प्रकार की हानि को उसी वर्ष, जिसमें परिसंपत्ति के हानिकरण का पता चलता है, लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया गया है।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

i) तुलन-पत्र की तिथि को कर्मचारियों को देय उपदान (ग्रेच्युटी) का प्रावधान स्वतंत्र बीमांकक के मूल्यांकन को आधार मानते हुए उपचित आधार पर (अक्रुअल बेसिस) किया गया है। अनुमोदित उपदान निधि को इस उद्देश्य हेतु कंपनी द्वारा गठित 'ट्रस्ट' में जमा किया गया है।

ii) कर्मचारियों को देय अवकाश वेतन के लिए उपचित देयता (अक्रुड लायबिलिटी) तुलन-पत्र की तिथि को कर्मचारियों को देय अवकाश के नकद मूल्य का पूरा प्रावधान स्वतंत्र बीमांकक के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

iii) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि जैसी परिभाषित अंशदायी स्कीमों के अंशदान को, जब भी उपचित हुआ, तभी लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

10. विदेशी मुद्रा लेन-देन

i) विदेशी मुद्रा के संव्यवहार को उस दिन प्रचलित विनिमय दर पर अभिलेखित किया गया है।

ii) विदेशी मुद्रा ऋण, चल देयता और चल परिसंपत्ति, को वित्तीय वर्ष के अंत में उस समय प्रचलित विनिमय दर के अनुसार लिया गया है।

iii) विदेशी मुद्रा निविमय में उतार-चढ़ाव के कारण लाभ एवं हानि लेखाओं में स्वीकरण किया गया है।

11. परिचालन से आय (टर्मिनल एवं अन्य सेवा प्रभार)

i) रेल माल-भाड़ा से हुई आय और संबंधित व्यय की गणना रेलवे द्वारा जारी और आर के समय से की जाती है जबकि संचालन आय एवं संबंधित व्यय का लेखांकन कंटेनरों की बुकिंग के समय की जाती है। तथा घाट-शुल्क (व्हारफेज) की गणना कंटेनर देने/कंटेनर वापस सौंपने के समय 'पूर्ण सेवा करार' प्रणाली के अनुसार की जाती है।

ii) माल के विक्रय से राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब माल के स्वामित्व में जोखिम और ग्राहक लाभ को अंतरित किया जाता है और इसके निर्धारण और प्रापण में कोई अनश्चितता नहीं है।

12. दावों/प्रति दावों/जुर्माना/पुरस्कार

दावों/प्रति दावों/जुर्माना/पुरस्कार का लेखाकरण इनके निपटान के वर्ष में किया गया है।

13. आय पर कर

i) आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुरूप चालू कर हेतु प्रावधान किया गया है।

ii) विवादित आयकर देयताओं का लेखाकरण इनके अंतिम निर्धारण पर किया जाता है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

सांविधिक दायित्वों के संबंध में प्रावधानों को, तुलनपत्र की तिथि को उनकी उपस्थिति एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संभाव्य दर्शाया गया है।

आकस्मिक देयताओं का निर्धारण उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया गया है। इन देयताओं हेतु प्रावधान नहीं किया गया है और इन्हें लेखाओं की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है।

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ को लेखा में दर्शाया नहीं गया है।

15. प्रारंभिक व्यय

प्रारंभिक व्यय को पाँच वर्षों तक परिशोधित किया जाता है। (एफएचईएल)

समेकित वित्तीय विवरण

अनुसूची 13 : लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1. समेकन का आधार

ये समेकित वित्तीय कथन भारतीय कंटेनर निगम लि0 (कॉनकॉर) और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारत में गठित फ्रेश एवं हैल्थी एंटरप्राइजेज (एफएचईएल) से संबंधित हैं। कॉनकॉर के संयुक्त उद्यमों में निवेश व्यावसायिक उद्देश्य के लिए हैं। इसका संयुक्त उद्यमों के आर्थिक और परिचालन गतिविधियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है किंतु संयुक्त उद्यम करार के अनुसार इसके पास केवल सुरक्षात्मक अधिकार हैं। इसके दृष्टिगत समेकित वित्तीय कथनों को तैयार करने में संयुक्त उद्यमों में कॉनकॉर के हितों पर विचार नहीं किया गया है।

क. लेखाकरण का आधार :

- समेकन में सहायक कंपनी के वित्तीय कथनों को उसी दिन तक तैयार किया गया है जिस दिन तक कॉनकॉर के वित्तीय कथन तैयार किए गए हैं।
- समेकित वित्तीय कथनों को आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकरण मानक 21 – 'समेकित वित्तीय कथन' और सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किया गया है।

ख. समेकन के सिद्धांत :

कॉनकॉर और इसकी सहायक कंपनी के वित्तीय कथनों को पंक्ति दर पंक्ति आधार पर जोड़ा गया है। इसमें एक जैसी मदों की यथा परिसंपत्तियां, देयताएं, आय और व्यय, अंतः समूह के शेषों को मिटाकर, अंतः समूह अंतरणों और अप्राप्त लाभ या हानि, यदि कोई हो, बुक वैल्यू एक साथ जोड़ी गई है।

ग. कॉनकॉर तथा एफएचईएल की लेखाओं पर टिप्पणियां और विस्तृत लेखाकरण नीतियों को उनके वित्तीय कथनों में अलग-अलग बताया गया है और केवल महत्वपूर्ण टिप्पणियों को समेकित वित्तीय कथनों में बताया गया है।

घ. कुछ मदों हेतु कॉनकॉर और इसकी सहायक कंपनी में अलग-अलग लेखाकरण नीतियां अपनाई हैं। तथापि, उनका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

2. उन पूंजीगत करारों की अनुमानित राशि जो अभी तक निष्पादित नहीं किए गए हैं और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम घटाकर) :

	(₹ करोड़ में)	
	2010-11	2009-10
(क) संयुक्त उद्यमों से संबंधित	20.26	11.97
(ख) अन्य	249.56	188.74
3. निम्नलिखित आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया है –		
(क) बकाया साख पत्र एवं बैंक गारंटी	39.58	44.32
(ख) संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी के लिए बैंक गारंटी/बिड बॉण्ड	126.32	167.92
(ग) कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है, न्यायालय के आदेश, विरोध सहित निवल अग्रिम/भुगतान को घटाकर इसमें ₹ 356.68 करोड़ के दावे शामिल हैं (पूर्व वर्ष में ₹ 311.92 करोड़) जो माध्यस्थम कोर्ट में माध्यस्थम पंचाट हेतु लंबित हैं।	769.50	720.38

उन आकस्मिक देयताओं को, जिनका दावा प्राप्त हो चुका है, प्रकटन के माध्यम से दर्शाया गया है और इसमें कंपनी को संभाव्यतः देय ₹ 11.68 करोड़ की राशि (पूर्व वर्ष में ₹ 10.56 करोड़) सम्मिलित है। प्रकटन में जहाँ विधि मामले चालू हैं, मूल दावे पर ब्याज की मांग को नहीं दर्शाया गया है क्योंकि मूल दावा ही निश्चित नहीं है। उपरोक्त दर्शाई गई आकस्मिक देयता हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया था क्योंकि उपलब्ध सूचना, तथ्यों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन, संबंधित मामलों में विधिक पक्ष के गत अनुभव के आधार पर यह संभव नहीं है कि इसके लिए भविष्य में आर्थिक लाभ का निर्गम होगा।

(घ) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारण अधिकारी आयकर विभाग ने कंपनी के कुछ दावों को नहीं माना जिनमें मुख्यतः धारा 80आईए के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2003-04 से निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए कटौती सम्मिलित है और कर तथा ब्याज की मांग की है जो कि कुल ₹ 423.30 करोड़ है। कंपनी ने उक्त निर्धारण आदेशों के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील) के पास अपील दायर कर दी है। निर्धारण वर्ष 2003-04 से 2007-08 के लिए आयकर आयुक्त (अपील) ने धारा 80 आईए के अंतर्गत रेल प्रणाली से संबंधित कुछ दावों को स्वीकार कर लिया है जबकि इनलैंड पोर्टस के संबंध में दावे को अस्वीकार कर दिया गया है। आयकर अपील प्राधिकरण ने आयकर आयुक्त (अपील) के 80आई के तहत कटौती के निर्णय को बरकरार रखा। कंपनी ने वर्ष 2003-04 और 2005-06 के लिए आयकर अपील प्राधिकरण के आदेशों के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। इस मामले पर निर्धारण वर्ष 2003-04 से 2005-06 के लिए सीआईटी(ए) के निर्णय को आईटीएटी ने बरकरार रखा और कंपनी ने आईटीएटी के आदेशों के विरुद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में पहले ही याचिकाएं दायर कर दी हैं। ऐसे ही मिलते जुलते निर्धारण वर्ष 2006-07 और वर्ष 2007-08 के लिए एओ के आदेश को सीआईटी(ए) ने बरकरार रखा तथा

समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी ने सीआईटी(ए) के आदेशों के विरुद्ध अब माननीय आईटीएटी के पास अपील दायर की है। निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए अपील सीआईटी(ए) के पास लंबित है। माननीय सीओडी (विवादों पर समिति) ने निर्धारण वर्ष 2003-04 से 2005-06 के लिए धारा 80आईए के अंतर्गत आईसीडी कटौती के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में कंपनी को अपनी अपील दायर करने की अनुमति दे दी है जबकि विभाग द्वारा निर्धारण वर्ष 2003-04 से वर्ष 2005-06 के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रेल प्रणाली पर धारा 80 आईए के अंतर्गत कटौती के मामले में याचिका दायर करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है।

(ड) सीआईटी (ए) ने एओ के निर्धारण वर्ष 2003-04 से 2005-06 के लिए कंपनी के अंतर्देशीय पत्तनों के संबंध में कटौती के दावों के विरुद्ध 26.70 करोड़ रु का जुर्माना लगाने और वसूलने के आदेश को बरकरार रखा। आदेशों के द्वारा माननीय आईटीएटी ने सीआईटी (ए) के उक्त आदेशों के विरुद्ध दायर की गई अपीलों पर कंपनी के पक्ष में निर्णय दिया है। निर्धारण वर्ष 2006-07 और वर्ष 2007-08 के ऐसे ही मामले में एओ ने ₹ 41.94 करोड़ का जुर्माना लगाया/वसूला जिसके विरुद्ध कंपनी ने सीआईटी(ए) के पास अपील दायर की है।

(च) विवादित आयकर देयताओं का सारांश :

निर्धारण वर्ष	विवाद की प्रकृति	राशि (₹ करोड़ में)
2003-04	• 271(1)(c) धारा के अंतर्गत जुर्माना • नियमित निर्धारण	5.30 5.30
2004-05	• 271(1)(c) धारा के अंतर्गत जुर्माना • नियमित निर्धारण	9.64 9.53
2005-06	• 271(1)(c) धारा के अंतर्गत जुर्माना • नियमित निर्धारण	11.76 12.19
2006-07	• 271(1)(c) धारा के अंतर्गत जुर्माना • नियमित निर्धारण	17.10 17.78
2007-08	• 271(1)(c) धारा के अंतर्गत जुर्माना • नियमित निर्धारण	24.84 24.84
2008-09	• नियमित निर्धारण	62.25
समेकित राशि	• 271(1)(c) धारा के अंतर्गत जुर्माना • नियमित निर्धारण	68.64 131.89

- निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए ₹ 14.92 करोड़ के जुर्माना राशि को छोड़कर उक्त सभी विवादित कर देयताओं का भुगतान किया जा चुका है विभाग द्वारा वसूली की जा चुकी है। इसके लिए विभाग को आगामी वर्षों के लिए देय धन वापसी में समायोजन हेतु आवेदन किया गया है।
- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत कॉनकॉर ने सीमाशुल्क विभाग के पक्ष में ₹ 22169.28 करोड़ (गत वर्ष ₹ 20,866.00 करोड़) का 'कस्टोडियन कम कैरियर बॉन्ड' निष्पादित किया है। ये बॉण्ड चल प्रकृति के हैं और इनके लिए सीमाशुल्क विभाग द्वारा दावा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- पूर्ववर्ती वर्षों की तरह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 आईए के अंतर्गत इस वर्ष हेतु रेल प्रणाली एवं आईसीडी (इनलैंड पोर्टस) के लिए कर का प्रावधान ₹ 164.64 करोड़ (पूर्व वर्ष में ₹ 118.00 करोड़) की कर कटौती को ध्यान में रखकर किया गया है।
- (i) परिचालन से हुई आय में माल-भाड़ा, संचालन, टर्मिनल सेवा-प्रभार, विलंब शुल्क और परिचालन से हुई अन्य आय सम्मिलित हैं (ii) टर्मिनल एवं अन्य सेवा प्रभारों में रेल माल-भाड़ा, संचालन, सड़क परिवहन प्रभार तथा अन्य परिचालन व्यय सम्मिलित हैं। इसमें बिजली और तेल तथा स्टोर एवं अतिरिक्त कल-पूजा की क्रमशः राशि ₹ 14.03 करोड़ (गत वर्ष ₹ 14.99 करोड़) और ₹ 2.67 करोड़ (गत वर्ष ₹ 2.29 करोड़) शामिल है।
- कंपनी द्वारा उस भूमि पर, जो अपनी स्वामित्व वाली नहीं है, किंतु इसका नियंत्रण एवं कब्जा है, किया गया पूंजीगत व्यय का विवरण निम्नलिखित है (कृपया अनुसूची-4 का संदर्भ ग्रहण करें):-

विवरण	31-03-2011 को	31-03-2010 को
भवन	3.58	6.94
रेल साइडिंग	10.93	10.84
संयंत्र एवं मशीन	3.04	3.04
विद्युत फिटिंग	2.29	2.36
फर्नीचर	0.03	0.03
अन्य	0.17	0.17
अन्य	20.04	23.38

समेकित वित्तीय विवरण

8. (क) वर्ष के दौरान कंपनी ने राजस्व स्वीकरण हेतु लेखाकरण नीति में परिवर्तन किया है। पहले मालभाड़ा, संचालन से हुई आय और संबंधित व्यय का लेखांकन कंटेनरों की बुकिंग के समय किया जाता था। टर्मिनल सेवा प्रभार और घाट-शुल्क का लेखांकन कंटेनरों की प्राप्ति पर जारी करने के समय पूर्ण सेवा करार प्रणाली के आधार पर किया जाता था। अब रेल माल-भाड़ा आय और संबंधित व्यय का लेखांकन भारतीय रेल द्वारा आरआर जारी करने के समय किया जाता है जबकि सड़क परिवहन/संचालन से हुई आय और संबंधित व्यय का लेखांकन कंटेनरों की बुकिंग के समय किया जाता है। टर्मिनल सेवा प्रभार और घाट शुल्क का लेखांकन पूर्ण सेवा करार प्रणाली के आधार पर कंटेनरों की प्राप्ति पर/ कंटेनरों को जारी करते समय किया जाता है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप, परिचालन से आय ₹ 9.82 करोड़ कम हो गई, टर्मिनल एवं अन्य सेवा प्रभार ₹ 7.60 करोड़ एवं कर पूर्व निवल लाभ ₹ 2.22 करोड़ कम हो गया।
- (ख) वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने से नहीं संबंधित भूमि पर पूंजीगत व्यय के परिशोधन से संबंधित लेखाकरण नीति में परिवर्तन किया है। पहले कंपनी से संबंधित नहीं भूमि पर पूंजीगत व्यय को लाभ एवं हानि लेखा में इसकी अनुमानित प्रयोज्यता अवधि या अपेक्षाकृत कम अवधि में जो पांच वर्ष से अधिक न हो, में से जो कमतर हो, बड़े खाते किया जाता था। इस उद्देश्य के लिए यह मान लिया जाता है कि भूमि का स्वामित्व कंपनी के पास नहीं है। भूमि कंपनी की अपनी स्वामित्व वाली नहीं है या लीज पर/ लाइसेंस पर न हो। अब बनाने योग्य परिसंपत्ति पर पूंजीगत व्यय को जैसे सड़के, पुलिया और बिजली वितरण आदि जिसका स्वामित्व कंपनी के पास नहीं है, इसके व्यय होने वाली लेखा अवधि के राजस्व में प्रभारित किया जाता है। तथापि, बनाने योग्य परिसंपत्ति जिसका स्वामित्व कंपनी के पास है और उस भूमि पर बनाई गई है जिसका स्वामित्व कंपनी का नहीं है, उसे लाभ एवं लेखा में, इसकी अनुमानित प्रयोज्यता अवधि या पांच वर्ष की अवधि में से जो अपेक्षाकृत कम अवधि है, बड़े खाते किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए भूमि को कंपनी की नहीं माना जाता यदि वह कंपनी की स्वामित्व वाली या लीज / लाइसेंस पर नहीं है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप, वर्ष के दौरान मूल्यहास ₹ 41.25 लाख बढ़ गया तथा समान रूप से कर पूर्व लाभ में कमी हुई।
9. (क) बेंगलूर स्थित एयरकार्गो कॉम्प्लेक्स के संचालन हेतु मैसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लि. और मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लि. के साथ त्रिपक्षीय व्यावसायिक प्रबंध के अनुसार, इस संयुक्त उद्यम के दिनांक 14.01.2011 को समाप्त वर्ष के अलेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार कॉनकॉर की हानि में हिस्सेदारी ₹ 0.45 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.51 करोड़) जिसका लेखाकरण 'विविध व्यय' शीर्ष के अंतर्गत किया गया है। इस प्रकार संयुक्त उद्यम छोड़ने के फलस्वरूप व्यावसायिक प्रबंध में किए गए निवेश को 'ऋण एवं अग्रिम' में नामे किया गया है।
- (ख) नासिक में एयरकार्गो कॉम्प्लेक्स में आईसीडी के परिचालन हेतु हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लि. के साथ कंपनी ने हॉलकॉन के साथ एक व्यावसायिक प्रबंध किया है। दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के अलेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार हॉलकॉन के लाभ में कंपनी की हिस्सेदारी ₹ 0.08 लाख थी (गत वर्ष ₹ 10.89 लाख) जिसका लेखाकरण 'विविध आय' शीर्ष के अंतर्गत किया गया है।
10. भंडार और अतिरिक्त कल-पुर्जों की राशि में ₹ 2.01 करोड़ (गत वर्ष ₹ 2.16 करोड़) की वे मदें भी सम्मिलित हैं जो विगत 3 वर्षों से प्रयोग में नहीं लाई गईं। ये मदें उनकी विशिष्ट प्रकृति के कारण रखनी आवश्यक हैं और आशयपूर्ण प्रयोग हेतु उपयुक्त हैं।
11. वर्ष 2009-10 के दौरान में भारत सरकार की एसएफआईएस योजना के अंतर्गत कंपनी को मई 2009 में ₹ 82.46 करोड़ राशि और फरवरी 2010 में ₹ 52.71 करोड़ राशि शुल्क ऋण पात्रता स्क्रिप प्राप्त हुई थी। इस योजना के अनुसार, इस स्क्रिप को पूंजीगत माल को आयात करने हेतु शुल्क ऋण और आंतरिक क्रय पर उत्पाद शुल्क के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस वित्तीय वर्ष 2010-11 पूंजीगत माल के आयात पर सीमाशुल्क ऋण हेतु ₹ 14.24 करोड़ (गत वर्ष ₹ 8.28 करोड़) तथा आंतरिक क्रय पर उत्पाद शुल्क हेतु ₹ 17.41 करोड़ (गत वर्ष ₹ 7.87 करोड़) इस्तेमाल किए गए जिससे दिनांक 31.3.2011 को उपर्युक्त स्क्रिप का शेष ₹ 34.66 करोड़ (गत वर्ष ₹ 33.12 करोड़) शेष है। इस वित्तीय वर्ष 2010.11 में कंपनी को अतिरिक्त एसएफआईएस योजना के अंतर्गत ₹ 99.18 करोड़ (सितम्बर 2010 में) प्राप्त हुए जिससे दिनांक 31.03.2011 को संचित शेष राशि ₹ 133.84 करोड़ (गत वर्ष ₹ 66.31 करोड़) रही।
12. सरकार ने दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) नियम 2002, भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 और भवन एवं अन्य निर्माण कामगार उपकर नियम, 1998 के अंतर्गत उपबंधों के तहत भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों पर उपकर लगा दिया है। ऐसे उपकर कुछ अन्य राज्यों द्वारा भी लगाए गए हैं। वर्ष के दौरान दिल्ली सरकार के श्रम विभाग से नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें 1996 के बाद से उपकर हेतु ₹ 46.05 लाख का भुगतान वित्तीय वर्ष 2008-09 में करने को कहा गया है। चूंकि उपकर वसूलने की बजट अधिसूचना अगस्त 2005 में प्रकाशित हुई थी, उस तिथि से देयता राशि ₹ 4.13 लाख को वित्तीय वर्ष 2008-09 में ही जमा करा दिया गया जोकि संविदाकारों से वसूलने योग्य है।
13. कंपनी ने 1 अप्रैल, 2007 से आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकरण मानक 15 - कर्मचारी हितलाभ (संशोधित 2005) को अपना लिया है। उपर्युक्त लेखाकरण मानक के अनुसार आवश्यक प्रकटन निम्नलिखित हैं -
- (क) परिभाषित अंशदान योजनाएं :
- (i) भविष्यनिधि हेतु नियोक्ता का अंशदान
- (ii) कर्मचारी पेंशन योजना 1995 हेतु नियोक्ता का अंशदान
- कंपनी एक अलग ट्रस्ट को पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्यनिधि हेतु निर्धारित अंशदान अदा करती है जो इस निधि को अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश करता है। अवधि विशेष के लिए निधि हेतु अंशदान को व्यय दर्शाया जाता है और इसे लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। ऐसे निर्धारित अंशदान हेतु कंपनी की बाध्यता सीमित है। तथापि, सदस्य को उसके अंशदान हेतु भारत

समेकित वित्तीय विवरण

सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम ब्याज दर पर भुगतान करना ट्रस्ट द्वारा आवश्यक है। इस वर्ष के दौरान कंपनी ने लाभ और हानि लेखा में निम्नलिखित राशियों को दर्शाया है -

- (i) भविष्यनिधि में नियोक्ता का अंशदान - ₹ 3.93 करोड़ (गत वर्ष ₹ 4.42 करोड़)
- (ii) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में नियोक्ता का अंशदान ₹ 0.79 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.78 करोड़)

(ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं :

उपदान :

कंपनी में परिभाषित हितलाभ उपदान योजना लागू है जिसे उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत चलाया जाता है। यह योजना कंपनी द्वारा वित्त पोषित है और इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। इसके लिए देयता की गणना बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

अवकाश यात्रा रियायत :

कंपनी अपने कर्मचारियों को एलटीसी की सुविधा प्रदान करती है जिसे इस संबंध में बनाई गई नीति के अनुसार दिया जाता है। इस सुविधा हेतु देयता का लेखाकरण उपचित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

अवकाश नकदीकरण :

कंपनी में अपने कर्मचारियों के लिए परिभाषित हितलाभ अवकाश नकदीकरण योजना लागू है। इस योजना के अंतर्गत वे अपने अर्जित अवकाश और एक निर्धारित सीमा तक चिकित्सा अवकाश तथा इसके लिए निर्धारित अन्य शर्तों के अनुसार नकदीकरण करा सकने के पात्र हैं। अवकाश नकदीकरण की देयता का प्रावधान बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा सुविधाएं :

कंपनी ने एक मेडिकल ट्रस्ट बनाया है जो अपने कर्मचारियों की उनकी सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु उनकी पात्रता को प्रचलित चिकित्सा नीति के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इसके लिए देयता का स्वीकरण बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

दीर्घ अवधि की मेडिकल देयता :

प्रचलित मेडिकल पॉलिसी के अनुसार कर्मचारी वर्ष में अपने एक माह के मूल वेतन, मंहगाई भत्ते के बराबर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार हैं। यदि किसी वर्ष विशेष में कर्मचारी अपनी पूरी स्वीकृत राशि नहीं खर्च पाता है तो शेष राशि को आगामी वर्षों में अग्रेषित कर दिया जाता है। इसकी देयता का स्वीकरण बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(ग) **सारांश स्थिति :** लाभ और हानि लेखा, तुलन-पत्र और निधियों की स्थिति में दर्शाए गए विभिन्न परिभाषित हितलाभों का विवरण निम्नलिखित है:

लाभ और हानि लेखा में दर्शाए गए व्यय:

	(₹ लाख में)					
	उपदान (वित्त पोषित)		अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्त पोषित)		सेवानिवृत्ति चिकित्सा हितलाभ (वित्त पोषित)	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
वर्तमान सेवा लागत	124.99	116.54	180.78	183.47	-	-
हितलाभ दायित्व पर ब्याज लागत	107.64	74.70	152.02	89.53	-	-
योजनागत परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ	(94.87)	(72.51)	-	-	-	-
निवल बीमांकक (लाभ)/ हानि	(2.91)	132.10	(6.11)	509.67	-	-
लाभ और हानि लेखा में दर्शाए गए व्यय	134.85	250.83	326.69	782.67	-	-
तुलन-पत्र में दर्शायी गई राशि:						
31 मार्च को दायित्वों की वर्तमान कीमत (i)	1498.58	1308.35	1977.94	1847.77	10.17	-
31 मार्च को योजनागत परिसंपत्ति की उचित कीमत (ii)	1375.96	1069.76	-	-	-	-
अंतर (ii) - (i)	(122.62)	(238.59)	(1977.94)	(1847.77)	(10.17)	-
तुलन-पत्र में दर्शायी गई निवल परिसंपत्ति / (देयताएं)	(122.62)	(238.59)	(1977.94)	(1847.77)	(10.17)	-
परिभाषित हितलाभ दायित्व की वर्तमान कीमत में परिवर्तन:						
1 अप्रैल को दायित्व की वर्तमान कीमत	1308.35	995.95	1847.80	1193.74	10.17	-
ब्याज लागत	107.64	74.70	152.02	89.54	-	-

समेकित वित्तीय विवरण

वर्तमान सेवा लागत	124.99	116.54	180.78	183.46	-	-
अदा किए गए हितलाभ	(39.49)	(10.96)	(196.52)	(128.64)	-	-
दायित्वों पर निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(2.90)	132.12	(6.11)	509.67	-	-
31 मार्च को परिभाषित हितलाभ दायित्व की वर्तमान कीमत	1498.58	1308.35	1977.94	1847.77	10.17	-
योजनागत परिसंपत्ति की उचित कीमत में परिवर्तन:						
1 अप्रैल को योजनागत परिसंपत्ति की उचित कीमत	1069.76	587.11	-	-	-	-
योजनागत परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ	-	72.51	-	-	-	-
नियोक्ता द्वारा अंशदान	250.83	421.07	-	-	-	-
अदा किए गए हितलाभ	(39.49)	(10.96)	-	-	-	-
बीमांकिक लाभ / (हानि)	-	0.03	-	-	-	-
31 मार्च को योजनागत परिसंपत्ति की उचित कीमत	1375.96	1069.76	-	-	-	-

लाभ और हानि लेखा में लेखांकित व्यय:

(₹ लाख में)

	ब्याज गारंटी देयता पीएफ (गैर वित्त पोषित)		दीर्घ अवधि मेडिकल देयता (गैर वित्त पोषित)		अवकाश यात्रा छूट (गैर वित्त पोषित)	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
वर्तमान सेवा लागत	-	-	-	-	29.45	33.07
हितलाभ बाध्यता या ब्याज लागत	-	-	-	-	4.91	4.39
योजनागत परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ	-	-	-	-	-	-
निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि	-	-	-	-	32.21	6.42
लाभ और हानि लेखा में लेखांकित गए व्यय	-	-	-	-	65.97	43.88
तुलन-पत्र में लेखांकित राशि:						
31 मार्च को दायित्वों का वर्तमान कीमत (i)	128.16	118.41	206.91	-	62.05	65.52
31 मार्च को योजनागत परिसंपत्ति की उचित कीमत (ii)	-	-	-	-	-	-
अंतर (ii) - (i)	(128.16)	(118.41)	(206.91)	-	(62.05)	(65.52)
तुलन-पत्र में लेखांकित निवल परिसंपत्ति / (देयताएं)	(128.16)	(118.41)	(206.91)	-	(62.05)	(65.52)
परिभाषित हितलाभ दायित्व की वर्तमान कीमत मूल्य में परिवर्तन:						
1 अप्रैल को दायित्व की वर्तमान मूल्य	118.41	118.41	206.91	-	65.52	58.50
ब्याज लागत	-	-	-	-	4.91	4.39
वर्तमान सेवा लागत	-	-	-	-	29.45	33.07
अदा किए गए हितलाभ	-	-	-	-	(70.04)	(36.85)
दायित्वों पर निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि	9.75	-	-	-	32.21	6.42
31 मार्च को परिभाषित हितलाभ दायित्व की वर्तमान मूल्य	128.16	118.41	206.91	-	62.05	61.52
योजनागत परिसंपत्ति की उचित मूल्य में परिवर्तन:						
1 अप्रैल को योजनागत परिसंपत्ति की उचित कीमत	-	-	-	-	-	-
योजनागत परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ	-	-	-	-	-	-
नियोक्ता द्वारा अंशदान	-	-	-	-	-	-
हितलाभों का भुगतान	-	-	-	-	-	-
बीमांकिक लाभ / (हानि)	-	-	-	-	-	-
31 मार्च को योजनागत परिसंपत्ति का उचित मूल्य	-	-	-	-	-	-

समेकित वित्तीय विवरण

सारांश स्थिति (एफ एच ई एल) : लाभ और हानि लेखा, तुलन-पत्र और निधियों की स्थिति में दर्शाए गए विभिन्न परिभाषित हितलाभों का विवरण निम्नलिखित है :

(राशि ₹ में)

विवरण	अवकाश यात्रा छूट (गैर वित्त पोषित)		उपदान (गैर वित्त पोषित)		अवकाश नकदीकरण (गैर वित्त पोषित)	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
लाभ और हानि खाते में व्यय	254,941	52,626	-	2,18,193	-	961,730
तुलन पत्र में शेष राशि						
31 मार्च को परिभाषित हितलाभ दायित्व की वर्तमान कीमत (i)	1,39,208	-	7,51,563	8,71,392	20,36,590	23,62,879
योजनागत परिसंपत्ति की उचित कीमत (ii)	-	-	-	-	-	-
अंतर (ii)-(i)	(1,39,208)	-	(7,51,563)	(8,71,392)	(20,36,590)	(23,62,879)
तुलन-पत्र में दर्शायी गई निवल परिसंपत्ति / (देयताएं)	(1,39,208)	-	(7,51,563)	(8,71,392)	(20,36,590)	(23,62,879)

(घ) योजनागत परिसंपत्ति का विवरण : योजनागत परिसंपत्ति (उपदान) की लागत का विवरण निम्नलिखित है :

(₹ लाख में)

	31-03-2011 को	31-03-2010 को
i) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	99.25	49.35
ii) केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	252.01	213.01
iii) निगम बांड/ ऋण-पत्र	850.81	670.26
iv) अन्य	13.91	133.94
	1215.98	1066.56

(ड.) बीमांकिक पूर्वानुमान (कॉनकॉर) : बीमांकिक मूल्यांकन हेतु प्रयोग में लाए गए प्रमुख पूर्वानुमान :

1. दीर्घ अवधि चिकित्सा देयता

अवधि	2010-11	2009-10
छूट दर	8% प्रति वर्ष	-
सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	-
मृत्यु संख्या	एलआईसी 94-96 एल्टिमेट	-
प्रतिलाभ की अपेक्षित दर	0	-
वापसी दर (प्रति वर्ष)	2.00% प्रति वर्ष (18 से 60 वर्ष)	-

2. अवकाश का नकदीकरण

अवधि	2010-11	2009-10
छूट दर	8.25 % प्रति वर्ष	7.50%
सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	5.00 % वर्ष	5.00%
मृत्यु संख्या	एलआईसी 94-96 एल्टिमेट	एलआईसी 94-96 एल्टिमेट
प्रतिलाभ की अपेक्षित दर	0	0
वापसी दर (प्रति वर्ष)	2.00% प्रति वर्ष (18 से 60 वर्ष)	3.00% प्रति वर्ष (30 वर्ष तक) 2.00% प्रति वर्ष (31 से 44 वर्ष) 1.00% प्रति वर्ष (44 वर्ष से ऊपर)

3. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ

अवधि	2010-11	2009-10
छूट दर	8.00% प्रति वर्ष	-
सेवानिवृत्ति पश्चात मृत्यु संख्या	एलआईसी 96-98 एन्यूजेंट्स एल्टिमेट	-

समेकित वित्तीय विवरण

4. ब्याज गारंटी देयता पीएफ

अवधि	2010-11	2009-10
छूट दर	8 % प्रति वर्ष	-

5. उपदान

अवधि	2010-11	2009-10
छूट दर	8.25 % प्रति वर्ष	7.50%
वेतन वृद्धि दर	5.00 % प्रति वर्ष	5.00%
मृत्यु संख्या	एलआईसी 94-96 एल्टिमेट	एलआईसी 94-96 एल्टिमेट
प्रतिलाभ की अपेक्षित दर	7.76% प्रति वर्ष	12.35%
वापसी दर (प्रति वर्ष)	2.00% प्रति वर्ष (18 से 60 वर्ष)	3.00% प्रति वर्ष (30 वर्ष तक) 2.00% प्रति वर्ष (31 से 44 वर्ष) 1.00% प्रति वर्ष (44 वर्ष से ऊपर)

6. अवकाश यात्रा रियायत

अवधि	2010-11	2009-10
छूट दर	7.5 % प्रति वर्ष	7.50%
वेतन वृद्धि दर	5.00 % प्रति वर्ष	5.00%
मृत्यु संख्या	एलआईसी 94-96 एल्टिमेट	एलआईसी 94-96 एल्टिमेट
वापसी दर (प्रति वर्ष)	3.00% प्रति वर्ष (30 वर्ष तक) 2.00% प्रति वर्ष (31 से 44 वर्ष) 1.00% प्रति वर्ष (44 वर्ष से ऊपर)	3.00% प्रति वर्ष (30 वर्ष तक) 2.00% प्रति वर्ष (31 से 44 वर्ष) 1.00% प्रति वर्ष (44 वर्ष से ऊपर)

7. बीमांकिक पूर्वानुमान (एफएचईएल) : बीमांकिक मूल्यांकन हेतु प्रयोग में लाए गए प्रमुख पूर्वानुमान :

	2010-11	2009-10
i) अपनाई गई विधियां	प्रक्षेपित यूनिट कार्ड विधि	लागू नहीं
ii) छूट दर	8.00%	लागू नहीं
iii) भावी वेतन वृद्धि	5.50%	लागू नहीं

लंबी अवधि के आधार पर महंगाई दर के दृष्टिगत वेतन वृद्धि दर का पूर्वानुमान लगाया गया है।

14. लेखाकरण मानक – 17 के अंतर्गत खण्डवार सूचना :

(क) प्राथमिक खण्ड : इस कंपनी को अखिल भारतीय आधार पर दो मुख्य परिचालन प्रभागों – आयात-निर्यात प्रभाग और आंतरिक प्रभाग में बाँटा गया है। इन दोनों प्रभागों के आधार पर कंपनी अपने प्राथमिक सूचना खण्ड का प्रतिवेदन करती है। कंपनी के ये दोनों प्रभाग संचालन, परिवहन और भंडारण गतिविधियों में संलिप्त हैं।

आयात-निर्यात और आंतरिक खण्डों से सीधे संबंधित राजस्व और व्यय को दोनों खण्डों में विनियोजित किया गया है। संयुक्त राजस्व और व्यय को उचित आधार पर विनियोजित किया गया है। परिसंपत्ति खण्ड में सभी परिचालन परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जिसे किसी खण्ड द्वारा प्रयोग किया जाता है और जिसमें मुख्यतः माल-सूची, विविध देनदार, नकद एवं बैंक अधिशेष, ऋण एवं अग्रिम, अन्य चल परिसंपत्ति और प्रावधानों पश्चात् निवल अचल परिसंपत्ति शामिल हैं। इसी प्रकार, खण्ड-देयताओं में सभी परिचालन देयताएँ और मुख्यतः विविध लेनदार, ग्राहकों से लिया गया अग्रिम, अन्य देयताएँ एवं प्रावधान शामिल हैं। हालांकि, खण्ड परिसंपत्ति और देयताओं में करों हेतु प्रावधान सम्मिलित नहीं है। संयुक्त परिसंपत्ति और देयताओं को खण्डों में उचित आधार पर विनियोजित किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	आयात-निर्यात		आंतरिक		अविनियोज्य		योग	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
राजस्व								
खण्ड राजस्व	2991.45	2898.49	836.67	807.19	64.35	24.92	3892.47	3730.60
परिणाम								
खण्ड परिणाम	824.41	759.11	78.67	112.06	5.39	(5.88)	908.47	865.29
निगम व्यय					46.87	44.63	46.87	44.63
परिचालित लाभ							861.60	820.66
ब्याज एवं अन्य					201.87	180.69	201.87	180.69

समेकित वित्तीय विवरण

ब्याज व्यय					4.59	3.82	4.59	3.82
आयकर					179.96	219.92	179.96	219.92
समायोजन (निवल)					0.01	0.49	0.01	0.49
पूर्ववर्ती वर्षों के लिए कर								
समायोजन (निवल)					(2.56)	(0.47)	(2.56)	(0.47)
निवल लाभ							876.37	777.63
अन्य सूचना								
खण्ड परिसंपत्ति	1778.16	1708.41	591.50	599.27	-	-	2369.66	2307.68
अविनियोजित निगम परिसंपत्ति					3399.06	2880.27	3399.06	2880.27
कुल परिसंपत्ति							5768.72	5187.95
खण्ड देयताएँ	258.35	302.94	90.33	94.02	-	-	348.68	396.96
अविनियोजित निगम देयताएँ					5420.04	4790.99	5420.04	4790.99
कुल देयताएँ							5768.72	5187.95
पूँजीगत व्यय	238.18	225.49	47.61	122.13	24.93	2.84	310.72	350.46
मूल्यहास	106.87	100.19	36.95	33.01	5.05	5.57	148.87	138.77
मूल्यहास के अतिरिक्त गैर-नकदी व्यय	1.68	0.14	0.09	0.04	(0.03)	0.08	1.74	0.26

टिप्पणी (यां) :-

- किसी भी खण्ड में पूर्व अवधि समायोजन का आवंटन नहीं किया गया है।
- गैर आवंटित निगमित देयताओं में ₹ 4938.79 करोड़ (गत वर्ष ₹ 4296.96 करोड़) श्रेयधारकों की निधि हेतु राशि शामिल है।

(ख) द्वितीय खण्ड :

चूंकि कंपनी का परिचालन भारतवर्ष के भौगोलिक क्षेत्र में ही सीमित है, अतः इसका कोई प्रतिवेदनीय द्वितीय खण्ड नहीं है।

15. लेखाकरण मानक – 18 के अंतर्गत संबंधित पार्टों का प्रकटन :

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक : कंपनी के निदेशकगण :

(₹ लाख में)

संबंधित पार्टों का नाम	लेन-देन का प्रकार (प्रतिपूर्ति छोड़कर)				
	भत्तों सहित अदा किया गया पारिश्रमिक	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
पूर्णकालिक निदेशकगण					
अनिल कुमार गुप्ता, प्रबंध निदेशक 31.12.2009 से		41.02	44.93	1.65	2.13
अन्य निदेशकगण		103.38	207.69	7.13	9.05

(ख) संयुक्त उद्यम :

- स्टॉर ट्रैक टर्मिनल्स प्रा.लि.
 - ट्राईडेंट टर्मिनल्स प्रा.लि.
 - अल्बार्टोस सीएफएस प्रा.लि.
 - गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्रा.लि.
 - जेडब्ल्यूजी-एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (एक व्यावसायिक व्यवस्था) (#)
 - हिमालयन टर्मिनल्स प्रा.लि. ;विदेशी संयुक्त उद्यम)
 - सीएमए-सीजीएम लॉजिस्टिक्स पार्क (दादरी) प्रा.लि.
 - हॉलकॉन (एक व्यावसायिक व्यवस्था)
 - इंडिया गेटवे टर्मिनल प्रा.लि.
 - इंटीग्रेटेड इन्फ्रा लॉग प्रा.लि. (*)
 - इंफिनिट लॉजिस्टिक्स सोल्यूशन प्रा.लि.
 - हिंद कॉनकॉर टर्मिनल्स (दादरी) प्रा.लि.
 - कंटेनर गेटवे लि.
 - ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स पार्क प्रा.लि.
 - कॉनयक कॉरट्रेक प्रा.लि.
- (#) यह व्यावसायिक प्रबंधन दिनांक 14.01.2011 को समाप्त हो गया।
 (*) चूंकि इस कंपनी का नाम आरओसी से काट दिया गया है, इस संयुक्त उद्यम में किए गए निवेश को बट्टे खाते कर दिया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण

उल्लिखित पार्टियों से संबंधित अंतरण :

	(₹ लाख में)	
	2010-11	2009-10
किराया, अनुरक्षण प्रभारए ब्याज तथा लाभांश से प्राप्त / प्राप्य आय	760.21	282.18
मान्य आय में शेर	(44.90)	(39.73)
वर्ष के दौरान निवेश (निवल)	430.10	3745.67
संयुक्त उद्यम हेतु बीजी / बिड बॉड	126.32	167.92
31 मार्च तक शेष		
– प्राप्त प्रतिभूति जमा	204.92	204.92
– चल परिसंपत्ति, ऋण एवं अग्रिम	46.49	197.11
– निवेश	19558.34	19215.24
– चल देयताएं तथा प्रावधान	16.95	10.72

16. लेखाकरण मानक – 19 के अंतर्गत 'पट्टे'

(i) पट्टे / किराए पर ली गई परिसंपत्ति :

	(₹ करोड़ में)	
	2010-11	2009-10
(क) 01.04.2001 या इसके बाद पट्टे पर ली गई परिसंपत्ति पर तुलन-पत्र की तिथि से, अनिरसनीय (नॉन कैन्सलेबल) परिचालित पट्टे के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टे का भुगतान:		
(i) एक वर्ष से अधिक नहीं	0.83	2.22
(ii) एक वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष से अधिक नहीं	-	1.01
(iii) 5 वर्ष से अधिक	-	-
(ख) लेखाओं में पट्टा-भुगतान ₹ 18.42 करोड़ दर्शाया गया है (गत वर्ष ₹ 17.76 करोड़)।		
(ग) लेखाओं में उप-पट्टों (सब लीज) वसूली ₹ 0.42 करोड़ दर्शाया गई है (गत वर्ष ₹ 0.12 करोड़)।		

परिचालित पट्टे कंटेनरों, कार्यालय परिसरों और स्टॉफ को मुहैया कराए गए आवास से संबंधित हैं। प्रत्येक मामले में पट्टा-करार की अवधि भिन्न-भिन्न है।

(ii) पट्टे / किराए पर ली गई परिसंपत्ति :

	(₹ करोड़ में)		
	2010-11	2009-10	
सकल वास्तविक राशि (भवन एवं भंडारागार)		22.63	22.63
संचयी मूल्यह्रास	4.67	4.22	
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	0.45	0.45	

17. प्रति शेर अर्जन : लेखाकरण मानक 20 के अनुसार प्रति शेर अर्जन की गणना निम्नलिखित है :

	2010-11	2009-10
लाभ एवं हानि लेखा के अनुसार कराधान पश्चात् लाभ, पूर्व अवधि समायोजन और पूर्ववर्ती वर्षों हेतु कर समायोजन (₹ करोड़ में)	876.37	777.63
₹ 10/- की कीमत वाले इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या	129,982,794	129,982,794
प्रत्येक शेर से मूल एवं कमतर अर्जन (रुपयों में)	67.42	59.83

18. लेखाकरण मानक – 22 के अंतर्गत आय पर करों का लेखाकरण :

आस्थगित कर परिसंपत्ति एवं देयताओं के संघटक :

	(₹ करोड़ में)	
	2010-11	2009-10
i. आस्थगित कर देयताएँ :		
लेखा पुस्तिकाओं और कराधान मूल्यह्रास में अंतर	242.77	224.22

समेकित वित्तीय विवरण

ii. आस्थगित कर परिसंपत्ति :		
धारा 43 बी के अंतर्गत व्यय	9.11	11.57
संदेहास्पद अग्रिम / उधार / भंडार हेतु प्रावधान	1.50	1.28
अन्य	3.41	0.47
	14.02	13.32
iii. निवल आस्थगित कर देयता [i-ii]	228.75	210.90

19. संयुक्त उद्यम में अधिकार संबंधी वित्तीय रिपोर्ट – लेखाकरण मानक – 27 :

(क) कंपनी के संयुक्त उद्यमों का संक्षिप्त विवरण, जहाँ कंपनी ने निवेश किया है –

विवरण	किस देश में गठन हुआ	अंशधारिता (%)
स्टॉर ट्रेक टर्मिनल्स प्रा.लि. : दादरी, यू.पी. में एक सीएफएस की स्थापना करने एवं उसे चलाने हेतु मैसर्स मर्क इंडिया प्रा.लि. के साथ संयुक्त उद्यम।	भारत	49
ट्राईडेंट टर्मिनल्स प्रा.लि. : दादरी, यू.पी. में सीएफएस हेतु ट्रांसवर्ल्ड ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम।	भारत	49
अल्बार्टोस सीएफएस प्रा. लि. : दादरी, यू.पी. में सीएफएस हेतु ट्रांसवर्ल्ड ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम।	भारत	49
गोटेवे टर्मिनल्स इंडिया प्रा.लि. : जे.एन.पत्तन, मुंबई में श्थर्डश बर्थ हेतु मर्क एएस, कोपनहेगन के साथ संयुक्त उद्यम।	भारत	26
@ जेडब्ल्यूजी-एयरकार्गो कॉम्प्लेक्स : बेंगलूर में एयरकार्गो व्यवसाय हेतु हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. और मैसर्स मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लि. के साथ व्यावसायिक व्यवस्था।	भारत	33.33
हिमालयन टर्मिनल्स प्रा.लि. : बीरगंज (नेपाल) में रेल कंटेनर टर्मिनल के प्रबंधन और परिचालन हेतु नेपालीज इंटरप्राइजेज (नेपाल का इंटरस्टेट मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट प्रा.लि. और नेपाल ट्रांजिट एंड वेयरहाऊस कंपनी लि.) के साथ संयुक्त उद्यम।	नेपाल	40
# सीएमए-सीजीएम लॉजिस्टिक्स पार्क (दादरी) प्रा.लि. : दादरी, यू.पी. में सीएफएस हेतु 'एम्पा लॉजिस्टिक्स प्रा. लि.' (गत वर्ष : सीएमए-सीजीएम ग्लोबल इंडिया प्रा. लि.) के साथ संयुक्त उद्यम।	भारत	49
हॉलकॉन : ओजर एयरपोर्ट, नासिक में एयरकार्गो कॉम्प्लेक्स एवं आईसीडी के परिचालन हेतु हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. के साथ व्यावसायिक व्यवस्था।	भारत	50
इंडिया गोटेवे टर्मिनल प्रा.लि. : कोचीन में कंटेनर टर्मिनलों की स्थापना हेतु दुबई पोर्ट इंटरनेशनल के साथ संयुक्त उद्यम	भारत	15
* इटिग्रेटेड इन्फ्रा लॉग प्रा.लि. : संभारतंत्र अवसंरचना स्थापित करने, अधिग्रहण करने, विकसित करने, प्रबंध करने व रख-रखाव संबंधी कार्य को करने के लिए आईएल एंड एफएस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. के साथ संयुक्त उद्यम	भारत	50
हिंद कॉनकॉर टर्मिनल्स (दादरी) प्रा.लि. : दादरी, यू.पी. में सीएफएस हेतु मैसर्स हिंद टर्मिनल्स प्रा. लि. के साथ संयुक्त उद्यम।	भारत	49
इंफिनिट लॉजिस्टिक्स सोल्यूशन्स प्रा.लि. : यह संयुक्त उद्यम ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के साथ गठित किया गया है ताकि देशभर में लॉजिस्टिक्स फ्रेट टर्मिनलों को स्थापित किया जा सके और समेकित लॉजिस्टिक्स सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।	भारत	49
कंटेनर गोटेवे लि. : गोटेवे रेल फ्रेट प्रा. लि. के साथ गद्दी हरसरू, गुडगांव (हरियाणा) में विद्यमान रेलसड़क मार्ग से जुड़े कंटेनर टर्मिनल के परिचालन हेतु संयुक्त उद्यम।	भारत	49
ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स पार्क प्रा. लि. : दादरी में सीएफएस की स्थापना एवं उसे चलाने हेतु ऑलकार्गो ग्लोबल लॉजिस्टिक्स लि. के साथ संयुक्त उद्यम।	भारत	49
## कॉनयक कॉरट्रेक प्रा. लि. : पूर्णतः तैयार यूनिट वाहन संभारतंत्र के निर्माण के विकास के व्यवसाय की स्थापना तथा उसके काम के लिए एनवाईके ऑटो लॉजिस्टिक्स (इंडिया) लिमिटेड (गत वर्ष : एनवाईके लाईन (इंडिया) लिमिटेड) के साथ संयुक्त उद्यम।	भारत	50

समेकित वित्तीय विवरण

समेकित वित्तीय विवरण

@ 14 जनवरी, 2011 से व्यवसाय व्यवस्था समाप्त कर दी गई।

वर्ष के दौरान, 'एम्या लॉजिस्टिक्स प्रा. लि.' द्वारा सीएमए सीजीएम ग्लोबल इंडिया प्रा.लि. से संयुक्त उद्यम में 51% शेयरधारिता प्राप्त की गई।

* आरओसी में से कंपनी का नाम कट जाने के परिणामस्वरूप, संयुक्त उद्यम कंपनी में निवेश बट्टे खाते किया गया।

वर्ष के दौरान, 'एनवाईके ऑटो लॉजिस्टिक्स(इंडिया) लि.' द्वारा एनवाईके लाईन (इंडिया) लि. से संयुक्त उद्यम में 50% शेयरधारिता अधिग्रहीत की ली।

(ख) उपर्युक्त संयुक्त उद्यमों में परिसंपत्ति, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं एवं पूंजी प्रतिबद्धताओं में उपलब्ध जानकारी के अनुसार कौनकॉर की अंशधारिता:

(₹ लाख में)

	परिसंपत्ति	देयताएँ	आय	व्यय	आकस्मिक देयताएँ एवं पूंजीगत प्रतिबद्धताएं
स्टॉर ट्रेक टर्मिनल्स प्रा. लि.	1170.90 (1249.88)	307.31 (553.02)	938.76 (1251.73)	778.56 (1008.83)	- (350.42)
ट्राईडेंट टर्मिनल्स प्रा. लि.	799.37 (824.76)	623.99 (628.90)	281.08 (271.11)	299.72 (251.06)	- (2695.00)
अल्बार्ट्रेस सीएफएस प्रा. लि.	1299.08 (1254.00)	261.03 (751.37)	1557.30 (1642.89)	1373.75 (1455.71)	254.59 (256.18)
* गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्रा.लि.	25,753.45 (30,662.84)	15,647.60 (19,944.32)	10,879.16 (10,414.89)	10,046.54 (9529.15)	22,820.74 (23,318.16)
^ जेडब्ल्यूजी-एयरकार्गो कॉम्प्लेक्स	- (211.30)	- (188.52)	35.10 (0.24)	80.16 (17.11)	- -
# हिमालयन टर्मिनल्स प्रा.लि.	238.88 (114.03)	90.47 (105.73)	487.78 (387.36)	346.54 (317.36)	- -
सीएमए-सीजीएम लॉजिस्टिक्स पार्क (दादरी) प्रा.लि.	864.16 (739.22)	327.46 (413.31)	899.00 (782.37)	674.15 (576.13)	245.00 (245.00)
हॉलकॉन	328.01 (403.46)	20.15 (95.69)	95.92 (144.06)	95.83 (133.17)	- -
इंडिया गेटवे टर्मिनल प्रा. लि.	15,702.26 (10,884.67)	9494.74 (6222.49)	1591.89 (1379.50)	2423.34 (1730.88)	- (7525.91)
इंटिग्रेटेड इफ्रा लॉग प्रा. लि.	- (-)	- (-)	- (-)	- (0.29)	- (-)
हिंद कौनकॉर टर्मिनल्स प्रा.लि.	24.10 (101.56)	0.12 (15.81)	- (-)	- (-)	- (-)
इंफिनिट लॉजिस्टिक्स सोल्यूशन्स प्रा.लि.	82.29 (80.37)	5.74 (2.64)	8.54 (4.53)	9.71 (3.88)	- -
ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स पार्क प्रा.लि.	656.15 (120.08)	39.53 (6.56)	- (-)	- (-)	- (396.68)
कौनयक कॉरट्रेक प्रा लिमिटेड	179.32 (6.59)	3.36 (1.68)	1.91 (1.58)	3.14 (1.67)	- -
कंटेनर गेटवे लिमिटेड	6.40 (6.24)	1.50 (1.34)	- -	- -	- -

उपर्युक्त तालिका में :

- गत वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दिए गए हैं।
 - यदि न बताए गए हो तो चालू वर्ष के आंकड़े अलेखापरीक्षित है।
 - *चालू वर्ष के आंकड़े दिनांक 31 दिसंबर, 2010 को समाप्त 9 महीने के लिए लेखापरीक्षित हैं।
 - ^चालू वर्ष के आंकड़े कौनकॉर द्वारा दी गई दिनांक 14 जनवरी, 2011 तक हैं।
 - #गत वर्ष के लिए आंकड़े दिनांक 16 जुलाई, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित हैं।
20. प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान किसी परिसंपत्ति में असामान्य प्रकृति की क्षति का कोई संकेत नहीं मिला है, अतः परिसंपत्ति में क्षति से संबंधित लेखाकरण मानक-28 के अंतर्गत परिसंपत्ति में क्षति हेतु प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।
21. लेखाकरण मानक 29 के अंतर्गत प्रावधानों का विवरण निम्नलिखित है :

(₹ करोड़ में)

	2010-11			2009-10		
	संपत्ति कर	रेलवे का किराया	ग्रेच्युटी एवं अवकाश का नकदीकरण	संपत्ति कर	रेलवे का किराया	ग्रेच्युटी एवं अवकाश का नकदीकरण
आदि शेष	12.31	2.49	21.82	10.80	2.21	17.15
जमा : आदि शेष में समायोजन	-	-	0.38	-	-	-
वर्ष के दौरान जोड़	2.23	0.24	4.59	3.22	0.28	10.48
प्रयुक्त/उपचित राशि	1.52	1.35	4.50	1.52	-	5.81
अप्रयुक्त राशि, जो वर्ष के दौरान वापस की गई	7.65	-	0.84	0.19	-	-
अंत शेष	5.37	1.38	21.45	12.31	2.49	21.82

उपर्युक्त प्रावधान सांविधिक देयताओं और सेवायोजन की शर्तों की देयताओं इत्यादि के रूप में हैं। इनके भुगतान का समय होगा : उपदान- उपदान अधिनियम के अनुसार भुगतान, अवकाश नकदीकरण-कंपनी की नीति के अनुसार, संपत्ति कर और रेल को किराया-सामान्यतः मांग पर। भविष्य में इनका भुगतान निश्चित और उपरोक्त में से किसी की भी प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

22. 'बुक ओवरड्राफ्ट' में कंपनी द्वारा जारी किए वे चेक दर्शाए गए हैं जिनका समाशोधन (Clearance) लंबित है। ये चेक बैंकों में पलेक्सी/अन्य डिपोजिट के रूप में जमा खाते से दिए गए हैं।
23. (क) जब तक अन्यथा नहीं बताया जाता है, आंकड़े करोड़ रुपये में हैं।
- (ख) गत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के वर्गीकरण की पुष्टि के लिए, जहां कहीं आवश्यक समझा गया, वर्गीकृत/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण

24. तुलन-पत्र सार और कंपनी के व्यवसाय की सामान्य रूपरेखा
(अनुसूची VI भाग IV में संशोधन के रूप में)

I. पूंजीकरण का विवरण

पूंजीकरण संख्या	030915	राज्य कोड	55
तुलन-पत्र की दिनांक	31	03	2011
	दिनांक	माह	वर्ष

II. वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी

पब्लिक/यूरो इश्यू		राइट इश्यू	(₹ करोड़ में)
शून्य		शून्य	
बोनस इश्यू		निजी स्थापना में	
शून्य		शून्य	

III. निधियों के जुटाने और वितरण की स्थिति

कुल देयताएँ	5,768.72	कुल परिसंपत्ति	5,768.72
निधियों के स्रोत :			
प्रदत्त पूंजी	129.98	प्रारक्षित एवं अधिशेष	4,808.81
प्रारक्षित ऋण	47.32	अनारक्षित ऋण	-
चल देयताएँ	553.86	आस्थगित कर देयताएँ	228.75
निधियों की प्रयोज्यता :			
निवल अचल परिसंपत्ति	2,714.78	निवेश	195.58
चल परिसंपत्ति	2,858.30	विविध व्यय	0.06
संचित हानियाँ	-		

IV. कंपनी का निष्पादन

कुल व्यवसाय (अन्य आय सहित)	4,094.34	कुल व्यय	3,035.46
कर से पूर्व लाभ	1,058.88	कर पश्चात् लाभ	876.37
प्रति शेयर अर्जन (₹)	67.42	लाभांश %	155%

V. कंपनी के तीन मुख्य उत्पादसेवाओं के जेनरिक नाम (मौद्रिक शर्तों के अनुसार)

मद कोड सं. (आईटीसी कोड)		1. कंटेनरों का परिवहन
उत्पाद वर्णन		2. कंटेनरों का संचालन
		3. कंटेनरों की पाकिंग
		लागू नहीं
		लागू नहीं

“अनुसूची 1 से 13 पर हस्ताक्षर हैं”

(हरीश चंद्र) (पी. अल्लिरानी) (अनिल कुमार गुप्ता)
स.म.प्र.(वित्त) एवं कंपनी सचिव निदेशक (वित्त) प्रबंध निदेशक

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते कुमार चोपड़ा एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स

(आर. के. अग्रवाल)
साझेदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21.07.2011

समेकित वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

	2010-2011	2009-2010
(क) परिचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
कर और असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ	1,058.88	997.53
निम्नलिखित के लिए समायोजन :-		
मूल्यहास/परिशोधन	148.87	138.77
अदा किया गया ब्याज	4.59	3.82
ब्याज और लाभांश आय	(152.26)	(148.55)
संदेहास्पद ऋण/अग्रिम कल पूर्जों हेतु प्रावधान	0.74	0.02
प्रारंभिक व्यय	0.03	0.07
बट्टे खाते किया गया निवेश	0.01	-
अचल परिसंपत्ति की बिक्री से हानि	0.87	0.22
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	1,061.73	991.88
निम्नलिखित के लिए समायोजन :-		
व्यापार और अन्य प्राप्य राशियाँ	52.98	(6.33)
माल सूची	2.85	2.46
व्यापार देय राशियाँ और प्रावधान	(83.41)	13.08
परिचालन से सृजित नकदी	1,034.15	1,001.09
पूर्व अवधि समायोजन	0.01	0.49
अदा किया गया प्रत्यक्ष कर	(222.54)	(368.52)
परिचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी (क)	811.62	633.06
(ख) निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
अचल परिसंपत्ति की खरीद	(314.97)	(350.84)
अचल परिसंपत्ति की बिक्री	1.20	0.14
प्राप्त सरकारी अनुदान एवं परिसंपत्तियों की अधिप्राप्ति हेतु प्रयोग	4.25	0.38
पूंजीगत चालू कार्य/अग्रिम	(112.71)	39.46
निवेश की खरीद	(3.43)	(24.08)
ब्याज, लाभांश और अन्य आय	152.26	148.55
निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी (ख)	(273.40)	(186.39)
(ग) वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
अदा किया गया ब्याज	(4.59)	(3.82)
अदा किया गया लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	(234.94)	(212.92)
दीर्घावधि ऋण का भुगतान	4.90	(6.29)
वित्तीय क्रियाकलापों से निवल नकदी (ग)	(234.63)	(223.03)
नकदी और नकदी के समकक्ष में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)	303.59	223.64
नकदी और नकदी के समकक्ष में आदि शेष	1,992.50	1,768.86
नकदी और नकदी के समकक्ष में अंत में शेष (टिप्पणी 2 देखें)	2,296.09	1,992.50
टिप्पणी: (1) गत वर्ष के आकड़ों को जहाँ कहीं उनको चालू वर्ष के आकड़ों के वर्गीकरण के पुष्टि के लिए आवश्यक समझा गया, पुनः वर्गीकृत / पुनः व्यवस्थित किया गया है।		
(2) नगदी प्रवाह कथन में शामिल नकदी और नकदी समकक्ष में तुलन पत्र की निम्नलिखित राशियाँ सम्मिलित हैं :		
	2010-11	2009-10
हस्तगत नकदी (अग्रदाय सहित)	0.23	0.27
हस्तगत चेक	12.07	16.39
मार्गस्थ प्रेषण	-	0.01
अनुसूचित बैंको में शेष		
- चालूखाता	44.35	33.88
- फ्लैक्सी जमा	2.81	160.74
	2,236.63	1,781.21
	2,296.09	1,992.50

(हरीश चंद्र) (पी. अल्लिरानी) (अनिल कुमार गुप्ता)
स.म.प्र.(वित्त) एवं कंपनी सचिव निदेशक (वित्त) प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21.07.2011

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते कुमार चोपड़ा एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स

(आर. के. अग्रवाल)
साझेदार

समेकित वित्तीय विवरण

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

निदेशक बोर्ड

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

हमने भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कंपनी) और इसकी सहायक कंपनी (समग्र रूप से सीसीआईएल समूह) के 31 मार्च, 2011 तक के संलग्न समेकित तुलन-पत्र और उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरण की जांच की है। इन वित्तीय कथनों के प्रति कंपनी प्रबंधन उत्तरदायी है। लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय कथनों पर अपनी राय देना हमारा दायित्व है।

1. हमने कॉनकॉर के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की है। उन मानकों के अनुसार हमें लेखापरीक्षा को इस प्रकार योजनाबद्ध एवं निष्पादित करना होता है कि इस संबंध में अपेक्षित उचित आश्वासन प्राप्त कर लिए जाएं कि ये वित्तीय कथन असरकारक असत्य कथनों से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में नमूने के आधार पर जांच, राशियों के समर्थन में साक्ष्य और वित्तीय कथनों में प्रकटीकरण सम्मिलित हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलन के साथ-साथ समग्र वित्तीय कथनों के प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित हैं। हमें विश्वास है कि हमारी राय के समर्थन में हमारी लेखापरीक्षा में पर्याप्त आधार मौजूद है।
2. हमने सहायक कंपनी फ्रेश एंड हेल्थी एंटरप्राइजेज लि. के वित्तीय कथनों की लेखापरीक्षा नहीं की है जिसके वित्तीय कथनों में दिनांक 31 मार्च, 2011 को ₹ 85.39 करोड़ की कुल परिसंपत्ति तथा दिनांक 31.3.2011 को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 64.65 करोड़ तथा निवल नकदी प्रवाह ₹ 2.58 करोड़ दर्शाया गया है। इन वित्तीय कथनों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई जिनकी रिपोर्ट हमें दी गई और सहायक कंपनी के लेखाओं के संबंध में हमारी राय अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
3. हम रिपोर्ट देते हैं कि कंपनी प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए समेकित वित्तीय कथन कंपनी लेखाकरण नियमावली, 2006 के लेखाकरण मानक 21 'समेकित वित्तीय कथनों' के आवश्यकतानुरूप हैं।
4. हम यह रिपोर्ट देते हैं कि :
₹ 1.45 करोड़ की भूमि और भवन की बिक्री/पट्टे पर लेने के करार अभी तक निष्पादित नहीं किए गए हैं। (कृपया अनुसूची 4 की टिप्पणी 2 का संदर्भ ग्रहण करें)।
5. इसके अतिरिक्त हम यह रिपोर्ट देते हैं कि हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर और कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर हमारी अलग से दी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करने पर तथा उपरोक्त के पैरा 4 में दी गई हमारी टिप्पणी (कोई वित्तीय प्रभाव नहीं) को महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित टिप्पणी के अध्याधीन, हमारी राय है कि उक्त समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सही और स्पष्ट रूप देते हैं कि :
 - i. समेकित तुलन-पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2011 को सीसीआईएल समूह के समेकित कार्यों की स्थिति, और
 - ii. समेकित लाभ और हानि लेखा के मामले में, उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए लाभ की स्थिति, और
 - iii. समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में, उस दिनांक को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की स्थिति दी गई है।

कृते कुमार चोपड़ा एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स
एफआरएन : 000131एन

(सीए आर के अगवाल)
साझेदार
सदस्य सं. 081510

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21.07.2011

दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन के अनुरूप तैयार करना कंपनी प्रबंधन का दायित्व है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देने के प्रति उत्तरदायी हैं कि उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा और आश्वासन मानकों के अनुरूप की गई है। हमें बताया गया है कि यह लेखापरीक्षा उनकी दिनांक 21.07.2011 की रिपोर्ट के अनुसार कर ली गई है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षा की ओर से मैंने 2011 में समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड नई दिल्ली के लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (बी) के अंतर्गत की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई लेखापरीक्षा का संज्ञान न लेते हुए स्वतंत्र रूप से की गई और यह सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों और कंपनी कार्मिकों और कुछ लेखाओं के सीमित निरीक्षण तक सीमित है।

अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत कुछ भी महत्वपूर्ण मेरे संज्ञान में नहीं आया है जिससे अनुपूरक सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट अथवा इसके ऊपर किसी टिप्पणी करने की आवश्यकता होगी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

(जॉन के सैलेट)

वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक
और लेखापरीक्षा बोर्ड-IV के पदेन सदस्य

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17.08.2011

कार्यालयों की सूची

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (भारत सरकार का एक उपक्रम)

कॉनकॉर भवन, सी-3, मथुरा रोड,
अपोलो अस्पताल के सामने, नई दिल्ली-110 076
दूरभाष - 41673093, 94, 95 एवं 96 फैक्स: 41673112
ई-मेल: co.pro@concorindia.com
वेबसाइट: www.concorindia.com

क्षेत्रीय कार्यालय

मध्य क्षेत्र

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
बीपीसीएल बिल्डिंग, प्रथम तल, 7 चिटनवीस मार्ग,
नेशनल फायर सर्विस कॉलेज के समीप,
सिविल लाइन्स, नागपुर-440001
फोन : 0712-2540406, 2540551
फैक्स : 0712-2554485
ई-मेल : cr.ro@concorindia.com

पूर्वी क्षेत्र

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
10वीं मंजिल, मेट्रो रेल भवन,
33/1 जवाहरलाल नेहरू रोड,
कोलकाता - 700 071
फोन : 033-22267151, 52, 53, 54
फैक्स : 033-22267106
ई-मेल : er.ro@concorindia.com

उत्तरी क्षेत्र

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो,
तुगलकाबाद, नई दिल्ली - 110020
फोन : 011-26368100, 26362180
(रेलवे नं. 7358/59/60)
फैक्स : 011.26368085
ई-मेल : nr.ro@concorindia.com

उत्तर मध्य क्षेत्र

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
502, पाँचवा तल, पी-5, ओसियन प्लाजा,
सैक्टर - 18, नौएडा - 201 301 (उ.प्र.)
फोन : 0120-4052900
फैक्स : 0120-2516310
ई-मेल : ncr.mis@concorindia.com

उत्तर पश्चिम क्षेत्र

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
301, बी ब्लॉक, तीसरा तल, साकार-VII
नेहरू ब्रिज कॉर्नर, आश्रम रोड,
अहमदाबाद - 380 006
फोन : 079-40273333
फैक्स : 079-40273334
ई-मेल : nwr.ro@concorindia.com

दक्षिणी क्षेत्र

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
51, मोन्टीथ रोड, प्रथम तल, एगमोर,
चैन्नई - 600 008
फोन : 044-28591931-34, 28591936, 28591937
फैक्स : 044-28591935
ई-मेल : sr.ro@concorindia.com

दक्षिण मध्य क्षेत्र

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
602, छठा तल, नवकेतन बिल्डिंग,
क्लॉक टॉवर के सामने, एस.डी. रोड,
सिकन्दराबाद - 500003
फोन : 040-27808938, 27808939
66315240, 66315241
फैक्स : 040-27800346
ई-मेल : scr.ro@concorindia.com

पश्चिमी क्षेत्र

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
पाँचवा तल, नया प्रशासनिक भवन,
मध्य रेलवे, डी.एन. रोड, फोर्ट,
मुम्बई - 400001
फोन : 022-22622053-54, 22679699, 22623725
फैक्स : 022-22624497
ई-मेल : wr.ro@concorindia.com